मानव विकास

अध्याय–20
शिक्षा
Education

20.1 प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड

राज्य गठन के उपरान्त प्रारम्भिक शिक्षा अन्तर्गत संचालित राजकीय प्राथमिक एवं राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों का संख्यात्मक विवरण निम्नानुसार है–

तालिका 20.1

राज्य गठन के समय स्थिति								
क्र. सं.	रा0प्रा0 वि0	रा0उ0प्रा0वि0	कुल	छात्र संख्या	स0अ0 रा0प्रा0वि0	प्रधानाध्यापक रा0प्रा0वि0	स0अ0 रा0उ0प्रा0वि0	प्रधानाध्यापक रा0उ0प्रा0वि0
1	11330	2381	13711	821629	19793	8408	8536	2161
31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार								
2	11580	2603	14183	455152	20823	5336	7231	904

स्रोतः UDISE 2024 - 25

20.1.1 नई शिक्षा नीति 2020–"उत्तराखण्ड राज्य" केन्द्र सरकार द्वारा तैयार की गयी नई शिक्षा नीति–2020 को लागू करने वाला प्रथम राज्य है।

शिक्षकों की नियुक्ति–प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत राज्य गठन से वर्तमान तक राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक के कुल 23874 पदों पर नियुक्ति प्रदान की गयी है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के शिक्षण हेतु विशेष शिक्षकों के 285 सृजित पदों के सापेक्ष 28 विशेष शिक्षकों द्वारा विद्यालयों मे कार्यभार ग्रहण किया गया है।

भौतिक संसाधनों की पूर्ति– राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रदान किये जाने के दृष्टिगत भौतिक संसाधनों को निरन्तर उपलब्ध कराया जा रहा है, जिसका विवरण निम्नानुसार है–

1. **नवीन निर्माण**– राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों हेतु आवश्यकतानुसार कुल 954 भवनों का नवीन निर्माण किया गया है।
2. **बालक एवं बालिका शौचालय**– कुल 954 नवीन बालक शौचालय एवं पृथक से 707 नवीन बालिका शौचालयों का निर्माण किया गया है।
3. **भवन मरम्मत**– कुल 594 विद्यालय भवनों में आवश्यकतानुसार मरम्मत करायी गयी है।
4. **कम्प्यूटर**– छात्र – छात्राओं को बेसिक जानकारी उपलब्ध कराये जाने के दृष्टिगत विद्यालयों में कुल 16584 कम्प्यूटर उपलब्ध कराये गये हैं।
5. **फर्नीचर**– कुल 242654 छात्र–छात्राओं के लिए आवश्यकतानुसार फर्नीचर उपलब्ध कराये गये हैं।
6. **विद्युत संयोजन**– कुल 500 विद्यालयों में विद्युत संयोजन का कार्य किया गया है।
7. **रैम्प रेलिंग**– कुल 1297 विद्यालयों में रैम्प रेलिंग का निर्माण कार्य किया गया है।
8. **निःशुल्क पाठ्य पुस्तक, जूता एवं बैग**– शासकीय एवं अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में अध्ययनरत् कक्षा–1 से 08 तक के

छात्र–छात्राओं को निःशुल्क पाठ्य–पुस्तक, जूता एवं बैग उपलब्ध कराया जा रहा है।

20.1.2 प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना (25 वर्षों की उपलब्धि):-

माह अगस्त, 1995 से प्रारम्भ "मध्यांह्न भोजन योजना" के रूप में विद्यालयों में अध्ययनरत बच्चों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराकर उनके पोषण स्तर में सुधार कर विद्यालय उपस्थिति को बढ़ाया गया है। प्रारम्भ में छात्रों को केवल सूखा खाद्यान्न दिया जाता था, परंतु सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार माह नवम्बर, 2001 से विद्यालयों में पका–पकाया गरम भोजन प्रदान किया जाने लगा है। इस योजना से न केवल विद्यार्थियों के स्वास्थ्य में सुधार हुआ है बल्कि उनमें विद्यालय आने की नियमितत्ता और उत्साह में वृद्धि हुई है।

नवाचारी प्रयासों के अर्न्तगत उत्तराखण्ड सहकारी डेरी फेडरेशन के माध्यम से माह नवम्बर, 2019 से सभी विद्यालयों में सप्ताह में दो दिन फोर्टिफाइड दूध उपलब्ध कराया जा रहा है। वर्ष 2016–17 से चयनित विद्यालयों में मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं द्वारा फूड टैस्ट कराये जा रहे है ताकि भोजन में प्रोटीन और कैलोरी की उचित मात्रा सुनिश्चित हो सके। वर्ष 2017–18 से प्रत्येक वर्ष चयनित विद्यालयों का सामाजिक अंकेक्षण (सोशल ऑडिट) कराया जा रहा है। देहरादून एवं ऊधमसिंह नगर जनपदों में अक्षय पात्र फाउंडेशन के केंद्रीकृत किचन के माध्यम से 635 विद्यालयों में लगभग 57,000 बच्चों को प्रतिदिन गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। साथ ही बच्चों को सप्ताह में एक दिन अतिरिक्त पोषण के रूप में अण्डा, फल या गुड़–पापड़ी जैसे खाद्य पदार्थ दिए जाते हैं।

विद्यालयों में किचन गार्डन विकसित किए जा रहे हैं। भोजनमाताओं को स्वास्थ्य, स्वच्छता, पोषण से संबंधित प्रशिक्षण दिया गया है तथा उन्हें ₹ 1000 की वार्षिक प्रोत्साहन राशि, गणवेश एवं 11वें माह का मानदेय प्रदान किया जा रहा है। भोजनमाताओं के बीच पाक कला प्रतियोगिताओं का आयोजन कर उन्हें पौष्टिक एवं स्थानीय व्यंजन बनाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है, जिससे सामुदायिक सहभागिता को भी बढ़ावा मिलता है। माह दिसम्बर, 2024 को देहरादून स्थित राज्य परियोजना कार्यालय में आयोजित "ईट राइट मेला" एवं कार्यशाला में एफडीए, एफएसएसएआई, बीआईएस और अन्य संस्थाओं की सहभागिता के साथ खाद्य सुरक्षा, पोषण और गुणवत्ता पर विशेष जानकारी दी गई।

भविष्य में इस योजना को कक्षा 9 से 12 तक विस्तारित करने, छात्र छात्राओं को नाश्ता उपलब्ध कराने, प्रत्येक विद्यालय में किचन गार्डन स्थापित करने तथा फूड टेस्टिंग और सोशल ऑडिट की कवरेज को चरणबद्ध ढंग से बढ़ाने की दिशा में राज्य सरकार निरंतर प्रयासरत है। यह योजना न केवल बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास में सहायक है, बल्कि "स्वस्थ बालक, सशक्त भारत" के लक्ष्य की ओर एक महत्वपूर्ण कदम है।

20.2 समग्र शिक्षा

समग्र शिक्षा केन्द्रपोषित योजना है। विद्यालयी शिक्षा के अन्तर्गत संसाधनों पर व्यय आदि के दृष्टिगत सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान एवं शिक्षक–शिक्षा का एकीकरण करते हुये वर्ष 2018–19 में समग्र शिक्षा योजना प्रारम्भ की गयी है। समग्र शिक्षा के तीन घटक–प्रारम्भिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा एवं शिक्षक शिक्षा हैं। कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु भारत सरकार एवं राज्य सरकार की भागीदारी 90:10 के अनुपात में निर्धारित की गयी है। पूर्व प्राथमिक कक्षाओं से लेकर कक्षा 12वीं तक के लिए मुख्यतः विद्यालयों के एकीकरण/समेकन को प्राथमिकता दी गयी है। राज्य में समग्र शिक्षा के अन्तर्गत सम्पादित प्रमुख गतिविधियाँ निम्नवत है:–

20.2.1 समग्र शिक्षा का उद्देश्यः

- विद्यालयी शिक्षा की सार्वभौम पहुँच सुनिश्चित करना।
- गुणवत्ता शिक्षा का प्रावधान एवं छात्रों के

'सीखने के प्रतिफल' (Learning Outcomes) सुनिश्चित करना।

- विद्यालयी शिक्षा के अन्तर्गत सामाजिक एवं लैंगिक भेद समाप्त करना।
- विद्यालयी शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर समावेशन (Inclusion) एवं समता (Equity) सुनिश्चित करना।
- विद्यालयी शिक्षा के अन्तर्गत न्यूनतम सुविधायें सुनिश्चित करना यथा विद्यालय भवन, कक्षा–कक्ष एवं प्रयोगशाला, शौचालय, पेयजल, विद्युतीकरण, रैम्प–रेलिंग आदि।
- व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देना तथा व्यावसायिक शिक्षा को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाना।
- शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का क्रियान्वयन सुनिश्चित करना।
- District Institute of Education & Training (DIET) एवं State Council of Education Research & Training (SCERT) के सुदृढ़ीकरण।
- विद्यालयो में डिजिटल लर्निंग सुविधा का विकास करना।
- ड्रॉप आउट अनुपात को शून्य करना।
- बच्चों के लिए बुनियादी स्तर पर भाषायी एवं गणितीय दक्षता सुनिश्चित करना।

20.2.2 घर–घर सर्वेक्षणः– वर्तमान में घर–घर सर्वेक्षण के आधार पर विद्यालय से बाहर रह गये बच्चों को आयु एवं कक्षा आधारित विशिष्ट प्रशिक्षण केन्द्रो में 2139 बच्चों को प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है।

20.2.3 नवीन विद्यालयः– वर्ष 2001–02 से 1209 नवीन प्राथमिक विद्यालय तथा 1335 उच्च प्राथमिक विद्यालय खोले गये हैं।

20.2.4 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय छात्रावास (के.जी.बी.वी.) एवं नेताजी सुभाष चन्द्र बोस आवासीय छात्रावास :– राज्य में 39 कस्तूरबा गांधी बालिका छात्रावास एवं 19 नेताजी सुभाष चन्द्र बोस आवासीय छात्रावास की स्थापना की गई है। वर्तमान में कस्तूरबा गांधी बालिका छात्रावासों में 4117 तथा नेताजी सुभाष चन्द्र बोस आवासीय छात्रावास में 1406 वंचित एवं पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है।

20.2.5 डिजिटल पहलः– डिजिटल शिक्षा को प्रोत्साहित करने हेतु 1340 वर्चुअल क्लास एवं 1585 स्मार्ट क्लास शासकीय विद्यालयों में स्थापित की गई है। वर्चुअल क्लास के संचालन हेतु 06 केन्द्रीय वर्चुअल स्टूडियो से विषयानुसार इंटरैक्टिव लर्निंग सत्र उपलब्ध कराए जा रहे हैं। छात्र–छात्राओं को प्रेरित किये जाने हेतु वर्चुअल स्टूडियो के माध्यम से "शिक्षा की बात" मासिक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसका माह अगस्त, 2025 को किया गया।

20.2.6 कौशल एवं व्यावसायिक शिक्षाः– राज्य के 531 शासकीय माध्यमिक विद्यालयों में National Council for Vocational Education and Training (NCVET) से मान्यता प्राप्त 08 सेक्टर के अंतर्गत कौशल आधारित व्यवसायिक शिक्षा प्रारम्भ की गई है। कम नामांकन वाले 28 माध्यमिक विद्यालयों को हब एंड स्पोक मॉडल से जोड़ा गया है। व्यावसायिक शिक्षा विषय से कक्षा–12 उत्तीर्ण कर चुके छात्र–छात्राओं को औद्योगिक संस्थानों में रोजगार/प्रशिक्षण के अवसर प्रदान किये जाने के उद्देश्य से "जॉब फेयर" का आयोजन किया जा रहा है। माह मार्च, 2025 में आयोजित प्रथम राज्य स्तरीय जॉब फेयर में 300 से अधिक छात्र–छात्राओं द्वारा प्रतिभाग किया गया, जिसमे 146 प्रतिभागियों का चयन विभिन्न औद्योगिक प्रतिष्ठानों द्वारा किया गया। इसके अतिरिक्त, 2117 शासकीय माध्यमिक विद्यालयों को कौशलम् कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल किया गया है, जिससे विद्यार्थियों में उद्यमिता की भावना विकसित की जा सके।

20.2.7 आर0टी0ई0:शिक्षा का अधिकारः– शिक्षा का अधिकार अधिनियम की धारा 12(1)(स) के अन्तर्गत राज्य के निजी विद्यालय के शैक्षिक

सत्र 2024–25 में अपवंचित एवं कमजोर वर्ग के 94690 छात्रों हेतु ₹ 165 करोड़ की धनराशि शुल्क प्रतिपूर्ति एवं विद्यालय प्रतिपूर्ति हेतु अवमुक्त की गयी। वर्ष 2025–26 में प्रारम्भिक स्तर पर राजकीय विद्यालयों के कक्षा–01 से 08 तक अध्ययनरत 592721 छात्र–छात्राओं को निःशुल्क पाठ्य–पुस्तक तथा 516569 विद्यार्थियों, जिनमें सभी छात्राओं तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं बी0पी0एल0 छात्रों को गणवेश (ड्रेस) निःशुल्क दिया जा रहा है।

20.2.8 राष्ट्रीय साक्षरता एवं संख्या ज्ञान दक्षता पहल (निपुण भारत मिशन):– राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की अनुशंसा के अनुरूप 'निपुण भारत मिशन' प्राथमिक स्तर पर 'बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान' सुनिश्चित किये जाने हेतु कार्यक्रम राष्ट्रीय स्तर पर माह जुलाई, 2021 को प्रारम्भ किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य मूलभूत साक्षरता एवं संख्या ज्ञान के सार्वभौमिक अर्जन के लिए विद्यालयों में सक्षम परिवेश का निर्माण करना है ताकि वर्ष 2026–27 तक 3–9 आयु वर्ग का प्रत्येक बच्चा कक्षा 03 के बाद पठन, लेखन और संख्या ज्ञान कौशल की अपेक्षित शिक्षण–क्षमताओं को प्राप्त कर सके। वर्तमान सत्र में 8674 राजकीय प्राथमिक विद्यालयों को एन.सी. ई.आर.टी. द्वारा विकसित जादुई पिटारा अधिगम सामग्री उपलब्ध करायी जानी है। 14622 राजकीय प्राथमिक विद्यालयों के सहायक अध्यापकों का प्रशिक्षण तथा 2588 आंगनबाड़ी कार्यकत्रीयों का प्रशिक्षण प्रस्तावित है।

- शैक्षिक सत्र 2024–25 में समग्र शिक्षा के अन्तर्गत सभी राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत सभी छात्र – छात्राओं के लिए निपुण अभ्यास पुस्तिकाएं बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान के लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए अध्यापकों, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान तथा एस॰सी॰ई॰आर॰टी॰ संकाय सदस्यों के सहयोग से विकसित करते हुए मुद्रित एवं वितरित की गयी।
- Progressive chabot के माध्यम से कक्षा 1 एवं कक्षा 2 के छात्र–छात्राओं का निर्धारित समय में मूल्यांकन किया जा रहा है।
- निपुण भारत मिशन के अन्तर्गत छात्रों के अधिगम आधारित लक्ष्यों का विद्यालय एवं छात्र स्तर तक प्रभावी मूल्यांकन किये जाने हेतु "निपुण विद्यार्थी प्रतियोगिता" 2024–25 का आयोजन किया गया। विकासखंड, जनपद एवं राज्य स्तर पर आयोजित निपुण विद्यार्थी प्रतियोगिता संकुल, में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कृत किया गया।
- पुस्तकालय की उत्कृष्ट व्यवस्था वाले प्राथमिक विद्यालयों में से 'आदर्श पुस्तकालय' हेतु चयन किया गया है। निपुण भारत कार्यक्रम के अन्तर्गत उत्कृष्ट पुस्तकालय तैयार करने वाले 52 विद्यालयों को राज्य स्तर से पुरस्कृत किया गया।

20.2.9 निर्माण कार्य:–समग्र शिक्षा के अन्तर्गत 2018–19 से 2024–25 तक माध्यमिक स्तर के विद्यालयों हेतु कुल स्वीकृत 2075 निर्माण कार्यों के सापेक्ष 1707 निर्माण कार्य पूर्ण, 314 कार्य प्रगतिरत एवं 54 कार्य अनारम्भ हैं। प्रारम्भिक स्तर के कुल स्वीकृत 4312 निर्माण कार्यों में से 3431 पूर्ण, 746 प्रगतिरत तथा 135 अनारम्भ हैं। वित्तीय वर्ष 2025–26 में समग्र शिक्षा के अन्तर्गत माध्यमिक स्तर के 190 निर्माण कार्यों हेतु लगभग धनराशि ₹ 3691 लाख की स्वीकृति भारत सरकार द्वारा प्राप्त हुई है, जबकि प्रारम्भिक स्तर के विद्यालयों के लिए 271 निर्माण कार्यों हेतु लगभग धनराशि ₹ 2841 लाख की स्वीकृति प्राप्त हुई है। आवासीय छात्रावासों हेतु 24 निर्माण कार्यों के लिए लगभग ₹ 1637 लाख स्वीकृत किये गये हैं।

20.2.10 समावेशी एवं बालिका शिक्षा:– समावेशी शिक्षा के अन्तर्गत विशेष आवश्यकता वाले बच्चों हेतु सहायता उपकरण परीक्षण एवं वितरण

शिविर आयोजित कराना, गृह आधारित शिक्षा, एस्कॉर्ट सुविधा तथा छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। बालिकाओं को आत्मनिर्भर तथा आत्मविश्वास से परिपूर्ण किये जाने हेतु वर्तमान सत्र में 639 उच्च प्राथमिक एवं 1757 माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत छात्राओं को "रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम" के अन्तर्गत 03 माह का आत्मरक्षा प्रशिक्षण, 1757 माध्यमिक विद्यालयों में Career Guidance and Adolescence Programme आयोजित किया जाना है। इसके अतिरिक्त कक्षा 06 से 12 में अध्ययनरत समस्त छात्राओं को Sanitary Pad उपलब्ध कराये जा रहे हैं।

20.2.11 नवाचारी गतिविधियां:—वित्तीय वर्ष 2025—26 हेतु भारत सरकार द्वारा राज्य में शिक्षा की गुणवत्ता में वृद्धि किये जाने हेतु Sports Complex, लोक धुन, जिज्ञासा, Astro Physics Lab, माध्यमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार किये जाने हेतु Aptitude Test, शिक्षकों को आधुनिक शिक्षण तकनीकों में कुशल बनाये जाने हेतु कोडिंग तथा ए0आई0 प्रशिक्षण, जादुई पिटारा आदि नवाचारी गतिविधियों हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया है।

20.2.12 पीएम जनमन:— प्रधानमन्त्री जनजातीय न्याय महाअभियान

- **पीएम जनमन छात्रावास:**— प्रधानमन्त्री जनजातीय न्याय महाअभियान (PM-JANMAN) के अन्तर्गत राज्य में विशेष रूप से संवेदनशील जनजातीय समूह (PVTG) — बुक्सा एवं राजी जनजातियों के लिए स्वीकृत कुल 03 पीएम जनमन छात्रावास जनपद—उधमसिंह नगर, देहरादून तथा पौड़ी गढ़वाल में स्थापित किये जा रहे है।

20.2.13 धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान

- धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (DAJUGA) के अंतर्गत 03 छात्रावास जनपद— देहरादून में चकराता क्वांसी, जनपद—चमोली में माणा घिंघराणा तथा जनपद—उधमसिंह नगर में झनकट में स्थापित किए जा रहे हैं, ताकि वंचित अनुसूचित जनजातीय बस्तियों को आवासीय छात्रावास सुविधा उपलब्ध हो सके।

20.2.14 पी0एम0 श्री:— Prime Minister's Schools for Rising India

- राज्य के 192 माध्यमिक तथा 34 प्रारम्भिक विद्यालयों को आदर्श विद्यालय के रूप में स्थापित किये जाने हेतु पी0एम0 श्री योजना से आच्छादित किया गया है। इन विद्यालयों में लगभग 76000 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। सत्र 2025—26 में राज्य के 15 अतिरिक्त माध्यमिक विद्यालयों को पी0एम0 श्री विद्यालयों के रूप में विकसित किये जाने हेतु चयनित किया गया है।

20.2.15 उल्लास योजना:— ULLAS (Understanding of Life Long Learning for All in Society) उल्लास कार्यक्रम के अन्तर्गत 15 वर्ष से अधिक आयु के निरक्षर व्यस्कों को साक्षरता एवं संख्यात्मकता का ज्ञान दिया जाता है। यह योजना युवाओं एवं व्यस्कों को बुनियादी शिक्षा, डिजिटल कौशल एवं जीवनोपयोगी अधिगम प्रदान कर समाज को समावेशी एवं आत्मनिर्भर बनाने में सहायक है। उत्तराखण्ड में लगभग 45,000 शिक्षार्थियों ने National Institute of Open Schooling (NIOS) द्वारा आयोजित आधारभूत साक्षरता एवं संख्यात्मकता मूल्यांकन परीक्षा में भाग लिया, जिनमें से लगभग 35,000 शिक्षार्थियों को प्रमाण—पत्र निर्गत किये गये।

नई शिक्षा नीति—2020 एवं शिक्षा का अधिकार अधिनियम—2009 की मूल भावनाओं के अनुसार विद्यालयी शिक्षा में प्रारम्भिक शिक्षा एक बुनियादी अंग के रूप में कक्षा—1 से 8 तक के छात्र—छात्राओं को निःशुल्क शिक्षा के प्राविधानानुसार वैश्विक, राष्ट्र एवं प्रदेश स्तर पर अपेक्षित मानकों के अनुरूप छात्र—छात्राओं के सर्वांगींण विकास हेतु सतत प्रयास किये जा रहे हैं।

तालिका–20.2

राजकीय एवं निजी विद्यालयों में अध्ययनरत् छात्र–छात्राओं के साथ शिक्षकों का संख्यात्मक विवरण

विवरण	विद्यालयों की संख्या	विद्यालयों में नामांकित छात्र संख्या			विद्यालयों में शिक्षकों की संख्या		
		बालक	बालिका	कुल	पुरूष शिक्षक	महिला शिक्षक	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8
राजकीय विद्यालय एवं अशासकीय सहायत प्राप्त विद्यालय	13825	193041	202406	**395447**	16447	14516	**30963**
निजी/प्राइवेट विद्यालय	4032	249106	201989	**451095**	7236	24930	**32166**
कुल	**17857**	**442147**	**404395**	**846542**	**23683**	**39446**	**63129**

स्रोतः UDISE 2024 - 25

असर संस्था द्वारा किये गये सर्वे अनुसार उत्तराखण्ड में छात्रों की स्थितिः–

Basic Reading Test

% Youth who can read at least a std II level text (ASER reading test), by age group and sex

Table – 20.2.1

Age group	Male	Female	All
14-16	81.0	84.0	82.6
17-18	80.7	90.1	85.9

Basic Arithmetic Test

% Youth who can do at least division (ASER arithmetic test), by age group and sex

Table -20.2.2

Age group	Male	Female	All
14-16	45.8	28.9	36.9
17-18	**36.9**	**26.9**	**31.4**

Basic English Test

% Youth who can read at least sentences in English (ASER English test), by age group and sex

Table -20.2.3

Age group	Male	Female	All
14-16	**64.4**	**60.8**	**62.5**
17-18	**65.2**	**56.0**	**60.1**

स्रोतः UDISE 2024 - 25

20.2.16 खेल प्रतियोगितायें

प्रारम्भिक शिक्षा की क्रीड़ा प्रतियोगिताएं न्याय पंचायत स्तर से प्रारम्भ कर चयनित छात्र–छात्राओं को विकासखण्ड स्तर पर प्रतिभाग कराया जाता है। विकासखण्ड स्तर से चयनित टीम को जनपद स्तर पर प्रतिभाग कराया जाता है। तद्पश्चात विभिन्न जनपदों से चयनित प्रतिभागियों को राज्य स्तर पर प्रतिभाग कराया जाता है, जिसमें लगभग 2700 छात्र–छात्राओं द्वारा विभिन्न खेलों में प्रतिभाग किया जाता है।

20.2.17 प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण

पी0एम0 पोषण केन्द्र व राज्य सरकार के सहयोग से चलने वाली एक ध्वजवाहक कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य प्रारम्भिक स्तर पर राजकीय एवं राजकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों/मकतब/मदरसों में कक्षा–1 से 8 तक अध्ययनरत् समस्त बच्चों के पोषण में सुधार करना है। निर्धन एवं अपवंचित वर्गों के छात्र छात्राओं को नियमित रूप से विद्यालय आने तथा कक्षा शिक्षण में ध्यान केन्द्रित करने हेतु प्रोत्साहित करना है।

वर्ष 2024–25 में प्रत्येक विद्यालय को मैटेरियल कॉस्ट की धनराशि तथा खाद्यान्न के रूप में मानकानुसार चावल उपलब्ध कराया जा रहा है। वर्ष 2024–25 में कुल 164432 विद्यालयों में 618420 छात्र–छात्राएं नामांकित हैं। विद्यालयों को भोजन पकाने हेतु वर्तमान में कुल 23869 भोजनमाताएं कार्यरत हैं।

वर्ष 2024–25 में भारत सरकार द्वारा कुल 15089.14 मी0ट0 खाद्यान्न आवंटित किया गया है। वित्तीय वर्ष 2024–25 में अनुमोदित कुल ₹ 24932.88 लाख में से केन्द्रांश ₹ 14116.70 लाख एवं राज्यांश 10816.17 लाख सम्मिलित है।

20.2.18 निःशुल्क पाठ्य–पुस्तक 2024–25

वित्तीय वर्ष 2025–26 में कक्षा 1 – 8 तक के समस्त राजकीय एवं अशासकीय, सहायता प्राप्त विद्यालय एवं मदरसे जो राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम लागू करते हैं, के कुल 629239 छात्र–छात्राओं को शिक्षण सामग्री/ निःशुल्क पाठ्य–पुस्तक वितरण हेतु को कुल ₹ 35.00 करोड़ की स्वीकृत धनराशि से निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें वितरत की गयी है।

20.2.19 निःशुल्क जूता एवं बैग

वित्तीय वर्ष 2025–26 में राज्य के समस्त राजकीय एवं अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों के कक्षा 01 से 08 तक अध्ययनरत् छात्र–छात्राओं को निःशुल्क जूता एवं बैग हेतु डी0बी0टी0 (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से धनराशि हस्तान्तरित किये जाने हेतु कुल 539655 छात्र–छात्राओं को कुल ₹ 20.60 करोड़ की धनराशि से लाभावित किया गया है।

20.2.20 आदर्श विद्यालय

वर्ष 2025–26 हेतु 285 राजकीय आदर्श प्राथमिक एवं राजकीय आदर्श उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत् छात्र–छात्राओं को मूलभूत सुविधायें उपलब्ध कराये जाने के दृष्टिगत 69.56 लाख की धनराशि एवं विद्यालय भवनों की मरम्मत कार्य हेतु अनुरक्षण मद में ₹ 19.59 लाख की धनराशि जनपदों को आवंटित की गयी है।

20.2.21 फर्नीचर

वर्ष 2025–26 में अध्ययनरत् छात्र–छात्राओं में से 18079 छात्र–छात्राओं हेतु फर्नीचर उपलब्ध कराये जाने के दृष्टिगत ₹ 3.62 करोड़ की धनराशि जनपदों को आवंटित की गयी है।

20.2.22 अनुरक्षण/रूपान्तरण/वृहद् निर्माण कार्य

वर्ष 2025–26 में 32 विद्यालयों में अनुरक्षण कार्य हेतु ₹ 2.79 करोड़ जनपद चम्पावत के 31 राजकीय प्राथमिक विद्यालयों के रूपान्तरण कार्य हेतु ₹ 1.04 करोड़ एवं वृहद् निर्माण मद के अन्तर्गत 44 विद्यालयों हेतु ₹ 12.06 लाख धनराशि जनपदों को आवंटित की गयी है।

चार्ट–20.1

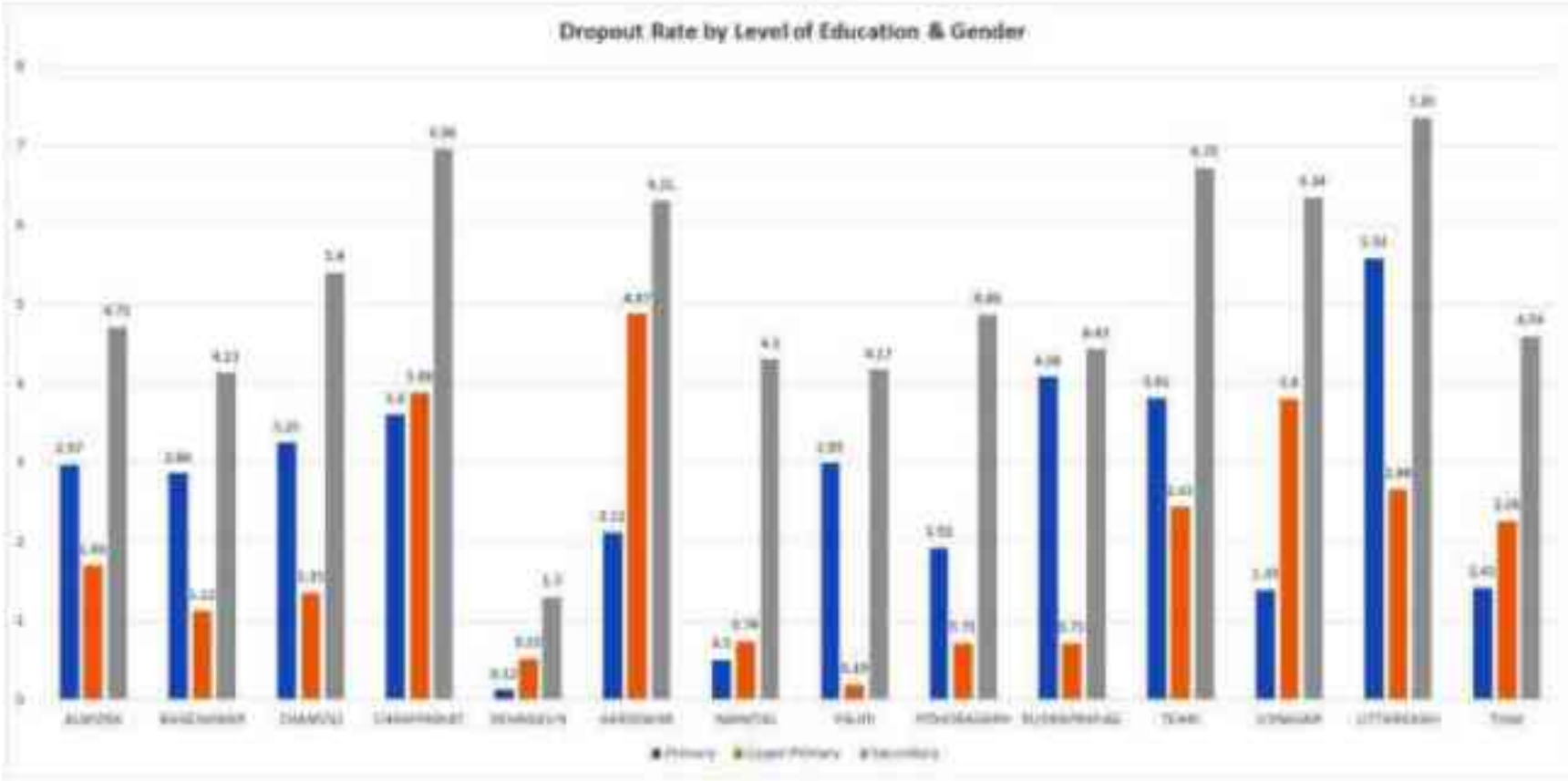

स्रोत: UDISE 2024 - 25

20.2.23 समग्र शिक्षा के अन्तर्गत निर्माण कार्य–

समग्र शिक्षा के अन्तर्गत विद्यालयों में आधारभूत सुविधाओं को सुनिश्चित किये जाने हेतु विद्यालयों का पुनर्निर्माण, बालक/बालिका शौचालय, अतिरिक्त कक्षा–कक्ष, रैम्प–रैलिंग, भवनहीन विद्यालय, सी. डब्लू.एस.एन. शौचालय, विद्युतीकरण, प्रयोगशाला, कम्प्यूटर कक्ष, पुस्तकालय कक्ष, किचनगार्डन, रेनवाटर हार्वेस्टिंग, विद्युतीकरण, वृहदमरम्मत, आदि निर्माण कार्य कराये जा रहे हैं।

तालिका– 20.2.4

निर्माण कार्य प्रगति–वर्ष 2025–26 (31 दिसम्बर, 2025 तक)

क्र0 सं0	निर्माणकार्य	2025-26			
		लक्ष्य	निर्माणाधीन	पूर्ण	अनारम्भ
1	पुनर्निर्माण	50	0	0	50
2	वृहदमरम्मत	107	7	0	100
3	अतिरिक्त कक्षा–कक्ष	50	5	0	45
4	बालिका शौचालय	75	4	0	71
5	बालक शौचालय	46	4	0	42
6	रैम्प	0	0	0	0
7	भवनहीन विद्यालय	0	0	0	0
8	सी.डब्लू.एस.एन. शौचालय	0	0	0	0
9	विद्युतीकरण	12	0	0	12
10	प्रयोगशाला	52	8	0	44
11	कम्प्यूटर कक्ष	21	2	0	19
योग		**413**	**30**	**0**	**383**

स्रोत: UDISE 2024 - 25

20.2.24 शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा–12 (1) (C) – शिक्षा का अधिकार अधिनियम की धारा–12 (1) (C) के अन्तर्गत कमजोर एवं अपवंचित वर्गों के बच्चों को निजी विद्यालयों में गुणवत्ता परख शिक्षा प्राप्त करने के अवसर उपलब्ध कराये जाने के दृष्टिगत निजी विद्यालयों में प्रवेश दिया जा रहा है। इसके अन्तर्गत प्रवेशित बच्चों की शुल्क प्रतिपूर्ति भारत सरकार

द्वारा की जाती है। निजी विद्यालयों में लाभान्वित छात्र–छात्राओं की संख्या एवं प्रतिपूर्ति की गयी धनराशि निम्नवत् है–

तालिका– 20.2.5

क्र0 सं0	वर्ष	लाभान्वित छात्र–छात्राओं की संख्या	प्रतिपूर्ति की धनराशि (रू0 लाख में)
1	2019-20	104732	16240.98
2	2020-21	97772	20065.61
3	2021-22	83302	10946.47
4	2022-23	87714	13690.77
5	2023-24	93469	15434.15
6	2024-25	94690	16550.05
योग			**92928.03**

स्रोत: UDISE 2024 - 25

चार्ट–20.2

स्रोत: UDISE 2024 - 25

20.2.25 कस्तूरबा गाँधी बालिका आवासीय विद्यालय/आवासीय छात्रावास–कस्तूरबा गाँधी बालिका आवासीय छात्रावासों के माध्यम से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक, पिछड़े वर्ग एवं बी0पी0एल0 परिवारों की छात्राओं हेतु शिक्षा व्यवस्था के लिए 39 के0जी0बी0वी0 संचालित हैं। वर्ष 2025–26 में के0जी0बी0वी0 में 4139 छात्राओं को निःशुल्क भोजन, आवास एवं शिक्षा व्यवस्था की गयी है। विद्यालयी शिक्षा से वंचित बालिकाओं को प्राथमिकता के आधार पर प्रवेश दिये जाने का भी प्राविधान है।

20.2.26 आवासीय एवं गैर आवासीय विशिष्ट प्रशिक्षण कार्यक्रम–विद्यालयी शिक्षा से वंचित बच्चों को शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ने हेतु गैर आवासीय एवं आवासीय विशिष्ट प्रशिक्षण केन्द्रों के माध्यम से 2139 बच्चों को आयु आधारित कक्षा में प्रवेश हेतु तैयार किया जा रहा है।

20.2.27 एस्कॉर्ट सुविधा–जटिल भौगोलिक क्षेत्रों से विद्यालय आने–जाने वाले 8668 बच्चों को एस्कॉर्ट सुविधा प्रदान की जा रही है।

20.2.28 नेताजी सुभाषचन्द्र बोस आवासीय छात्रावास– अपवंचित एवं कमजोर वर्ग के छात्र–छात्राओं के लिए राज्य के विभिन्न जनपदों में 19 आवासीय छात्रावासों का संचालन किया जा रहा है, जिनमें 1550 छात्र–छात्राओं को निःशुल्क आवासीय व्यवस्थाएं प्रदान की जाती हैं।

20.2.29 व्यावसायिक शिक्षा

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 में व्यावसायिक शिक्षा को विशेष महत्व दिया है। इसका उद्देश्य शिक्षा प्रणाली को अधिक समग्र, लचीला और कौशल आधारित बना कर छात्र छात्राओं को रोजगार एवं उद्यमिता के लिए बेहतर रूप से तैयार किया जा सके।

व्यावसायिक शिक्षा के उद्देश्य–

1. प्रत्येक छात्र की रोजगार क्षमताओं को बढ़ाना और उनकी रूचि के अनुसार रोजगारपरक शिक्षा देना।
2. स्कूली शिक्षा के अन्तर्गत कक्षा–8वीं के बाद जीवनयापन हेतु व्यवसाय चुनने वाले छात्र छात्राओं की ड्रॉप ऑउट दर को कम करना।
3. स्कूली शिक्षा पूर्ण करने तक छात्रों को व्यवसाय के प्रति स्पष्ट दृष्टिकोण प्रदान करना।
4. कुशल जनशक्ति की मांग और आपूर्ति के बीच के अन्तर को कम करना।
5. शिक्षा के सुअवसरों में विविधता लाना।
6. विद्यार्थियों में आत्मविश्वास जागृत करना।
7. अधिक संख्या में स्वरोजगार आधारित पाठ्यक्रमों को तैयार करना।

तालिका–20.2.6

व्यावसायिक शिक्षा के अन्तर्गत सेक्टर/ट्रेड वार लाभान्वित छात्र संख्या

क्र. सं.	जनपद	टूरिज्म एण्ड हॉस्पिटेलिटी	आई0टी0	ब्यूटी एण्ड वैलनैस	एग्रीकल्चर	रिटेल	इलैक्ट्रॉनिक्स एण्ड हार्डवेयर	ऑटोमॉटिव	पलम्बर	योग
1.	अल्मोड़ा	797	1561	390	191	0	0	0	0	2939
2.	बागेश्वर	301	180	266	89	0	23	339	90	1288
3.	चमोली	364	840	282	390	142	0	245	43	2306
4.	चम्पावत	0	1168	501	0	176	40	0	0	1885
5.	देहरादून	556	1426	1186	557	586	773	902	30	6016
6.	हरिद्वार	17	1596	564	239	209	269	406	0	3300
7.	नैनीताल	263	3283	562	116	392	0	186	0	4802
8.	पौड़ी	164	1350	326	421	0	86	315	275	2937
9.	पिथौरागढ़	133	1207	49	917	0	104	318	54	2782
10	रुद्रप्रयाग	0	573	190	33	0	0	247	0	1043
11	टिहरी	44	1102	324	23	0	360	932	534	3319
12	ऊधम सिंह नगर	0	2948	1793	31	953	937	1731	235	8628
13	उत्तरकाशी	496	1053	52	153	0	0	207	51	2012
	योग	3135	18287	6485	3160	2458	2592	5828	1312	43257

स्रोतः UDISE 2024 - 25

20.2.30 वर्चुअल/स्मार्ट क्लास

डिजिटल शिक्षा के प्रोत्साहन हेतु 1340 वर्चुअल क्लास एवं 1585 स्मार्ट क्लास, 06 केन्द्रीय स्टूडियो से विषयानुसार इंटरैक्टिव लर्निंग सत्र उपलब्ध कराए जा रहे हैं। माह सितम्बर, 2025 से "शिक्षा की बात" मासिक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। प्रतिदिन विषयगत व्याख्यान का जीवन्त प्रसारण (Live relay) You Tube link के माध्यम से भी प्रसारित किया जा रहा है।

20.2.31 पीएम श्री अर्थात् प्रधान मंत्री स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया (PRADHAN MANTRI SCHOOLS FOR RISING INDIA), भारत सरकार

की इस महत्वकांक्षी योजना में विद्यालयों को आधुनिक बुनियादी ढांचे, नवीनतम शिक्षण उपकरण और प्रौद्योगिकी, स्किल डेवलपमेंन्ट, स्मार्ट कक्षाओं, योग शिक्षा, डिजिटल लाईब्रेरी आदि सुविधाओं से आच्छादित किया जा रहा है।

पी.एम. श्री योजना का क्रियान्वयन 2022–23 से

किया जा रहा है। प्रथम चरण में 141 (28 प्राथमिक, 11 हाईस्कूल एवं 102 इण्टरमीडिएट) विद्यालयों तथा द्वितीय चरण में 84 (06 प्राथमिक एवं 78 इण्टरमीडिएट), पांचवें चरण मे 01 इण्टरमीडिएट एवं सातवें चरण में 15 इण्टरमीडिएट विद्यालयों का चयन किया गया। इस प्रकार कुल 241 पी.एम. श्री विद्यालय संचालित किये जा रहे हैं। वित्तीय वर्ष 2025–26 हेतु भारत सरकार द्वारा 241 पी0एम0 श्री विद्यालयों हेतु ₹ 110.85 करोड़ के अन्तर्गत डिजिटल लाइब्रेरी, आई.सी.टी. लैब एवं स्मार्ट क्लास/डिजिटल बोर्ड/डिजिटल टी.वी., ऑडियो–विजुअल सिस्टम, बैण्ड सेट, म्यूजिकल इन्स्ट्रुमेंट, गणित किट, विज्ञान किट, सामाजिक विज्ञान किट, साइंस सर्कल, गणित सर्कल आदि की स्वीकृति प्रदान की गयी।

20.2.32 विद्या समीक्षा केन्द्र (Vidya Samiksha Kendra)

माह सितम्बर, 2023 में विद्या समीक्षा केन्द्र को National digital Education Architecture (NDEAR Complaint) बना कर राष्ट्रीय विद्या समीक्षा केन्द्र से जोड़ा गया है जिससे राज्य के आंकड़े रियल टाइम आधार पर भारत सरकार को मिल रहे हैं। यह केन्द्र एक संस्थागत सेटअप है जो अकादमिक और गैर–अकादमिक गतिविधियों के लिए डेटा–आधारित निर्णय लेने, प्रभावी नियोजन एवं योजनाओं के समयबद्ध क्रियान्वयन आदि में सक्षम बनायेगा, जिससे सीखने के परिणामों में सुधार हो सकेगा।

20.3 माध्यमिक शिक्षा

माध्यमिक शिक्षा का मुख्य कार्य माध्यमिक विद्यालयों की व्यवस्था, संचालन, छात्र–छात्राओं को गुणवत्तायुक्त शिक्षा, शिक्षा का मूल्यांकन तथा उसके स्तर में अभिवृद्धि के लिए प्रशिक्षण आदि करना है। इसके अतिरिक्त विद्यालय से बाहर छूट गये बच्चों को मुख्यधारा में लाने हेतु प्रयास करना है।

तालिका– 20.3

श्रेणीवार माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों का विवरण (शासकीय)

क्र0 सं0	जनपद	कक्षा 1 से 10	कक्षा 1 से 12	कक्षा 6 से 10	कक्षा 6 से 12	कक्षा 9 से 10	कक्षा 9 से 12	कक्षा 11 से 12	कुल
1	अल्मोड़ा	0	0	83	165	12	0	0	260
2	बागेश्वर	0	0	32	62	0	0	0	94
3	चमोली	0	0	74	128	0	0	0	202
4	चम्पावत	0	0	41	59	2	4	0	106
5	देहरादून	0	0	40	80	30	17	1	168
6	हरिद्वार	1	0	51	29	15	3	4	103
7	नैनीताल	0	0	69	122	0	0	0	191
8	पौड़ी गढ़वाल	0	1	104	184	9	4	0	302
9	पिथौरागढ़	2	1	82	127	2	2	0	216
10	रूद्रप्रयाग	0	0	22	78	5	3	0	108
11	टिहरी	0	0	60	185	48	12	0	305
12	ऊधमसिंहनगर	0	1	64	57	1	1	0	124
13	उत्तरकाशी	0	0	5	60	47	16	0	128
योग		**3**	**3**	**727**	**1336**	**171**	**64**	**5**	**2309**

स्रोत: UDISE 2024 - 25

तालिका– 20.3.1

प्रबंधनवार माध्यमिक विद्यालयों का विवरण

क्र0 सं0	जनपद	कुल माध्यमिक विद्यालय	शिक्षा विभाग	जनजाति/समाज कल्याण विभाग	स्थानीय निकाय	सवित्त मान्यता प्राप्त	वित्त विहीन मान्यता प्राप्त	मदरसा मान्यता प्राप्त	मदरसा गैर मान्यता प्राप्त	अन्य
1	अल्मोड़ा	351	262	0	1	40	48	0	0	0
2	बागेश्वर	128	94	0	0	16	18	0	0	0
3	चमोली	264	202	1	0	27	34	0	0	0

4	चम्पावत	143	106	0	0	9	28	0	0	0
5	देहरादून	607	168	6	3	57	365	2	0	6
6	हरिद्वार	408	103	1	1	66	228	9	0	0
7	नैनीताल	372	191	1	0	33	146	0	0	1
8	पौड़ी गढ़वाल	436	302	0	1	71	62	0	0	0
9	पिथौरागढ़	279	216	3	0	9	51	0	0	0
10	रुद्रप्रयाग	153	108	0	0	27	17	0	0	1
11	टिहरी	371	305	0	0	21	45	0	0	0
12	ऊधमसिंहनगर	431	124	7	0	29	255	16	0	0
13	उत्तरकाशी	163	128	0	0	3	32	0	0	0
योग		**4106**	**2309**	**19**	**6**	**408**	**1329**	**27**	**0**	**8**

स्रोतः UDISE 2024 - 25

तालिका– 20.3.2
माध्यमिक विद्यालयों में छात्र नामांकन

स्तर	राजकीय	अशासकीय सहायता प्राप्त	मान्यता प्राप्तएवं अन्य	योग
माध्यमिक (9–12)	250351	95588	321831	667770

स्रोतः UDISE 2024 - 25

20.3.1 राजीव गाँधी नवोदय विद्यालयों की स्थापना– ग्रामीण क्षेत्र के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को पब्लिक स्कूलों के समतुल्य गुणवत्तापूर्ण शिक्षा अंग्रेजी माध्यम से उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से राजीव गाँधी नवोदय विद्यालय की स्थापना की गयी। वर्तमान में प्रत्येक जनपद में एक राजीव गाँधी नवोदय विद्यालय संचालित हैं। ये विद्यालय पूर्णतः आवासीय व सहशिक्षा के केन्द्र हैं। इस मद में 13 राजीव गाँधी नवोदय विद्यालय के अधिष्ठान संबन्धी व्यय निहित हैं। वर्ष 2025–26 में राजस्व मद में ₹ 3972.33 लाख धनराशि प्राविधानित हैं, वर्तमान तक ₹ 3972.33 लाख की स्वीकृति के सापेक्ष ₹ 1735.80 लाख की धनराशि व्यय की जा चुकी है।

20.3.2 राजीव गाँधी अभिनव आवासीय विद्यालय– दुर्गम एवं दूरस्थ क्षेत्रों में निवास करने वाले प्रतिभावान बालक/बालिकाओं के सर्वांगींण विकास हेतु निम्न 04 जनपदों में राजीव गाँधी अभिनव आवासीय विद्यालयों की स्थापना की गयी है।

1. रा.गा.अ.आ.वि. बेतालघाट, नैनीताल
2. रा.गा.अ.आ.वि. बेरीनाग, पिथौरागढ़
3. रा.गा.अ.आ.वि. जोशीमठ, चमोली
4. रा.गा.अ.आ.वि. जहरीखाल, पौड़ी

वर्ष 2025–26 में राजस्व मद में ₹ 66.20 लाख की धनराशि प्राविधानित है, वर्तमान तक ₹ 66.20 लाख की स्वीकृति के सापेक्ष ₹ 28.67 लाख की धनराशि व्यय की जा चुकी है।

20.3.3 क्लस्टर विद्यालयों की स्थापनाः– राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु छात्र–छात्राओं को आधुनिक तकनीकी का प्रयोग करते हुए अनुकूल वातावरण के अन्तर्गत गुणवत्तायुक्त शिक्षा प्रदान किये जाने के दृष्टिगत कुल 559 उत्कृष्ट विद्यालयों (Centre For Excellence) की स्थापना की गयी है। वर्ष 2025–26 में क्लस्टर विद्यालयों के निर्माण हेतु पूंजीगत मद में ₹ 4000.00 लाख की धनराशि प्राविधानित है, वर्तमान तक ₹ 2042.38 लाख की स्वीकृति के सापेक्ष ₹ 1589.93 लाख की धनराशि व्यय की जा चुकी है।

20.3.4 निःशुल्क पाठ्य पुस्तकः– माध्यमिक स्तर पर इस योजनान्तर्गत राजकीय एवं राजकीय सहायता प्राप्त (अशासकीय) विद्यालयों में अध्ययरत् कक्षा–9 से 12 तक के समस्त छात्र–छात्राओं को निःशुल्क पाठ्य–पुस्तकें उपलब्ध करवायी जाती हैं। वर्ष 2025–26 में अध्ययनरत् सामान्य जाति, अनुसूचित जाति एवं अनूसूचित जनजाति के छात्र–छात्राओं को उपलब्ध करायी गयी निःशुल्क पाठ्य–पुस्तकों का विवरण निम्न प्रकार है।

तालिका– 20.3.3

जाति	छात्र संख्या	पाठ्य–पुस्तकोंकी संख्या	व्यय धनराशि
सामान्य	216826	2587265	377820649
अनु0 जाति	97523	1171464	171036228
अनु0 जनजाति	10142	134187	19383827
कुल योग	**324491**	**3892916**	**568240704**

स्रोतः UDISE 2024 - 25

20.3.5 साईकिल योजनाः– माध्यमिक स्तर पर राज्य सरकार द्वारा बालिका शिक्षा प्रोत्साहन (साईकिल योजना) लागू की गयी है। योजना के अन्तर्गत कक्षा–08 उत्तीर्ण करने के उपरान्त कक्षा 09 में प्रवेशित छात्राओं को मैदानी क्षेत्र में साईकिल कय हेतु अधिकतम ₹ 2850 एवं पर्वतीय क्षेत्रों में बालिकाओं को साईकिल के प्रतिपूर्ति हेतु समतुल्य धनराशि प्रदान की जाती है, जो राष्ट्रीयकृत बैंक में सावधि जमा की जाती है। वर्ष 2025–26 में कक्षा–9 में अध्ययनरत् 44705 छात्राओं को लाभान्वित किया गया है।

20.3.6 पं0 दीनदयाल शैक्षिक उत्कृष्टता पुरस्कार – पठन–पाठन में रूचि एवं प्रतिस्पर्धा का वातावरण विकसित किये जाने हेतु प्रतिवर्ष उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद द्वारा घोषित हाईस्कूल/इण्टरमीडिएट की परीक्षा में टॉप–10 स्थान प्राप्त करने वाले छात्र–छात्राओं को पंण्डित दीन दयाल उपाध्याय शैक्षिक उत्कृष्टता पुरस्कार प्रदान किया जाता है। हाईस्कूल स्तर पर प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्र–छात्राओं को क्रमशः ₹ 15000, 11000, 8000 तथा चतुर्थ से दसवें स्थान तक 5100 की धनराशि का नगद पुरूस्कार तथा इण्टरमीडिएट स्तर पर प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्र–छात्राओं को क्रमशः ₹ 21000, 15000, 11000 तथा चतुर्थ से दसवें स्थान तक 5100 की धनराशि का नगद पुरूस्कार प्रदान किया जाता है। वर्ष 2025–26 में हाईस्कूल स्तर पर 60 एवं इण्टर स्तर पर 15 छात्र–छात्राओं तथा 6 उत्कृष्ट विद्यालयों को पुरस्कृत किया गया है।

20.3.7 मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना (कक्षा 6–12):– राजकीय विद्यालय एवं राजकीय सहायता प्राप्त अशासकीय विद्यालयों (केन्द्रीय व आवासीय विद्यालयों को छोड़कर) के छात्र–छात्राओं को क्रमोत्तर विद्यालयों में अध्ययन हेतु प्रोत्साहित करने तथा प्रदेश में छात्र ड्रॉप आउट को रोकने के दृष्टिगत कक्षा 6 से 12 तक के छात्र–छात्राओं हेतु मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना शुरू की गयी है। छात्रवृत्ति की दरें निम्नवत हैं:–

कक्षा–06	₹ 600 प्रतिमाह (अधिकतम 1 वर्ष)
कक्षा–07	₹ 700 प्रतिमाह (अधिकतम 1 वर्ष)
कक्षा–08	₹ 800 प्रतिमाह (अधिकतम 1 वर्ष)
कक्षा–09 व 10	₹ 900 प्रतिमाह (अधिकतम 1 वर्ष)
कक्षा–11	₹ 1200 प्रतिमाह (अधिकतम 1 वर्ष)
कक्षा–12	₹ 1200 प्रतिमाह (अधिकतम 1 वर्ष)

स्रोतः UDISE 2024 - 25

20.3.8 भारत दर्शन शैक्षिक भ्रमण योजनाः– वर्ष 2024–25 से प्रारम्भ इस योजना के अन्तर्गत हाईस्कूल स्तर के मेधावी छात्र–छात्राओं को भारत के विभिन्न राज्यों का भ्रमण कराया जाता है, जिससे एक ओर छात्र–छात्राओं के बौद्धिक स्तर का विकास होता है वहीं दूसरी ओर व्यावहारिक ज्ञान तथा प्रमुख शहरों की महत्वपूर्ण जानकारी भी प्राप्त करते हैं। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025–26 में

227 छात्र–छात्राओं को इस योजनान्तर्गत लाभान्वित किया गया है।

20.3.9 निःशुल्क नोटबुकः– राजकीय एवं राजकीय सहायता प्राप्त अशासकीय विद्यालयों (प्रारम्भिक एवं माध्यमिक) में कक्षा–1 से 12 तक अध्ययनरत् समस्त छात्र–छात्राओं को निःशुल्क नोटबुक्स प्रदान की जानी है। शैक्षिक सत्र 2025–26 से राज्य के राजकीय एवं राजकीय सहायता प्राप्त अशासकीय विद्यालयों (प्रारम्भिक एवं माध्यमिक) हेतु नोटबुक्स के मुद्रणार्थ निविदा आमंत्रित की जा चुकी है तथा अग्रेत्तर कार्यवाही गतिमान है।

20.3.10 मॉडल स्कूल– शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर बनाने, आकर्षक शैक्षिक परिवेश हेतु विद्यालय सौन्दर्यीकरण, शैक्षिक संसाधनों एवं शैक्षिक उपकरणों की व्यवस्था एवं संस्थाओं में कुशल मानव संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु प्रत्येक विकासखण्ड में माध्यमिक स्तर के 02 मॉडल स्कूलों की स्थापना की गई है। इस प्रकार कुल 190 मॉडल स्कूल वर्तमान में संचालित है। वर्ष 2025–26 में राजस्व मद में प्राविधानित धनराशि ₹ 130.00 लाख के सापेक्ष ₹ 130.00 लाख की स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष वर्तमान तक ₹ 21.19 लाख की धनराशि व्यय की जा चुकी है।

तालिका–20.3.4
जनपदवार मॉडल विद्यालयों का विवरण

क0सं0	जनपद का नाम	राजकीय माध्यमिक मॉडल स्कूलों की संख्या
01	देहरादून	12
02	हरिद्वार	12
03	टिहरी	18
04	पौड़ी	30
05	उत्तरकाशी	12
06	रूद्रप्रयाग	06
07	चमोली	18
08	उधमसिहं नगर	14
09	नैनीताल	16
10	पिथौरागढ़	16
11	चम्पावत	08
12	अल्मोड़ा	22
13	बागेश्वर	06
योगः–		190

स्रोतः UDISE 2024 - 25

20.3.11 अटल उत्कृष्ट विद्यालय योजनाः– छात्र/छात्राओं को भविष्य में रोजगार के बेहतर अवसर प्राप्त तथा प्रतिस्पर्धा के लिए सुदृढ़ रूप से तैयार किये जाने के उद्देश्य से विद्यालयी शिक्षा के अन्तर्गत "अटल उत्कृष्ट विद्यालय योजना" संचालित की गयी है, जिसके अन्तर्गत राज्य के 189 राजकीय माध्यमिक विद्यालयों को अटल उत्कृष्ट विद्यालय के रूप में विकसित कर उन्हें सी. बी.एस.ई. बोर्ड से सम्बद्ध किया गया है।

20.4 उच्च शिक्षा

उच्च शिक्षा के प्रति राज्य के निवासियों का प्रारम्भ से ही रूझान रहा है, जिसकी पुष्टि उत्तराखण्ड वासियों द्वारा देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों एवं उच्च शिक्षण संस्थानों से शिक्षा प्राप्त कर राष्ट्रीय स्तर पर राजनीति, नौकरशाही, सेना, विज्ञान एवं तकनीकी, जनसंचार, शोध इत्यादि क्षेत्रों में गरिमामय उपस्थिति एवं योगदान में प्रतिबिम्बित होती है। प्रदेश में ही उच्च शिक्षा के महत्वपूर्ण

क्षेत्रों–सामान्य शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, कृशि शिक्षा एवं व्यावसायिक शिक्षा इत्यादि में महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों की स्थापना स्वातन्त्रयोत्तर काल में हुई, किन्तु उच्च शिक्षा का वास्तविक प्रसार सत्तर के दशक से प्रारम्भ हुआ, जब असेवित एवं दूरदराज के क्षेत्रों में महाविद्यालयों की स्थापना बड़े पैमाने पर हुई ताकि कमजोर आर्थिक स्थिति एवं विषम भौगोलिक परिस्थितियों में उच्च शिक्षा के अवसरों की पहुँच, सामान्य जनता तक सुलभ बनाई जा सके। उच्च शिक्षा के प्रसार तथा गुणवत्ता के सुनिश्चयीकरण हेतु बजट एवं सूचना एवं संचार तकनीकी में निरन्तर वृद्धि हुई है।

20.4.1 वर्ष 2025–26 में उच्च शिक्षा के प्रचार और विकास के महत्वपूर्ण बिन्दुः–

वर्ष 2025–26 में कुल 118 महाविद्यालयों में कुल पदों की संख्या 3687 (2351 राजपत्रित एवं 1336 अराजपत्रित) हो गयी है।

गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु समस्त अर्ह महाविद्यालयों का National Assessment and Accreditation Council (NAAC) द्वारा मूल्यांकन कराया गया है वर्तमान में 46 महाविद्यालयों को नैक की ग्रेडिंग प्राप्त है।

वर्ष 2025–26 में राज्य में संचालित कुल 118 शासकीय महाविद्यालय में सें 113 महाविद्यालयों के पास स्वयं की भूमि है एवं 98 महाविद्यालय स्वयं के भवन में संचालित हैं।

वर्ष 2025–26 में राज्य में कुल 16 शासकीय महाविद्यालयों में से 08 पुरुष, 08 महिला छात्रावास एवं 24 निर्माणाधीन छात्रावासों में से 03 पुरुष एवं 21 महिला छात्रावास हैं।

वर्ष 2025–26 में 455 पदों के अधियाचन के सापेक्ष लोक सेवा आयोग उत्तराखण्ड से चयनित कुल 314 प्राध्यापकों द्वारा कार्यभार ग्रहण किया गया।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु विज्ञानशाला (She for STEM) Science Technology of Engineering and Mathematics) दिल्ली के साथ MoU समझौता पत्र हस्ताक्षरित किया गया है, जिसके अंतर्गत विभिन्न महाविद्यालयों के 971 छात्राओं द्वारा पंजीकरण कराया गया है।

विभिन्न विषयों के 104 प्रयोगशाला सहायकों तथा आउटसोर्स के माध्यम से 116 योग प्रशिक्षकों को माह सितम्बर, 2025 में नियुक्ति पत्र वितरित किये गये।

आर्म्ड फोर्स (NDA/IMA/INA/OTA/IAF) में चयनित अभ्यर्थियों को पुरस्कार स्वरूप कुल 110 अभ्यर्थियों को प्रति अभ्यर्थी ₹ 50.00 हजार की दर से ₹ 55.00 लाख की धनराशि वितरित की गयी।

राज्य सैक्टर के पूँजीगत पक्ष में प्राविधानित ₹ 51.00 करोड़ के सापेक्ष विभिन्न महाविद्यालयों में निर्माण कार्य निरन्तर गतिमान है।

एस0ए0एस0सी0आई0 योजनान्तर्गत 15 राजकीय महाविद्यालयों में परीक्षा भवन बनाये जाने हेतु द्वितीय किस्त के रूप में ₹ 19.80 करोड़ तथा राजकीय स्नातकोत्तर महावद्यिालय रायपुर में अकादमिक एवं प्रशासनिक भवन के निर्माण हेतु ₹ 6.60 करोड़ की धनराशि निर्गत की गयी।

राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय खटीमा (ऊ0सि0न0) में विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी हेतु आई0आई0टी0 कानपुर के सहयोग से निःशुल्क कोचिंग सेन्टर (साथी केन्द्र) की स्थापना की गयी।

प्राचार्यो/वरिष्ठ प्राध्यापकों को 05 दिवसीय लीडरशिप प्रशिक्षण आई0आई0एम0 काशीपुर में कराया गया।

विज्ञान संकाय के प्राध्यापकों को आइसर मोहाली (चण्डीगढ़) में बायोलॉजी कार्यशाला में प्रतिभाग किया गया।

20.4.2 मुख्यमंत्री उत्कृष्ट शोध पत्र प्रकाशन प्रोत्साहन योजनाः–राज्य विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों के प्राध्यापकों हेतु राज्य में शोध एवं नवाचार को बढ़ावा दिये जाने के उदेद्श्य से

संचालित की जा रही है, जिस हेतु वित्तीय वर्ष 2025–26 में ₹ 10 लाख का बजट प्राविधान किया गया है। विभिन्न महाविद्यालयों के विज्ञान संकाय के 100 प्राध्यापकों एवं विज्ञान संकाय के 50 छात्रों को प्रशिक्षण कराये जाने हेतु आई0आई0एस0सी0 बैंगलौर भेजा गया।

20.4.3 उच्च शिक्षा गुणवत्ता उन्नयन एवं ज्ञान वर्धन प्रशिक्षण योजनाः– विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों के प्राध्यापकों को प्रतिष्ठित संस्थानों में शैक्षिक भ्रमण हेतु 40 प्राध्यापकों को जे0एन0यू0 वि0वि0 दिल्ली में प्रशिक्षण/शैक्षिक भ्रमण कराया गया, जिस हेतु वित्तीय वर्ष 2025–26 में ₹ 10 लाख का बजट प्राविधान किया गया है।

20.4.4 मुख्यमंत्री विद्यार्थी शैक्षिक भारत दर्शन योजना– वर्ष 2025 में कुल 120 अभ्यर्थी लाभान्वित हुए है।

- विज्ञान संकाय के 100 प्राध्यापकों एवं विज्ञान संकाय के 50 छात्रों को आई0आई0एस0सी0 बैंगलुरू में प्रशिक्षण कराया गया।
- छात्रवृत्ति योजना के अतंर्गत चयनित 02 लाभार्थियों को ₹ 50 लाख की धनराशि निर्गत की गई है।
- **20.4.5 मुख्यमंत्री उत्कृष्ट शोध पत्र प्रकाशन प्रोत्साहन योजना :–** वर्ष 2025 में कुल 68 अभ्यर्थी लाभान्वित किये गये।
- **20.4.6 राष्ट्रीय स्तर पर वर्ष 2025–26 की उपलब्धियाँ/प्रतिष्ठित पुरस्कारः–**
- विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों के 40 प्राध्यापकों को जे0एन0यू0 वि0वि0 दिल्ली में शैक्षिक भ्रमण कराया गया।
- 40 भूगोल तथा भूगर्भ विज्ञान के प्राध्यापकों को आपदा प्रबन्धन नई दिल्ली में प्रशिक्षण कराया गया।
- राष्ट्रीय संस्थागत रेंकिंग फ्रेमवर्क National Institutional Ranking Framework (NIRF) में प्रवेश पाने वाले 10 विद्यार्थियों को ₹ 50,000/– प्रति विद्यार्थी की दर से प्रोत्साहन राशि प्रदान की जा रही है।

20.4.7 विभाग में नवाचार :–

- विश्वविद्यालयो/राजकीय महाविद्यालयों में छात्र–छात्राओं हेतु विवेकानन्द ई–पुस्तक योजना के अन्तर्गत पाठ्य पुस्तकें, संदर्भित ग्रन्थ, ऑनलाईन माध्यम से सुविधा प्राप्त होगी।
- मुख्यमंत्री युवा भविष्य योजना के अन्तर्गत 10,000 छात्रों को आई0ए0एस0, पी0सी0एस0, रेलवे, बैंकिग, एस0एस0सी0 इत्यादि की ऑनलाईन कोचिंग प्रदान की जायेगी।
- उच्च शिक्षा विभाग की समस्त छात्रवृत्ति योजनाओं को समर्थ पोर्टल के माध्यम से ऑनलाईन किया गया।
- मुख्यमंत्री शेवेनिंग उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति के अन्तर्गत 02 छात्राओं को ₹ 48.00 लाख तक की धनराशि की सहायता के अन्तर्गत प्रतिष्ठित संस्थान में 01 वर्षीय मास्टर्स कोर्स कराया जायेगा।
- 20 राजकीय महाविद्यालयों में Special Assistance for States/UTs for Capital Investment (SASCI) के अन्तर्गत 40 कम्पयूटर आई0टी0लैब का निर्माण किया जा रहा है।
- ₹ 4.00 करोड़ की धनराशि से प्रयोगाशालाओं के उच्चीकरण का कार्य किया जा रहा है।
- राजकीय महाविद्यालय कोटाबाग में कृषि संकाय को प्रारम्भ किये जाने की कार्यवाही की जा रही है।

तालिका 20.4
वर्ष 2000 और 2025 का तुलनात्मक विवरण

क्र0 सं0	विषय	2000	2025
01	महाविद्यालय (शासकीय/अशासकीय)	34/15	118/21
02	भूमि एवं भवन की स्थिति	30 महाविद्यालय	113 महाविद्यालय
03	सृजित पद	1713 (918 राजपत्रित /795 अराजपत्रित)	3687 (2351 राजपत्रित /1336 अराजपत्रित)
04	छात्र संख्या	76950	98093
05	छात्रावास की स्थिति	10	(छात्र–03, छात्रा–21)कुल– 24
05	सकल नामांकन अनुपात(GER)	वर्ष 2011–338	वर्ष 2021–418
06	विश्वविद्यालय	05	42

स्रोतः UDISE 2024 - 25

20.4.8 आगामी वर्षों में उच्च शिक्षा विभाग द्वारा किये जाने वाले महत्वपूर्ण कार्यो की कार्ययोजनाः–

- नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अन्तर्गत संचालित कुल 118 राजकीय स्नातक/स्नातकोत्तर महाविद्यालयों में से 01 राजकीय महाविद्यालय तथा अधिक छात्र संख्या वाले कुल 20 महाविद्यालयों को ऑटोनॉमस बनाया जाना है।
- राजकीय महाविद्यालयों को शत प्रतिशत भूमि एवं भवन उपलब्ध करायी जाएगी। 05 भूमि विहिन महाविद्यालयों हेतु भूमि उपलब्ध कराया जाना।
- उच्च शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत छात्र–छात्राएँ मल्टीपल एंट्री–एग्जिट विकल्प का लाभ प्रदान किया जाएगा।
- छात्रों को एकेडेमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स (एबीसी) के माध्यम से विभिन्न संस्थानों से अर्जित क्रेडिट जमा करने और स्थानांतरित करने की सुविधा प्रदान की जाएगी।
- इंटर्नशिप, अप्रेंटिसशिप और लाइव प्रोजेक्ट्स के माध्यम से व्यावहारिक प्रशिक्षण पर बल दिया जाएगा।
- एआई और प्रौद्योगिकी का उपयोग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) शिक्षा पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जाएगा। साथ ही भारतीय ज्ञान प्रणाली के अन्तर्गत दर्शन, विज्ञान, गणित कला, साहित्य और आयुर्वेद जैसे विभिन्न विषयों को पाठ्यक्रम मे शामिल करने का उद्देश्य छात्रों को नैतिक और समग्र शिक्षा प्रदान करना है।
- अनुसंधान, नवाचार और विकास हेतु अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पाठ्यक्रम से अवगत कराया जाएगा।
- समर्थ पोर्टल के माध्यम से ई–गर्वनेंस, ई0आर0पी0, एकीकृत प्रवेश तथा परीक्षाओं को सुदृढ़ बनाया जाएगा।
- देवभूमि उद्यमिता योजना राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरुप एक उद्यमी पारितंत्र ओर स्टार्टअप संस्कृति को बढ़ावा देने के लिये प्रारम्भ की गयी है जिससे शत प्रतिशत विद्यार्थियों को पंजीकृत किया जाएगा।
- देवभूमि उद्यमिता योजना के अन्तर्गत छात्रों के 08 पेटेंट और 08 ट्रेडमार्क पंजीकृत हैं। छात्र उद्यमियों के 25 से अधिक उत्पाद ई–कामर्स पोर्टलों पर उपलब्ध है।
- ग्रामीण पर्वतीय क्षेत्रों में अवस्थित महाविद्यालयों में छात्राओं का सशक्तिकरण एवं सामाजिक सुरक्षा के दृष्टिगत छात्रावास एवं जनपद के प्रत्येक राजकीय महाविद्यालय में महिला छात्रावास का निर्माण किए जाने का लक्ष्य है।
- महाविद्यालयों एवं रेज़िडेनशल परिसर को नशामुक्त परिसर बनाये जाने के ठोस प्रयास किये जा रहे हैं।
- वर्तमान में सकल नामांकन अनुपात 41.8 प्रतिशत है जिसे वर्ष 2030 तक 50 प्रतिशत किये जाने का लक्ष्य है।

- राज्य गुणवत्ता सम्वर्द्धन केन्द्र की सूचना प्रबन्धन, शोध व सर्वेक्षण, सुशासन, वित्तीय एवं नैतिक अनुशासन, लागत नियन्त्रण आदि की दृष्टि से स्थापना प्रस्तावित है।
- मानव संसाधन का उचित नियोजन कर शिक्षकों, शिक्षणोत्तर कर्मियों, पुस्तकालय आदि के लिए वर्तमान तथा भावी आवश्यकताओं का आंकलन तथा चरणबद्ध नियुक्तियों के द्वारा मानव संसाधन ढॉचे को सुदृढ़ किया जायेगा।
- अकादमिक एवं शैक्षणिक वातावरण उत्कृष्ट बनाने हेतु विज्ञान संकाय संचालित महाविद्यालयों में प्रयोगशालाओं का उच्चीकरण तथा प्रत्येक जनपद में 01 महाविद्यालय में वर्चुअल लैब की स्थापना का कार्य किया जाएगा।
- समस्त महाविद्यालयों का NAAC द्वारा मूल्यांकन कराया जायेगा।
- प्राचार्यों, प्राध्यापकों हेतु लीडरशिप प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा छात्र–छात्राओं को शैक्षिक भ्रमण कराया जाएगा।
- प्रत्येक महाविद्यालय में 20 कम्प्यूटर युक्त आ0सी0टी0 लैब का निर्माण किया जाना।
- देवभूमि उद्यमिता योजना में 14260 पंजीकृत छात्रों की संख्या को बढ़ाकर 25000 किये जाने का लक्ष्य है।
- समस्त राजकीय महाविद्यालयों में विवेकानन्द ई–पुस्तक योजना के अन्तर्गत ई–बुक्स की व्यवस्था ऑनलाईन डाटा की उपलब्धता तथा शोध हेतु ई–जर्नल्स की व्यवस्था अनिवार्य रूप में की जायेंगी।
- विकसित भारत @2047 के लक्ष्य हेतु राजकीय महाविद्यालयों में स्मार्ट कक्षाओं की व्यवस्था किया जाना।
- मुख्यमंत्री युवा भविष्य योजना के अन्तर्गत 10,000 छात्रों को आई0ए0एस0, पी0सी0एस0, रेलवे, बैंकिग, एस0एस0सी0, आर्म्ड फोर्सेस इत्यादि की ऑनलाईन कोचिंग प्रदान किये जाने का लक्ष्य है।
- सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों मे शिक्षक/शिक्षणेत्तर कार्मिकों के लिए आवासीय व्यवस्था सुनिश्चित किया जाना।
- जिला, क्षेत्रीय एवं राज्य स्तर पर नियमित रोजगार मेलों के आयोजन से विभिन्न उद्योगों, कंपनियों, स्टार्ट–अप्स एवं सेवा क्षेत्रों की सहभागिता सुनिश्चित करते हुए ऑन–स्पॉट पंजीकरण, साक्षात्कार, कौशल मूल्यांकन, करियर काउंसलिंग तथा प्लेसमेंट/स्वरोजगार से जुड़ी सुविधाएँ प्रदान की जाएँगी।
- अकादमिक एवं तकनीकी ज्ञान के आदान–प्रदान को सुदृढ़ करने हेतु जनपद स्तर पर नियमित ज्ञान–साझा एवं नवाचार कार्यक्रमों/सम्मेलनों का समागम किया जाएगा।
- शोध प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत प्रत्येक प्राध्यापक द्वारा अनिवार्य रूप से शोध प्रस्ताव तैयार किया जाना होगा जिससे महाविद्यालय में अध्यनरत छात्र–छात्राएँ लाभान्वित होंगे।

20.5 प्राविधिक/तकनीकी शिक्षा :–

20.5.1 तकनीकी शिक्षा के विकास हेतु दूरस्थ स्थलों के साथ–साथ राज्य के सभी क्षेत्रों में पॉलिटेक्निक और इंजीनियरिंग कॉलेज में इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी, प्रबंधन, वास्तुकलाएं, फार्मेसी इत्यादि जैसे प्रचलित पाठ्यक्रमों के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस व मशीन लर्निंग, ऑटोमेशन व रोबोटिक्स, गेमिंग एनीमेशन, क्लाउड कंप्यूटिंग, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस, साइबर फोरेंसिक एंड इनफार्मेशन सिक्योरिटी एवं मैकाट्रॉनिक्स जैसी इमर्जिंग टैक्नोलॉजी में भी रोजगारपरक कोर्स संचालित किये जा रहे है जिससे राज्य के युवा आधुनिक तकनीकों और उद्योगों की आवश्यकताओं के अनुरूप कौशल प्राप्त कर रहे हैं। इन संस्थाओं को संचालित करने एवं शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने हेतु प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, उत्तराखण्ड प्राविधिक

शिक्षा परिषद्, उत्तराखंड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय एवं संयुक्त प्रवेश परीक्षा व प्रशिक्षण, अनुसंधान विकास प्रकोष्ठ जैसे राज्य स्तरीय कार्यालयों की स्थापना की गयी है।

तकनीकी शिक्षा द्वारा डिजिटल लर्निंग, स्मार्ट क्लासरूम, AI, IoT, उद्योग–आधारित प्रशिक्षण, इंटर्नशिप, स्टार्टअप एवं नवाचार को बढ़ावा दिया जा रहा है। बुनियादी सुविधाओं, गुणवत्ता सुधार, शिक्षक प्रशिक्षण और NEP–2020 के अनुरूप बहु–विषयक एवं वैश्विक सहयोग से छात्र रोजगार योग्य, आत्मनिर्भर और वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करने का लक्ष्य है।

तकनीकी शिक्षा के सुदृढ़ीकरण हेतु 71 राजकीय तथा 1 सहायता प्राप्त पॉलिटेक्निक संस्थानों में पारंपरिक पाठ्यक्रमों के साथ–साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ऑटोमेशन, रोबोटिक्स, क्लाउड कंप्यूटिंग, साइबर सुरक्षा एवं अन्य उभरती तकनीकों में रोजगारोन्मुखी पाठ्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं।

चार्ट– 20.3

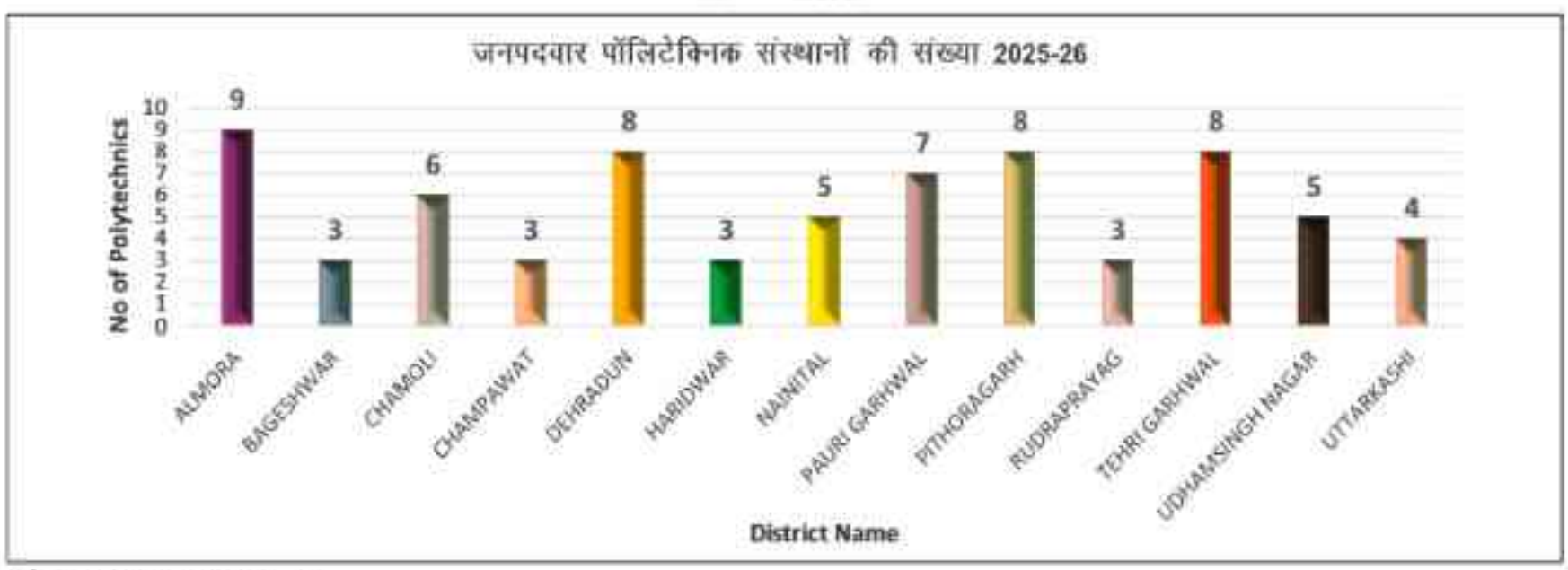

स्रोत: UDISE 2024 - 25

वर्तमान में उत्तराखंड प्राविधिक शिक्षा परिषद (UBTE) द्वारा इंजीनियरिंग, फार्मेसी, टेक्सटाइल एवं होटल प्रबंधन के क्षेत्र में संचालित कुल 44 डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के लिए राजकीय एवं सहायता प्राप्त पॉलिटेक्निक संस्थानों में 7,878 स्वीकृत प्रवेश क्षमता (Intake Seats) के सापेक्ष, सभी वर्षों को मिलाकर कुल 16,109 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं, जो राज्य में तकनीकी शिक्षा की सुदृढ़ स्थिति एवं बढ़ती भागीदारी को दर्शाता है।

चार्ट– 20.4

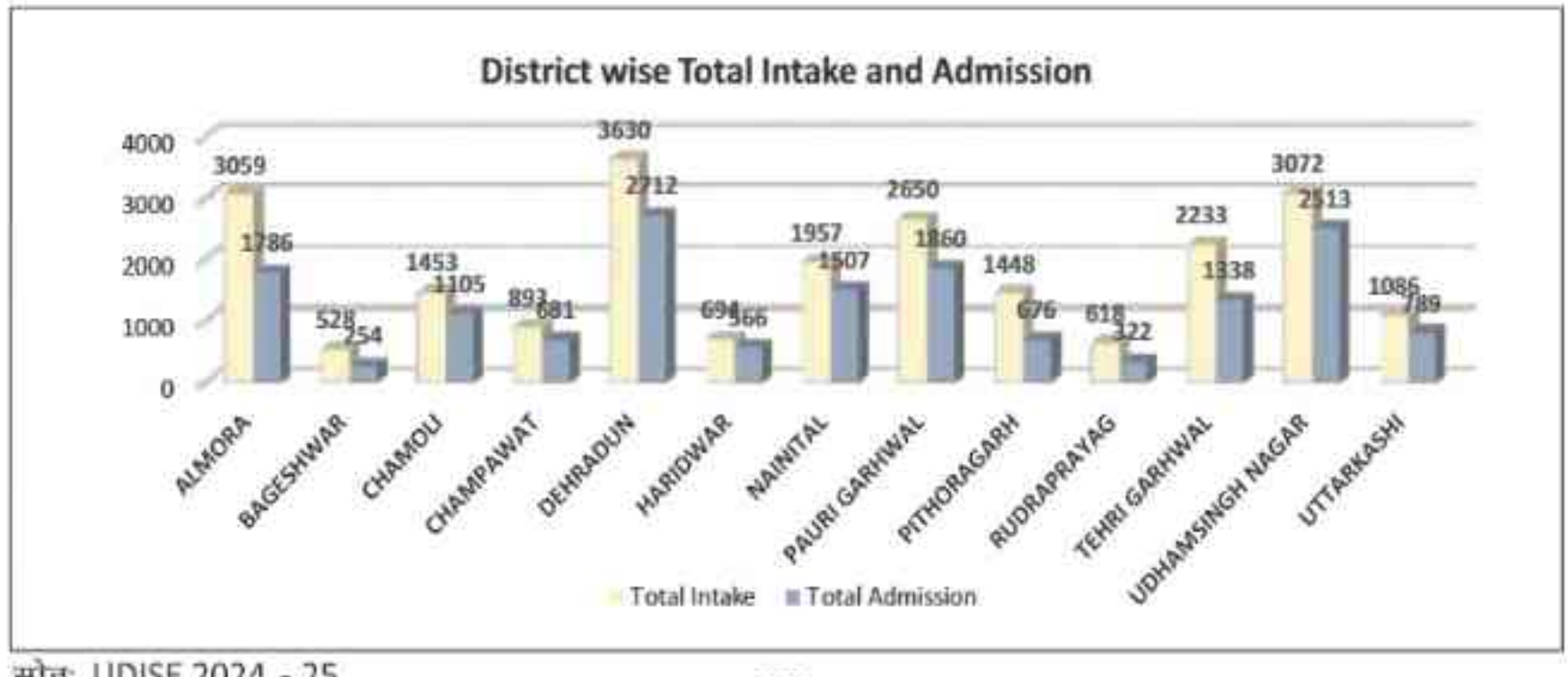

स्रोत: UDISE 2024 - 25

चार्ट– 20.5

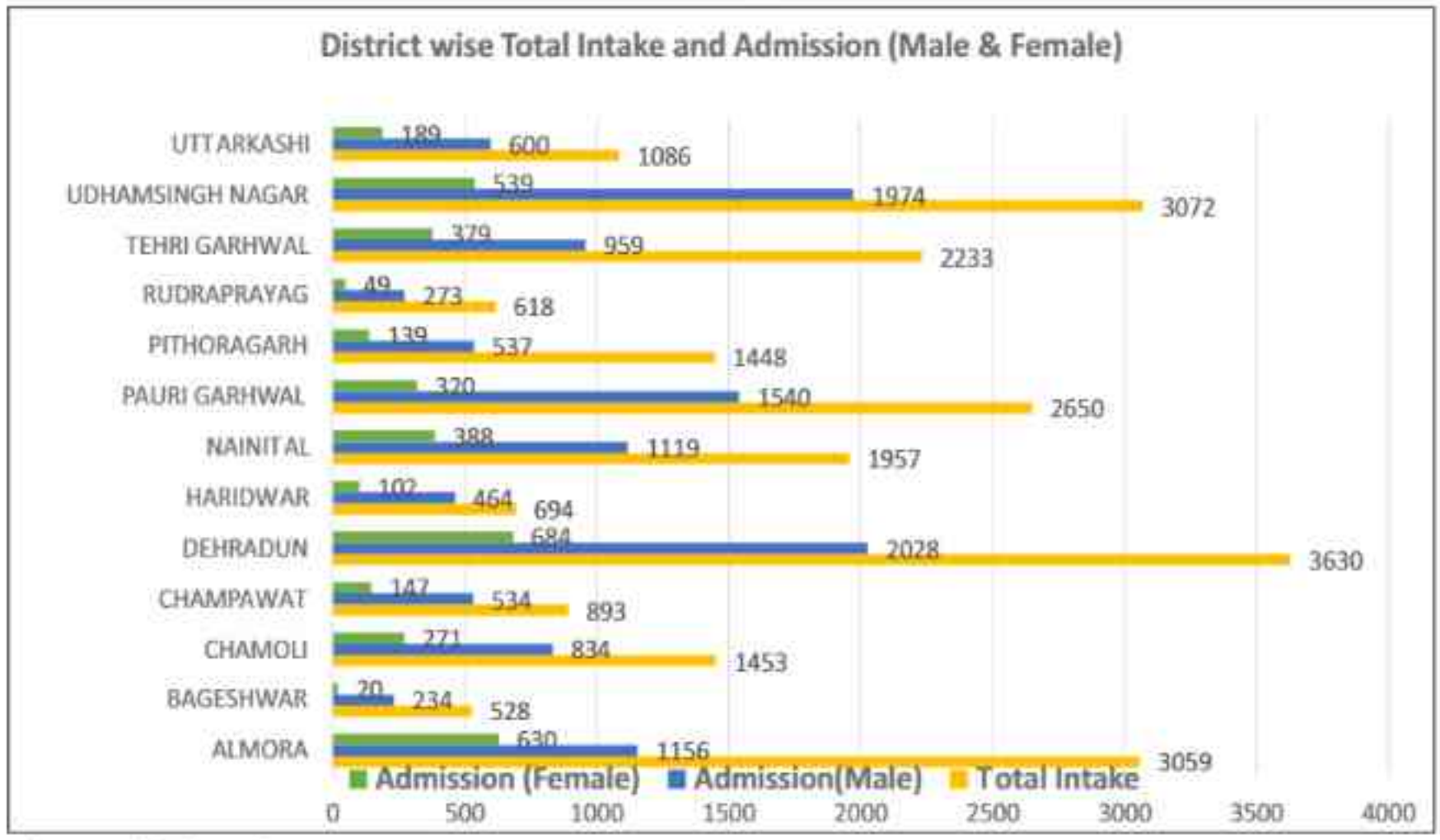

स्रोतः तकनीकी शिक्षा विभाग उत्तराखण्ड

- पॉलीटेक्निक संस्थानों में अध्ययनरत छात्र–छात्राओं को गुणवत्तापरक प्रशिक्षण कार्यों को सम्पादित किये जाने के उद्देश्य से राजकीय पॉलीटेक्निक गैरसैंण, दन्या एवं शक्तिफार्म में इलैक्ट्रीकल इंजी0 पाठ्यक्रम की लैब, राजकीय पॉलीटेक्निक प्रतापनगर, बछेलीखाल, हिण्डोलाखाल एवं मूनाकोट में फार्मेसी की लैब, राजकीय पॉलीटेक्निक क्वांसी, बांस एवं जखोली में सिविल इंजी0 की लैब, राजकीय पॉलीटेक्निक हरिद्वार, विकासनगर एवं पाबौ में मैकेनिकल इंजी0 की लैब तथा राजकीय पॉलीटेक्निक काशीपुर में कैमिकल इंजी0 की लैब स्थापित की गयी।
- अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (AICTE) नई दिल्ली, भारतीय भेशजी परिषद् (PCI) नई दिल्ली, तथा काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर (CoA) के मानकानुसार गुणवत्ता एवं रोजगारपरक शिक्षा प्रदान करने हेतु विभिन्न 18 पॉलीटेक्निक संस्थानों में अवस्थापना सुविधायें विकसित करने हेतु भारत सरकार की Scheme for Special Assistance to State for Capital Investment योजना के अन्तर्गत ₹ 29471.50 लाख की धनराशि से भवनों का निर्माण कार्य किया जा रहा है।
- नाबार्ड योजना के अन्तर्गत 09 राजकीय पॉलीटेक्निक संस्थानों में कुल ₹ 2307.97 लाख की लागत तथा अनुसूचित जनजाति योजना के अन्तर्गत 01 पॉलीटेक्निक संस्थान में कुल ₹ 199.89 लाख की लागत से डिजिटल लाईब्रेरी की स्थापना का कार्य किया जा रहा है।
- वित्तीय वर्ष 2025–26 में टी0ए0सी0 से स्वीकृत कुल धनराशि ₹ 12829.76 लाख की लागत से 18 नये प्रस्तावित निर्माण कार्य के सापेक्ष वर्तमान तक ₹ 875.998 लाख की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है।
- विभिन्न पॉलीटेक्निक संस्थाओं में गतिमान 20 निर्माण कार्य पूर्ण हुए, जिनमें Scheme for Special Assistance to States for Capital

Investment योजना के अन्तर्गत राजकीय पॉलीटेक्निक गजा, रानीपोखरी, चिन्यालीसौंड़, बाड़ेछीना, कुलसारी एवं एडवांस ट्रेनिंग सेंटर (ए0टी0सी0) के भवन हस्तान्तरण की कार्यवाही पूर्ण हो चुकी है एवं शेष संस्थाओं के भवन हस्तान्तरण की कार्यवाही गतिमान है।

- ₹ 492.32 लाख की लागत से प्राविधिक शिक्षा निदेशालय भवन निर्मित किया गया है।

- **20.5.2 Online Placement System** छात्रों, शैक्षणिक संस्थानों एवं नियोक्ताओं के बीच सुचारु और प्रभावी संवाद स्थापित करने के उद्देश्य से ऑनलाइन पोर्टल विकसित कर प्लेसमेंट प्रक्रिया को एकीकृत, पारदर्शी एवं सरल बनाते हुए रोजगार अवसरों को सुदृढ़ करता है। इसके परिणामस्वरूप 70 प्रतिशत से अधिक पात्र छात्रों का सफलतापूर्वक प्लेसमेंट सुनिश्चित हुआ है।

चार्ट– 20.6

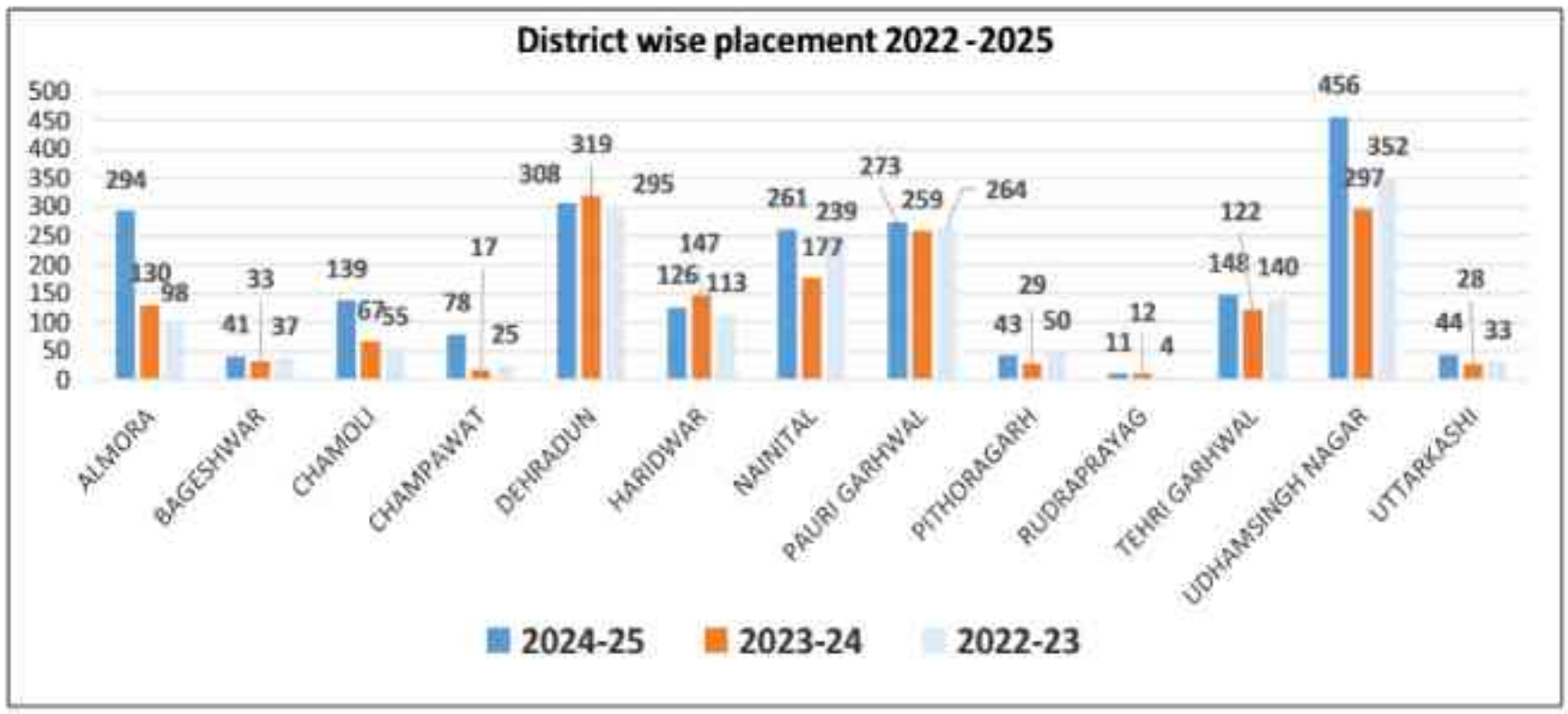

स्रोत: UDISE 2024 - 25

- डिप्लोमा पाठ्यक्रम रिवीजन हेतु आई0आई0टी0 दिल्ली से एम0ओ0यू0 हस्ताक्षरित कर एन0ई0पी0–2020 एवं उद्योगों की मांग के अनुरूप नया पाठ्यक्रम शैक्षणिक सत्र 2025–26 से लागू किया गया है। संशोधित पाठ्यक्रम आउटकम–बेस्ड शिक्षा प्रणाली पर आधारित हैं।
- 18 पॉलीटेक्निक संस्थानों में ऑटोमेशन एण्ड रोबोटिक्स, क्लाउड कम्प्यूटिंग एण्ड बिग डाटा, मैक्ट्रोनिक्स, गेमिंग एण्ड एनीमेशन, आर्टिफिशियल इन्टेलीजेन्स एण्ड मशीन लर्निंग जैसी इमरजिंग टैक्नॉलाजी के पाठ्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं।
- वर्ष 2025–26 में विभिन्न पॉलीटेक्निक संस्थानों में कार्यरत संकाय सदस्यों को आई0आई0टी0 दिल्ली, एन0आई0टी0टी0 टी0आर0 चण्डीगढ़, सीडैक मोहाली, उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी नैनीताल, इन्फोसिस स्प्रिंगबोर्ड, इलैक्ट्रॉनिकी सेवा एवं प्रशिक्षण केन्द्र (ई0एस0टी0सी0) रामनगर, सीपैट, एन0आई0ई0एस0बी0यू0डी0 देहरादून, आई0टी0आई0 देहरादून, मिशन कर्मयोगी एवं ए0टी0सी0 देहरादून में कुल 363 संकाय सदस्यों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया।
- शिक्षण में डिजिटल टूल्स का व्यापक एवं प्रभावी उपयोग के अंतर्गत स्मार्ट क्लासरूम, ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म, वर्चुअल लैब्स तथा डिजिटल कंटेंट एवं

एलएमएस के उपयोग को प्रोत्साहित किया जा रहा है। साथ ही, प्रत्येक शाखा में 1 क्रेडिट का ऑनलाइन कोर्स (जैसे COURSERA, NPTEL, AI–आधारित टूल्स आदि) अनिवार्य किया गया है, जिससे ब्लेंडेड लर्निंग मॉडल को बढ़ावा मिल रहा है।

- आधुनिक Pedagogy फ्रेमवर्क का उद्देश्य पारंपरिक शिक्षण पद्धतियों से आगे बढ़ते हुए प्रोजेक्ट–आधारित लर्निंग, अनुभवात्मक एवं व्यावहारिक शिक्षा तथा उद्योग से जुड़े केस–स्टडी आधारित अध्यापन को संस्थागत बनाना है।
- डिप्लोमा पाठ्यक्रम को IIT दिल्ली के सहयोग से संशोधित कर छात्र–छात्राओं को AI, IoT एव Robotics से सम्बन्धित आधुनिक प्रशिक्षण प्रदान किये जाने हेतु 08 राजकीय पॉलीटेक्निक संस्थानों (रा0पा0 देहरादून, रानीपोखरी, द्वाराहाट, नैनीताल, नरेन्द्रनगर, काशीपुर, लोहाघाट एवं श्रीनगर) में प्रोजेक्ट लैबों की स्थापना की गयी एवं 08 पॉलीटेक्निक संस्थानों (राजकीय पॉलीटेक्निक श्रीनगर, देहरादून, काशीपुर, नरेन्द्रनगर, नैनीताल, उत्तरकाशी, खटीमा एवं गजा) में EV लैब की स्थापना की गयी।
- पॉलिटेक्निक संस्थानों के डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना से सभी विद्यार्थियों के लिए ई–बुक्स एवं ई–जर्नल्स तक सुलभ पहुंच सुनिश्चित की गई है। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट (ए0बी0सी0) में उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा परिषद् रूड़की नामांकित है। परिषदीय परीक्षाओं की उत्तरपुस्तिकाओं का "ऑनस्क्रीन इवेल्यूऐशन" कार्य प्रारम्भ किया गया।
- छात्र–छात्राओं एवं स्टॉफ को ऑन जॉब ट्रेनिंग सुविधा उपलब्ध कराये जाने के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (ए0टी0सी0) का निर्माण कराया गया, जिससे मैकेनिकल से सम्बन्धित प्रोडक्शन प्रशिक्षण, इलैक्ट्रॉनिक्स से सम्बन्धित विभिन्न सर्किट निर्माण हेतु प्रोटियस सॉफ्टवेयर/डिजाईन लैब, विभिन्न सिमुलेटर एवं पी0एल0सी0 ट्रेनिंग बोर्ड से सुसज्जित किया गया।
- विभाग को भारत सरकार के "समर्थ पोर्टल" पर ऑनबोर्ड किया गया। शैक्षणिक गुणवत्ता को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से प्रयोगशालाओं एवं कार्यशालाओं का उन्नयन किया गया है तथा एआईसीटीई मानकों के अनुरूप विभिन्न पॉलिटेक्निक संस्थानों में अनिवार्य सिविल अवसंरचना एवं अन्य सुविधाओं का विस्तार किया गया है।
- आईआरडीटी आमवाला में उन्नत प्रशिक्षण केंद्र (Advance Training Centre) की स्थापना की गयी है, ताकि छात्रों एवं शिक्षकों को व्यावहारिक, उद्योग–संगत और भविष्य के अनुकूल कौशल प्रदान किया जा सके।
- विभिन्न विषयों को जोड़कर बहुविषयक परियोजनाओं को प्रोत्साहित किया जा रहा है। इससे छात्रों में नवाचार, टीमवर्क और व्यावहारिक समस्या–समाधान की क्षमता विकसित होती है।
- AI, IoT, डेटा एनालिटिक्स, ऑटोमेशन एवं रोबोटिक्स जैसी तकनीकों हेतु 8 IoT एवं रोबोटिक्स प्रयोगशालाओं तथा 6 इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) प्रयोगशालाओं की स्थापना की गई है, जिससे विद्यार्थियों को भविष्य के लिए तैयार एवं उद्योगोन्मुख बनाया जा सके।
- शिक्षण और प्रशासनिक कार्यों में विभिन्न डिजिटल टूल्स का प्रभावी उपयोग किया जा रहा है। इससे शिक्षा व्यवस्था अधिक स्मार्ट, दक्ष और पारदर्शी बन रही है।
- उत्तर पुस्तिकाओं के ऑन–स्क्रीन मूल्यांकन से परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता और समयबद्धता सुनिश्चित की जा रही है। इससे परिणाम शीघ्र घोषित हो रहे हैं और मानवीय त्रुटियों में कमी आई है।

- डोमेन–विशेष ज्ञान को सुदृढ़ करने और रोजगारोन्मुखी कौशल को बढ़ाने के लिए, सभी छात्रों के लिए ब्रांचवार एक क्रेडिट का ऑनलाइन पाठ्यक्रम अनिवार्य किया गया है। इसमें AI टूल्स, Coursera, NPTEL जैसी अन्य प्रमुख पाठ्यक्रम सामग्री को शामिल किया गया है।
- शैक्षणिक एवं औद्योगिक संस्थानों के साथ MoU के माध्यम से प्रशिक्षण, इंटर्नशिप और शोध के नए अवसर सृजित किए जा रहे हैं। विभिन्न विषयों को जोड़कर बहुविषयक परियोजनाओं को प्रोत्साहित किया जा रहा है। इससे छात्रों में नवाचार, टीमवर्क और व्यावहारिक समस्या–समाधान की क्षमता विकसित होती है।
- शिक्षकों के लिए नियमित फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम आयोजित किए जा रहे हैं। इससे उनकी तकनीकी दक्षता, शिक्षण गुणवत्ता और उद्योग समझ में निरंतर वृद्धि हो रही है।

20.6 संस्कृत शिक्षा

संस्कृत विश्व की प्राचीनतम भाषा है, जो कि अन्य भाषाओं की तुलना में अत्यन्त समृद्ध है। राज्य में देववाणी संस्कृत के समुचित विकास के उद्देश्य से पृथक संस्कृत शिक्षा विभाग का गठन किया गया है। संस्कृत शिक्षा के संबर्धन के उद्देश्य से उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय, हरिद्वार की स्थापना की गई है। भारत की अमूल्य धरोहर संस्कृत की पाण्डुलिपियों तथा अभिलेखों को संकलित कर वैज्ञानिक विधियों से संरक्षित करने के उद्देश्य से उत्तराखण्ड संस्कृत अकादमी क्रियाशील है।

- संस्कृत शिक्षा के नियोजन, क्रियान्वयन संचालन पर्यवेक्षण, निरीक्षण, एवं अनुश्रवण तथा विभिन्न घटकों के मध्य समन्वय स्थापित करने के उद्देश्य से देहरादून में संस्कृत शिक्षा निदेशालय की स्थापना की गई है। राज्य में प्रथमा से आचार्य स्तर तक की एकीकृत संस्कृत शिक्षा पाठ्यक्रम निर्धारण का प्रबन्धन संस्कृत शिक्षा निदेशालय द्वारा किया जा रहा है। इसके साथ ही प्रभावी नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण के लिए जनपद स्तर पर सहायक निदेशक संस्कृत शिक्षा के पदों का सृजन किया गया है।
- संस्कृत शिक्षा परिषद् द्वारा प्रथम कक्षा से उत्तर मध्यमा (कक्षा 1–12) स्तर तक के पाठ्यक्रम का निर्धारण एवं इस स्तर तक के विद्यालयों को मान्यता प्रदान कर महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया जाना है।
- संस्कृत महाविद्यायों को शास्त्री एवं आचार्य कक्षाओं की सम्बद्धता प्रदान करने के साथ ही विभिन्न परम्परागत विषयों में आचार्य उपाधि एवं पी0जी0 डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में अध्ययन–अध्यापन, संस्कृत के प्रचार–प्रसार हेतु पाण्डुलिपियों का संरक्षण, प्रकाशन, संस्कृत छात्र प्रतियोगिता आदि की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी जा रही है। वर्तमान में संस्कृत शिक्षा विभाग के अन्तर्गत 104 संस्कृत विद्यालय संचालित है।

20.6.1 उत्तराखण्ड संस्कृत शिक्षा परिषद्

संस्कृत शिक्षा की परीक्षाओं की सूचिता, शैक्षिक गुणवत्ता, प्रभावी मूल्यांकन की व्यवस्था तथा मान्यता / समबद्धता प्रदान किये जाने एवं परीक्षाओं का आयोजन किए जाने हेतु उत्तराखण्ड संस्कृत शिक्षा परिषद् द्वारा निम्नलिखित कार्य सम्पादित किया जा रहा हैं–

- प्राथमिक से उत्तर मध्यमा पर्यन्त (कक्षा 01 से 12 स्तर) तक संस्कृत विद्यालयों को मान्यता या सम्बद्धता, परीक्षा एवं परीक्षा मूल्यांकन तथा पाठ्यकम निर्धारण तथा पाठ्यपुस्तकों का प्रकाशन।
- संस्कृत विद्यालयों में कार्यरत आचार्यो / प्राचार्यो को प्रशिक्षण प्रदान कराया जाना।
- संस्कृत भाषा, विद्यालयों एवं विद्यार्थियों के सामयिक विकास हेतु रूचि उत्पन्न करने से सम्बन्धित कार्य करना।

20.6.2 विजन

- राज्य में संचालित संस्कृत विद्यालय/महाविद्यालयों का अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण, कम्प्यूटर शिक्षा की व्यवस्था ।
- संस्कृत शिक्षा परिषद् द्वारा संस्कृत विद्यालयों की वर्ष 2025 की परीक्षाओं का आयोजन,
- संस्कृत शिक्षा निदेशालय एवं संस्कृत विद्यालय/महाविद्यालयों में समस्त रिक्त पदों पर नियुक्ति।
- संस्कृत शिक्षा निदेशालय एवं विद्यालयों में अवसरंचना/अवस्थापना विकास सुनिश्चित करना।
- संस्कृत विद्यालयों में विद्यालय, जनपद, मंडलीय एवं प्रदेश स्तर पर विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन।
- उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम देने वाले संस्कत विद्यार्थियों एवं विद्यालयों को उत्कृष्टता पुरस्कार प्रदान करना।
- छात्र संख्या वृद्वि के लिये प्रयास तथा विद्यालयों को अनुदान सूची में सम्मिलित करना।
- पर्यावरण संरक्षण एवं सौन्दर्यीकरण तथा उत्कृष्ट विद्यालयों हेतु पुरस्कार की व्यवस्था।
- शिक्षकों को सेवारत प्रशिक्षण।
- नवीन संस्कृत विद्यालयों को मान्यता देना, संस्कृत विद्यालयों के विकास हेतु नवीन पदों का सृजन।

20.6.3 राजकीय संस्कृत विद्यालयों का सदृढ़ीकरणः– वर्तमान में 06 राजकीय संस्कृत विद्यालय संचालित है, जिनमें से 02 उत्तर मध्यमा (इण्टर) स्तर एवं 04 पूर्व मध्यमा (हाईस्कूल) तक संचालित हो रहे है। इसमें शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के कुल 90 पद सृजित है। दो राजकीय उत्तर मध्यमा (इण्टरमीडिएट) स्तर तक के विद्यालयों में कक्षा शिक्षण की मान्यता आचार्यपर्यन्त (स्नातकोत्तर) तक तथा 04 राजकीय पूर्व मध्यमा (हाईस्कूल) स्तर के संस्कृत विद्यालयों में कक्षा शिक्षण की मान्यता उत्तर मध्यमा (इण्टर) स्तर तक प्राप्त है। इन राजकीय संस्कृत विद्यालयों हेतु समय–समय पर कम्प्यूटर, काष्ठोंकरण एवं शौचालय निर्माण हेतु धनराशि शासन द्वारा आवंटित की जाती है।

20.6.4 संस्कृत पाठ्य–पुस्तकों का क्रयः– वर्तमान में संस्कृत विद्यालयों में प्रवेशिका (कक्षा 1) से उत्तर मध्यमा (इण्टर) स्तर तक के पाठ्यक्रम परम्परागत विषयों हेतु सम्पूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी द्वारा पाठ्यक्रम एवं आधुनिक विषयों हेतु एस0सी0ई0आर0टी0 उत्तराखण्ड द्वारा तैयार किया गया पाठयक्रम संचालित है। राजकीय एवं अशासकीय सहायता प्राप्त संस्कृत विद्यालयों में कक्षा–1 से कक्षा–12 तक के लाभार्थी छात्र–छात्राओं को पाठ्य पुस्तकें क्रय किये जाने हेतु प्रत्यक्ष लाभान्तरण (डी0बी0टी0) के माध्यम से धनराशि भुगतान किये जाने हेतु योजना संचालित है। संस्कृत विद्यालयों में परिषदीय परीक्षा के मेधावी छात्रों हेतु छात्रवृत्ति योजना संचालित है।

तालिका–20.5

पूर्व मध्यमा द्वितीय खण्ड (हाईस्कूल) परीक्षाफल परीक्षा वर्ष 2025

परीक्षार्थी	पंजीकृत	सम्मिलित	उत्तीर्ण	उत्तीर्ण प्रतिशत
संस्थागत	863	858	823	95.92
व्यक्तिगत	27	25	18	72.00
योग	**890**	**883**	**841**	**95.24**

स्रोतः UDISE 2024 - 25

तालिका–20.5.1

उत्तर मध्यमा द्वितीय खण्ड (इण्टरमीडिएट)

परीक्षार्थी	पंजीकृत	सम्मिलित	उत्तीर्ण	उत्तीर्ण प्रतिशत
संस्थागत	671	667	616	92.35
व्यक्तिगत	35	35	26	74.28
योग	**706**	**702**	**642**	**91.45**

स्रोतः UDISE 2024 - 25

20.6.6 वर्ष 2025–26 में संस्कृत शिक्षा निदेशालय की प्रमुख उपलब्धियां–

- **विभाग की झांकी को द्वितीय स्थान प्राप्त**– वर्ष 2025 में गणतन्त्र दिवस के अवसर पर संस्कृत शिक्षा विभाग की झांकी को राज्य स्तर पर द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ।

- **संस्कृत सप्ताह**– राज्य के 13 जनपदों में स्थित 13 ग्रामों को संस्कृत ग्राम घोषित किये गये।

- **नवीन राजकीय संस्कृत विद्यालय**– राजकीय संस्कृत विद्यालय खरसाली, उत्तरकाशी एवं राजकीय संस्कृत विद्यालय मुखेम, टिहरी गढ़वाल को पुनः संचालित, राजकीय संस्कृत पाठशाला जागेश्वर, अल्मोड़ा के नवीन निर्माण हेतु भूमि प्राप्त कर निर्माण प्रकिया संबंधी कार्यवाही गतिमान है।

- **नये संस्कृत विद्यालयों को मान्यता**–10 नये संस्कृत विद्यालयों को मान्यता प्रदान की गयी तथा **U-DISE कोड** आवंटित कर शासकीय योजनाओं का लाभ प्रदान किया गया।

- **अपुणि सरकार पोर्टल** पर विभागीय सेवाओं का पंजीकरण किया गया, उत्तरमध्यमा स्तर पर **विज्ञान संवर्ग** की कक्षाओं को प्रारम्भ किया गया।

- संस्कृत शिक्षा निदेशालय का **पोर्टल** विकसित किया गया एवं विभाग की **वेबसाइट** शुरू की गयी।

20.6.7 उत्तराखण्ड संस्कृत अकादमी (संस्कृत शिक्षा विभाग) हरिद्वार

सम्पूर्ण विश्व में 'संस्कृत साहित्य' एक अनुपम निधि है और भारतीय ज्ञानपरम्परा में वेद, उपनिषद्, ब्राह्मण, आरण्यक, वेदांग, रामायण, महाभारत, पुराण, ज्योतिष, योग एवं वास्तु आदि समस्त प्राच्य विद्यायें ज्ञान–विज्ञान के साथ–साथ सदाचार, चरित्र निर्माण, लोक कल्याणकारण एवं मानव निर्माण के लिए महत्त्वपूर्ण रही हैं। महाभारतकार महर्षि व्यास ने कहा– मनुष्य का जीवन धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ से आबद्ध है और चारों पुरुषार्थ संस्कृत साहित्य की प्रकल्पना से प्रणीत हैं।

देवभूमि उत्तराखण्ड की द्वितीय राजभाषा संस्कृत है तथा प्राचीन काल से ही उत्तराखण्ड में ऋषि–मुनियों के गुरुकुल एवं शिक्षास्थली संचालित रही है। मान्यता है कि महर्षि वेदव्यास ने चमोली जनपद के बदरीकाश्रम माणा क्षेत्र में व्यास गुफा में ही 18 पुराणों की संरचना की। महाकवि कालिदास की जन्मस्थली कालीमन्दिर कविल्ठा रुद्रप्रयाग को सिद्ध किये जाने हेतु विद्वानों द्वारा अनुसन्धान किये जा रहे हैं।

संस्कृत शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय, उत्तराखण्ड संस्कृत निदेशालय, उत्तराखण्ड संस्कृत शिक्षा परिषद्, उत्तराखण्ड संस्कृत अकादमी तथा विभिन्न जनपदों में 104 संस्कृत विद्यालय/महाविद्यालय संचालित हैं तथा संस्कृत के विकास के लिए उत्तराखण्ड विधानसभा में संस्कृत प्रोत्साहन समिति का गठन किया गया है।

उत्तराखण्ड संस्कृत अकादमी के उद्देश्य एवं कार्य–

- विश्वभर में उपलब्ध संस्कृत अभिलेखों को एकत्रित कर पुस्तकालय/अभिलेखागार बनाया जायेगा तथा संस्कृत के ग्रन्थों एवं अभिलेखों का प्रकाशन।

- संस्कृत साहित्य के विशिष्ट पुस्कालय की स्थापना तथा संस्कृत का सरलीकरण तथा विश्वविख्यात संस्थाओं से साहित्य एवं आधुनिकतम तकनीकि का आदान–प्रदान तथा सम्पर्क करना।

- संस्कृत के वैज्ञानिक तथा अन्य विषयों से प्रासंगिकता एवं इसका दूसरी भाषाओं में अनुवाद/उनका आधुनिक विकसित माध्यमों से प्रकाशन।

- संस्कृत शिक्षण, प्रशिक्षण, शैक्षणिक शोध, संगोष्ठी, परिचर्चा, कार्यशाला आदि का आयोजन करना।

- संस्कृतभाषा एवं साहित्य के उच्च अध्ययन हेतु विशिष्ट कोटि के संस्कृत के विद्वानों एवं साहित्यकारों को संस्कृत के विकास, शोध, संवर्धन एवं परिवर्धन हेतु आर्थिक सहायता एवं सुविधाऐं प्रदान करना, इसमें फैलोशिप, छात्रवृत्ति एवं अन्य गतिविधियां सम्मिलित हैं।

- संस्कृतभाषा के पाठ्यक्रमों का निर्धारण, अध्ययन एवं अध्यापन की प्रक्रिया रूचिकर बनाना, पाठ्यक्रम सचित्र, सरल एवं बोधगम्य तैयार किया जाना।

अकादमी का लक्ष्य– संस्कृतवाड्मय में निहित ज्ञान–विज्ञान को सरल माध्यम से समाज के प्रत्येक क्षेत्र एवं वर्ग तक पहुँचाना है, जिससे समाज का आम जनमानस भी संस्कृत को सीख एवं समझ सके तथा रोजगार प्राप्त हो सके।

20.6.8 उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय : एक परिचय

संस्कृत और प्राच्य विद्याओं के प्रचार–प्रसार तथा उन्हें आधुनिक सन्दर्भों के साथ जोड़ने के उद्देश्य से उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना की गयी। विश्वविद्यालय का परिसर हरिद्वार शहर से लगभग 15 किलोमीटर दूर दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग, बहादराबाद क्षेत्र में स्थित है, जिसका प्राकृतिक वातावरण शिक्षकों और छात्रों को सदैव आत्मबोध और सीखने के लिये प्रेरित करता है। प्रदेश के समस्त संस्कृत महाविद्यालय जो पूर्व में सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश से सम्बद्ध थे, यथाप्रवृत्त उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय से सम्बद्ध हो गये है।

20.6.10 उद्देश्य :– विश्वविद्यालय की स्थापना का उद्देश्य संस्कृत तथा प्राच्य विद्याओं का प्रचार–प्रसार, विकास और प्रोत्साहन है, इसके अतिरिक्त विश्वविद्यालय के प्रमुख उद्देश्य निम्नवत् हैं:

1 प्राच्य–पाश्चात्य ज्ञान–विज्ञान का समन्वय।

2 प्राच्य भाषाओं एवं तत्तसम्बन्धी विभिन्न विषयों की अध्ययन–अध्यापन परम्परा का निर्वहन।

3 शिक्षण–प्रशिक्षण तथा पाण्डुलिपि विज्ञान का संरक्षण।

4 पालि और प्राकृत भाषाओं का संरक्षण तथा संवर्धन।

5 संस्कृत विद्या की सभी विधाओं में अनुसन्धान, प्रोत्साहन और संयोजन करना।

6 व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के माध्यम से संस्कृत के विकास व प्रचार–प्रसार के लिए प्रयास।

7 संस्कृत के संवर्धन के लिए राज्यीय अभिकरण के रूप में, उसकी नीतियों और योजनाओं का क्रियान्वयन।

8 शोध ज्ञान के प्रचार और विकास के लिए समुचित मार्गदर्शन तथा व्यवस्था करना।

9 भारतीय संस्कृति और अन्य संस्कृतियों का तुलनात्मक तथा समीक्षात्मक अध्ययन और अनुसन्धान।

10 विश्वविद्यालय के उत्थान में शैक्षणिक गतिविधियों और सांस्कृतिक पक्षों का निष्पादन।

11 राष्ट्रीय–अन्तर्राष्ट्रीय संगोष्ठी, कार्यशाला, पुनःश्चर्या पाठ्यक्रमों के माध्यम से जिज्ञासुओं का आधुनिक ज्ञान–विज्ञान के साथ प्रशिक्षण तथा संस्कृत साहित्य का व्यापक अध्ययन और अनुसन्धान।

20.6.11 परिकल्पना (विजन) आगामी पांच वर्ष में राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर विशिष्ट पहचान वाले विश्वविद्यालय के रुप में विकसित कर 'ज्ञान आधारित समाज' (नॉलेज सोसायटी) के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने का लक्ष्य है।

- राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर में बौद्धिक/योग/सांस्कृतिक/क्रीडा प्रतियोगिताओं में स्थान प्राप्त करने वाले छात्रों को पुरस्कार प्रदान किया जाना है।

- मौलिक शोध ग्रन्थों का सम्पादन तथा प्रकाशन किया जाना है।

संस्कृत विश्वविद्यालय से 43 संस्कृत महाविद्यालय (शास्त्री/आचार्य) सम्बद्ध हैं तथा अन्य 38 संस्थायें भी विश्वविद्यालय से सम्बद्ध हैं जिन्हें व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के साथ–साथ परम्परागत विषयों जैसे हिन्दी, इतिहास आदि पाठ्यक्रमों में अस्थाई सम्बद्धता/मान्यता दी गई है। वर्तमान में विश्वविद्यालय में संचालित पाठ्यक्रम रोजगारपरक है।

20.6.12 विद्यावारिधि (पीएच.डी.) : विश्वविद्यालय में विद्यावारिधि (पीएच.डी. पाठ्यक्रम) एवं विशिष्टाचार्य (एम0फिल0) पाठ्यक्रम संचालित है।

20.6.13 केन्द्रीय पुस्तकालय/ई–लाईब्रेरी पुस्तकालय का संचालन विश्वविद्यालय की स्थापना के समय से ही किया जा रहा है। पुस्तकालय में वेद, वेदांग, संस्कृत साहित्य, संस्कृत व्याकरण, भारतीय दर्शन, शिक्षाशास्त्र, प्राच्य विद्या, काव्यशास्त्र, भाषा विज्ञान, हिन्दी व अंग्रेजी से सम्बन्धित पुस्तकों का विशाल संग्रह है। पुस्तकालय में विभिन्न शैक्षिक और अनुसंधान की आवश्यकता को पूर्ण करने वाली पाण्डुलिपियों, शोध पत्रिकाओं और शोधग्रन्थों की व्यवस्था भी है।

20.6.14 राष्ट्रीय सेवा योजना (एन0एस0एस0) ग्रामीण तथा पिछड़े क्षेत्रों तथा छात्रों के सम्पूर्ण विकास व सहायता के लिये विश्वविद्यालय द्वारा राष्ट्रीय सेवा योजना का भी संचालन किया जा रहा है। इसका संचालन स्नातक तथा शिक्षाशास्त्री (बी0एड0) स्तर पर राज्य सरकार के सहयोग से किया जाता है। वर्तमान में विश्वविद्यालय द्वारा 05 गांव गोद लिये गये हैं जिसमें डिजिटाइलेशन एवं स्वच्छता कार्यक्रम विश्वविद्यालय द्वारा कराया जा रहा है।

20.6.15 कम्प्यूटर प्रयोगशाला छात्रों के सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखते हुए विश्वविद्यालय द्वारा कम्प्यूटर प्रयोगशाला का भी संचालन किया जा रहा है, जिसमें आधुनिक उपयोग के लिये सभी प्रकार के साफ्टवेयर का संग्रह है तथा इसमें इन्टरनेट की सुविधा भी उपलब्ध है।

20.6.17 शोध (पीएच.डी.) छात्रावास :– शोध छात्रों के सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखते हुए विश्वविद्यालय में शोध छात्रों हेतु 40 कक्षों के छात्रावास का निर्माण भी किया गया है। विश्वविद्यालय में छात्रों हेतु 126 क्षमता के छात्रावास का निर्माण किया गया है।

20.6.18 परामर्श एवं निर्देशन प्रकोष्ठ विश्वविद्यालय द्वारा परामर्श एवं निर्देशन प्रकोष्ठ की स्थापना की गयी है। यह प्रकोष्ठ निरन्तर छात्रों को साक्षात्कार एवं रोजगार से सम्बन्धित दिशानिर्देशों को समय–समय उपलब्ध कराता है।

20.6.19 शोध छात्रवृत्ति विश्वविद्यालय द्वारा शोध छात्रवृत्ति यू0जी0सी0 द्वारा संचालित नेट अथवा जे0आर0एफ0 उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को यू0जी0सी0 के दिशानिर्देश के आधार पर प्रदान की जायेगी। शोधकर्ता राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, दिल्ली की छात्रवृत्तियों के लिये भी आवेदन कर सकता है।

20.7 चिकित्सा शिक्षा विभाग

20.7.1 स्वास्थ्य सुविधाएं सुलभ कराये जाने हेतु वर्ष–2007 में श्रीनगर, पौडी गढवाल में वीर चन्द्र सिंह गढवाली राजकीय मेडिकल कालेज की स्थापना वर्ष 2008 में की गई। चिकित्सा शिक्षा का मुख्य उद्देश्य उच्च कोटि की चिकित्सा शिक्षा प्रदान करना, शोध एवं अनुसंधान की व्यवस्था करना एवं आवश्यकतानुसार जनहित के दृष्टिगत तृतीय स्तरीय के चिकित्सा संस्थानों की स्थापना किया जाना है। एलोपैथिक चिकित्सा शिक्षा के अन्तर्गत स्नातक स्तर की एम0बी0बी0एस0/ बी0डी0एस0 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के अन्तर्गत एम0डी0/एम0एस0 /पोस्ट ग्रेज्यूएट डिप्लोमा पाठ्यक्रमों का संचालन तथा उपाधियां प्रदान करना, नर्सिंग तथा पैरामेडिकल पाठ्यक्रमों का संचालन, राजकीय क्षेत्र के मेडिकल, पैरामेडिकल संस्थानों का प्रबन्धन एवं निर्देशन तथा निजी क्षेत्रों के संस्थानों का नियमन करना है। चिकित्सा शिक्षा निदेशालय को सुदृढ़ीकृत किये जाने के प्रयास गतिमान है। दूसरे मेडिकल कॉलेज हेतु फोरेस्ट ट्रस्ट मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी का अधिग्रहण कर राजकीयकरण किया गया। तीसरा मेडिकल कॉलेज राजकीय दून मेडिकल कॉलेज, देहरादून वर्ष 2016 में संचालित किया गया है। वर्तमान में तीन राजकीय मेडिकल कॉलेज श्रीनगर (150 प्रशिक्षु क्षमता), हल्द्वानी (125 प्रशिक्षु क्षमता) तथा देहरादून (150 प्रशिक्षु क्षमता) स्थापित है।

20.7.2 केन्द्र पोषित योजना :– हरिद्वार, रूद्रपुर, पिथौरागढ़ में राजकीय मेडिकल कॉलेज की स्थापना हेतु भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है, जो कि वर्तमान में निर्माणाधीन है।

20.7.3 13वें वित्त आयोग :– भारत सरकार से संस्तुत सहायत्ति 05 नर्सिंग कॉलेज अल्मोड़ा, पौड़ी, पिथौरागढ़, टिहरी एवं चमोली में बी0एस–सी0 नर्सिंग पाठ्यकम संचालित है एवं वर्तमान में राजकीय नर्सिंग कॉलेज, अल्मोडा में 40 सीट, पिथौरागढ़ में 40 सीट, टिहरी में 40 सीट, चमोली में 40 सीट एवं पौडी में 60 सीट बी0एस–सी0 नर्सिंग की संचालित है। वर्तमान में राजकीय नर्सिंग स्कूल, रोशनाबाद, हरिद्वार में जी0एन0एम0 की 60 सीट, तथा राजकीय नर्सिंग कॉलेज, चम्पावत में बी0एस–सी0 नर्सिंग की 33 सीटों का संचालन किया जा रहा है एवं राजकीय नर्सिंग कॉलेज, रूद्रप्रयाग, बाजपुर में इन्टीग्रेटेड मॉडल में नर्सिंग संस्थान की स्थापना की जा रही है। चिकित्सा शिक्षा के बढ़ते हुए आयामों के दृष्टिगत हे0न0ब0 उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय, देहरादून की स्थापना की जा चुकी है। विश्वविद्यालय द्वारा चिकित्सा शिक्षा से सम्बन्धित प्रवेश परिक्षायें एवं काउन्सिलिंग भी कुशलता एवं पारदर्शिता से सम्पन्न की जा रही हैं। विभिन्न विषयों में पी0एच0डी0 सहित अन्य पाठ्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं।

20.7.4 बहुउद्देशीय ढाँचा :– चिकित्सा शिक्षा का बहुउद्देशीय ढाँचा तथा कार्मिकों के सभी संवर्गो की सेवा–नियमावली भी तैयार की जा रही हैं। उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा टैक्नीशियन (लैब, ओटी/सीएसएसडी, डेण्टल, रिफ्रैक्शनिश्ट, रेडियोग्राफर, रेडियोथेरेपी, ईसीजी टैक्नीशियन आदि) संवर्ग सेवानियमावली 2020, फीजियोथेरेपिस्ट एवं औक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, नर्सिंग (अराजपत्रित) सेवानियमावली 2020 एवं सोशल वर्कर (मेडिकल/ साइकेट्री) संवर्ग सेवानियमावली 2020 प्रख्यापित हो चुकी है। चिकित्सा शिक्षा विभागान्तर्गत पर्वतीय क्षेत्रों में संचालित राजकीय मेडिकल कॉलेजों के संकाय सदस्यों को Medical Teacher Deficiency Compensatory Scheme (M.T.D.S) स्कीम के तहत 50 प्रतिशत अतिरिक्त भत्ता अनुमन्य किया गया है।

राजकीय मेडिकल कॉलेज, हल्द्वानी/श्रीनगर एवं देहरादून में 05 सुपरस्पेशियेलिटी विभागों में 46 पदों का सृजन किया जा चुका है। राजकीय मेडिकल कॉलेज, हरिद्वार हेतु 1032 पदों एवं राजकीय मेडिकल कॉलेज, रूद्रपुर हेतु 932 पदों का सृजन किया जा चुका है।

राजकीय मेडिकल कॉलेज, हल्द्वानी में स्टेट केंसर इन्स्टीट्यूट की स्थापना हेतु भारत सरकार से

स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। इन्स्टीट्यूट हेतु 152 पदों का सृजन किया जा चुका है। राजकीय मेडिकल कॉलेजों में अनुसंधान हेतु व्यवस्था सुदृढ करने के दृष्टिगत राजकीय मेडिकल कॉलेज, हल्द्वानी में Multi-Disciplinary Research Units (एम0आर0यू0) संचालित है तथा राजकीय दून मेडिकल कॉलेज, देहरादून तथा राजकीय मेडिकल कॉलेज, श्रीनगर में एम0आर0यू0 संचालित करने की प्रक्रिया गतिमान है।

राजकीय मेडिकल कॉलेज, हल्द्वानी एवं देहरादून में उच्च स्तरीय वी0आर0डी0एल0 संचालित है एवं राजकीय मेडिकल कॉलेज, अल्मोड़ा में शीघ्र प्रारम्भ किये जाने की कार्यवाही गतिमान है। राजकीय दून मेडिकल कॉलेज, देहरादून व राजकीय मेडिकल कॉलेज, हल्द्वानी में भारत सरकार की सहायता से स्किल डेवलपमेंट सेंटर स्थापित किया जा चुका है। राजकीय मेडिकल कॉलेज, हल्द्वानी व राजकीय दून मेडिकल कॉलेज, देहरादून में भारत सरकार की सहायता से ट्रामा सेंटर व बर्न सेंटर स्थापित किये जाने की प्रक्रिया अन्तिम चरण पर है। राजकीय मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी में दो आर. टी.पी.सी.आर. लैब श्रीनगर, दून व अल्मोड़ा में एक–एक आर.टी.पी.सी.आर. लैब संचालित है एवं चारों मेडिकल कॉलेजों में जीनोम सीक्वैंसिंग लैब संचालित हैं।

20.7.5 मानव संसाधन से संबंधित उपलब्धियां :– (मेडिकल कॉलेज)

- वर्ष 2025 में राजकीय मेडिकल कॉलेजों हेतु 07 स्थायी प्राचार्य तथा 18 प्रोफेसर, 36 एसोसिएट प्रोफेसर की नियुक्ति की गयी है। 439 असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति प्रकिया के सापेक्ष 142 असिस्टेंट प्रोफेसरों का चयन कर लिया गया है।
- विभिन्न राजकीय मेडिकल कॉलेजों हेतु 1248 नर्सिंग अधिकारियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए हैं। 14 सी0एस0एस0डी0 टैक्नीशियन की नियुक्ति की कार्यवाही गतिमान है। राजकीय मेडिकल कॉलेजों में 73 फार्मासिस्टों के पदों पर नियुक्ति की कार्यवाही गतिमान है।

20.7.6 नर्सिंग कॉलेज :– मानव संसाधन

- 01 प्रोफेसर, 06 एसोसिएट प्रोफेसर एवं 26 नर्सिंग ट्यूटर की नियुक्ति प्रदान कर दी गयी है।
- राजकीय नर्सिंग कॉलेजों हेतु अतिरिक्त उप प्रधानाचार्य– 01 पद, प्रोफेसर– 05 पद, एसोसिएट प्रोफेसर – 08 पद, असिस्टेंट प्रोफेसर – 08 पद एवं टयूटर–8 पदों का सृजन किया गया है।
- चमोली, पौड़ी, अल्मोड़ा एवं हल्द्वानी नर्सिंग कॉलेज, में एम0एस–सी0 नर्सिंग पाठ्यक्रम प्रारम्भ किया गया है।
- कुल 09 नर्सिंग कॉलेज (अल्मोड़ा, पौड़ी, पिथौरागढ़, टिहरी, चमोली, बाजपुर, चम्पावत, देहरादून एवं हल्द्वानी) 03 नर्सिंग स्कूल (देहरादून, नैनीताल एवं हरिद्वार) संचालित किये जा रहे है, जिसमे 1120 छात्र–छात्राएँ अध्ययनरत है। राज्य स्थापना के बाद राजकीय नर्सिंग कॉलेजों में 76 संकाय सदस्यों की नियुक्ति की जा चुकी है। वर्तमान में कुल 04 राजकीय पैरामेडिकल कॉलेजों एवं 80 निजी पैरामेडिकल में प्रति वर्ष 13,332 छात्र–छात्राओ को प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

20.7.7 मेडिकल कॉलेज :– (निर्माण एवं उपकरण)

- राजकीय दून मेडिकल कॉलेज, देहरादून में 750 सीट एवं राजकीय मेडिकल कॉलेज, हल्द्वानी में 1000 सीट का ऑडीटोरियम का लोकापर्ण किया गया है। राजकीय दून मेडिकल कॉलेज, देहरादून के सम्बद्ध दून चिकित्सालय में 04 इमरजेन्सी ओ0टी0 प्रारम्भ की गयी।

- विशिष्ट चिकित्सा एवं उपचार की बढ़ोत्तरी के दृष्टिगत राजकीय मेडिकल कॉलेज देहरादून/हल्द्वानी/श्रीनगर में सुपर स्पेशियलिटी विभाग स्थापित किए जा चुके हैं। सुपर स्पेशियलिटी चिकित्सकों के वेतनमान में वृद्धि की गयी है, जिसमें पर्वतीय क्षेत्रों हेतु राजकीय मेडिकल कॉलेजों के सुपर स्पेशियलिटी विभाग हेतु अधिकतम मानदेय प्रोफेसर : ₹ 05 लाख, एसोसिएट प्रोफेसर : ₹ 04 लाख, असिस्टेंट प्रोफेसर : ₹ 03 लाख, सीनियर रेजीडेन्ट : ₹ 02 लाख किया गया है।
- राजकीय मेडिकल कॉलेजों में संविदा के आधार पर कार्यरत प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एवं असिस्टेंट प्रोफेसर के वेतन वृद्वि की गयी है। प्रोफेसर : ₹ 2,25,000/– एसोसिएट प्रोफेसर ₹ 1,65,000/– एवं असिस्टेंट प्रोफेसर ₹ 1,25,000/– की वृद्वि की गयी है।
- विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी को दूर करने हेतु राज्य के तीन मेडिकल कॉलेजों में पी0जी0 की सीटों में वृद्धि की गयी है जो वर्तमान में 249 हो चुकी है। वर्ष 2025 में कुल 68 पी0जी0 सीटें की वृद्धि हुई है। (अल्मोड़ा–35, हल्द्वानी–13, देहरादून–10 एवं श्रीनगर–10 पी0जी0 सीट)
- राजकीय मेडिकल कॉलेज, हल्द्वानी के नेत्र रोग विभाग के अंतर्गत 'आई बैंक एवं कॉर्निया प्रत्यारोपण केन्द्र में नेत्र प्रत्यारोपण की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गयी है तथा राजकीय दून मेडिकल कॉलेज, देहरादून में 'आई बैंक एवं कॉर्निया प्रत्यारोपण केन्द्र' में नेत्र प्रत्यारोपण स्थापित किये जाने की कार्यवाही गतिमान है।
- राजकीय दून मेडिकल कॉलेज, देहरादून के सम्बद्व दून चिकित्सालय में हाईपरबैरिक ऑक्सीजन थैरेपी प्रारम्भ की गयी है।

20.7.8 नवाचार :– (आगामी वर्षों हेतु)

- चिकित्सकों की कमी को दूर करने के उद्देश्य से राज्य में कुल 07 मेडिकल कॉलेजों की स्थापना की गयी हैं, जिसमें से 05 कार्यशील एवं 02 निर्माणाधीन हैं। वर्ष 2030 तक 1000 की जनसंख्या पर 01 चिकित्सक उपलब्ध कराये जाने का लक्ष्य रखा गया है, जिससे राज्य की जनता को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाए उपलब्ध करायी जा सके।
- समस्त राजकीय मेडिकल कॉलेजों में विभिन्न सुपरस्पेशियलिटी सेन्टर स्थापित किये जाने का कार्य गतिमान है। संकाय सदस्यों की नियमित नियुक्ति की प्रक्रिया चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड के माध्यम से की जा रही है। विभिन्न संवर्गों हेतु सेवा नियमावली प्रख्यापित कार्यवाही गतिमान है।
- राजकीय मेडिकल कॉलेज, पिथौरागढ़ एवं रूद्रपुर में निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेजों में वर्ष 2026 से एम0बी0बी0एस0 सत्र प्रारम्भ करने का लक्ष्य रखा गया है तथा जनपद टिहरी में नये मेडिकल कॉलेज की स्थापना हेतु कार्यवाही गतिमान है।
- राजकीय मेडिकल कॉलेज, श्रीनगर के नेत्र रोग विभाग के अंतर्गत 'आई बैंक एवं कॉर्निया प्रत्यारोपण केन्द्र' की स्थापना की गयी है। इस केन्द्र के Transplantation of Human Organs and Tissues Act के अर्न्तगत रजिस्ट्रेशन उपरांत नेत्र प्रत्यारोपण की कार्यवाही गतिमान है।
- राजकीय दून मेडिकल कॉलेज, देहरादून के अंतर्गत ए0आई0 आधारित कौशल प्रशिक्षण केन्द्र, अंग प्रत्यारोपण केन्द्र एवं रोबोटिक सर्जरी की सुविधा हेतु प्रक्रिया गतिमान है। विभिन्न सुपरस्पेशियलिटी सेन्टर स्थापित किये जाने हेतु चिकित्सा शिक्षा विभाग प्रयासरत है।

अध्याय–21
स्वास्थ्य
Health

राज्य मे चिकित्सा क्षेत्र मे नये–नये मेडीकल कालेजों की स्थापना कर मे नये अवसर प्रदान किये गये है, आमजन को आयुष्मान योजना एवं राज्य कर्मचारियों को गोल्डन कार्ड जैसी सुविद्यायें प्रदान की गई है, पैरामेडिकल क्षेत्र मे राज्य की आवश्यकताओं के मद्देनज़र विभिन्न कालेजों की स्थापना कर छात्र–छात्राओं हेतु रोजगार के नये क्षेत्रों का विकास किया गया है, विभिन्न जनपदों मे नर्सिंग कालेज, मेडिकल कालेज खोलने के प्रयास किये गये है, चिकित्सकों एवं अन्य स्टाफ की भर्ती के प्रयास तेज किये गये है। उक्त प्रयासों के फलस्वरूप राज्य गठन के समय जो शिशु मृत्यु दर 52 प्रति एक हजार लाईव बर्थ थी, वर्तमान में 20 प्रति हजार हो गई है तथा मातृ मृत्यु दर वर्ष 2000 में 450 प्रति एक लाख लाईव बर्थ थी, जो वर्तमान मे 91 प्रति एक लाख लाईव बर्थ हो गयी है जिसने 80 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है। राज्य गठन के समय संस्थागत प्रसव 21 प्रतिशत था जो कि आज 83.2 प्रतिशत है जिसमें अभूतपूर्व 296.2 प्रतिशत की बढोत्तरी हुई है। सम्पूर्ण टीकाकरण जो कि राज्य गठन के समय 47 प्रतिशत था, आज 88.6 प्रतिशत हो गया है। राज्य गठन के समय लिंग अनुपात 908 था, जो कि वर्तमान में 984 (NFHS-5.2020-21) हो गया है।

21.1.1 स्वास्थ्य उत्तराखण्ड़ राज्य की मुख्य प्राथमिकताओं में शामिल हैं। राज्य सरकार स्वास्थ्य सेवाओं की आवश्यकता के अनुसार स्वास्थ्य पर बजट निरन्तर बढ़ाती जा रही है। वर्ष **2024–25** में राज्य का स्वास्थ्य (एलोपैथी) का बजट प्रावधान ₹ **362117.17** लाख हो गया हैं।

तालिका 21.1

आई0पी0एच0एस0 मानकानुसार उत्तराखण्ड राज्य के अन्तर्गत स्थापित की गयी समस्त चिकित्सा इकाईयों की जनपदवार संख्या

S. No.	District	Sub Centres	PHC (Type A)	PHC (Type B)	CHC	Sub-District/ Sub Divisional Hospitals				District Hospitals			Other Health Units
						31–50 बेड	51–100 बेड	≥100 बेड	300 बेड	100 बेड	200 बेड	300 बेड	
1	हरिद्वार	164	27	2	8	0	1	1	0	1	0	0	1
2	देहरादून	186	44	3	5	2	1	1	0	0	0	1	8
3	टिहरी	213	49	4	12	1	0	0	0	1	0	0	1
4	उत्तरकाशी	88	29	3	5	0	0	0	0	0	1	0	1
5	पौढ़ी	243	84	9	13	0	1	0	1	0	1	0	1
6	चमोली	116	34	5	5	1	0	0	0	1	0	0	2
7	रुद्रप्रयाग	76	37	1	2	0	0	0	0	1	0	0	1
8	ऊधमसिंहनगर	155	32	1	5	1	3	0	0	0	1	0	1
9	नैनीताल	148	40	5	11	0	1	0	1	0	1	0	5
10	अल्मोड़ा	204	58	7	08	2	1	0	0	0	1	0	1
11	बागेश्वर	89	26	3	3	0	0	0	0	1	0	0	1
12	पिथौरागढ़	163	47	7	4	1	0	0	0	0	1	0	1
13	चम्पावत	69	17	1	0	2	0	0	0	1	0	0	1
	महायोग	1914	524	51	81	10	8	2	2	6	6	1	25

स्रोत: स्वास्थ्य महानिदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून

चिकित्सा उपचार अनुभाग

राज्य व्याधि सहायता निधि

- राज्य व्याधि सहायता निधि राज्य में वित्तीय वर्ष 2005–2006 से प्रारम्भ हुयी है।
- उक्त योजना के तहत बी0पी0एल0 कार्ड धारकों के उपचार हेतु प्रति रोगी धनराशि ₹ 1,50,000.00(रू0 एक लाख पचास हजार मात्र) दिये जाने का प्राविधान है।
- वित्तीय वर्ष 2005–2006 से वर्तमान तक राज्य में कुल लाभार्थियों की संख्या–1045 एवं ₹ 12,85,41,175.00 की कुल धनराशि आवंटित की गयी है।

21.2.1 राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (National Health Mission, NHM):– राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तराखण्ड का मुख्य उददेश्य ग्रामीण तथा नगरीय जनता, महिलाओं, बच्चों, किशोरों व वृद्धजनों के लिये बेहतर स्तर की स्वास्थ्य देखभाल और जन सामान्य को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है। इसके साथ ही इस मिशन के अन्तर्गत पेयजल, सफाई, स्वच्छता और पोषण के साथ समन्वय कर बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं सुलभ कराना है। वर्ष 2025–26 के दौरान राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत राज्य में विभिन्न स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण गतिविधियों का विवरण निम्न प्रकार से हैं–

21.2.2 राष्ट्रीय वैक्टर बोर्न रोग नियंत्रण कार्यक्रमः– वर्ष 2025–26 में 31 दिसंबर 2025 तक इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 621561 रक्त पट्टिकाओं का परीक्षण किया गया और इस अवधि में कोई भी मृत्यु का मामला प्रकाश में नहीं आया। इस वर्ष मलेरिया के 41 केस रिपोर्ट हुये हैं।

21.2.3 राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रमः– राष्ट्रीय कुष्ठ रोग उन्मूलन कार्यक्रम के अन्तर्गत व्यापकता दर दिसम्बर, 2025 में 0.23 प्रति दस हजार रह गई है। वर्ष 2025–26 (अप्रैल 2025 से दिसंबर 2025 तक) तक कुल 215 नए कुष्ठ रोगियों का पता लगाया गया तथा इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 230 मामले रोग मुक्त किए गए तथा 323 कुष्ठ रोगी उपचाराधीन हैं जो विभिन्न स्वास्थ्य संस्थानों से मुफ्त में एम.डी.टी. प्राप्त कर रहे हैं।

21.2.4 राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रमः– कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रदेश में 13 जिला क्षय नियन्त्रण केन्द्र, 95 टी0बी0यूनिट, 154 माईक्रोस्कोपिक केन्द्र और 131 NAAT Machine कार्यरत हैं। वर्ष 2025 (जनवरी से दिसम्बर) में 27939 क्षय रोगियों को नोटिफाई किया गया है। राज्य के सभी जनपदों में कार्यक्रम संचालित है। वर्ष 2025 (जनवरी से दिसम्बर) में अधिसूचना लक्ष्य दर 227 प्रति लाख आबादी के सापेक्ष 227 प्रति लाख प्राप्त हुई है।

21.2.5 राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रमः– परिवार नियोजन कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य माँ और बच्चे के स्वास्थ्य एवं कल्याण के लिए गर्भधारण के बीच उचित समय और अन्तराल के महत्व को उजागर करना है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत माह दिसम्बर 2025 तक 3687 बन्ध्याकरण, 14387 लूपनिवेशन, 2931 अन्तरा, 14454 ओ.सी.पी तथा 29093 सी.सी. प्रयोगकर्ता हैं।

21.2.6 टीकाकरण कार्यक्रमः– वर्ष 2025–26 में कार्यक्रम की प्रगति निम्न तालिका में प्रदर्शित है:–

तालिका 21.2
वर्ष 2025–2026

क.सं.	मद	लक्ष्य (संख्या)	उपलब्धि (संख्या) माह दिसंबर, 2025 तक	प्रतिशत
1	पोलियो (O.P.V.)	136756	119817	88%
2	पेंटावेलेंट	136756	119924	88%
3	बी0सी0जी0	136756	122787	90%
4	हैपटाइटिस–बी	107713	87510	81%
5	मीजिल्स रूबेला	136756	132083	97%

Source: HMIS माह दिसंबर, 2025 तक 96: प्रतिशत पूर्ण प्रतिरक्षण कवरेज प्राप्त किया गया है।

21.2.7 रक्त सुरक्षा कार्यक्रम:–प्रदेश में 67 रक्तकोष (ब्लड बैंक) और 22 रक्त संग्रहण केन्द्र स्थापित एवं कार्यशील हैं। दिसम्बर 2025 तक राज्य में स्थापित रक्तकोषों द्वारा कुल 160064 रक्त यूनिटों को एकत्रित किया गया जिसमें से 73 प्रतिशत यूनिट स्वैच्छिक रक्तदान द्वारा प्राप्त किया गया, तथा कुल 1851 स्वैच्छिक रक्तदान शिविरों का आयोजन किया गया।

21.2.8 राष्ट्रीय गैर संचारी रोग नियंत्रण एवं रोकथाम कार्यक्रम (एन0पी–एन0सी0डी0). राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत संचालित गैर संचारी रोग कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपदों में 30 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों में गैर संचारी रोगों जैसे मधुमेह, उच्च रक्तचाप, मुख कैंसर, स्तन कैंसर एवं सवाईकल कैंसर की जॉच हेतु Universal Screening For Common NCDs योजना का संचालन किया जा रहा है जिसका उद्देश्य सामान्य एनसीडी के लिए 30 वर्ष से अधिक आयु के सभी व्यक्तियों को स्क्रीन करना जिससे गैर संचारी रोगों की समय से पहचान की जा सके तथा प्रारम्भिक अवस्था में उपचार प्रदान किया जा सकें।

जनपदों में समस्त चिकित्सकों, स्टाफ नर्स, ए0एन0एम0 एवं आशा कार्यकर्त्रियों को प्रशिक्षित किया गया है। आशा कार्यकर्त्रियों द्वारा घर–घर जाकर 30 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों में गैर संचारी रोग से सम्बन्धित लक्षणों की पहचान कर CBAC प्रपत्र में अंकित किया जा रहा है। जिसके पश्चात उन्हें स्क्रीनिंग हेतु निकटतम स्वास्थ्य केन्द्र (Ayushman Arogya Mandir) पर लाया जाता है। वित्तीय वर्ष 2025–26 में 31 दिसम्बर तक आशा कार्यकर्त्रियों द्वारा 16 लाख व्यक्तियों के CBAC प्रपत्र भरे गये हैं जिनकी CHO द्वारा गैर संचारी रोगों की स्क्रीनिंग की गयी । वित्तीय वर्ष 2025–26 में 31 दिसम्बर तक कार्यक्रम के अन्तर्गत 30 वर्ष से अधिक आयु के कुल 17.50 लाख व्यक्तियों की गैर संचारी रोगों जैसे मधुमेह, उच्च रक्तचाप, मुख कैंसर, स्तन कैंसर एवं सवाईकल कैंसर आदि की जांच की गई तथा जांच में पाये गये रोगियों को उपचार हेतु उच्च चिकित्सा ईकाई पर संदर्भित किया गया।

21.2.9. बुजुर्गों की स्वास्थ्य देखभाल के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम (NPHCE):– वृद्ध नागरिकों को बेहतर In-patient Departments (IPD) सेवायें उपलब्ध कराये जाने हेतु राज्य के 13 जनपदों में 10 बैड के Geriatric Ward की स्थापना की गयी है। वित्तीय वर्ष 2025.26 में अप्रैल से सितम्बर 2025 तक त्रैमासिक रिपोर्ट के अनुसार जिरिएटिक क्लीनिक में 159830 वृद्ध नागरिकों को ओ0पी0डी0 तथा 10919 वृद्ध नागरिकों को आई0पी0डी0 की सेवायें प्रदान की गई।

21.2.10 राष्ट्रीय ओरल हेल्थ प्रोग्राम (NOHP):– मुख स्वास्थ्य देखभाल प्रदान किए जाने हेतु राष्ट्रीय मुख स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम राज्य के समस्त 13 जनपदों में संचालित है। कार्यक्रम का मुख्य उद्देदश्य मुख स्वास्थ्य के निर्धारकों में सुधार करना, मुख स्वास्थ्य से सम्बन्धित रोगों से होने वाली रूग्णता को कम करना, मुख स्वास्थ्य सम्वर्धन और निवारक सेवाओं को सामान्य स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली के साथ

एकीकृत करना तथा बेहतर मुख स्वास्थ्य हेतु सार्वजनिक–निजी भागीदारी (पी0पी0पी0) मॉडल को बढावा देना है। वित्तीय वर्ष 2025–26 में त्रैमासिक रिपोर्ट के अनुसार कुल 91553 मरीजों के मुख से सम्बन्धित रोगों की जांच की गई।

21.2.11 मानसिक स्वास्थ्य कार्यकम (NMHP)- राज्य में मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम वित्तीय वर्ष 2025–26 में 31 दिसम्बर तक 17496 रोगियों को ओ0पी0डी0 की सेवायें प्रदान की गयी। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत, उत्तराखंड राज्य में टेलीपरामर्श के माध्यम से 24x7 मानसिक स्वास्थ्य परामर्श सेवाएं प्रदान करने के लिए, राज्य मानसिक स्वास्थ्य संस्थान में राज्य टेली मानस सेल की स्थापना की गई ।

वित्तीय वर्ष 2024–25 में AIIMS Rishikesh के सहयोग से समस्त 13 जनपदों से कुल 68 ब्लॉक चिकित्सा अधिकारियों को Addiction Disorder Training Program हेतु प्रशिक्षित किया गया। मास्टर ट्रेनर्स (प्रशिक्षित ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी) सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों (सीएचओ) को प्रशिक्षित करेंगे ताकि मानसिक रोगों हेतु रोकथाम, शीघ्र पता लगाने और उपचार में योगदान दे सके और देखभाल की निरंतरता में सुधार कर सके।

21.2.12 बहरेपन के निवारण एवं रोकथाम हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम (NPPCD):– वित्तीय वर्ष 2025–26 में द्वितीय त्रैमास तक कुल 4776 व्यक्तियों के बहरेपन का परीक्षण किया गया तथा 267 व्यक्तियों के बधिरता हेतु सर्जरी की गयी।

21.2.13 राष्ट्रीय अन्धता निवारण कार्यक्रम (NPCB):– वर्ष 2025–26 में नवम्बर 2025 तक की रिपोर्ट के अनुसार राज्य की समस्त चिकित्सा ईकाईयों तथा अनुबन्धित गैर सरकारी चिकित्सालयों के माध्यम से कुल 8939 मोतियाबिन्द आपरेशन किये गये। निःशुल्क चश्में वितरण के अन्तर्गत स्कूल के 3951 छात्रों को एवं 5488 वृद्ध नागरिकों को चश्में वितरित किये गये हैं।

21.2.14 राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम (NTCP):– वित्तीय वर्ष 2025–26 में त्रैमासिक रिपोर्ट के अनुसार COTPA 2003 के अन्तर्गत सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करते हुए पाये गये 36425 व्यक्तियों का चालान किया गया, जिसमें धनराशि ₹ 18,06,952.00 अर्थदण्ड के रूप में वसूली गयी। कुल 23966 व्यक्तियों को तम्बाकू के सेवन से होने वाले दुष्प्रभावों के प्रति परामर्श प्रदान किया गया, जिसमें से 2412 व्यक्तियों को उपचार प्रदान किया गया। कुल 596 स्कूल एवं विद्यालयों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किये गये।

21.2.15 राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम –राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम (RKSK) राज्य के नौ जनपदों में क्रियान्वित किया जा रहा है, जिनमें देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, टिहरी, ऊधम सिंह नगर एवं नैनीताल शामिल हैं। इसके अतिरिक्त अल्मोड़ा, बागेश्वर तथा रुद्रप्रयाग जनपदों को वर्ष 2023–24 में इस कार्यक्रम के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। इस कार्यक्रम के माध्यम से राज्य के लगभग 18 लाख किशोर–किशोरियों को लाभान्वित किया जा रहा है। कार्यक्रम के अन्तर्गत 81 किशोर स्वास्थ्य परामर्श केन्द्रों की स्थापना की गई है जिसमें राजकीय मेडिकल कॉलेज श्रीनगर एवं हल्द्वानी, जिला चिकित्सालय, उप जिला चिकित्सालय, ब्लॉक स्तरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सम्मिलित हैं। किशोर स्वास्थ्य परामर्श केन्द्रों के संचालन हेतु 98 किशोर स्वास्थ्य काउंसलरों की नियुक्ति की गई है। किशोर स्वास्थ्य परामर्श केन्द्रों में दिसम्बर 2025 तक कुल 1,32,712 किशोर–किशोरियों को परामर्श एवं चिकित्सा सुविधा प्रदान की गई है।

21.2.16 प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रमः– राजकीय चिकित्सालयों में निःशुल्क व न्यूनतम दरों में डायलिसिस की सुविधा प्रदान कराने के उद्देश्य से वर्ष 2025–26 में दून चिकित्सालय, देहरादून, कोरोनेशन चिकित्सालय, देहरादून, बेस चिकित्सालय, हल्द्वानी, जिला चिकित्सालय, रुद्रपुर, मेला चिकित्सालय, हरिद्वार,

संयुक्त चिकित्सालय, कोटद्वार, मेडिकल कॉलेज, श्रीनगर, बेस चिकित्सालय, अल्मोडा, जिला चिकित्सालय, बागेश्वर, ट्रामा सेंटर, कर्णप्रयाग, संयुक्त चिकित्सालय, रुडकी, जी0बी0पंत चिकित्सालय, नैनीताल, जिला चिकित्सालय, रुद्रप्रयाग, उप जिला चिकित्सालय, नरेन्द्रनगर, उप जिला चिकित्सालय, खटीमा, जिला चिकित्सालय, चंपावत, जिला चिकित्सालय, पौडी गढवाल, जिला चिकित्सालय, उत्तरकाशी एवं जिला चिकित्सालय, पिथौरागढ में कुल 19 डायलिसिस केंद्रों की स्थापना कर संचालन किया जा रहा है।

कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 2025–26 में कुल 1183 रोगियों को डायलिसिस की सुविधा प्रदान की गयी। कुल 77,143 डायलिसिस सेशन किये गये हैं।

21.2.17 आयुष्मान आरोग्य मंदिर :- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत राज्य द्वारा 13 जनपदों में कुल 2160 (1554 उपस्वास्थ्य केन्द्र–आयुष्मान आरोग्य मन्दिर, 569 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र–आयुष्मान आरोग्य मन्दिर तथा 37 शहरी–आयुष्मान आरोग्य मन्दिर) आयुष्मान आरोग्य मंदिरों को स्थापित किया गया है। वर्तमान में 1554 उपस्वास्थ्य केन्द्र–आयुष्मान आरोग्य मन्दिर के सापेक्ष 1440 सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी (सी0एच0ओ0) कार्यरत है, शेष 114 रिक्त पदों पर सी0एच0ओ0 नियुक्त करने की प्रक्रिया गतिमान है। उक्त आयुष्मान आरोग्य मन्दिरों के माध्यम से 12 Expandad Services प्रदान की जा रही हैं।

21.2.18 आशा कार्यक्रम :– राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत वर्तमान में राज्य के अन्तर्गत कुल 12018 आशा कार्यकत्रियों के सापेक्ष 12000 कार्यरत है। वर्तमान में 11926 आशा कार्यकत्रियों के द्वारा नेशनल इन्स्टीटूयट आफ ओपन स्कूल के द्वारा आयोजित करायी गयी आशा सर्टिफिकेशन की लिखित परीक्षा उत्तीर्ण की गयी है। आशा सर्पोट स्ट्रक्चर में आशा कार्यकत्रियों के कार्यों में सहयोगात्मक सुपरविजन हेतु 606 आशा फैसिलिटेटरों, 101 ब्लाक कोर्डिनेटर व 13 जिला कम्यूनिटी मोबिलाइजर का चयन किया गया है।

21.2.19 वी0एच0एस0एन0सी0:–राज्य के अन्तर्गत 14915 वी0एच0एस0एन0सी0 (ग्रामीण स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण समिति) का गठन किया गया है। एक ग्रामीण स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण समिति में कम से कम 15 सदस्यों का चयन किया जाता है। समिति की अध्यक्ष गांव की महिला पंचायत प्रतिनिधि व सदस्य सचिव आशा कार्यकत्री होती है। ग्रामीण स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण समिति की मासिक बैठकों में ग्राम स्वास्थ्य कार्ययोजना तैयार की जाती है, एवं स्वच्छता एवं पोषण सम्बन्धित कार्य किये जाते हैं तथा समुदाय एवं जरूरत मंद लोगों को सहयोग प्रदान किया जाता है। समिति का मुख्य उददेश्य समुदाय को स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण पर जानकारी प्रदान करना व कार्यवाही करना होता है।

21.2.20 राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन (National Urban Health Mission-NUHM)- नगरीय क्षेत्रों में गुणवत्ता युक्त स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन कार्यक्रम को संचालित किया जा रहा है। इससे नगरीय क्षेत्र के चिकित्सालयों में रोगियों का दबाव कम हुआ है तथा उन्हें निकटतम स्थान पर बेहतर चिकित्सा सुविधा दी जा रही है। उत्तराखण्ड राज्य में राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत कुल 37 शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र– आयुष्मान आरोग्य मंदिर (26 यू0पी0एच0सी0 पी0पी0पी0 मोड, एवं 11 गवर्नमेंट मोड) दिनांक 01 जून 2019 से संचालित किए जा रहें है तथा 01 शहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का संचालन दिनांक 25 फरवरी 2024 से किया जा रहा है ।

तालिका 21.2.1
राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के संचालन केन्द्र

क्र0स0	शहर	संचालित 37 शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा 01 शहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का विवरण :–
1	देहरादून	1.अधोईवाला 2. बकरालवाला 3. भगत सिंह कॉलोनी 4चूना भट्टा 5. दीपनगर 6. गॉधीग्राम 7. जाखन 8.कारगी 9.खुड़बुड़ा 10.माजरा 11.रीठा मंण्डी 12. सीमाद्वार।
2	ऋषिकेश	1. चंद्रेश्वर नगर 2. शान्ति नगर।
3.	हरिद्वार	1.ज्वालापुर–1, 2.ज्वालापुर–2, 3.टिबडी 4.कनखल 5.रामधाम कालोनी 1. भूपतवाला (यू0सी0एच0सी0)
4.	रूडकी	1.आदर्शनगर 2चन्द्रपुरी 3.गणेशपुर 4माहीग्राम 5.पुरानी तहसील 6.सलेमपुर।
5.	हल्द्वानी	1.काठगोदाम 2. राजपुरा 3. शनि बाजार 4वनभुलपुरा।
6.	रामनगर	1.रामनगर
7.	रूद्रपुर	1.ट्रांजिट कैम्प 2. रामपुरा 3. खेरा
8.	काशीपुर	1.महेशपुरा 2 अली खान
9.	जसपुर	1.नई बस्ती
10	कोटद्वार	1.कोटद्वार

स्रोतः स्वास्थ्य महानिदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून

शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में 01 अप्रैल, 2025 से 30 अक्टूबर, 2025 तक कुल यू0पी0एच0सी0 की संख्या 37, कुल उपचारित व्यक्तियों की संख्या 427872, कुल पंजीकृत ए0एन0सी0 की संख्या 44311, यू0पी0एच0सी0 में कुल 77880 लैब टेस्ट, जबकि आउटसोर्स के माध्यम से कुल 75725 लैब टेस्ट किए गए है तथा कुल 3215 यू0एच0एन0डी0 हैं।

21.2.21 राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रमः– राज्य के सभी 13 जनपदों में 148 मोबाईल हैल्थ टीमें कार्य कर रही हैं। महिला एवं बाल विकास, शिक्षा तथा समाज कल्याण के समन्वय से संचालित इस कार्यक्रम के अन्तर्गत बच्चों के तृतीयक स्तरीय शल्य चिकित्सा की व्यवस्था के तहत एम्स चिकित्सालय, ऋषिकेश, श्री राम मूर्ति स्मारक मेडिकल कॉलेज, बरेली, दून चिकित्सालय, देहरादून, श्री सत्य सांई संजीवनी चिकित्सालय पलवल, हरियाणा, ग्राफिक एरा चिकित्सालय देहरादून, मिशन स्माइल एवं स्माइल ट्रेन देहरादून, क्योर इंडिया देहरादून/हल्द्वानी, आर्यवृत्त चिकित्सालय, चन्दन चिकित्सालय, एवं नारायण चिकित्सालय में निःशुल्क सुविधा दी जा रही है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025–26 में माह दिसम्बर तक 106 बच्चों के दिल का आपरेशन, 13 बच्चों का न्यूरल टयूब डिफेक्ट, 6 कूल्हे के जोड़ का विकासात्मक विकार, 43 बच्चों को कानों की मशीन, 4 बच्चें को आंखों में मोतियाबिंद, 20 बच्चों को कटे होठ एवं तालु, 170 टेढे पैर वाले बच्चों को Special Shoes देकर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करायी गयी।

तालिका 21.2.2
राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (आर0बी0एस0के0) कार्यक्रम के अन्तर्गत सरकारी एवं शासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों एवं आंगनबाडियों में पंजीकृत बच्चों की स्क्रीनिंग (अप्रैल 2025 से नवम्बर 2025)

संस्था	लक्ष्य	क्रमिक प्रगति	प्रतिशत
विद्यालय	1021449	541234	53%
आंगनबाड़ी	1250097	578979	46%

स्रोतः स्वास्थ्य महानिदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून

21.2.22 – आपातकालीन 108 सेवा/ खुशियों की सवारीः– राज्य में आपातकालीन सेवा के अन्तर्गत वर्तमान में राज्य में कुल 272 एम्बुलैन्स (54 ए0एल0एस0, 217 बी0एल0एस0 व 01बोट एम्बुलैन्स) का संचालन किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2025–26 में माह दिसम्बर 2025 तक कुल 98074 लाभार्थियों द्वारा एम्बुलैन्स सेवा प्राप्त की गई जिसमें 26868 गर्भवती महिलाएं भी सम्मिलित हैं। 432 बच्चों का जन्म इन एम्बुलेन्सों में हुआ। सडक दुर्घटना के 8152 केस हुए है।

वित्तीय वर्ष 2025–26 के दिसम्बर 2025 तक 40020 गर्भवती महिलाओं को प्रसव के पश्चात नवजात शिशु सहित खुशियों की सवारी सेवा के 134 वाहनों के माध्यम से चिकित्सा इकाई से घर तक निःशुल्क पहुँचाया गया है। 21051 गर्भवती महिलाओं को अल्ट्रासाउण्ड सेवाओं का लाभ प्रदान करवाये जाने हेतु परिवहन सुविधा उपलब्ध कराई गई। 21.2.23 भारत सरकार की कार्ययोजना के अन्तर्गत राज्य में क्वालिटी एश्यूरैन्स कार्यक्रम के अन्तर्गत NQAS, LaQshya एवं Kayakalp कार्यक्रम का संचालन किया जाता है।

अब तक उत्तराखण्ड राज्य में 58 NQAS National Certification एवं 20 LaQshya National Certification प्राप्त हुए हैं। पूर्व वित्तीय वर्ष 2024–25 में कुल 30 चिकित्सा इकाईयों को NQAS National Certification प्राप्त हुआ था। जिसके सापेक्ष इस वित्तीय वर्ष 2025–26 में अब तक उत्तराखण्ड राज्य को भारत सरकार से 28 NQAS National Certification प्राप्त हो चुके हैं एवं 19 चिकित्सा इकाईयों की NQAS National Assessment कराने हेतु रिपोर्ट भारत सरकार को प्रेषित कर दी गई है। इसके साथ ही 30 अन्य चिकित्सा इकाईयॉ में NQAS National Certification हेतु कार्य प्रक्रिया में हैं।

कायाकल्प विजेता चिकित्सा इकाईयों में भी प्रतिवर्ष वृद्धि हो रही है। वित्तीय वर्ष 2024–25 में 201 चिकित्सा इकाईयॉ कायाकल्प अवार्ड से सम्मानित हुई हैं। इस वित्तीय वर्ष 2025–26 में कायाकल्प Peer Assessment जनपदों में प्रक्रिया में है, तत्पश्चात Peer Assessment में अर्हता प्राप्त चिकित्सा इकाईयों का External Assessment पूर्ण करा लिया जाएगा।

21.2.23 टेलीमेडिसिन

टेलीमेडिसिन e-Sanjeevani प्लेटफॉर्म के माध्यम से ग्रामीण व दूरस्थ क्षेत्रों के लोगों को डॉक्टरों से ऑनलाइन परामर्श मिल सकता है। सरकार का e-Sanjeevani प्लेटफॉर्म डॉक्टर–से–डॉक्टर (HWC) तथा डॉक्टर–से–मरीज (OPD) परामर्श के लिए कार्यरत है।

यह आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का अभिन्न हिस्सा है, जो ई–प्रिस्क्रिप्शन, और टेली–परामर्श को एकीकृत करता है। राज्य में 21 हब एवं लगभग 1500 स्पोक्स के माध्यम से टेली कन्सलटेशन की सेवायें प्रदान की जा रही हैं।

मुख्य विशेषताएँ

- घर बैठे डॉक्टर से वीडियो परामर्श
- निःशुल्क सेवा
- डॉक्टर द्वारा ई–प्रिस्क्रिप्शन (e-Prescription) जारी किया जाता है
- ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के लिए उपयोगी
- ऐप और वेबसाइट दोनों माध्यम से उपलब्ध

आतिथि तक कुल 1515513 लाभार्थियों को चिकित्सकों द्वारा टेली कन्सलटेशन के माध्यम से परामर्श प्रदान किया गया।

21.2.24 108 आपातकालीन सेवा :–

कार्यदायी संस्था कम्यूनिटी एक्शन थ्रु मोटिवेशन प्रोग्राम (कैम्प), भोपाल के द्वारा दिनांक 01 मई 2019 से राज्य में 108 आपातकालीन सेवा का संचालन किया जा रहा है। पुनः संस्था को आगामी 01 वर्ष हेतु सेवा–विस्तार प्रदान किया गया है। जिसके अन्तर्गत दुर्घटना, प्रसव से पीडित महिला, बीमार बच्चे एवं नवजात शिशुओं तथा अन्य गम्भीर

स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याओं आदि एवं पुलिस व अग्नि शमन सेवायें उपलब्ध करायी जाती है। आपात स्थिति में 108 आपातकालीन सेवायें टोल फ्री न0–108 पर कॉल (24X7) करके निशुल्कः प्रदान की जाती है। राज्य में 108 आपातकालीन सेवा के अन्तर्गत कुल 272 एम्बुलेंन्स (01 बोट, 217 बी0एल0एस0, 54 ए0एल0एस0 एम्बुलेंन्स) का संचालन किया जा रहा है, जिसमें संस्था द्वारा 65 ई0एम0टी0, 645 वाहन चालक एवं 84 अन्य स्टॉफ नियुक्त किये गये है।

तालिका 21.2.3
संस्था द्वारा संचालित 272 एम्बुलेंन्सों की जनपदवार सूचनाः–

क्र0स0	जनपद	बी0एल0एस0	ए0एल0एस0	कुल एम्बुलेंन्स
1.	देहरादून	25	07	32
2.	हरिद्वार	23	06	29
3.	चमोली	18	04	22
4.	टिहरी गढ़वाल	18	04	22(एक बोट सहित)
5.	पौड़ी गढ़वाल	23	05	28
6.	उत्तरकाषी	14	05	19
7.	रूद्रप्रयाग	09	03	12
8.	नैनीताल	19	04	23
9.	अल्मोड़ा	19	03	22
10.	चम्पावत	07	03	10
11.	बागेष्वर	07	03	10
12.	ऊधमसिंह नगर	22	03	25
13.	पिथौरागढ़	14	04	18
कुल योग		218	54	272

Source:- National Health Mission, Uttarakhand

तालिका 21.2.4
108 Emergency Services Monthly Progress Report

S.No.	Category	2019-2020	2020-2021	2021-2022	2022-2023	2023-2024	2024-2025	2025-2026 (Dec 2025)
1.	Pregnancy Cases	40799	40530	46063	48656	43684	39373	26868
a.	Birth h Ambulance	465	559	714	765	718	670	432
2.	Sick Infants (0-1 year)	1977	2308	3748	3782	3315	2719	1754
3.	Injury							
a.	Road Traffic Accidents	7199	8306	11490	13628	12096	11512	8152
b.	OtherInjuries	5916	7351	8766	10444	9491	8757	6274
4.	AcuteAbdomen	5931	7232	11615	14536	12949	12436	8451
5.	Respiratory	6095	5370	10700	12467	11048	10874	7901
6.	Cardiac	4044	3800	5935	6629	6510	6012	4600
7.	Stroke	924	1063	1548	1602	1603	1288	964
8.	Others	32663	30249	57492	49786	49862	44728	33110
	Total	**106013**	**106768**	**158071**	**162295**	**151276**	**138369**	**98074**

Source:- National Health Mission, Uttarakhand

21.3 लोक निजी सहभागिता (PPP) के अन्तर्गत संचालित योजनाओं का विवरणः–डायलिसिस यूनिट :–

21.3.1 लोक निजी सहभागिता (Public Private Partnership, PPP):– राज्य की स्वास्थ्य सुविधाओं को अधिक सुलभ व प्रभावी बनाने हेतु लोक निजी सहभागिता (Public Private Partnership, PPP) के अन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं, जिनका विवरण निम्नांकित हैं:–

उत्तराखण्ड राज्य में नैफ्रो डायलिसिस यूनिट क्रमशः जिला चिकित्सालय (कोरोनेशन) देहरादून एवं बेस चिकित्सालय, हल्द्वानी में लोक निजी सहभागिता के अन्तर्गत स्थापित की गयी, जिसके

अन्तर्गत बी0पी0एल0 एवं एच0आई0वी0 रोगियों को यह सुविधा निःशुल्क दी जाती है।

21.3.2 जिला चिकित्सालय (कोरोनेशन) चिकित्सालय, देहरादून :–

नैफ्रोडायलिसिस यूनिट का अनुबन्ध संस्था मै0 नैफ्रोप्लस एवं विभाग के मध्य दिनांक 20/02/2021 को अनुबन्ध हस्ताक्षरित किया गया है। अनुबन्ध के अनुसार पुनः संस्था को 19/02/2024 से अगामी 02 वर्ष हेतु सेवा विस्तार प्रदान किया गया है। संस्था द्वारा दिनांक 01/03/2021 से नवीन दर प्रति डायलिसिस ₹ 1290/– (All Consumables) के अनुसार कार्य किया जा रहा है। वर्तमान में उक्त डायलिसिस सेन्टर में 23 डायलिसिस मशीन क्रियाशील है।

तालिका 21.3

मार्च 2017 से 31 दिसम्बर 2025तक		
कुल डायलिसिस रोगियो की संख्या	कुल बी0पी0एल0 डायलिसिस रोगियो की संख्या	कुल आयुष्मान लाभार्थियों की संख्या (मार्च 2019 से)
130920	81742	46487
01 मार्च 2021 से 31 दिसम्बर 2025 तक		
80958	39583	40989

स्रोतः स्वास्थ्य महानिदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून

21.3.3 बेस चिकित्सालय हल्द्वानी :– नैफ्रोडायलिसिस यूनिट का अनुबन्ध संस्था मै0 नैफ्रोप्लस एवं विभाग के मध्य दिनांक 20/02/2021 को अनुबन्ध हस्ताक्षरित किया गया है। संस्था द्वारा दिनांक 01/03/2021 से नवीन दर प्रति डायलिसिस ₹ 1290/–(All Consumables) के अनुसार कार्य किया जा रहा है। वर्तमान में उक्त डायलिसिस सेन्टर में 25 डायलिसिस मशीन क्रियाशील है।

तालिका 21.3.1

मार्च 2017 से 31 दिसम्बर 2025 तक		
कुल डायलिसिस रोगियो की संख्या	कुल बी0पी0एल0 डायलिसिस रोगियो की संख्या	कुल आयुष्मान लाभार्थियों की संख्या (अप्रैल 2019 से)
221043	85110	123186
01 मार्च 2021 से 31 दिसम्बर 2025 तक		
114966	10675	102391

स्रोतः स्वास्थ्य महानिदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून

कार्डियक केयर यूनिटः–

21.3.4 पं0दीन दयाल उपाध्याय चिकित्सालय, देहरादून :– इनवेजिव कार्डियक केयर यूनिट स्थापित करने हेतु निविदा प्रक्रिया के माध्यम से नवीन संस्था M/S Meditrina Hospital Pvt. Ltd,Kerala का चयन किया गया है एवं विभाग एवं चयनित संस्था के मध्य दिनांक 16/03/2022 को अनुबन्ध हस्ताक्षरित किया गया था। अनुबन्ध के तहत नवीन चयनीत संस्था द्वारा राज्य के बी0पी0एल0 जनमानस को सी0जी0एस0एस0 की दर पर 12 प्रतिशत की छूट दी जायेगी, जिसका भुगतान विभाग द्वारा किया जाना है।

तालिका 21.3.2

दिनांक 08 मार्च 2022 से दिनांक 30 नवम्बर 2025 तक				
ओ0पी0डी0	ई0सी0जी0	ई0को0	टी0एम0टी0	सर्जरी (10 अक्टूबर 2022 से)
64818	29226	12840	1780	392

स्रोतः स्वास्थ्य महानिदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून

टी0बी0टैस्टिगं वैनः–

1.राज्य के 05 जनपदों क्रमश देहरादून, हरिद्वार, पौडी गढ़वाल, नैनीताल एवं उधम सिंह नगर के मैदानी क्षेत्रों में क्षय रोगियों की पहचान एवं क्षय रोग के रोकथाम हेतु कार्यदायी संस्था मै0 अपोलो हॉस्पिटल इन्टरप्राइसेस लि0 एवं विभाग के मध्य दिनांक–22 अक्टुबर, 2024 को अनुबंध हस्ताक्षरित किया चुका है। जिस हेतु संस्था मै0 अपोलो हॉस्पिटल इन्टरप्राइसेस लि0 को प्रति सैम्पल धनराशि ₹ 1859/– की दर से भुगतान किया जायेगा।

दिनांक 20 जनवरी 2025 से दिनांक 31 दिसम्बर 2025 तक	
कुल सैम्पल	36618
दिनांक 01 अक्टूबर 2025 से 31 दिसम्बर 2025 तक	
कुल सैम्पल	5606

Source:- Mother and Child Health Wing(MCH Wing) at Chain Rai Hospital, Haridwar

2. राज्य के जनपद हरिद्वार में 200 Bedded mother and Child Health Wing(MCH Wing) at Chain Rai Hospital जिसमें संस्था M/s Novas Pathologies Pvt-Ltd को एल 01 M/s Novas Pathologies Pvt-Ltd dks Letter of Award (LOA) पत्र जारी कर अनुबन्ध हस्ताक्षरित किया जा चुका है, उक्त चिकित्सालय के संचालन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

108 आपातकालीन सेवा :–

कार्यदायी संस्था कम्यूनिटी एक्शन थ्रु मोटिवेशन प्रोग्राम (कैम्प), भोपाल के द्वारा दिनांक 01 मई 2019 से राज्य में 108 आपातकालीन सेवा का संचालन किया जा रहा है। पुनः संस्था को आगामी 01 वर्ष हेतु सेवा–विस्तार प्रदान किया गया है। जिसके अन्तर्गत दुर्घटना, प्रसव से पीडित महिला, बीमार बच्चे एवं नवजात शिशुओं तथा अन्य गम्भीर स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याओं आदि एवं पुलिस व अग्नि शमन सेवायें उपलब्ध करायी जाती है। आपात स्थिति में 108 आपातकालीन सेवायें टॉल फ्री न0–108 पर कॉल (24X7) करके निशुल्कः प्रदान की जाती है। राज्य में 108 आपातकालीन सेवा के अन्तर्गत कुल 272 एम्बुलेंन्स (01 बोट, 217 बी0एल0एस0, 54 ए0एल0एस0 एम्बुलेंन्स) का संचालन किया जा रहा है, जिसमें संस्था द्वारा 651 ई0एम0टी0, 645 वाहन चालक एवं 84 अन्य स्टॉफ नियुक्त किये गये है।

संस्था द्वारा संचालित 272 एम्बुलेंन्सों की जनपदवार सूचनाः–

क्र0स0	जनपद	बी0एल0एस0	ए0एल0एस0	कुल एम्बुलेंन्स
1.	देहरादून	25	07	32
2.	हरिद्वार	23	06	29
3	चमोली	18	04	22
4.	टिहरी गढ़वाल	18	04	22
5.	पौड़ी गढ़वाल	23	05	28
6.	उत्तरकाषी	14	05	19
7.	रूद्रप्रयाग	09	03	12
8.	नैनीताल	19	04	23
9.	अल्मोड़ा	19	03	22
10.	चम्पावत	07	03	10
11.	बागेष्वर	07	03	10
12.	ऊधमसिंह नगर	22	03	25
13.	पिथौरागढ़	14	04	18
कुल योग		218	54	272

स्रोतः स्वास्थ्य महानिदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून

21.4 उत्तराखण्ड राज्य एड्स नियंत्रण समिति, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं प.क.

राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम :– उक्त कार्यक्रम का संचालन राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन (नाको) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मत्रालय, भारत सरकार के दिशानिर्देशानुसार क्रियान्वित किया जाता है। वर्तमान में उत्तराखण्ड में Estimated Adult HIV Prevalence (15–49 Year) संक्रमण दर 0.13 (Source- HIV Estimation Report-2025, NACO) प्रतिशत (नाको) है। कार्यक्रम का उद्देश्य एच0आई0वी0/एड्स के प्रति शत–प्रतिशत जागरूकता स्तर प्राप्त करना, एच0आई0वी0 संक्रमण दर को स्थिर एवं ऋणात्मक दिशा प्रदान करना तथा एच.आई.वी./एड्स संक्रमित व्यक्तियों के लिए चिकित्सा–उपचार की व्यवस्था करना इत्यादि है। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत संचालित कार्यक्रमों एवं योजनाओं की प्रगति आख्या :–

1 **एच.आई.वी. परामर्श एवं जांच केन्द्रः–** एच.आईवी./एड्स संक्रमण का पता, केवल रक्त की जांच से ही हो सकता है। परामर्श (काउन्सलिंग) सहायक प्रक्रिया है, जिसके माध्यम से एच.आई.वी./एड्स के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण एवं उद्देश्यपूर्वक जानकारी प्रदान की जाती है तथा परामर्श द्वारा ही किसी संक्रमित व्यक्ति को जीवन निर्वाह के लिए सकारात्मक प्रवृत्ति अपनाने एवं नेगेटिव व्यक्ति को भविष्य में एच.आई.वी./एड्स से बचने के उपाय सम्बन्धी जानकारी उपलब्ध करायी जाती है। वर्तमान में राज्य में एच.आई.वी. जांच केन्द्र/आई.सी.टी.सी. केन्द्र Stand Alone ICTC-43, Mobile ICTC-1 स्थापित है। जहां जनसाधारण को निःशुल्क एच.आई.वी/एड्स से अवगत कराने एवं बचाव के उपायों की जानकारी के साथ–साथ एच.आई.वी. जांच एवं परामर्श की सुविधा प्रदान की जाती है। एच.आईवी. परामर्श एवं जांच हेतु प्रदेश में कुल 44 आई.सी.टी.सी. केन्द्र स्थापित हैं एवं एक मोबाईल आई0सी0टी0सी0 मोबाईल वैन भी संचालित है। वित्तीय वर्ष 2025–26 में उक्त केन्द्रों में कुल 3,85,400 व्यक्तियों को निःशुल्क परामर्श एवं जांच सुविधा प्रदान की गयी जिसमें से 1,238 व्यक्ति एच.आई.वी. संक्रमित पाये गये, जिन्हे नियमित दवा प्राप्त करने हेतु ए.आर.टी. केन्द्र सन्दर्भित किया गया।

2 **यौन रोग नियंत्रण क्लीनिकः**–प्रदेश में एस.टी.आई./आर.टी.आई. सर्विसेज कार्यक्रम के अन्तर्गत यौन जनित संकमण/प्रजनन तंत्र संकमण की रोकथाम एवं उपचार हेतु 29 क्लीनिकों की स्थापना की गयी है, जहां यौन रोगों की रोकथाम एवं उपचार के अन्तर्गत लक्षणों के आधार पर उपचार प्रदान किया जाता है तथा प्रत्येक लक्षण हेतु नाको, भारत सरकार की गाईडलाईन के अनुसार ही औषधि प्रदान की जाती है। 2025–26 में उक्त केन्द्रों में कुल 56,729 व्यक्तियों को उपचार सुविधा प्रदान कर लाभान्वित किया गया।

3 **एंटी रेट्रोवायरल उपचार कार्यक्रमः**– एंटी रेट्रो थैरपी केन्द्र की स्थापना का मुख्य उद्देश्य एच.आई.वी. संक्रमित व्यक्तियों को एंटी रेट्रो वायरल (ए.आर.टी) उपचार की सुविधा उपलब्ध कराना है। उक्त केन्द्र में एच.आई.वी/एड्स पीड़ितों को एंटी रेट्रो वायरल दवाएं निःशुल्क प्रदान की जाती है। एच.आई.वी. के विषाणु संक्रमित व्यक्ति के रक्त में वृद्धि करते हैं। विषाणु रक्त में सीडी–4 कोशिकाओं (रोग प्रतिरोधक प्रणाली) को नष्ट करते है। एंटी रेट्रो वायरल दवाएं लेने से रोगी की आयु तो बढ़ जाती है, लेकिन उसे रोग मुक्त नहीं किया जा सकता। एंटी रेट्रोवायरल उपचार (ART

Medicine) की व्यापक पहुंच के परिणामस्वरूप ए.आर.टी. की दवा लेने से और भी व्यापक सुलभता से एड्स से होने वाली मृत्युओं में कमी आई है और इसके साथ ही एच.आई.वी. के साथ जी रहे लोगो (पी.एल.एच.आई.वी.) के जीवन की गुणवत्ता में सुधार आया है। प्रदेश में वर्तमान में 13 ए.आर.टी. केन्द्रों (एंटी रेट्रो वायरल थैरपी केन्द्रों) की स्थापना की गयी है, जहां एच. आई.वी. सक्रमित व्यक्तियों को नियमानुसार एंटी रेट्रो वायरल दवाएं निःशुल्क प्रदान की जाती है। वर्तमान में केन्द्रों में 8,444 एच0आई0वी0 संक्रमित व्यक्ति दवा प्राप्त कर रहे है।

4 **लक्ष्यगत हस्तक्षेप कार्यक्रमः**—उत्तराखण्ड में उच्च जोखिम पूर्ण समूह के लिए 37 लक्षित हस्तक्षेप परियोजनाएं चलाई जा रही है। इसके अन्तर्गत एच0आई0वी0/एड्स के नियंत्रण एवं रोकथाम के लिए सशक्त रूप से संघर्षरत है। लक्ष्यगत हस्तक्षेप परियोजना के अन्तर्गत उच्च जोखिम समूहों के मध्य कार्य किया जा रहा है जहां संक्रमण की अधिक संवेदनशीलता है, जिसके अन्तर्गत महिला यौनकर्मी, इन्जेक्टिंग ड्रग यूजर्स, समलिंगी (एम.एस. एम.) एवं ब्रिज पापुलेशन के अन्तर्गत ट्रक ड्राईवर एवं माइग्रेंट्स के मध्य कार्यक्रम क्रियान्वित किया जाता है।

5 **ओ0एस0टी0 सेन्टर** – सुई से नशा करने वालों (IDUs) में एच0आई0वी0 का संक्रमण के जोखिम को कम करने एवं एच0आई0वी0 की रोकथाम हेतु प्रदेश में 8 ओ0एस0टी0 केन्दों के माध्यम से 500 आई0डी0यू0 को उचित दवाओं के माध्यम से सेवायें दी गयीं। इस कार्यक्रम के फलस्वरूप आई0डी0यू0, सुई से नशा करने के स्थान पर चिकित्सक द्वारा दी गयी दवाओं का सेवन कर अपना जीविकोपार्जन करते हैं एवं इससे सुई द्वारा एच0आई0वी0 के संक्रमण की रोकथाम भी संभव हो पा रही है।

6 **Sampoorna Suraksha Kendra:-** नाको, भारत सरकार के निर्देशानुसार राज्य में कुल 06 एस0एस0के0 केन्द्रों की स्थापना की गयी है, जिनका मुख्य कार्य उच्च जोखिम व्यवहार वाले व्यक्तियों, जो एच0आई0वी0 नेगेटिव हैं एवं टी0आई0 एन0जी0ओ0 में सम्बद्ध नहीं हैं, उनको निरन्तर एच0आई0वी0 नेगेटिव बने रहने हेतु परामर्श प्रदान किया जाता है एवं किसी तरह की अन्य परेशानी जैसे–हेपेटाइटिस बी, सी एवं सिफलिस जांच तथा आवश्यकतानुसार अन्य बिमारियों के ईलाज एवं परामर्श हेतु सम्बन्धित विभागों/चिकित्सालयों में सम्बद्ध किया जाता है।

प्रचार–प्रसार एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमः– उत्तराखण्ड में एच0आई0वी/एड्स के नियन्त्रण, रोकथाम एवं जागरूकता के लिए सूचना, शिक्षा एवं संचार (आई0ई0सी0) की अहम भूमिका है। एच0आई0वी0/एड्स की रोकथाम एवं नियन्त्रण हेतु प्रिन्ट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, होर्डिंग, फोक मीडिया एवं आई0 ई0सी0 कैम्पेन के माध्यम से प्रचार–प्रसार किया जाता है। राज्य में युवाओं को जागरूक करने के उद्देश्य से रेड रिबन क्लबों का गठन किया गया है। विभिन्न विभागों यथा शिक्षा, ग्राम्य विकास विभाग, पंचायती राज विभाग, युवा कल्याण विभाग, श्रम विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, पुलिस विभाग इत्यादि के साथ प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। अर्न्तराष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त, स्वैच्छिक रक्तदान दिवस 01 अक्टूबर, 01 दिसम्बर विश्व एड्स दिवस एवं अर्न्तराष्ट्रीय महिला दिवस 08 मार्च के अवसर पर जन–जागरूकता अभियान संचालित किये जाते है।

तालिका 21.4
राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम वर्ष : 2025–26

क्र.स.	मद	इकाई	लक्ष्य	उपलब्धियां
1.	एकीकृत परामर्श एवं जांच केन्द्रकार्यक्रम	44 निःशुल्क एचआई.वी परामर्श एवं परीक्षण केन्द्र स्थापित एवं कार्यशील		
	(क) एचआई.वी. जांच किये गये व्यक्ति	44	5,82,077	3,85,400
	(ख) एचआई.वी. अनुकूल पाये गये व्यक्ति	49	—	1,238
2.	यौन रोग नियंत्रण (सुरक्षा क्लीनिक)	29	70,725	56,729
3.	एंटी रेट्रोवायरल दवा एवं उपचार कार्यक्रम	13	9,000	8,444
4.	लक्ष्यगत हस्तक्षेप परियोजनाए	37	1,86,780	1,34,931

Source:- Uttarakhand State AIDS Control Society, Dehradun

होम्योपैथिक चिकित्सा सेवायें, Homoeopathic Medical Services

21.5 होम्योपैथिक चिकित्सा :–

होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति से समुचित विकास एवं पद्धति के माध्यम से जनसामान्य को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु प्रदेश स्तर पर होम्योपैथिक चिकित्सालय स्थापित हैं। जनपद स्तर पर 13 जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी कार्यालय स्थापित हैं, जिसके अन्तर्गत निम्नवत क्रियाकलाप संचालित किये जा रहे हैं :–

- सम्पूर्ण उत्तराखण्ड में **कुल 111 राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालय संचालित हैं।**
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन **(एन0एच0एम0) के अन्तर्गत प्रदेश में कुल 28 होम्योपैथिक चिकित्सालय प्राथमिक एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों** में संचालित किए जा रहे हैं।
- केन्द्र पोषित योजनान्तर्गत जनपद हरिद्वार, उधमसिंह नगर, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ तथा पौड़ी गढ़वाल में होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति के अन्तर्गत संचालित **05 मातृ एवं बाल स्वास्थ्य होम्योपैथिक चिकित्सालय (आर0 सी0 एच0 विंग) संचालित हैं** जिनमें वित्तीय वर्ष 2025–26 में आतिथि तक कुल **29294** रोगियों का उपचार किया गया।
- केन्द्र पोषित योजना के अन्तर्गत जनपद देहरादून, पौड़ी गढ़वाल, टिहरी गढ़वाल और नैनीताल में **होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति के अन्तर्गत संचालित कुल 04 त्वचा विज्ञान केन्द्र संचालित हैं जिसमें कई चर्म रोग जैसे–एक्जिमा, वार्टस, कार्न, स्केबीज, आर्टिकेरिया, ल्यूकोडर्मा, सोराइसिस एवं अन्य चर्म रोगों के कुल 20530 रोगियों** को लाभान्वित किया गया।
- वित्तीय वर्ष 2025–26 में आतिथि तक उत्तराखण्ड राज्य में होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति द्वारा सामान्य बीमारियों, तीव्रगति से फैलने वाले रोग, असाध्य, गम्भीर बीमारियों, जिसमें होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति कारगर है, में मुख्यतः निम्नलिखित बीमारियों से ग्रसित लाभार्थियों को लाभान्वित किया गयाः–

तलिका –21.5

क्र0सं0	रोग का विवरण	लाभार्थियों की संख्या
1	स्वास रोग संक्रमण	79297
2	पेट से सम्बन्धित बीमारियां	60904
3	गुर्दे की पथरी एवं रोग	18736
4	महिलाओं से सम्बन्धित बीमारियां (गाईनोक्लोजिकल डिजीजेस)	76645

स्रोतः स्वास्थ्य महानिदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून

21.5.1 राष्ट्रीय आयुष मिशनः– राष्ट्रीय आयुष मिशन योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020–21 में प्रथम चरण में 10 राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालयों को उच्चीकृत कर होम्योपैथिक आयुष्मान आरोग्य मंदिरों (आयुष हैल्थ एवं वैलनेस केन्द्रों) के रूप में स्थापित किया जा चुका है एवं वर्तमान में संचालित कर रोगियों का उपचार किया जा रहा है।

- वत्तीय वर्ष 2021–22 में 17 राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालयों को आयुष्मान आरोग्य मंदिर (आयुष हैल्थ एवं वैलनेस केन्द्रों) के रूप में उच्चीकृत किया जा चुका है, उक्त आयुष्मान आरोग्य मंदिरों (आयुष हैल्थ एवं वैलनेस केन्द्रों) के माध्यम से आमजनमानस को विभिन्न प्रकार के साथ–साथ सामान्य जांचों की सुविधा हेतु लैबोरेटरी की स्थापना भी की जा चुकी है जिसमें सामान्य जांचों की सुविधा जैसे–उच्च रक्त चाप, शुगर, मलेरिया, हैपेटाइटिस, हिमोग्लोबिन, टाइफाईड, ओरल एवं सर्विक्स कैंसर सम्बन्धी स्क्रीनिंग के साथ–साथ योगा की सुविधा भी उपलब्ध करायी जा रही है साथ ही आमजनमानस हेतु हर्बल गार्डन भी विकसित किया जा चुका है जिसके माध्यम से उन्हें होम्योपैथिक औषधीय पादपों की जानकारी प्राप्त होगी।
- **वित्तीय वर्ष 2025–26 में जनपदों में डेंगू, अन्य स्वास्थ्य परीक्षण हेतु 1040** आउटरीच शिविर लगाये गये जिसमें **लगभग 61,745 आमजनमानस** का स्वास्थ्य परीक्षण कर उपचार एवं रोगों से बचाव हेतु परामर्श के साथ–साथ निशुःल्क होम्योपैथिक औषधि वितरित की गयी।
- वित्तीय वर्ष 2025–26 में प्रदेश भर में होम्योपैथिक चिकित्सा के माध्यम से **9,35,608** रोगियों का उपचार किया गया।
- **Super Specialist Clinic**– आगामी वित्तीय वर्ष हेतु केरला मॉडल ऑफ होम्योपैथी की तर्ज पर अति विशिष्ट क्लीनिकल (त्वचा रोग, मातृ एवं बाल स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य एवं वृद्धजनों हेतु) गढ़वाल एवं कुमांऊ मण्डल में रैफरल केन्द्र के रूप में संचालित किया जाना प्रस्तावित है।
- **जनपद हरिद्वार में राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालय रोशनाबाद को उच्चीकृत किया जाना है।**
- **राज्य में प्रथम राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेज एवं अस्पताल की स्थापनाः–** उत्तराखण्ड राज्य में प्रथम राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल की स्थापना हेतु कार्यवाही गतिमान है।
- **जनपद पौड़ी गढ़वाल के कोटद्वार में केन्द्रीय होम्योपैथिक अनुसंधान परिषद भारत सरकार, नई दिल्ली की इकाई स्थापित किये जाने की कार्यवाही गतिमान है, जिससे होम्योपैथी चिकित्सा क्षेत्र में शोध को बढ़ावा प्राप्त होगा।**

21.6 आयुर्वेदिक चिकित्सा :–

भारतीय चिकित्सा पद्धति (आयुर्वेद) का प्रदेश में लोगों को चिकित्सा सुविधा प्रदान करने में महत्वपूर्ण योगदान है। उत्तराखण्ड राज्य में स्वास्थ्य सुविधायें प्रदान करने के लिये 13 जिला आयुर्वेदिक एंव यूनानी अधिकारी हैं। जिनके पर्यवेक्षण में कुल 545 राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय संचालित है। (542 आयुर्वेदिक चार शैय्यायुक्त/वहिरंग, 01– 50 शैय्यायुक्त आयुष चिकित्सालय 02 सीजनली आयुर्वेदिक चिकित्सालय) तथा 05 यूनानी चिकित्सालय एवं 26–जिला चिकित्सालय,180–आयुष विंग तथा 29–सी0एच0सी0 एवं 154 पी0एच0सी0 में (एन0एच0एम0 के अन्तर्गत आयुष विंगों में) तथा 90 राजकीय एलोपैथिक चिकित्सालयों (एम0ओ0सी0एच0) में सेवा प्रदान की जा रही है।

21.6.1 राज्य की एलोपैथिक चिकित्सालयों में आयुष विंगों की स्थापनाः–सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में (जहां पर आयुर्वेदिक चिकित्सालय संचालित नहीं हैं) आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति से चिकित्सा किये

जाने हेतु राज्य सरकार द्वारा एक ही छत के नीचे समस्त चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु एलोपैथिक चिकित्सालयों में 180 आयुष विंगों की स्थापना की गयी है।

21.6.2 जिला चिकित्सालयों की सीपनाः—जिला मुख्यालय में जिला एलोपैथिक चिकित्सालयों में आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति से उपचार हेतु एक पुरूष विंग एवं महिला विंग इस प्रकार कुल 26 आयुष विंग पर संचालित है।

21.6.3 राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत संचालित आयुष विंगों की स्थापनाः—भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा संचालित राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत 29 सी0एच0सी0 एवं 154 पी0एच0सी0 में सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति से उपचार हेतु आयुष विंगों की स्थापना की गयी है।

21.6.4 राष्ट्रीय आयुष मिशनः—केन्द्र पोषित योजना के अन्तर्गत आयुष मिशन भारत सरकार द्वारा कुल 545 राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, (542 आयुर्वेदिक 01— 50 शैय्यायुक्त आयुष चिकित्सालय तथा 02 सीजनली आयुर्वेदिक चिकित्सालय) 05 यूनानी चिकित्सालय एवं 26—जिला चिकित्सालय, 180—आयुष विंग तथा 29—सी0एच0सी0 एवं 154 पी0एच0सी0 में (एन0एच0एम0 के अन्तर्गत आयुष विंगों में) तथा 90 राजकीय एलोपैथिक चिकित्सालयों (एम0ओ0सी0एच0) औषधियों के क्रय हेतु धनराशि प्राप्त होती है।

21.6.5 राष्ट्रीय आयुष मिशन के अन्तर्गत ए0एच0डब्ल्यू0सी0 की स्थापनाः—वित्तीय वर्ष 2024—25 में 273 राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों को आयुष हैल्थ वैलनेस सेन्टरों के रूप में स्थापित किया जा चुका है।

21.6.6 राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयः—300 आयुष हैल्थ एण्ड वैलनेस सेन्टरों को NABH प्रत्यायित किये जाने हेतु प्रस्तावित किया गया है जिसमें 149 आयुष हैल्थ एण्ड वैलनेस सेन्टरों को प्रत्यायित किया जा चुका है तथा 151 आयुष हैल्थ एण्ड वैलनेस सेन्टरों को प्रत्यायित किये जाने की कार्यवाही गतिमान है।

जनपद—टिहरी के कोटीखास जाखणीधार, में 50 शैय्यायुक्त समन्वित चिकित्सालय के निर्माण हेतु पुनरीक्षित आगणन ₹ 2511.09 लाख कार्यवाही गतिमान है।

जनपद—चम्पावत के टनकपुर में 50 शैय्यायुक्त आयुष चिकित्सालय की स्थापना नवीन कार्यदायी निर्माण इकाई, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, लोहाघाट चम्पावत द्वारा किया जा रहा है जिसकी स्वीकृत लागत ₹ 1503.91 लाख के सापेक्ष ₹ 1100.00 लाख की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है, वर्तमान में 60% निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है।

जनपद पौड़ी के कोटद्वार में 50 शैय्यायुक्त आयुष चिकित्सालय की स्थापना कार्यदायी संस्था परियोजना प्रबन्धक, निर्माण ईकाई, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास, पौड़ी को स्वीकृत लागत ₹ 1758.01 लाख के सापेक्ष ₹ 600.00 लाख की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है, तथा भवन निर्माण का कार्य प्रगति पर है। वर्तमान में 60% निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है

जनपद हरिद्वार के पथरी में 10 शैय्यायुक्त आयुष चिकित्सालय की स्थापना कार्यदायी संस्था परियोजना प्रबन्धक, निर्माण ईकाई, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, ऋषिकेश को स्वीकृत लागत ₹ 692.50 लाख के सापेक्ष ₹ 692.50 लाख की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है। वर्तमान में 100% निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है

जनपद नैनीताल के भीमताल में 10 शैय्यायुक्त आयुष चिकित्सालय की स्थापना कार्यदायी संस्था परियोजना प्रबन्धक, निर्माण इकाई उत्तराखण्ड पेयजल निगम हल्द्वानीको स्वीकृत लागत ₹ 635.14 लाख के सापेक्ष ₹ 635.14 लाख की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है तथा निर्माण कार्य प्रगति पर है। वर्तमान में 85% निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है

21.6.7 यूनानी चिकित्सा पद्धतिः—राज्य में मात्र 05 यूनानी चिकित्सालय संचालित हैं। यूनानी

चिकित्सा को बढ़ावा देने हेतु पिरान कलियर, जनपद–हरिद्वार में 50 शैय्यायुक्त यूनानी चिकित्सालय एवं कॉलेज की स्थापना की जा रही है।

21.6.8 राज्य में राजकीय आयुर्वेदिक/यूनानी औषधि निर्माणशालाओं की स्थितिः– राज्य में कुल 257 निजि आयुर्वेदिक/यूनानी औषधि निर्माणशालायें स्थापित हैं। हरिद्वार में ऋषिकुल राजकीय आयुर्वेदिक फार्मेसी स्थापित है। फार्मेसी के द्वारा राज्य बजट से जनपदों की माँग एवं प्राप्त बजट के अनुसार आयुर्वेदिक औषधियों का निर्माण किया जाता है एवं राज्य के समस्त जनपदों में संचालित राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों एवं आयुष विंगों के रोगियों को रोगानुसार मुफ्त औषधि वितरण किया जाता है।

21.6.9 राज्य औषधि परीक्षण प्रयोगशालाः– हरिद्वार जनपद में राज्य औषधि परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित है। जिसके द्वारा सरकारी एवं निजी फार्मेसियों के नमूनों का विश्लेषण किया जाता है।

21.6.10 आयुष नीति–2023 का प्रख्यापन :– उत्तराखण्ड सरकार के आयुष एंव आयुष शिक्षा विभाग के आदेश संख्या–1938/XL-1/2023-39/2018 दिनांक–25 अक्टूबर 2023 के माध्यम से उत्तराखण्ड आयुष नीति 2023 प्रख्यापित की है। यह नीति 31 मार्च 2028 तक लागू रहेगी। यह राज्य में आयुष क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने और प्रोत्साहित करने के लिए एक व्यापक दूरदर्शी नीति है, आयुष नीति 2023 औषधीय पौधों की खेती, आयुष विनिर्माण, स्वास्थ्य, वैलनेस तथा आयुष शिक्षा व अनुसंधान को बढ़ावा देगी। जिसका मुख्य उद्देश्य प्रदेश को आयुष वैलनेस हब के रूप में स्थापित करना है।

21.6.11 आयुष क्षेत्र में विशिष्ट गतिविधियाँ एवं नवाचारः–आयुष क्षेत्र की विशिष्ट गतिविधियों के अन्तर्गत राष्ट्रीय आयुष मिशन के अन्तर्गत स्कूली छात्रों को आयुर्वेद की जानकारी दिये जाने हेतु स्कूलों में आयुर्विद्या कार्यक्रम का संचालन किया जा रहा है तथा आयुर्वेद के माध्यम से गर्भिणी परिचर्या प्रदान किये जाने हेतु उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय के परिसरों में आयुर्विद्या कार्यक्रम के अन्तर्गत 5065 शिविरों का आयोजन किया गया है जिसमें 233289 स्कूली छात्र लाभान्वित हुये है। साथ ही नवाचार के अन्तर्गत देश की प्रथम योग नीति के आलेखन का कार्य प्रचलन में है।

21.6.12 आयुष क्षेत्र में चिकित्सालय भवनों का निर्माण :–आयुष क्षेत्र को और अधिक व्यापक व समृद्व करने की दृष्टि से राज्य योजना अन्तर्गत वर्तमान में 07 आयुर्वेदिक चिकित्सालयों का भवन निर्माण कार्य कराया जाना प्रस्तावित है।

21.6.13 उत्तराखण्ड योग नीति 2025 :– उत्तराखण्ड को विश्व प्रसिद्ध आयुष केन्द्र के रूप में स्थापित करने, प्रमाणिक आयुष स्वास्थ्य सेवाऐं प्रदान करने और राज्य को योग और ध्यान केन्द्रो के विकास का केन्द्र बनाने के लिये उत्तराखण्ड शासन द्वारा शासनादेश संख्या 1219/XL-1/2025-99/2023 दिनांक 06 जून, 2025 को स्वीकृति प्रदान की गयी है। यह नीति अधिसूचना की तारीख से 05 वर्ष तक या जब तक कोई नीति इसे प्रख्यापित नहीं कर देती, तब तक प्रभावी रहेगी। योग और ध्यान केन्द्र के तहत राज्य योग और ध्यान केन्द्रों के विकास के लिये एक मुश्त पूँजीगत सब्सिडी प्रदान करेगा। केन्द्र या राज्य सरकार की किसी अन्य नीति के तहत वित्तीय लाभ या प्रोत्साहन प्राप्त न करने वाले योग और ध्यान केन्द्रों की नयी या विस्तार परियोजनाऐं प्रोत्साहन प्राप्त करने के लिये पात्र होगी। प्रोत्साहन प्राप्त करने के लिये केन्द्रों को योग प्रमाणक बोर्ड से प्रमाण्ति योग प्रशिक्षकों को नियुक्त करना होगा और वाईसीबी के मानकीकृत पाठ्यक्रमों के अनुसार प्रोत्साहन किया जायेगा। प्रोत्साहन घटक के अन्तर्गत प्रोत्साहन राशि पात्र पूजीगत परिसम्पतियों पर पूँजीगत सब्सिडी के रूप में नियमानुसार दी जायेगी। 1–पहाड़ी क्षेत्र– प्रति परियोजना अधिकतम ₹ 20 लाख तक 50 प्रतिशत सब्सिडी। 2–मैदान क्षेत्र– प्रति परियोजना अधिकतम ₹ 10 लाख तक 25 प्रतिशत सब्सिडी।

अध्याय–22
महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास
Women Empowerment & Child Development

महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास समाज के सर्वांगीण विकास के लिए एक आवश्यक स्तंभ है। महिला सशक्तिकरण महिलाओं को आर्थिक, सामाजिक और व्यक्तिगत निर्णय लेने में सशक्त बनाता है। एकीकृत बाल विकास सेवा जैसे कार्यक्रम बच्चों को पोषण, टीकाकरण और पूर्व विद्यालयी शिक्षा प्रदान करते है, जो उनके समग्र विकास की नींव रखते है। यह एक समग्र दृष्टिकोण है जो महिलाओं और बच्चों के शारीरिक, मानसिक और आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में काम करता है। महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग की स्थापना 0–6 वर्ष की आयु तक के बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए 2 अक्टूबर, 1975 को शुरू की गई थी। वर्ष 1978–79 में उत्तराखण्ड के तीन विकासखण्ड चकराता, कीर्तिनगर एवं धारचूला में बाल विकास परियोजनाएँ प्रारम्भ की गयीं। वर्तमान में प्रदेश के सभी 13 जिलों के 95 विकासखण्डों में 97 ग्रामीण परियोजनाएँ, 8 नगरीय परियोजनाएँ, कुल 105 बाल विकास परियोजनाएँ संचालित की जा रही हैं, जिनमें से 20070 आंगनबाड़ी केन्द्र स्वीकृत हैं। प्रदेश के विजन 2030 के कार्यान्वयन में महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग द्वारा निम्न सामयिक प्रयास किये जा रहे है।

22.1 अवस्थापना सुविधायें:–वर्तमान में प्रदेश के 13 जनपदों में कुल 105 बाल विकास परियोजनायें हैं। जिसमें से 08 शहरी क्षेत्रों में 97 ग्रामीण क्षेत्रों में अवस्थित है। परियोजनाओं के अन्तर्गत कुल 20,070 आंगनबाड़ी केन्द्रों में से 1249 शहरी क्षेत्र व ग्रामीण क्षेत्रों में 18821 केन्द्र संचालित है। स्पष्ट है कि शहरी क्षेत्र के जनसंख्या घनत्व को देखते हुए शहरी क्षेत्रों में अधिक आंगनबाड़ी केन्द्रों की आवश्यकता होगी।

तालिका–22.1 के अनुसार राज्य में कुल **20070** आंगनबाड़ी केन्द्रों में कुल 37,008 कार्यकत्री/सहायिकायें कार्यरत हैं। आंगनबाड़ी कार्यकत्री/सहायिकाओं द्वारा प्रत्येक वर्ष गर्भवती तथा धात्री महिलाओं एवं 0–6 आयु वर्ग के बच्चों का चिन्हीकरण हेतु सर्व प्रथम वार्षिक सर्वेक्षण कराया जाता है। तत्पश्चात 3–4 माह की गर्भवती महिला का Mother & ChildProtection Card (MCP) तैयार कर आंगनबाड़ी केन्द्र में पंजीकरण कराया जाता है।

तालिका 22.1

क्र०सं०	जनपद	बाल विकास परियोजनायें	आंगनबाड़ी केन्द्र (संख्या)	आंगनबाड़ी केन्द्र में कार्यकत्री (संख्या)	आंगनबाड़ी केन्द्र में सहायिका (संख्या)
1	अल्मोड़ा	6	1860	1820	1642
2	बागेश्वर	9	834	820	737
3	चमोली	9	1078	1053	906
4	चंपावत	7	681	669	589
5	देहरादून	15	1907	1850	1633
6	हरिद्वार	3	3179	3084	2744
7	नैनीताल	11	1416	1388	1247
8	पौड़ी	11	1853	1794	1563
9	पिथौरागढ़	3	1113	1086	949
10	रुद्रप्रयाग	9	692	683	618
11	टिहरी	10	2017	1981	1814
12	ऊ0सि0नगर	8	2388	2300	2051
13	उत्तरकाशी	4	1052	1029	958
उत्तराखण्ड		**105**	**20070**	**19557**	**17451**

स्त्रोतः महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग

तालिका 22.2 के अनुसार दिसम्बर 2025 तक कुल 36434 गर्भवती व 42127 धात्री महिलाओं को लाभान्वित किया गया है।

तालिका 22.2
राज्य में गर्भवती/धात्री महिलाओं का वर्षवार विवरण

वर्ष	लाभान्वित गर्भवती महिलायें	लाभान्वित धात्री महिलायें
2021-22	73155	83570
2022-23	68456	67447
2023-24	59517	56210
2024-25	55732	56069
2025-26	36434	42127

स्त्रोतः महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग

22.3 कुपोषण की स्थिति– तालिका 22.3 से स्पष्ट है कि राज्य में वर्ष 2025–26 में 2978 अतिकुपोषित बच्चे चिन्हित हुए है,

तालिका 22.3
राज्य के कुपोषित व अति कुपोषित बच्चों का वर्षवार विवरण

श्रेणी	वर्ष 2021–22	वर्ष 2022–23	वर्ष 2023–24	वर्ष 2024–25	वर्ष 2025–26
कुपोषित बच्चे	7658	6499	4233	8374	7190
अतिकुपोषित बच्चे	1119	952	992	2983	2978

स्त्रोतः महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग

बच्चों में कुपोषण खत्म करने व महिलाओं के स्वास्थ्य सुधार हेतु वर्ष 2025–26 में प्राविधानित ₹ 1635.39 करोड के सापेक्ष ₹ 1173.47 करोड की धनराशि स्वीकृति की गयी जिसके सापेक्ष माह दिसम्बर 2025 तक कुल ₹ 453.78 करोड का व्यय किया गया है, विभाग द्वारा केन्द्र एवं राज्य योजनाओं का संचालन किया जा रहा है।

22.4 केन्द्र पोषित योजनायें

22.4.1 अनुपूरक पोषाहार– योजनान्तर्गत 06 माह से 06 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों एवं गर्भवती/धात्री महिलाओं को वर्ष में 300 दिवस अनुपूरक पोषाहार दिये जाने का लक्ष्य रखा गया है।

22.4.2 कुक्ड फूडः–इस योजना के अन्तर्गत आंगनबाड़ी में पंजीकृत 03 से 06 वर्ष तक के बच्चों को ताजा पका भोजन दिया जा रहा है ।

तालिका 22.4
राज्य में आंगनबाड़ी केन्द्र में अनुपूरक पोषाहार प्राप्त करने वाले 06 माह से 06 वर्ष के बच्चो का वर्षवार विवरणः–

वर्ष	लागान्वित	
	6 माह–3 वर्ष के बच्चे	3–6 वर्ष के बच्चे
2021–22	392264	213527
2022–23	248062	145597
2023–24	388850	234670
2024–25	362415	239551
2025–26	206400	19872

स्त्रोतः महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग

22.4.3 टेक होम राशनः— इस योजना के अन्तर्गत एकमुश्त मासिक राशन लाभार्थियों को उपलब्ध कराया जाता है। अति कुपोषित श्रेणी के बच्चों को स्वास्थ्य विभाग के परामर्श पर अतिरिक्त पोषाहार दिया जा रहा है ।

22.4.4 स्वास्थ्य जाँच एवं टीकाकरणः— इस योजना के अन्तर्गत प्रत्येक आंगनबाड़ी केन्द्र पर मेडिसिन किट हेतु ₹ 1500/— एवं मिनी केन्द्र पर मिनी मेडिसिन किट हेतु ₹ 750/— का वार्षिक मानक भारत सरकार से निर्धारित है। मेडिसिन किट में सामान्य रोगों की दवायें उपलब्ध करवायी जाती है।

22.4.5 वृद्धि निगरानी एवं संदर्भ सेवाएः— इस योजना के अन्तर्गत प्रत्येक आंगनबाड़ी केन्द्र पर समस्त बच्चों का वजन लेकर उनकी वृद्धि की निगरानी की जाती है। वजन मापन हेतु वजन मशीन, वजन के अंकन हेतु ग्रोथ चार्ट बुकलेट तथा महिलाओं को सही वजन के विषय पर परामर्श हेतु सामुदायिक ग्रोथ चार्ट आंगनबाडी केन्द्र पर उपलब्ध है।

22.4.6 स्वास्थ्य एवं पोषण शिक्षाः— इस योजना के अन्तर्गत प्रत्येक आंगनबाड़ी केन्द्र पर गर्भवती/धात्री महिलाओं, किशोरी बालिकाओं तथा 15 से 45 वर्ष की महिलाओं को स्वास्थ्य एवं पोषण शिक्षा दी जाती है।

22.4.7 स्कूल पूर्व शिक्षाः— इस योजना के अन्तर्गत वर्ष में एक बार ₹ 3000/— प्रति आंगनबाड़ी केन्द्र प्री — स्कूल किट एवं ₹ 1000/— प्रति आंगनबाड़ी केन्द्र प्रतिवर्ष एक्टीविटी बुक दिये जाने का भारत सरकार द्वारा प्राविधान निर्धारित किया गया है।

22.4.8 प्रधानमंत्री मातृ वन्दना योजना (90%के0सहा0) PMMVY— मा0 प्रधानमंत्री जी की एक महत्वकांक्षी योजना, समस्त जनपदों में लागू है। केवल प्रथम बच्चे के होने और द्वितीय बालिका के जन्म पर ही इस योजना का लाभ दिया जाता है। जो गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली माता स्वयं केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/सार्वजनिक उपक्रम के नियमित रोजगार में है, को इस योजना का लाभ नहीं दिया जायेगा। योजनान्तर्गत महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग के माध्यम से गर्भवती एवं धात्री महिलाओं को टीकाकरण, आईएफए टेबलेट सेवन, प्रसवपूर्व एवं प्रसवोत्तर जाँच, स्तनपान, बच्चों का टीकाकरण आदि मापदण्डों की पूर्ति हेतु प्रति महिला तीन किश्तों में (प्रथम किश्त ₹1000, द्वितीय किश्त ₹ 2000, तृतीय किश्त ₹ 2000) कुल ₹ 5000/— की धनराशि प्रदान की जाती है। वित्तीय वर्ष 2025—26 में माह दिसम्बर 2025 तक कुल 72207 लाभार्थियों को ₹ 41.21 करोड रूपये का भुगतान किया जा चुका है।

22.4.9 राष्ट्रीय पोषण मिशन पोषण अभियानः— यह योजना भारत सरकार द्वारा राज्य के समस्त जनपदों में संचालित की गई है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य को कुपोषण मुक्त करना है। इस योजना के संचालन हेतु Poshan Tracker के अन्तर्गत 20070 आंगनवाड़ी कार्यकत्रियों को पॉवर बैंक सहित स्मार्ट फोन दिये गये हैं। पोषण अभियान के अन्तर्गत विभिन्न विभागों जैसे—चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, ग्राम्य विकास, पंचायती राज, शिक्षा, सूचना एवं जन सम्पर्क, युवा कल्याण, स्वच्छता एवं पेयजल, कृषि आदि विभागों से समन्वय कर योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है।

22.4.10 स्कीम फॉर एडोलसेन्ट गर्ल्स— भारत सरकार द्वारा इस योजना का शुभारम्भ जनवरी 2019 को किया गया। वर्तमान में उक्त योजना केवल आकांक्षी जनपद—हरिद्वार एवं ऊधमसिंहनगर में ही संचालित है। योजना अन्तर्गत किशोरियों को गेहूं एवं फोर्टिफाइड चावल दिया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2025—26 में माह दिसम्बर तक 57026 लाभार्थियों को लाभांवित किया जा चुका है।

22.4.11 बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओः— इस

योजना के अन्तर्गत राज्य में बालिका लिंगानुपात में सुधारात्मक प्रयास तथा बाल लिंगानुपात में गिरावट को रोकने की पहल की जा रही है। प्रत्येक आंगनबाड़ी केन्द्र पर गुड्डा–गुड्डी बोर्ड लगाया गया है। समस्त जनपदों द्वारा वृहत स्तर पर जागरूता एंव क्षमता विकास कार्यक्रम आयोजित किये जा रहें हैं।

22.4.12 वन स्टॉप सेन्टरः– योजनान्तर्गत राज्य के विभिन्न विभागों यथा–गृह, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, न्याय विभाग, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण विभाग एवं स्वयं सेवी संस्था से समन्वयन कर महिलाओं के प्रति होने वाले अपराध/दुर्व्यवहार के प्रति एक ही परिसर में उचित चिकित्सीय सुविधा, कानूनी सलाह, परामर्श एवं प्राथमिकी दर्ज करने से सम्बन्धी अन्य आवश्यक एवं त्वरित कार्यवाही करने के उद्देश्य से समस्त जनपदों में संचालित किये जा रहें है।

तालिका 22.5

वर्ष	वन स्टॉप सेन्टर		महिला हेल्पलाईन (181)	
	पंजीकृत	निस्तारित	पंजीकृत	निस्तारित
2021–22	1473	1395	1396	1247
2022–23	1154	846	744	744
2023–24	572	281	997	744
2024–25	1784	1315	719	719
2025–26	2099	1251	1276	1276

स्त्रोतः महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग

तालिका 22.5 से स्पष्ट है कि वर्ष 2025–26 में महिलाओं के प्रति होने वाले दुर्व्यवहार/ अपराध के पंजीकृत मामलों में पिछले वर्षो की तुलना में वृद्धि हुई है।

22.4.13 आंगनबाड़ी केन्द्रों का भवन निर्माण /उच्चीकरण/अनुरक्षण– इस योजना के अन्तर्गत आई0सी0डी0एस0 सेवाओं के गुणवत्तापूर्ण सेवा प्रतिपादन हेतु प्रत्येक आंगनबाड़ी भवन व्यवस्था हेतु वर्ष 2025–26 में युगपतिकरण के माध्यम से ₹ 8.00 लाख मनरेगा एवं केन्द्रीय योजना से ₹ 2.00 लाख एवं राज्य योजना से ₹ 2.00 लाख कुल ₹ 12.00 लाख प्रदान करती है। वर्ष 2025–26 में 1503 आंगनबाड़ी भवनों का निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है।

22.5 राज्य सेक्टर की योजनायें–

22.5.1 उत्तराखण्ड महिला समेकित विकास योजनाः– उत्तराखण्ड राज्य में सशक्त महिलाओं का निर्माण करना है जो निर्णय प्रक्रिया में प्रतिभाग कर सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक प्रगति में प्रभावी योगदान सुनिश्चित कर सकें। योजना के अन्तर्गत महिला विकास परक अभिनव परियोजना गतिविधियों को वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जाती है, जिसमें महिलाओं की विशिष्ट सामाजिक एवं आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति सुनिश्चित करने के साथ–साथ महिला सशक्तिकरण के विभिन्न आयामों को सम्पोषित किया जाता है। योजनान्तर्गत लाभार्थियों का वर्षवार विवरण निम्नवत् हैः–

तालिका 22.6

क्र०सं०	वर्ष	महिला स्वयं सहायता समूह	महिला लाभार्थी
1	2021–22	18	253
2	2022–23	30	590
3	2023–24	03	66
4	2024–25	07	661
4	2025–26	0	0

स्त्रोतः महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग

22.5.2 राज्य पोषित मुख्यमंत्री महिला सतत् आजीविका योजनाः– उत्तराखण्ड राज्य की निराश्रित, विधवा एवं निर्बल वर्ग की महिलाओं एवं किशोरियों को उनकी आजीविका में आवश्यक सहयोग प्रदान करते हुये स्वावलंबन की ओर अग्रसर किया जाना है। योजनान्तर्गत सफलतापूर्वक प्रशिक्षणोपरान्त ₹ 50,000/-तक सीड अनुदान एवं प्रशिक्षण अवधि में ₹ 1000/-की छात्रवृत्ति का प्राविधान किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2022–23 एंव 2023–24 हेतु कुल 08 संस्थाओं के प्रशिक्षण प्रस्ताव स्वीकृत किये गये है, जिसमें कुल 1500 महिला लाभार्थियों को सम्मिलित करते हुए 08 प्रशिक्षण ट्रेड यथाः–डेरी मैनेजमैन्ट, मधमुक्खी पालन, हस्तकला, खाद्य प्रसंस्करण, कताई बुनाई, सिलाई, ब्यूटी पार्लर, जड़ी बूटी उत्पादन में प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। **वर्तमान तक 4659 किशोरी/महिलाओं को लाभान्वित किया गया।** वित्तीय वर्ष 2024–25 एवं 2025–26 के प्रशिक्षण प्रस्ताव अंतिम चरण में हैं।

22.5.3 कामकाजी महिला छात्रावास पर स्टाफ की व्वयस्थाः– इस योजनान्तर्गत कामकाजी महिलाओं को सुरक्षित, सस्ता एवं सुविधायुक्त आवासीय व्यवस्था उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जनपद देहरादून एवं हरिद्वार में कामकाजी महिला छात्रावास का संचालन किया जा रहा है।

22.5.4 नन्दा गौरा योजनाः– इस योजना के अन्तर्गत कन्याओं हेतु संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं को एकीकृत कर "नन्दा गौरा योजना" संचालित की गयी है। जिसके अन्तर्गत पात्र परिवार की प्रथम 02 बालिकाओं को प्रथम किश्त में ₹ 11000 की धनराशि एवं द्वितीय किश्त में ₹ 51000 की धनराशि प्राप्त करायी जायेगी। वित्तीय वर्ष 2025–26 में ₹ 178.52 करोड रूपये की धनराशि शासन द्वारा जारी की गयी है, योजनान्तर्गत लाभार्थियों का वर्षवार विवरण निम्नवत् है।

वर्ष	लाभार्थियों
2021–22	15669
2022–23	82601
2023–24	79518
2024–25	38400
2025–26	130

स्त्रोतः महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग

22.5.5 मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना–विभाग के तहत राज्य में सुरक्षित मातृत्व के उद्देश्य के दृष्टिगत आंगनवाड़ी केन्द्र में पंजीकृत गर्भवती महिला के प्रथम/द्वितीय एवं जुडवा बालिकाओं के जन्म पर सुरक्षित मातृत्व के दृष्टिगत"**मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना" अन्तर्गत महालक्ष्मी किट** प्रदान की जाती है। वित्तीय वर्ष 2025–26 में शासन द्वारा जारी ₹ 15.57 करोड रूपये की धनराशि के सापेक्ष माह दिसम्बर तक ₹ 15.57 करोड रूपये का व्यय किया गया।

वर्ष	लाभार्थियों	लाभान्वित
2021–22	75000	75000
2022–23	24171	10035
2023–24	64405	41451
2024–25	49247	40839
2025–26	25561	19378

स्त्रोतः महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग

22.5.6 किशोरी बालिकाओं हेतु सैनेटरी नैपकीन की व्यवस्था – राज्य की किशोरी बालिकाओं एवं महिलाओं को व्यक्तिगत स्वच्छता एंव स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने एवं उनमें व्यक्तिगत स्वच्छता की आदतो को बढ़ावा देने के उद्देश्य से योजना संचालित की जा रही है। योजना के अंतर्गत 06 सैनेटरी नैपकिन पैड्स के पैकेट को धनराशि ₹ 11.40 में कय कर अनुदानिक दर धनराशि ₹ 6.0 में आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के द्वारा बालिकाओं एवं महिलाओं को विक्रय किया जाता है। जिसमें प्रत्येक पैकेट ब्रिकी की सापेक्ष ₹ 1.0 आंगनबाड़ी कार्यकत्री को पारितोषिक के रूप में प्रदान किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2025–26 मे **कुल 77.89 लाख** सेनेटरी नैपकीन पैकेट समस्त जनपदों को वितरण हेतु उपलब्ध करवाये गये हैं।

22.5.7 बालिका शिक्षा प्रोत्साहन कार्यक्रम (कम्प्यूटर टैबलेट का वितरण):– राज्य पोषित योजना बाल कल्याण निधि के अन्तर्गत संचालित "बालिका शिक्षा प्रोत्साहन कार्यक्रम' के तहत् बालिकाओं में शैक्षिक उत्कृष्टता को प्रोत्साहित करने हेतु उत्तराखण्ड बोर्ड में 10वीं व 12वीं में जनपद स्तर पर प्रथम, द्वितीय, तृतीय तथा 12वीं में विकासखण्ड स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली छात्राओं को तकनीकी ज्ञानवर्द्धन हेतु सुरक्षा एप्लीकेशन अपलोडेड टेबलेट/स्मार्ट फोन पुरूस्कार स्वरूप वितरित किये जाते हैं। इसके अन्तर्गत वर्तमान तक **2029 बालिकाओं को** लाभान्वित किया जा चुका है।

उत्तराखण्ड राज्य बाल कल्याण परिषद'के माध्यम से मलिन बस्तीयों के निर्धन परिवारों के किशोर एवं किशोरियों को कम्प्यूटर के क्षेत्र में कुशल बनाने के लिये **210 किशोर एवं किशोरियों को** निःशुल्क कम्प्यूटर प्रशिक्षण प्रदान किया जा चुका है। उपरोक्त कार्यक्रम के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2006–07 में धनराशि ₹ 1.00 करोड़ कार्पस फण्ड के रूप में प्राप्त हुई है, जिसकी ब्याज धनराशि से उक्त योजना का सफल संचालन किया जा रहा है।

22.5.8–"मुख्यमंत्री आँचल अमृत योजना"– "मुख्यमंत्री आँचल अमृत योजना" के अन्तर्गत आंगनवाड़ी केन्द्र में पंजीकृत 3 वर्ष से 6 वर्ष के बच्चों को फोर्टीफाईड सुगन्धित दूध पाउडर डेरी विकास विभाग के माध्यम से उपलब्ध कराया जाता है। योजनान्तर्गत माह दिसम्बर 2025 तक 1,76,881 लाभर्थियों को लाभान्वित किया जा चुका है, वित्तीय वर्ष 2025–26 में शासन द्वारा जारी ₹ 6.63 करोड रूपये की धनराशि के सापेक्ष माह दिसम्बर तक शत–प्रतिशत का व्यय किया गया।

22.5.9–मुख्यमंत्री महिला पोषण योजना" – योजनान्तर्गत प्रदेश की गर्भवती महिलाओं एवं धात्री माताओं में एनीमिया एवं मातृ व शिशु मृत्यु दर में कमी लाने के दृष्टिगत आंगनवाड़ी केन्द्रों में पंजीकृत गर्भवती एवं धात्री माताओं को सप्ताह में 02 दिन अण्डा, 02 दिन केला/खजूर दिया जाता है। योजनान्तर्गत माह दिसम्बर, 2025 तक 1,10,821 लाभर्थियों को लाभान्वित किया जा चुका है, वित्तीय वर्ष 2025–26 में शासन द्वारा जारी ₹ 8.70 करोड रूपये की धनराशि के सापेक्ष माह दिसम्बर 2025 तक शत–प्रतिशत का व्यय किया गया।

22.5.10–मुख्यमंत्री बाल पोषण अभियान– बाल पोषण–योजना के अर्न्तगत राज्य में बच्चों के वजन एवं पोषण में सुधार, शारीरिक विकास, आंगनवाडी केन्द्रों पर बच्चों की संख्या में वृद्धि एवं निरंतरता को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य के समस्त आंगनवाड़ी केन्द्रों मे पंजीकृत 03–06 आयु के बच्चों को सप्ताह में दो दिन अण्डा एवं दो दिन केला/केला चिप्स उपलब्ध कराया जा रहा है, योजनान्तर्गत माह दिसम्बर, 2025 तक 1,87,208 लाभर्थियों को लाभान्वित किया जा चुका है। वित्तीय वर्ष 2025–26 में शासन द्वारा जारी ₹ 16.48 करोड की धनराशि के सापेक्ष माह दिसम्बर तक शत–प्रतिशत का व्यय किया गया।

22.5.11 मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना – एक सशक्त महिला उद्यमी योजना है जिसे उत्तराखण्ड राज्य के समस्त जनपदों में

संचालित किया जायेगा। यह योजना उत्तराखण्ड की एकल/निराश्रित महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने तथा आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करते हुए उनको आत्मनिर्भर बनाने में कारगर सिद्ध होगी। उत्तराखण्ड राज्य की एकल महिलाओं से तात्पर्य ऐसी महिला से है जो एक महिला, अविवाहित, विधवा, परित्यकता, तलाकशुदा, किन्नर, अपराध एवं एसिड हमले से पीड़ित एकल महिलाएं व जिन महिलाओं के बच्चे अवयस्क/ अविवाहित पुत्री हो, जो अकेले ही अपना व अवयस्क बच्चों के पालन पोषण की जिम्मेदारी वहन कर रही हो व आर्थिक रूप से कमजोर हो, को समझा जायेगा।

22.5.12 योजना की उद्देश्यः योजना का मुख्य उद्देश्य एकल/निराश्रित/परित्यकता/विधवा महिलाओं को उनके निवास स्थान/गांव/क्षेत्र में ही रोजगार सृजन हेतु प्रोत्साहित करना, व उनकी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करते हुए उन्हें सामाजिक सुरक्षा प्रदान कर उनके जीवन स्तर में गुणात्मक सुधार करना हैं।

22.5.13 आंगनवाड़ी कर्मी कल्याण कोष – योजनान्तर्गत मानदेय सेवा पर कार्यरत आंगनवाड़ी कार्यकर्ती/मिनी कार्यकर्ती/सहायिका को 60 वर्ष की अधिवर्षता आयु पूर्ण करने पर सेवा अवधि के आधार पर न्यूनतम तीस हजार अधिकतम चौवन हजार रुपये तक की धनराशि दी जा रही है। योजना के अन्तर्गत वर्तमान तक 1160 लाभार्थीयों को लाभन्वित किया गया है।

उत्तराखण्ड राज्य गठन के पच्चीस वर्षों में महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास विभाग की यात्रा

9 नवंबर 2025 को हम सब गर्व के साथ उत्तराखंड राज्य की रजत जयंती मना रहे हैं। यह केवल राज्य के गठन का उत्सव नहीं, बल्कि हमारी विकास यात्रा, सामाजिक संवेदना और नारी सशक्तिकरण की निरंतर साधना का प्रतीक है।

राज्य गठन एवं वर्तमान में विभाग का तुलनात्मक विवरण निम्नवत है

Parameters	Year 2000	Year 2024
आच्छादित जनपद	8	13
कुल परियोजनाएँ	54	105
कुल योजनाएँ	6	केंद्र पोषित 13 राज्य पोषित 14
IMR	50	39.1
Under 5 mortalities		45.6
Sex Ratio (0-6)		984
Maternal Mortality Rate	398	97 (SRS 2017-19)
Low birth weight	23	15.5%
Stunting	44	27
Wasting	19	13.2
Under weight	38	21
Anaemia in pregnant women	51	46.4
Mothers who had at least 4 ANC visits		61.8%
Institutional deliveries		83.2%
Mothers who received postnatal care within 2 days of delivery		78%
Currently married women who usually participate in household decisions		91.0
Women aged 18-24 years married before age 18		9.8

स्त्रोतः महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग

विभागीय प्रयास

- **तीलू रौतेली पुरस्कार**– मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा वित्तीय वर्ष 2025–26 के अन्तर्गत 13 किशोरी / महिलाओं को तीलू रौतेली पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
- **आंगनवाड़ी कार्यकर्ती पुरस्कार**– मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा वित्तीय वर्ष 2025–26 के अन्तर्गत 33 आंगनवाड़ी कार्यकर्ती पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

प्रस्तावित कार्य योजना

- वेन्डिंग मशीन– प्रत्येक आंगनवाडी केन्द्रों में वेन्डिंग मशीन लगाई जा रही है।
- सोलर पैनल– राज्य के समस्त विभागीय निर्मित भवनो जैसे – जिला कार्यक्रम अधिकारी कार्यालय, बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय एवं आंगनवाड़ी केन्द्रों में सोलर पैनल स्थापित किये जायेंगें।
- 20070 आगंनबाड़ी कार्यकर्ती के लिये स्मार्ट फोन क्रय किये गये हैं।
- प्रत्येक आगंनबाड़ी कार्यकर्ती को 1 सेट (साड़ी, सूट) पोषाक क्रय कर उपलब्ध कराया गया है।
- प्रत्येक आंगनवाड़ी केन्द्र के लिये एक मेडिसिन किट, प्री स्कूल किट का क्रय किया जा रहा है।

अध्याय–23
सतत् विकास लक्ष्य
SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

सतत् विकास लक्ष्यः उत्तराखण्ड की प्रगति

सतत् विकास लक्ष्य (SDGs) वैश्विक प्रगति के लिए एक ठोस रूपरेखा प्रस्तुत करते हैं। स्पष्ट योजनाओं और अनुश्रवण तथा निगरानी एवं मूल्यांकन की सुदृढ़ व्यवस्था से सुसज्जित, (SDGs) सतत् विकास लक्ष्यों का उद्देश्य एक ऐसी दुनिया का निर्माण करना है जो गरीबी, भूख, बीमारी और अभाव से मुक्त हो–एक ऐसा स्थान जहाँ सभी प्रकार के जीवन का उत्कर्ष हो सके। सतत् विकास लक्ष्य के अंर्तगत ऐसे समाज की कल्पना करते हैं जो भय और हिंसा से मुक्त हो तथा सार्वभौमिक साक्षरता और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं और सामाजिक सुरक्षा तक समान पहुँच से परिपूर्ण हो।

सतत् विकास लक्ष्यों में ऐसी दुनिया शामिल है जो सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल, उचित स्वच्छता तथा पौष्टिक, सुलभ और सुरक्षित भोजन को मानव अधिकार के रूप में स्वीकार करती है। यह सुरक्षित, सुदृढ़ और सतत मानव बस्तियों के निर्माण तथा स्वच्छ, विश्वसनीय और किफायती ऊर्जा तक सार्वभौमिक पहुँच सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखती है। SDGs का उद्देश्य एक ऐसी दुनिया बनाना भी है जहाँ महिलाएँ पूर्ण लैंगिक समानता का आनंद लें और उनके सशक्तिकरण में आने वाली सभी कानूनी, सामाजिक और आर्थिक बाधाएँ समाप्त कर दी जाएँ।

इसके अतिरिक्त, यह एजेंडा बच्चों में निवेश का आह्वान करता है ताकि प्रत्येक बच्चा हिंसा और शोषण से मुक्त होकर एक संतुलित और समावेशी समाज में बड़ा हो सके। यह राष्ट्रों के भीतर और उनके बीच असमानताओं को कम करने, पृथ्वी और उसके प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करने, तथा समावेशी और सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा देने का प्रयास करता है जो साझा समृद्धि और सभी के लिए सम्मानजनक रोजगार सुनिश्चित करे। अंततः SDGs का उद्देश्य एक ऐसी दुनिया स्थापित करना है जहाँ कोई भी पीछे न रह जाए।

संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देशों ने 2030 तक इन लक्ष्यों को प्राप्त करने का संकल्प लिया है। एक हस्ताक्षरकर्ता के रूप में, भारत इस व्यापक, समावेशी और महत्वाकांक्षी एजेंडा को लागू करने और इसके अंतर्गत निर्धारित सभी 169 लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध है।

उत्तराखंड SDG सूचकांक 2024–25

वर्ष 2021 से, सी0पी0पी0जी0जी0 द्वारा 2015–16 से 2020–21 की अवधि को सम्मिलित करते हुए अपना पहला SDG सूचकांक संकलन प्रकाशित किया, तब से संस्था नियमित रूप से SDG सूचकांक जारी कर रही है। इसके बाद 2021–22 के लिए अगला SDG सूचकांक प्रकाशित किया गया।

इन वर्षों के दौरान, उत्तराखंड SDG सूचकांकों का दायरा लगातार विस्तृत होता गया है, जिसमें अतिरिक्त SDGs, लक्ष्यों और संकेतकों को शामिल किया गया है। 2015–16 से 2020–21 तक के सूचकांक 12 SDGs और 36 लक्ष्यों पर आधारित थे। वर्ष 2021–22 में, उन्हीं 12 SDGs को बनाए रखते हुए छह नए लक्ष्य जोड़े गए। 2022–23 संस्करण में चार अतिरिक्त लक्ष्य तथा दो नए SDGs (SDG 10 और SDG 12) शामिल किए गए।

वर्ष 2023–24 के SDG सूचकांक में 14 SDGs और 46 लक्ष्य शामिल थे, वहीं उत्तराखंड SDG सूचकांक 2024–25 विशिष्ट आंकड़ों पर आधारित है। SDG

सूचकांक का यह निरंतर विस्तार वर्ष 2030 तक सभी SDGs, लक्ष्यों और संकेतकों के व्यापक कवरेज को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किया जा रहा है।

वर्ष 2019–20 से 2024–25 तक के SDG सूचकांकों में शामिल संकेतकों की संख्या का सार निम्नवत है।

तालिका– 23.1

Uttarakhand SDG Index 2024-25 Indicators Summary						
Goals	**2019-20**	**2020-21**	**2021-22**	**2022-23**	**2023-24**	**202-25**
Goal 1	14	15	16	17	16	16
Goal 2	15	15	16	16	15	16
Goal 3	7	7	9	9	8	9
Goal 4	28	31	30	27	27	27
Goal 5	11	11	11	12	10	10
Goal 6	5	5	8	7	7	7
Goal 7	2	2	3	2	2	3
Goal 8	10	10	9	6	7	7
Goal 9	3	3	3	3	3	4
Goal 10	_	_	_	3	3	3
Goal 11	4	4	4	8	8	6
Goal 12	_	_	_	3	3	3
Goal 15	2	2	2	2	2	2
Goal 16	8	8	9	11	11	13
Total	**109**	**113**	**120**	**126**	**122**	**126**

स्रोत– सी0पी0पी0जी0जी0, उत्तराखण्ड

उत्तराखंड SDG सूचकांक का उद्देश्य जिलों को अपनी प्रगति की निगरानी और उसका आकलन करने में सक्षम बनाना है। पिछले वर्ष के अनुभव दर्शाते हैं कि यह SDGs की प्राप्ति हेतु जिलों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा दे रहा है।

SDG सूचकांक 2024–25 की गणना के लिए, SDG इंडिया इंडेक्स की गणना में NITI Aayog द्वारा अपनाई गई विधियों (Methodology) का उपयोग किया गया। उत्तराखंड SDG सूचकांक 2024–25 के उद्देश्यों का सार निम्नलिखित है:

- जिलों की SDG प्रगति का मानचित्रण करना और उसे पिछले वर्षों के प्रदर्शन से तुलना करना।
- SDGs की प्राप्ति में जिलों की कमियों का विश्लेषण करना और उन्हें प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान करने में सहायता देना।
- उन संकेतकों की पहचान करना जिनमें जिलों का प्रदर्शन पिछले वर्षों की तुलना में गिरा है, ताकि जिले अपनी योजनाओं का विश्लेषण कर उन संकेतकों पर प्रदर्शन सुधार सकें।
- प्रत्येक SDG तथा समग्र प्रदर्शन के आधार पर जिलों की रैंकिंग करना।
- SDGs की प्राप्ति के लिए जिलों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करना।
- SDG जिला प्रोफाइल के माध्यम से जिलों के लिए कार्य–योजना बिंदुओं की पहचान करना।

कई चरणों में संशोधन के बाद, उत्तराखंड SDG जिला संकेतक रूपरेखा में कुल 144 संकेतक शामिल किए गए। CPPGG ने सभी 144 संकेतकों के लिए आंकड़े प्राप्त करने का प्रयास किया, किंतु

2024–25 की अवधि के लिए केवल 128 संकेतकों के आंकड़े ही संकलित किए जा सके।

अगले खंड में वर्ष 2023–24 के लिए जिलों के SDG–वार सूचकांक अंक तथा समग्र अंक का विवरण प्रस्तुत किया गया है। SDG सूचकांक 2023–24 कई दृष्टियों से पूर्ववर्ती SDG सूचकांकों से तुलनीय नहीं है, क्योंकि इसमें प्रयुक्त संकेतक पिछले वर्षों के सूचकांकों से भिन्न हैं।

उत्तराखंड SDG सूचकांक 2024–25 की प्रमुख विशेषताएँ

सूचकांक से पता चलता है कि वर्ष 2023–24 की तुलना में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। वर्ष 2023–24 में नौ जिले फ्रंट–रनर श्रेणी (65 से 99 अंक) में थे और चार जिले परफॉर्मर श्रेणी (50 से 64 अंक) में थे। वर्ष 2024–25 में 12 जनपद फ्रंट–रनर श्रेणी में हैं, जबकि केवल 01 जनपद परफॉर्मर श्रेणी में रह गया है।

अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ और उधम सिंह नगर जिलों ने परफॉर्मर श्रेणी से फ्रंट–रनर श्रेणी में प्रगति की उत्तराखंड का समग्र स्कोर भी 72 से बढ़कर 75 हो गया।

रुद्रप्रयाग जनपद 2023–24 में आठवें स्थान (69 अंक) से बढ़कर 2024–25 में प्रथम स्थान (78 अंक) पर पहुंच गया। उत्तरकाशी और चमोली ने 75 अंकों के साथ संयुक्त रूप से दूसरा स्थान प्राप्त किया। पिछले वर्ष उत्तरकाशी तीसरे स्थान पर था, जबकि चमोली नौवें स्थान पर था।

जनपद नैनीताल 2023–24 की तुलना में पहले स्थान से गिरकर दूसरे स्थान पर आ गया। रैंक में हुए परिवर्तनों का विस्तृत विश्लेषण नीचे प्रस्तुत है। निम्नलिखित तालिका उत्तराखंड SDG सूचकांक 2024–25 में सभी जिलों के अंक और रैंक दर्शाती है:

तालिका– 23.2

Uttarakhand SDG Performance (Scores and Ranks)

SN	Districts	2021-22		2022-23		2023-24		2024-25	
		Score	Rank	Score	Rank	Score	Rank	Score	Rank
1	Almora	67	8	67	10	63	11	65	11
2	Bageshwar	68	7	74	3	73	4	73	5
3	Chamoli	69	6	74	3	66	9	75	2
4	Champawat	71	3	73	6	72	5	64	12
5	Dehradun	73	2	75	2	76	2	73	5
6	Haridwar	59	12	64	12	61	13	62	13
7	Nainital	74	1	76	1	80	1	74	4
8	Pauri Garhwal	64	10	72	7	72	5	73	5
9	Pithoragarh	66	9	67	10	64	10	69	9
10	Rudraprayag	71	3	72	7	69	8	78	1
11	Tehri Garhwal	64	10	72	7	71	7	72	8
12	Udham Singh Nagar	54	13	60	13	62	12	69	9
13	Uttarkashi	70	5	74	3	74	3	75	2
	Uttarakhand	69		72		72		75	

स्रोत– सी०पी०पी०जी०जी०, उत्तराखण्ड

जिला योजना
DISTRICT PLAN

भूमिका:– स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात आर्थिक एवं सामाजिक नीतियों, परिस्थितियों और आवश्यकताओं के अनुसार देश के विकास हेतु रणनीति तैयार की गयी। इसी क्रम में वर्ष 1950 में राष्ट्रीय स्तर पर योजना आयोग का गठन हुआ। उत्तर–प्रदेश में भी नियोजित विकास का कार्य राष्ट्रीय नियोजन व्यवस्था के अंग के रूप में विकसित हुआ। वर्ष 1952 में सामुदायिक विकास खण्ड और वर्ष 1953 में राष्ट्रीय प्रसार सेवा प्रारम्भ हुआ। इनके द्वारा विकास कार्यक्रमों और परियोजनाओं के कार्यान्वयन का विकेन्द्रीकरण तो हुआ लेकिन नियोजन व्यवस्था – केन्द्र और प्रदेश के मुख्यालयों तक सीमित रही। यद्यपि वार्षिक एवं पंचवर्षीय योजनाओं से देश को आर्थिक विकास की गति प्राप्त हुई, परन्तु क्षेत्रीय असन्तुलन बेरोजगारी व गरीबी की समस्या यथावत रही। इन समस्याओं के निराकरण हेतु विकास खण्ड एवं जनपद को नियोजन की इकाई के रूप में विकसित करने के उद्देश्य से विकेन्द्रीकृत नियोजन प्रणाली की नवीन व्यवस्था वर्ष 1982–83 से लागू की गई और योजनाओं के निर्माण का कार्य जनपदों को सौंप दिया गया। विकेन्द्रीकृत नियोजन प्रणाली का उद्देश्य जिला योजना परिव्यय के आवंटन से जनपदों के पिछड़ेपन को दृष्टिगत रखते हुये अर्न्तजनपदीय विषमताओं को कम करना और जनपद में परिव्यय का उपयोग इस प्रकार करना कि परिव्यय में सृजित किये जाने वाले विभिन्न सेवाओं के फैलाव इस प्रकार तय किये जायें, जिससे अर्न्तविकास खण्डीय विषमतायें कम हो और जनपद का सर्वांगीण एवं समन्वित विकास हो सके।

नवम्बर, 2000 में उत्तराखण्ड राज्य उत्तर–प्रदेश से पृथक होकर नये राज्य के रूप में अस्तित्व में आया और उत्तर–प्रदेश की भाँति उत्तराखण्ड में भी जिला योजना के अर्न्तगत राज्य के नीति विषयक निर्णयों को ध्यान में रखते हुये विभिन्न पद्धतियाँ प्रदेश में लागू की गयी।

1. 'विकास सामाजिक न्याय के साथ हों' इस सिद्धान्त को मानते हुए यह देखना पड़ेगा कि विकास कार्यक्रम जो प्रस्तावित किये जा रहे हैं, उनसे रोजगार एवं विकास के अवसर समाज के पिछड़े वर्गों के लिए विशेष रूप से उपलब्ध हो सकेंगे।

2. जनपद के आर्थिक विकास के लिए विशेष स्थानीय, भौतिक तथा मानवीय संसाधनों का अधिकतम तथा सर्वोत्तम उपयोग हो, जिससे आय एवं रोजगार दोनों में वृद्धि हो सके।

3. भूमि, पशुधन लघु एवं कुटीर उद्योगों की उत्पादकता की वृद्धि, इस प्रकार के विकास से जो लाभ सम्भावित हो, उसका अधिकांश भाग समाज के दलित वर्ग, छोटे किसान, भूमिहीन कृषक तथा ग्रामीण उद्यमियों को मिले।

4. ऐसे सामाजिक तथा आर्थिक अवस्थापनाओं का निर्माण किया जाये, जिनसे राज्य और राष्ट्र की प्राथमिकताओं तथा रणनीतियों की पूर्ति हो सके।

5. अवस्थित अवस्थापनाओं/संस्थाओं को इस प्रकार पुनर्गठित किया जाये, जिससे गरीब निर्धनों के हितों की रक्षा हो सके।

6. रोजगार के ऐसे अवसरों का सृजन किया जाये, जिससे भूमिहीनों, छोटे कृषकों, आदि को रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध हो सकें।

7. राष्ट्रीय न्यूनतम आवश्यकता क्रार्यक्रम जिसमें – प्राथमिक शिक्षा, ग्रामीण स्वास्थ्य एंव पेयजल, ग्रामीण सड़कें, ग्रामीण विद्युतीकरण, ग्रामीण गरीब निर्धनों के लिए आवास, पर्यावरण सुधार की पूर्ति हो सके ।

जनपदों में और जनपदों के अंदर विभिन्न विकास खण्डों में विकास स्तर में व्याप्त विषमताओं को दूर करना प्रमुख उद्देश्य है। इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु परिव्यय/विकास सुविधाओं का आवंटन/वितरण किया जाना चाहिये, ताकि समग्र रूप से

पिछड़े क्षेत्रों को अपना विकास करने का अवसर उपलब्ध हो सके। यह आवश्यक है कि जनपद स्तर पर इन विषमताओं को पहले से ही अभिज्ञानित कर लिया जाता है। इस हेतु निम्न प्रकार कार्यवाही की जाती है। :–

क्षेत्र विशेष की अन्य क्षेत्रों, विकास खण्डों, जनपदों (यथास्थिति) के सापेक्ष उभरकर आई स्थिति के आधार पर उन बिन्दुओं को अभिज्ञानित किया जाता है, जिसमें क्षेत्र विशेष की स्थिति अपेक्षाकृत कम रही है।

जिला स्तर पर विभिन्न विकासखण्डों के मध्य उनके वर्तमान विकास स्तर और उपलब्ध सेवाओं/सुविधाओं के स्तर में व्याप्त विषमताओं का विश्लेषण किया जाये और विकास खण्डों को इस प्रकार क्रमबद्ध किया जाये, जिससे यह ज्ञात हो सके कि विभिन्न विकास क्षेत्रों में कौन सा विकास खण्ड किस मद में पिछड़ा है। इसके लिए विभिन्न संकेतकों के आधार पर विषमताओं का विश्लेषण किया जाये।

इस प्रकार के विश्लेषण से जहॉ एक ओर योजनाओं के स्थल चयन के सम्बंध में सहायता मिलेगी, वहीं दूसरी ओर अन्तर्विकास खण्डीय विषमतायें भी कम हो सकेंगी तथा जिले के संतुलित विकास के उद्देश्य को प्राप्त करने में भी सहायता मिलेगी।

16 जुलाई, 2007 को जिला स्तर पर पंचायतों और नगर पालिकाओं द्वारा तैयार की गयी योजनाओं के समेकन हेतु जिला योजना समिति का गठन करने और सम्पूर्ण जिले के लिये विकास योजना तैयार करने तथा इससे सम्बन्धित या अनुशांगिक विषयों हेतु अधिनियम का गठन किया गया। इस अधिनियम के अन्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था लागू की गयी जिसके अनुसार योजनायें ग्राम पंचायत स्तर पर तैयार कर क्षेत्र पंचायत व क्षेत्र पंचायत से जिला पंचायत स्तर पर संकलन करते हुये वृहद योजना बनायी जाती है। इसी तरह नगरीय क्षेत्र हेतु नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद, नगर निगम स्तर से नियुक्त नोडल अधिकारी द्वारा तैयार की जाती है।

उत्तराखण्ड जिला योजना समिति अधिनियम–2007 की धारा 19 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये राज्यपाल महोदय द्वारा उत्तराखण्ड जिला योजना समिति नियमावली–2010 बनायी गयी। इस नियमावली के अन्तर्गत जिला योजना समिति का निर्धारण किया गया। जिसके अध्यक्ष जनपद के प्रभारी मंत्री व जिला पंचायत अध्यक्ष, समिति के उपाध्यक्ष व जिलाधिकारी पदेन सचिव है। राज्य के न्यूनतम जनसंख्या वाले जनपदों में समिति के सदस्यों की सदस्य संख्या 15 निर्धारित है, और अधिकतम जनसंख्या वाले जनपदों में सदस्य संख्या 40 निर्धारित है, उक्त के अतिरिक्त जनपदों में शासन द्वारा निर्धारित सदस्यों को भी नामित किया जाता है। जिला पंचायतों के निर्वाचित सदस्यों के अतिरिक्त माननीय सांसद व माननीय विधायकगण एवं क्षेत्र पंचायत प्रमुख आमंत्रित सदस्य होते हैं।

निःसन्देह इस नवीन प्रणाली को राज्य में कार्यान्वित करने के साथ ही क्षेत्रीय स्थानीय आकांक्षाओं को साकार करने और स्थानीय पहलशक्ति सम्भाव्य क्षमता योग्यता तथा संसाधनों से अधिक लाभ उठाने के लिये जनपदों को स्वतन्त्रता दी गयी है फिर भी प्रदेश की पूर्वताओं के परिपेक्ष्य में जिला योजनाओं को अंगीकृत करना आवश्यक है। यह पूर्वतायें निम्नलिखित हैं :–

1. खाद्यान एवं उत्पादन में वृद्धि
2. कृषि पर निर्भर लोगों के लिये ऐसे पूरक व्यवसाय और उत्पादन कार्यक्रमों को प्रोत्साहित करना जिनसे उनकी आय में वृद्धि हो सके
3. ऐसे उपाय करना जिससे गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले परिवार की आय में वृद्धि हो सके और वे गरीबी की रेखा से ऊपर आ सके।
4. लघु एवं कुटीर उद्योगों में कार्यरत कारीगरों की

उत्पादकता और आय में वृद्धि करना।

5. निर्धन एवं पिछड़ें वर्गों के लोगों की आधार भूत आवश्कताओं की पूर्ति करने के निमित्त सुविधायें प्रदान करना, जिससे उनके रहन सहन का स्तर ऊंचा हो सके।

केन्द्र पोषित योजनाओं में विभिन्न स्रोतों से उपलब्ध होने वाले संसाधनों का आंकलन करने के साथ युगपतीकरण एवं केन्द्राभिसरण (Dovetailing and Convergence) भी आवश्यक रूप से किया जाता है।

तालिका– 23.3

जिला योजना वर्ष 2025–26 में सामान्य, अनुसूचित जाति उपयोजना, अनुसूचित जनजाति उपयोजना, राजस्व एवं पूँजीगत में जनपदवार रखी गयी धनराशि एवं व्यय

वर्ष 2025–26 धनराशि लाख ₹ में

क्र०सं०	जनपद	कुल बजट प्रावधान	सामान्य	अनुसूचित जाति उपयोजना (एस०सी०पी०)	अनुसूचित जनजाति उपयोजना (टी०एस०पी०)	कुल बजट प्रावधान में राजस्व	कुल बजट प्रावधान में पूँजीगत	कॉलम संख्या 2 के सापेक्ष व्यय
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	उत्तरकाशी	7657.00	5746.80	1790.20	120.00	2588.54	5068.46	2331.62
2	चमोली	7428.00	5645.30	1441.30	341.40	2598.89	4829.11	4709.66
3	रूद्रप्रयाग	5817.10	4706.40	1096.60	14.10	2299.43	3517.67	3557.32
4	पौड़ी गढ़वाल	11999.20	9895.70	2047.30	56.20	1768.82	10230.38	6624.92
5	टिहरी गढ़वाल	9522.90	7997.30	1506.10	19.50	3241.45	6281.45	6751.03
6	हरिद्वार	6735.60	5297.60	1404.50	33.50	2068.75	4666.85	4890.33
7	देहरादून	9948.10	7700.80	1285.70	961.60	4212.86	5735.24	6957.42
8	पिथौरागढ़	7178.60	5040.50	1539.22	598.88	4788.60	2390.00	4880.95
9	बागेश्वर	5962.90	4312.00	1583.90	67.00	2120.33	3842.57	4370.44
10	अल्मोड़ा	7475.70	5715.70	1737.30	22.70	3479.77	3995.93	4699.02
11	चम्पावत	6857.10	4770.80	2042.00	44.30	1799.29	5057.81	4761.57
12	नैनीताल	7020.50	5592.10	1347.30	81.10	2482.41	4538.09	5438.91
13	उधमसिंह नगर	7420.10	5579.00	1027.50	813.60	2249.19	5170.91	5133.26
Total		**101022.8**	**78000.00**	**19848.92**	**3173.88**	**35698.33**	**65324.47**	**65106.45**

नोटः– 1.व्यय धनराशि 31.12.2025 तक की है। 2. पूंजीगत व्यय के अंर्तगत निर्माण कार्यों से सम्बन्धित धनराशि सम्मिलित है।
3. राजस्व व्यय के अंर्तगत निर्माण कार्यों के अतिरिक्त व्यय सम्मिलित है।
स्रोत– अर्थ एंव संख्या निदेशालय, उत्तराखण्ड

तालिका–23.4
जिला योजना के अंतर्गत 25 वर्षों में किया गया बजट प्रावधान

वर्ष 2001–2002 से 2025–26 तक

धनराशि लाख ₹ में

क्र० सं०	जनपद	जनपदों हेतु वर्षवार कुल बजट प्रावधान																								योग
		2001-2002	2002-2003	2003-2004	2004-2005	2005-2006	2006-2007	2007-2008	2008-2009	2009-2010	2010-2011	2011-2012	2012-2013	2013-2014	2014-2015	2015-2016	2016-2017	2017-2018	2018-2019	2019-2020	2020-2021	2021-2022	2022-2023	2023-2024	2024-2025	2025-2026	2001-02 से 2025-26
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	उत्तरकाशी	2286.00	2515.00	2515.00	2515.00	2766.00	3062.00	3062.00	3445.00	3828.00	3828.00	3828.00	5742.00	5742.00	5742.00	6507.00	6507.00	5374.68	4211.00	5432.00	5095.00	5350.00	5618.00	7087.28	7657.00	7657.00	117371.96
2	चमोली	2232.00	2455.00	2455.00	2455.00	2701.00	2971.00	2971.00	3343.00	3714.00	3714.00	3714.00	5571.00	5571.00	5571.00	5199.60	6314.00	5215.26	4085.00	4494.00	4943.00	5190.00	5450.00	6875.34	7428.00	7428.00	112060.20
3	रुद्रप्रयाग	1521.70	1521.70	1750.66	1900.14	2105.00	2326.00	2326.00	2617.00	2908.00	2908.00	2908.00	4362.00	4362.00	4362.00	4071.19	4944.00	4083.67	3199.00	3519.00	3871.00	4065.00	4268.00	5384.21	5817.10	5817.10	86917.47
4	पौड़ी गढ़वाल	3600.00	3960.00	3960.00	3960.00	4356.00	4800.00	4800.00	5400.00	6000.00	6000.00	6000.00	9000.00	9000.00	9000.00	8400.00	10200.00	8425.04	6600.00	7260.00	7986.00	8385.00	8804.00	11106.51	11999.20	11999.20	181000.95
5	टिहरी गढ़वाल	2862.00	3148.00	3148.00	3148.00	3463.00	3809.00	3809.00	4285.00	4761.00	4761.00	4761.00	7141.00	7141.00	7141.00	8093.00	8093.00	6684.69	5237.00	5761.00	6337.00	6654.00	6987.00	8814.31	9522.90	9522.90	145084.80
6	हरिद्वार	2024.00	2226.00	2226.00	2226.00	2449.00	2694.00	2694.00	3031.00	3368.00	3368.00	3368.00	5052.00	5052.00	5052.00	5725.00	5725.00	4728.76	3705.00	4075.00	4483.00	4707.00	4942.00	6234.48	6735.60	6735.60	102626.44
7	देहरादून	2872.25	2438.55	2926.17	3289.00	3618.00	3980.00	3980.00	4477.00	4974.00	4974.00	4974.00	7461.00	7461.00	7461.00	6963.60	8456.00	6984.52	5471.00	6018.00	6620.00	6951.00	7299.00	9207.91	9948.10	9948.10	148753.20
8	पिथौरागढ़	2150.00	2366.00	2366.00	2366.00	2603.00	2873.00	2873.00	3230.00	3589.00	3589.00	3589.00	5384.00	5384.00	5384.00	6102.00	6102.00	5040.16	3948.00	4343.00	4777.00	5016.00	5267.00	6644.48	7178.60	7178.60	109342.84
9	बागेश्वर	1784.00	1962.00	1962.00	1962.00	2158.00	2385.00	2385.00	2684.00	2982.00	2982.00	2982.00	4473.00	4473.00	4473.00	5069.00	5069.00	4186.91	3280.00	3608.00	3969.00	4167.00	4375.00	5519.19	5962.90	5962.90	90815.90
10	अल्मोड़ा	2462.00	2462.00	2462.00	2462.00	2708.00	2990.00	2990.00	3364.00	3738.00	3738.00	3738.00	5607.00	5607.00	5468.73	6355.00	6355.00	5249.13	4112.00	4523.00	4975.00	5224.00	5485.00	6919.49	7475.70	7475.70	113945.75
11	चम्पावत	1754.00	1929.00	1929.00	1929.00	2122.00	2334.00	2334.00	2626.00	2918.00	2918.00	2918.00	4377.00	4377.00	4377.00	4961.00	4961.00	4097.71	3210.00	3531.00	3884.00	4078.00	4282.00	5401.87	5836.10	6857.10	89941.78
12	नैनीताल	2367.90	2010.45	2208.77	2269.32	2864.85	3826.89	4329.75	3626.12	3636.02	3595.53	3435.70	3412.97	3740.61	5265.00	5122.67	3675.11	3510.00	3861.00	4247.00	4672.00	4906.00	5151.00	6498.14	7020.50	7020.50	102273.80
13	उधमसिंह नगर	2230.00	2453.00	2453.00	2453.00	2698.00	2968.00	2968.00	3339.00	3710.00	3710.00	3710.00	5565.00	5565.00	5565.00	6307.00	6307.00	5209.48	4081.00	4489.00	4938.00	5185.00	5444.00	6867.77	7420.10	7420.10	113055.45
Total		**30145.85**	**31446.70**	**32361.60**	**32934.46**	**36611.85**	**41018.89**	**41521.75**	**45467.12**	**50126.02**	**50085.53**	**49925.70**	**73147.97**	**73475.61**	**74861.73**	**78876.06**	**82708.11**	**68790.01**	**55000.00**	**61300.00**	**66550.00**	**69878.00**	**73372.00**	**92560.98**	**100001.80**	**101022.80**	**1513190.54**

स्रोत– अर्थ एंव संख्या निदेशालय, उत्तराखण्ड

चार्ट–23.1

घनराशि लाख ₹ में

स्रोत– अर्थ एंव संख्या निदेशालय, उत्तराखण्ड

तालिका–23.5

जिला योजना वर्ष 2001–2002 से 2025–26 तक 25 वर्षों में सामान्य, अनुसूचित जाति उपयोजना, अनुसूचित जनजाति उपयोजना, राजस्व एवं पूँजीगत में जनपदवार रखी गयी घनराशि एवं व्यय

वर्ष 2001–2002 से 2025–26 तक

घनराशि लाख ₹ में

क्र०सं०	जनपद	कुल बजट प्रावधान	सामान्य	अनुसूचित जाति उपयोजना (एस०सी०पी०)	अनुसूचित जनजाति उपयोजना (टी०एस०पी०)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	उत्तरकाशी	117371.96	89148.78	25193.95	3029.23
2	चमोली	112060.20	85846.35	19891.94	6321.91
3	रूद्रप्रयाग	86917.47	70523.30	16155.49	238.68
4	पौड़ी गढ़वाल	181000.95	150668.79	29061.96	1270.20
5	टिहरी गढ़वाल	145084.80	118795.04	24230.70	2059.06
6	हरिद्वार	102626.44	82469.05	19115.26	1042.13
7	देहरादून	148753.20	109495.85	21375.58	17881.77
8	पिथौरागढ़	109342.84	81542.16	21899.28	5901.40
9	बागेश्वर	90815.90	68635.45	20720.69	1459.76
10	अल्मोड़ा	113945.75	90289.78	23348.71	307.26
11	चम्पावत	89941.78	73352.83	15852.42	736.53
12	नैनीताल	102273.80	80688.58	19866.95	1718.27
13	उधमसिंह नगर	113055.45	84422.39	16667.30	11965.76
Total		**1513190.54**	**1185878.34**	**273380.24**	**53931.96**

स्रोत– अर्थ एंव संख्या निदेशालय, उत्तराखण्ड

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि राज्य में जिला सेक्टर योजना के परिव्यय में लगाातार वृद्वि हो रही है राज्य में स्थापना के समय वर्ष 2001–02 में जिला सेक्टर योजना का परिव्यय 30145.85 लाख था वर्ष 2025–26 तक परिव्यय 1513190.54 लाख हो गया है जिला सेक्टर योजना के अन्तर्गत जनपदों की आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिये विकेन्द्रीकरण के अन्तर्गत जिलाधिकारियों के निवर्तन पर घनराशि रखी गयी है।

तालिका–23.6

जिला योजना के अंतर्गत 25 वर्षों में की तक सामान्य, अनुसूचित जाति उपयोजना, अनुसूचित जनजाति उपयोजना, राजस्व एवं पूँजीगत में वर्षवार रखी गयी धनराशि एवं व्यय

वर्ष 2001–2002 से 2025–26 तक

धनराशि लाख ₹ में

क्र०सं०	वर्ष	कुल बजट प्रावधान	सामान्य	अनुसूचित जाति उपयोजना (एस०सी०पी०)	अनुसूचित जनजाति उपयोजना (टी०एस०पी०)	कुल बजट प्रावधान में राजस्व	कुल बजट प्रावधान में पूँजीगत	कॉलम संख्या 2 के सापेक्ष व्यय
0	1	2	3	4	5	6	7	8
1	2001-2002	30145.85	22950.84	5407.62	1787.39	9966.52	20179.33	25013.85
2	2002-2003	31446.70	23974.98	5666.18	1805.55	9622.67	21824.03	23654.43
3	2003-2004	32361.60	25412.06	5462.54	1487.00	10299.18	22062.42	26731.23
4	2004-2005	32934.46	25480.10	5676.42	1777.94	10740.77	22193.69	28143.31
5	2005-2006	36611.85	27982.04	6482.62	2147.19	12620.30	23991.55	28246.00
6	2006-2007	41018.89	31596.07	7369.65	2053.17	14031.65	26987.24	37155.38
7	2007-2008	41521.75	31912.06	7591.18	2018.51	14458.51	27063.24	37831.16
8	2008-2009	45467.12	35227.05	8048.45	2191.62	15526.37	29940.75	39029.30
9	2009-2010	50126.02	39902.94	8094.47	2128.61	13025.17	37100.85	42313.13
10	2010-2011	50085.53	40041.75	7923.12	2120.66	13838.36	36247.17	46457.48
11	2011-2012	49925.70	40396.63	7601.15	1927.92	14397.54	35528.16	43745.38
12	2012-2013	73147.97	60384.20	10459.83	2303.94	19517.41	53630.56	42454.73
13	2013-2014	73475.61	59562.12	11531.07	2382.42	19237.92	54237.69	46617.58
14	2014-2015	74861.73	60184.53	12475.15	2202.05	19313.35	55548.38	68034.76
15	2015-2016	78876.06	61627.87	15168.09	2080.10	18521.01	60355.05	64576.92
16	2016-2017	82708.11	64197.76	15909.63	2600.72	20905.80	61802.31	49995.21
17	2017-2018	68790.01	53216.26	13413.95	2159.80	15564.78	53225.23	50811.46
18	2018-2019	55000.00	42839.91	10484.46	1675.63	14183.15	40816.85	51067.89
19	2019-2020	61300.00	47149.21	12313.61	1837.18	17743.31	43556.69	58356.87
20	2020-2021	66550.00	51909.00	12645.00	1996.00	24496.75	42053.25	66086.46
21	2021-2022	69878.00	54505.00	13277.00	2096.00	26200.42	43677.58	69619.31
22	2022-2023	73372.00	57228.97	13942.03	2201.00	27736.39	45635.61	73209.95
23	2023-2024	92560.98	72196.98	17587.00	2777.00	32265.10	60295.88	91396.75
24	2024-2025	100001.80	78000.00	19001.10	3000.70	34866.94	65134.86	97238.46
25	2025-2026	101022.80	78000.00	19848.92	3173.88	35698.33	65324.47	65106.45
Total		**1513190.54**	**1185878.34**	**273380.24**	**53931.96**	**464777.70**	**1048412.84**	**1272893.44**

स्रोत– अर्थ एंव संख्या निदेशालय, उत्तराखण्ड

अध्याय–24
खेल एवं युवा कल्याण
Sports & Youth welfare

"सभी के लिये खेल,

सभी के लिए स्वास्थ्य"

09 नवम्बर, 2000 को अलग राज्य उत्तराखण्ड घोषित किये जाने के पश्चात उत्तराखण्ड राज्य द्वारा क्षेत्रीय एवं जिला स्तर में खेलों के उन्नयन तथा खिलाड़ियों के प्रोत्साहन हेतु खेल विभाग की स्थापना दिनांक 13 अगस्त, 2001 को खेल निदेशालय उत्तराखण्ड के नाम से देहरादून मे की गयी।

उत्तराखण्ड राज्य प्राकृतिक संसाधनों, अनुकूल जलवायु तथा भौगोलिक दृष्टि से खेलों के विकास के लिए अत्यन्त ही उपयोगी है। मानव संसाधन विकास के लिए खेल एवं शारीरिक शिक्षा महत्वपूर्ण अंग है। स्वस्थ नागरिक समाज एवं राष्ट्र को सुसंगति एवं स्वस्थ आधार प्रदान करता है। अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में देश के खिलाड़ियों का उत्कृष्ट प्रदर्शन राष्ट्रीय सम्मान एवं राष्टभक्ति का द्योतक है। खेल राष्ट्रीयता की यही भावना देश की एकता एवं अखण्डता को सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करती है। उत्तराखण्ड राज्य ने ओलम्पिक खेलों तक के खिलाड़ी दिये हैं और इसी के दृष्टिगत खिलाड़ियों को राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर अधिक से अधिक प्रतिभागिता कराये जाने एवं उल्लेखनीय सफलता प्राप्त किये जाने हेतु विभाग द्वारा खेल नीति 2021 प्रख्यापित की गयी।

खेल (Sports)

24.1 खेल अवस्थापना सुविधाएं–राज्य में खेल विभाग की स्थापित अवस्थापना सुविधाओं का विवरण निम्न तालिका 24.1 में प्रस्तुत है:–

तालिका 24.1

क्र. सं.	खेल अवस्थापना का नाम	खेल अवस्थापना की संख्या
1	2	3
1	अन्तर्राष्ट्रीय स्टेडियम	02
2	स्टेडियम	26
3	बहुउद्देशीय क्रीड़ाहॉल	17
4	इंडोर क्रीड़ाहॉल	27
5	तरणताल	05
6	आईस स्केटिंग रिंक	01

स्रोतः खेल विभाग उत्तराखण्ड

24.2 जिला सेक्टर की योजनायें

24.2.1 खेल प्रतियोगिताओं का आयोजनः– वित्तीय वर्ष 2025–26 हेतु ₹ 250.00 लाख का बजट प्राविधान किया गया है, जिसके सापेक्ष माह दिसम्बर, 2025 तक ₹ 167.00 लाख की धनराशि व्यय कर माह दिसम्बर, 2025 तक 15892 खिलाड़ी लाभान्वित हो चुके हैं।

24.2.2 खेल प्रशिक्षण शिविर योजनाः– वित्तीय वर्ष 2025–26 हेतु ₹ 408.30 लाख का बजट प्राविधान किया गया है, जिसके सापेक्ष माह दिसम्बर, 2025 तक ₹ 253.37 लाख की धनराशि व्यय कर 4508 खिलाड़ी लाभान्वित हो चुके हैं।

24.2.3 आवासीय क्रीड़ा छात्रावास योजनाः– खेल विभाग द्वारा प्रत्येक जनपद में आवासीय क्रीड़ा छात्रावास खोले गये हैं। छात्रावासों के संचालन हेतु योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025–26 में ₹ 406.00 लाख के बजट का प्राविधान किया गया है, जिसके सापेक्ष माह दिसम्बर, 2025 तक ₹ 267.57 लाख की धनराशि व्यय की जा चुकी है। खेल विभाग द्वारा संचालित आवासीय छात्रावासों तथा उसमें प्रशिक्षणरत छात्रों की संख्या निम्न तालिका 24.2 में प्रस्तुत है:–

तालिका–24.2

आवासीय खेल छात्रावास

क्र. सं.	आवासीय क्रीड़ा छात्रावास	खेल	वर्ग	स्वीकृत सीट	भरी गयी सीट	कुल रिक्त सीट
1.	पौड़ी	बैडमिंटन	बालक	20	16	4
2.	कोटद्वार (पौड़ी)	बॉक्सिंग	बालक	25	25	–
3.	चमोली	वॉलीबॉल	बालक	20	18	2
4.	देहरादून	फुटबॉल	बालक	25	20	5
5.	हरिद्वार	हॉकी	बालिका	25	23	2
6.	टिहरी	क्रिकेट	बालक	20	16	4
7.	उत्तरकाशी	फुटबॉल	बालिका	20	17	3
8.	रूद्रप्रयाग	एथलेटिक्स	बालिका	25	25	–
9.	नैनीताल	फुटबॉल	बालक	25	19	6
10.	बागेश्वर	ताईक्वांडो	बालिका	20	–	20
11.	चम्पावत	बॉक्सिंग	बालक	20	20	–
12.	अल्मोड़ा	बैडमिंटन	बालिका	20	12	8
13.	पिथौरागढ़	बॉक्सिंग	बालिका	20	20	–
14.	ऊधमसिंह नगर	एथलेटिक्स	बालक	25	24	1
कुल योग				310	255	55

स्रोतः खेल विभाग उत्तराखण्ड

24.3 राज्य सेक्टर योजनायें

24.3.1 नकद पुरस्कार योजनाः–इस योजना के तहत खिलाड़ियों के उत्साहवर्द्धन तथा भविष्य में होने वाली प्रतियोगिताओं के प्रोत्साहन हेतु राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक प्राप्त/प्रतिभाग करने वाले खिलाड़ियों तथा उनके प्रशिक्षकों को नकद पुरस्कार स्वरूप धनराशि प्रदान की जाती है। खेल नीति–2021 के प्राविधानों के आधार पर पुरस्कार की धनराशि में पूर्व देय धनराशि के सापेक्ष 30 प्रतिशत से लेकर 100 प्रतिशत तक की वृद्धि की गयी है। इस योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2025–26 में ₹ 2125.00 लाख का बजट प्राविधान किया गया है, जिसके सापेक्ष ₹ 1401.38 लाख की धनराशि नकद पुरस्कार स्वरूप 330 खिलाड़ियों एवं प्रशिक्षकों को प्रदान की गयी है।

24.3.2 खेल किट योजनाः–राज्य की टीम द्वारा राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग करने वाले खिलाड़ियों को ₹ 5000.00 तक के ट्रैकसूट, जूते, मोजे तथा खेलकिट प्रदान किये जाते हैं। इस योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2025–26 हेतु 125.00 लाख का बजट प्राविधान किया गया है।

24.3.3 खेल संघों, क्लबों आदि को प्रतियोगिता आयोजन हेतु अनुदान योजनाः–इस योजनान्तर्गत खेल संघों, क्लबों एवं अन्य खेल संघों को जिला/राज्य/राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिताओं के आयोजन कराये जाने एवं खेलकूद उपकरण क्रय हेतु अनुदान प्रदान किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2025–26 में ₹ 25.00 लाख का बजट प्राविधान किया गया है, जिसके सापेक्ष माह दिसम्बर, 2025 तक ₹ 10.50 लाख की धनराशि व्यय किया गया है।

24.3.4 विशिष्ट खिलाड़ियों के लिए देवभूमि खेल रत्न व द्रोणाचार्य अवार्ड योजनाः–इस

योजनान्तर्गत प्रत्येक वर्ष राज्य के 01 उत्कृष्ट खिलाड़ी को **"देवभूमि उत्तराखण्ड खेल रत्न पुरस्कार"** के रूप में ₹ 05.00 लाख, 06 खिलाड़ियों को **"हिमालय रत्न पुरस्कार"** के रूप में प्रत्येक को ₹ 01.00 लाख एवं 01 प्रशिक्षक को **"देवभूमि उत्तराखण्ड द्रोणाचार्य पुरस्कार"** के रूप में ₹ 03.00 लाख की धनराशि प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त खेल विधा में उत्कृष्ट प्रदर्शन एवं खेलों के प्रति दिये गये योगदान हेतु प्रत्येक वर्ष 01 प्रशिक्षक को **"लाईफटाईम अचीवमेंट अवार्ड"** के रूप में ₹ 05.00 लाख की धनराशि भी प्रदान की जाती है। वित्तीय वर्ष 2025–26 में उक्त पुरस्कारों हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये हैं तथा इस योजना हेतु ₹ 30.00 लाख का बजट प्राविधान किया गया है।

24.3.5 नेहरू पर्वतारोहण संस्थान को अनुदान योजनाः– उत्तरकाशी में स्थित नेहरू पर्वतारोहण संस्थान में बेसिक एवं एडवांस पर्वतारोहण, एडवेंचर कोर्स, एम.ओ.आई. कोर्स, सर्च एंड रेस्क्यू कोर्स संचालित किया जाता है, जिसमें वर्ष 2024–25 में 1019 प्रशिक्षु द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त किया जा चुका है। इस योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2025–26 हेतु ₹ 1150.56 लाख की धनराशि का प्राविधान किया गया है, जिसके सापेक्ष माह दिसम्बर, 2025 तक 1036 प्रशिक्षु प्रशिक्षण प्रदान कर चुके है। इस हेतु ₹ 863.98 लाख की धनराशि व्यय की जा चुकी है।

24.3.6 स्पोर्ट्स कॉलेज को अनुदान योजनाः– देहरादून तथा पिथौरागढ़ में स्पोर्ट्स कॉलेज स्थापित हैं, जिसमें खिलाड़ियों को अन्तर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं हेतु तैयार करने के साथ–साथ 431 प्रशिक्षणरत् खिलाड़ियों के लिए कक्षा 06 से 12 तक की कक्षाएं संचालित है। इन बालकों को भोजन, खेल प्रशिक्षण, शिक्षा, खेलकिट एवं खेल उपकरण आदि की सुविधा निःशुल्क प्रदान की जाती है। इस योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2025–26 में ₹ 987.87 लाख का बजट प्राविधान किया गया है, जिसके सापेक्ष माह दिसम्बर, 2025 तक ₹ 821.49 लाख की धनराशि व्यय की जा चुकी है।

24.3.7 खेल प्रतियोगिता एवं प्रशिक्षण शिविरों के आयोजन हेतु योजनाः– इस योजनान्तर्गत राज्य स्तर की प्रतियोगिता तथा राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग करने से पूर्व विशेष प्रशिक्षण शिविर प्रदान किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2025–26 हेतु ₹ 660.14 लाख का बजट प्राविधान किया गया है। वर्तमान में शासन द्वारा कुल 279 स्थानीय प्रशिक्षण शिविरों की स्वीकृति के सापेक्ष 228 स्थानीय प्रशिक्षण संचालित है। जिस हेतु प्रशिक्षकों को मानदेय में माह दिसम्बर, 2025 तक ₹ 554.93 लाख का उपयोग किया गया।

24.3.8 पं0 नैनसिंह सर्वेयर पर्वतारोहण प्रशिक्षण योजनाः– पिथौरागढ़ के मुनस्यारी में पर्वतारोहण, स्पोर्टस, क्लाईम्बिंग तथा अन्य साहसिक क्रियाकलापों के प्रशिक्षण प्रदान किये जाने हेतु पं0 नैनसिंह सर्वेयर पर्वतारोहण प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की गयी है, जिस हेतु वित्तीय वर्ष 2025–26 में ₹ 78.00 लाख की धनराशि का प्राविधान किया गया है, जिसके सापेक्ष माह दिसम्बर, 2025 तक ₹ 7.83 लाख की धनराशि का व्यय किया जा चुका है। माह जनवरी/फरवरी, 2026 तक बेसिक स्की कोर्स का आयोजन किया जाना प्रस्तावित है, जिसमें 100 प्रशिक्षु लाभान्वित होगें।

24.3.9 राज्य के उदीयमान खिलाड़ियों को छात्रवृत्ति योजना– विभाग द्वारा राज्य के 08 से 14 वर्ष के 3900 उदीयमान खिलाड़ियों को प्रतिमाह ₹ 1500/–एवं इसके साथ ही 14 से 23 वर्ष के 2600 खिलाड़ियों हेतु भी प्रतिमाह ₹ 2000/– छात्रवृत्ति के साथ ही वर्ष में एक बार खेल उपकरण क्रय हेतु ₹ 10000/– की धनराशि प्रदान किये जाने की व्यवस्था की गयी है। इस योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2025–26 हेतु ₹ 1000.00 लाख का बजट प्राविधान किया गया है, जिसके सापेक्ष माह दिसम्बर तक ₹ 863.75 लाख का व्यय किया गया है।

24.3.10 खिलाड़ियों को खेल इंजरी व आकस्मिकता के दृष्टिगत बीमा/आर्थिक सहायता– राज्य के खिलाड़ियों को प्रतियोगिता एवं प्रशिक्षण शिविरों के दौरान दुर्घटना एवं चोटिल हो जाने पर आर्थिक सहायता प्रदान किये की व्यवस्था की गयी है, जो निम्नानुसार है–

(1) मृत्यु होने की दशा में– ₹ 5.00 लाख प्रति खिलाड़ी।

(2) स्थाई दिव्यांगता –

(क) 40 प्रतिशत या अधिक दिव्यांगता– ₹ 4.00 लाख।

(ख) 40 प्रतिशत से कम दिव्यांगता– ₹ 2.00 लाख।

(3) गम्भीर चोट का उपचार–₹ 5000.00 प्रतिदिन, अधिकतम ₹ 1.00 लाख।

(4) बीमारी/साधारण चोट– ₹ 50 हजार अधिकतम अथवा वास्तविक व्यय।

24.3.11 स्टेडियम एवं इंडोरहॉल निर्माण योजनाः– वर्तमान में 02 अन्तर्राष्ट्रीय स्टेडियम, 26 स्टेडियम, 17 बहुउद्देशीय क्रीड़ाहॉल, 27 इंडोर क्रीड़ाहॉल, 05 तरणताल तथा 01 आईस स्केटिंग रिंक स्थापित है, जिनमें प्रतिवर्ष लगभग 15000 बालक एवं बालिकाएं खेल प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे है। वित्तीय वर्ष 2025–26 हेतु खेल अवस्थापना सुविधाओं के नवीन निर्माण कार्यों हेतु ₹ 4823.04 लाख बजट के सापेक्ष ₹ 2591.08 लाख की धनराशि निर्माण कार्यों हेतु व्यय की जा चुकी है।

24.3.12 महिला स्पोर्ट्स कॉलेज चम्पावत का निर्माणः– महिला खिलाड़ियों के खेल कौशल विकास हेतु जनपद चम्पावत में महिला स्पोर्ट्स कॉलेज स्थापित किया जा रहा है, जिससे प्रदेश की महिला खिलाड़ियों को विधिवत् खेल सुविधा होगी। इस योजना हेतु कुल धनराशि ₹ 25696.63 लाख का आगणन स्वीकृत किया गया है, जिसके सापेक्ष वर्तमान तक कुल ₹ 5305.15 लाख की धनराशि कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करा दी गयी है।

वर्तमान में धनराशि से निम्न निर्माण कार्य कराये जा रहे हैं–

1. जनपद–टिहरी गढ़वाल के हिंडोलाखाल, उत्तराखंड में प्रस्तावित मल्टीपर्पज हॉल का निर्माण।
2. जनपद रूद्रप्रयाग के अगस्त्यमुनि में स्पोर्ट्स स्टेडियम का निर्माण।
3. जनपद–देहरादून के अन्तर्गत ऋषिकेश के मौंजा खडकमाफ से बाउण्ड्री वॉल का निर्माण।
4. रुद्रपुर, यू.एस. नगर में इंडोर बैडमिंटन हॉल का नवीनीकरण कार्य।
5. जनपद उधमसिंहनगर के विधानसभा क्षेत्र गदरपुर में एक्ससाईज हॉल के निर्माण कार्य
6. मा0 मुख्यमंत्री जी की घो0सं0 285/2022 "चम्पावत में शूटिंग रेंज का निर्माण किया जायेगा"
7. सिविल सर्विस इंस्टीट्यूट, राजपुर, देहरादून में स्विमिंग पूल का पुनर्निर्माण।
8. जनपद उधमसिंह नगर के अर्न्तगत मनोज सरकार स्पोर्ट्स स्टेडियम, रूद्रपुर में फुटबॉल ग्राउण्ड का निर्माण
9. चम्पावत में महिला स्पोर्ट्स कॉलेज की स्थापना।
10. जनपद–पिथौरागढ़ के अन्तर्गत धारचूला के गुंजी ब्लॉक में प्रस्तावित इंडोर बैडमिंटन हॉल का निर्माण।
11. जनपद–पिथौरागढ़ के अन्तर्गत श्री हरि सिंह थापा स्पोर्ट्स कॉलेज, फुटबॉल ग्राउण्ड लेलू में 25 फीट ऊंची चैनलिंग फेन्सिंग के निर्माण कार्य।
12. हरि सिंह थापा स्पोर्ट्स कॉलेज लेलू 08 लेन 400 मी0 एथलेटिक सिन्थेटिक ट्रैक।
13. MPSC, रायपुर, देहरादून में फुटबॉल ग्राउंड के

पास टॉयलेट ब्लॉक।

14- MPSC, रायपुर, देहरादून में एथलेटिक ट्रैक के पास टॉयलेट ब्लॉक।

15- MPSC रायपुर, देहरादून में घुड़सवारी के लिए टॉयलेट ब्लॉक।

16- MPH रुद्रपुर में अतिरिक्त लोड HVAC के लिए सबस्टेशन का कार्य।

17. इंदिरा गांधी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हल्द्वानी में डाइविंग स्विमिंग पूल को सभी मौसम में चालू करने की व्यवस्था।

18- MPSC, रायपुर, देहरादून में 10 सीटों वाले 10 मोबाइल टॉयलेट।

19- MPSC, रायपुर, देहरादून के लैंडस्केपिंग कार्य।

20- R-G-I-C-S, रायपुर, देहरादून में स्विमिंग पूल की मरम्मत कार्य के लिए विस्तृत अनुमान।

21. स्पोर्ट्स स्टेडियम, रोशनाबाद, हरिद्वार में मल्टीपर्पज हॉल के HVAC, DG सेट और अन्य संबंधित कार्य।

22- MPSC, रायपुर, देहरादून में लॉन बॉलिंग ग्राउंड, मिनी ट्यूबवेल और पानी की आपूर्ति की व्यवस्था के निर्माण।

24.4 केन्द्र पोषित योजनायें

24.4.1 खेलो इंडिया योजनाः– इस योजना के अन्तर्गत प्रत्येक जनपद में 02–02 खेल हेतु खेलो इण्डिया सेन्टर संचालित किये जा रहे हैं। जिनका विवरण निम्नानुसार हैः–

तालिका–24.3

खेलों इण्डिया सेन्टर

क्र0सं0	जनपद	खेलों इण्डिया सेन्टर का स्थान	प्रस्तावित खेल
1	अल्मोड़ा	एच0एन0बी0 स्पोर्ट्स स्टेडियम, अल्मोड़ा	हॉकी
		HNB स्पोर्ट्स स्टेडियम, अल्मोड़ा	ताईक्वांडो
2	बागेश्वर	स्पोर्टस स्टेडियम, बागेश्वर।	बॉक्सिग
		स्पोर्ट्स स्टेडियम, कठैत बाड़ा बागेश्वर	ताईक्वांडो
3	चमोली	स्पोर्ट्स स्टेडियम, गोपेश्वर, चमोली।	फुटबॉल
		स्पोर्ट्स स्टेडियम, गोपेश्वर	टेबल टेनिस
4	चम्पावत	स्पोर्टस स्टेडियम, टनकपुर, चम्पावत।	फुटबॉल
		स्पोर्ट्स स्टेडियम, लोहाघाट	एथलेटिक्स
5	देहरादून	स्पोर्टस स्टेडियम, परेड ग्राउण्ड, देहरादून।	जूडो
		स्पोर्ट्स स्टेडियम, देहरादून	फुटबॉल
6	हरिद्वार	स्पोर्ट्स स्टेडियम, रोशनाबाद, हरिद्वार।	कुश्ती
		स्पोर्ट्स स्टेडियम, रोशनाबाद	हॉकी
7	नैनीताल	इन्दिरा गाँधी इन्टरनेशनल स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स गोलापार, हल्द्वानी, नैनिताल।	हॉकी
		स्पोर्ट्स स्टेडियम, हल्द्वानी	बालीवॉल
8	पौड़ी गढ़वाल	शशीधर भट्ट स्पोर्ट्स स्टेडियम, कोटद्वार	फुटबॉल
		शशीधर भट्ट स्पोर्ट्स स्टेडियम, कोटद्वार	तीरदाजी
9	पिथौरागढ़	श्री सुरेन्द्र सिंह वाल्दिया स्पोर्ट्स स्टेडियम, पिथौरागढ़।	एथलेटिक्स
		श्री सुरेन्द्र सिंह वल्दिया स्पोर्ट्स स्टेडियम, पिथौरागढ़	फुटबॉल
10	टिहरी गढ़वाल	पूर्णानन्द स्पोर्ट्स, स्टेडियम मुनीकीरेति, ढालवाला, टिहरी गढवाल।	फुटबॉल
		पूर्णनंद स्पोर्ट्स स्टेडियम, टिहरी	खो–खो
11	रूद्रप्रयाग	स्पोर्ट्स स्टेडियम, अगस्त्यमुनी	हैण्डबॉल
		स्पोर्ट्स स्टेडियम, अगस्त्यमुनि	फुटबॉल
12	उधमसिंह नगर	श्री मनोज सरकार स्पोर्ट्स स्टेडियम, रूद्रपुर, उधमसिंह नगर।	बॉलीवाल
		स्पोर्ट्स स्टेडियम, रूद्रपुर	फुटबॉल
13	उत्तरकाशी	स्पोर्ट्स स्टेडियम, मनेरा, उत्तरकाशी	एथलेटिक्स
		स्पोर्ट्स स्टेडियम, मनेरा, उत्तराकाशी	फुटबॉल

स्रोतः खेल विभाग उत्तराखण्ड

मुख्य उपलब्धियां / नवाचार
(Major Achievements/Innovation)

- उत्तराखण्ड राज्य द्वारा दिनांक 28 जनवरी, 2025 से 14 फरवरी, 2025 तक 38वें राष्ट्रीय खेलों का भव्य / सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। जिसमें उत्तराखण्ड राज्य के खिलाड़ियों द्वारा **स्वर्ण–24, रजत–35, कांस्य–44 अर्थात् कुल 103 पदक अर्जित कर 37वें राष्ट्रीय खेल में प्राप्त 25वें स्थान से 7वां स्थान प्राप्त कर उत्तराखण्ड राज्य का नाम देश** में गौरान्वित किया गया।
- 38वें राष्ट्रीय खेलों के पदक विजेता खिलाड़ियों को नकद पुरस्कार हेतु पूर्व में निर्धारित धनराशि **(स्वर्ण पदक हेतु ₹ 6.00 लाख, रजत पदक हेतु ₹ 4.00 लाख एवं कांस्य पदक हेतु ₹ 3.00 लाख)** को दोगुना **(स्वर्ण पदक हेतु ₹ 12.00 लाख, रजत पदक हेतु ₹ 8.00 लाख एवं कांस्य पदक हेतु ₹ 6.00 लाख)** करते हुये कुल 316 राष्ट्रीय स्तर पर पदक विजेता खिलाड़ियों को ₹ 11.87 करोड़ की धनराशि दी गयी है।
- **खिलाड़ियों के लिए सरकारी नौकरियों में 04 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण** दिये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है, जिससे उत्तराखण्ड राज्य के खिलाड़ियों को लाभ प्राप्त होगा।
- **आउट आफ टर्न सेवायोजन**– शासनादेश सख्या 728 दिनांक 14 सितम्बर, 2022 के अनुसार अन्तर्राष्ट्रीय / राष्ट्रीय खेलों में पदक विजेता खिलाड़ियों को उत्तराखण्ड में राजपत्रित / अराजपत्रित पदों पर आउट आफ टर्न सेवायोजन प्रदान किये जाने की व्यवस्था की गयी है के अन्तर्गत चिन्हित विभागों में विभिन्न पदों पर **कुल 29 खिलाड़ियों को सेवायोजित किया जा चुका है एवं वर्तमान में अतिरिक्त पदों के सृजन की कार्यवाही की जा रही है।**
- **खिलाड़ियों के दैनिक भोजन भत्ता में वृद्वि**– राष्ट्रीय स्तर की अथवा इससे उच्च स्तर की विभिन्न खेलकूद प्रतियोगिताओं हेतु चयनित खिलाड़ियों के लिये आयोजित होने वाले विशेष प्रशिक्षण शिविरों के लिये दैनिक भोजन भत्ता की दर ₹ 250.00 / – से बढ़ाकर ₹ 400.00 / – प्रतिदिन किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है।
- राज्य के प्रथम बालिका स्पोर्ट्स कॉलेज चम्पावत (लोहाघाट) में स्थापित किये जाने हेतु कुल स्वीकृत आंगणन ₹ 256.96 करोड के सापेक्ष कार्यदायी संस्था को ₹ 53.50 करोड़ की धनराशि उपलब्ध करा दी गयी है।
- राज्य का प्रथम खेल विश्वविद्यालय हल्द्वानी नैनीताल में स्थापित किये जाने की कार्यवाही गतिमान है।
- दिव्यांगजनों के सुविधानुसार खेल अवस्थापना सुविधाओं का निर्माण किया जाएगा तथा दिव्यांगजनों के प्रतिस्पर्धी क्षमता को बढ़ाने हेतु प्रतियोगिता एवं प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन किया जाएगा।
- राज्य में परम्परागत खेलों की विहितगार अन्य राज्यों के साथ साझा कर पहचान दिलायी जायेगी।

भावी योजनाएं/प्रस्तावित 2026–27

राज्य में खेल विश्वविद्यालय स्थापित करना।	खिलाड़ियों को उनके खेलों में उच्च स्तर की शोध कार्य आदि किये जाने हेतु राज्य में खेल विश्वविद्यालय का निर्माण
खेल अकादमी की स्थापना	उत्तराखण्ड राज्य में 38वें राष्ट्रीय खेल होने एवं मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के खिलाडियों को राष्ट्रीय/अर्न्तराष्ट्रीय स्तर की खेल सुविधाऐ उपलब्ध/प्रदान कराये जाने के दृष्टिगत खेल विभाग के अर्न्तगत सृजित/विकसित/उच्चीकृत/विस्तारित की अवस्थापना सुविधाओं को खिलाड़ियों को पूर्ण रूप में उपयोग कराये जाने के मध्य नजर रखते हुए 23 खेल अकादमियों की स्थापना की जानी है।
राज्य खेल विकास संस्थान एवं खेल विज्ञान केन्द्र की स्थापना।	केन्द्र की स्थापना से खिलाड़ियों को तकनीकी, वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक प्रशिक्षण प्राप्त होगा एवं इस क्षेत्र में शोध कार्य से राज्य के खिलाड़ियों को उनके कौशल विकास में सहायता प्राप्त होगी।
राज्य के उदीयमान खिलाड़ियों को प्रशिक्षण	राज्य के उदीयमान खिलाड़ियों को प्रशिक्षण प्रदान किये जाने हेतु विदेशी प्रशिक्षक को अनुबंध के आधार पर तैनात किया जायेगा।
एक्सीलेंसी सेंटर खोले जायेंगे।	03 खेलों(एथलेटिक्स, जूडो, बाक्सिंग) हेतु 01 एक्सीलेंसी एवं शीतकालीन खेल हेतु आईस स्केटिंग रिंक में एक एक्सीलेंसी की स्थापना की जानी है, जिसके प्रशिक्षणरत खिलाड़ियों को आवास, भोजन, खेल किट, प्रतियोगिता में प्रतिभाग हेतु यात्रा भत्ता, चिकित्सा, उपकरणों के क्रय आदि प्रदान की जायेगी।
महाविद्यालयों/व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु 05 प्रतिशत का उत्कृष्ट खिलाड़ी खेल कोटा प्रदान किये जाने की योजना	इस योजना से राज्य के खिलाड़ियों को उच्च स्तर की शिक्षा ग्रहण करने हेतु खेल कोटे के अन्तर्गत प्रवेश प्राप्त कर पायेगें।

तालिका–24.4

खेल विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2025–26 में प्रदान किये गये अन्तर्राष्ट्रीय पुरस्कारों का विवरण

क्र. सं.	पुरस्कार का नाम	खिलाड़ी/प्रशिक्षक का नाम	देय धनराशि (₹ में)
1	अन्तर्राष्ट्रीय पदक विजेता खिलाड़ियों को नकद पुरस्कार	Mandeep Kaur	5000000
2		Amisha Rawat	5000000
3		Manoj Sarkar	5000000
4		Shourya Saini	3000000
5		Abhinav Deshwal	3000000
6		Ameesha Chauhan	187500
7		Prisha Rana	125000
8		Khushi Chand	37500
9		Om Bhandari	37500
कुल योग			**21387500**

स्रोतः खेल विभाग उत्तराखण्ड

विगत 25 वर्षों में खेल विभाग की प्रगतिः–

राज्य गठन से पूर्व खेल विभाग के अन्तर्गत विभिन्न जनपदों में 09 आउटडोर स्टेडियम, 01 बहुउद्देशीय क्रीड़ा हॉल, 02 तरणताल, 01 इंडोर हॉल, 01 स्पोर्ट्स कॉलेज स्थापित/सृजित थे।

खेलों के विकास एवं खिलाड़ियों के प्रोत्साहन हेतु विभिन्न निम्न योजनाएँ संचालित थीः

(1)– खेल प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन।

(2)– खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन।

(3)– पदक विजेता खिलाडियों का नकद पुरस्कार।

(4)– आवासीय क्रीड़ा छात्रावास।

(5)– राष्ट्रीय चौंपियनशिप में प्रतिभाग करने वाली टीमों के खिलाड़ियों हेतु खेल किट/प्रतिपूर्ति।

(6)– प्रदेशीय क्रीड़ा संघों/क्लबों को आर्थिक सहायता।

(7)– विशिष्ठ खिलाड़ियों को प्रदेशीय पुरस्कार।

(8)– भूतपूर्व प्रसिद्ध खिलाड़ियों को आर्थिक सहायता।

राज्य गठन के पश्चात 25 वर्षों में सरकार द्वारा उत्तराखण्ड राज्य को देश एवं विश्व में देवभूमि के साथ–साथ खेलभूमि के नाम से पहचान दिलाने तथा खेलों के विकास एवं खिलाड़ियों के उन्नयन/प्रोत्साहन के दृष्टिगत राज्य गठन से पूर्व स्थापित जिला/राज्य स्तरीय खेल अवस्थापना सुविधाओं में लगभग 70 गुणा वृद्धि करते हुए राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की खेल अवस्थापना सुविधाएँ सृजित/विकसित की गई। जिसके अन्तर्गत जनपद देहरादून में एवं जनपद नैनीताल के अन्तर्गत हल्द्वानी में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के क्रिकेट स्टेडियम/स्पोर्ट्स कॉम्पलैक्स की स्थापना, देहरादून, जनपद नैनीताल के हल्द्वानी, ऊधमसिंह नगर, पिथौरागढ़ एवं जनपद हरिद्वार में विभिन्न खेलों की राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की खेल अवस्थापना सुविधाओं के साथ–साथ उत्तराखण्ड राज्य के अन्य जनपदों में भी खेल अवस्थापना सुविधाएँ सृजित/स्थापित/विकसित की गई है। जिसके अन्तर्गत 02 अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के क्रिकेट स्टेडियम/स्पोर्ट्स कॉम्पलैक्स, 17 राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के इंडोर क्रीड़ा हॉल/बहुद्देशीय क्रीडा हॉल, 06 तरणताल, 31 इंडोर हॉल, 28जनपद/राज्य स्तरीय आउटडोर स्टेडियम, 03 स्पोर्ट्स कॉलेज एवं 01 खेल विश्वविद्यालय है।

उत्तराखण्ड राज्य के खिलाड़ियों को राज्य में ही उच्च स्तरीय खेल सुविधाएँ उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से सरकार द्वारा राज्य में स्थापित खेल अवस्थापना सुविधाओं के अनुसार विभिन्न खेलों की 23 खेल अकादमियों की स्थापना किये जाने की कार्यवाही की जा रही है, जिससे उत्तराखण्ड राज्य को उनकी सुविधानुसार खेल सुविधाएँ उपलब्ध हो सकें और खिलाड़ियों को किसी भी प्रकार की कोई असुविधा न हो पाये और खिलाड़ी अपने खेल कौशल में सुधार लाकर उच्च स्तरीय खेल प्रतियोगिताओं में उल्लेखनीय सफलता अर्जित कर उत्तराखण्ड राज्य का नाम देश एवं विश्व में गौरवान्वित कराने में सफल हो सके।

सरकार द्वारा खेल अवस्थापना सुविधाओं के साथ–साथ खेलों के विकास एवं खिलाड़ियों के प्रोत्साहन हेतु निम्नलिखित नवीन योजनाएँ संचालित की जा रही है जिनका विवरण निम्नानुसार हैः

- अन्तर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय खेल के पदक विजेता खिलाड़ियों को आउट ऑफ टर्न सेवायोजन (जिसमें अन्तर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय खेलों के पदक विजेताओं को विभिन्न विभागों में खिलाड़ियों की खेल उपलब्धि के अनुसार आउट ऑफ टर्न पदों पर सेवायोजित किया जाता है)।
- मा० मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना (जिसमें 08 वर्ष 14 वर्ष तक के उदीयमान खिलाड़ियों को चयन ट्रायल्स के आधार पर राज्य के प्रत्येक जनपद से 150 बालक एवं 150 बालिकाओं का चयन कर एक वित्तीय वर्ष हेतु प्रत्येक माह ₹ 1500.00 की

छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है) एवं मा० मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना (जिसमें 14 वर्ष 23 वर्ष तक के उदीयमान खिलाड़ियों को चयन ट्रायल्स के आधार पर राज्य के प्रत्येक जनपद से 100 बालक एवं 100 बालिकाओं का चयन कर एक वित्तीय वर्ष हेतु प्रत्येक माह ₹ 2000.00 की प्रोत्साहन राशि के साथ–साथ खेल उपकरण/सामग्री क्रय हेतु ₹ 10000.00 एकमुश्त अनुदान प्रदान किया जाता है)।

- खेल विकास निधि जिसके अर्न्तगत जिससे उत्तराखण्ड राज्य के उदीयमान/विशिष्ठ खिलाड़ियों को राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं की तैयारियों हेतु आर्थिक सहायता एवं राज्य में स्थापित खेल अवस्थापना सुविधाओं का बेहतर रख–रखाव करने, खेलों में उत्कृष्टता को सहयोग देने के लिए अनुसंधान और विकास अध्ययन आरम्भ करने आदि के लिए "मुख्यमंत्री खेल विकास निधि" का गठन किया गया है।

- खिलाड़ियों के लिए दुर्घटना बीमा योजना के अंर्तगत जिसमें राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं एवं इससे सम्बन्धित प्रशिक्षण शिविरों प्रतिभागिता हेतु यात्रा के दौरान एवं प्रतियोगिता/प्रशिक्षण अवधि में अभ्यास के दौरान खिलाड़ियों को लगने वाली चोट अथवा घटित दुर्घटना हेतु आर्थिक सहायता के रूप में प्रदान किये जाने हेतु बीमा योजना लागू की गई है।

- खिलाड़ियों के लिए हिमालय रत्न खेल पुरस्कार इस योजना के अर्न्तगत जिसमें खिलाड़ियों को उनकी खेल उपलब्धि के अनुसार चयनित करने पर सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को पुरस्कार प्रदान किया जाता है तथा खेलकूद प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन जिसमें 21 वर्ष से कम आयु के खिलाड़ियों को खेल विभाग द्वारा खेल विशेष में नियुक्त खेल विशेषज्ञों के द्वारा निःशुल्क खेल प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।

24.5 युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल

Youth Welfare & PRD

युवा कल्याण निदेशालय राज्य में खेलकूद और युवा कल्याण की गतिविधियों के सुचारू संचालन के लिए उत्तरदायी है। यह विभाग केन्द्र और राज्य सरकार की विभिन्न युवा केन्द्रित योजनाओं को धरातल पर उतारने का कार्य करता है। युवा कल्याण विभाग द्वारा राष्ट्रीय सेवा योजना विभाग के माध्यम से स्वयंसेवको का पंजीकरण सुनिश्चित किया जाता है। उत्तराखण्ड का युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल विभाग राज्य के युवाओं के समग्र विकास, खेलकूद को बढ़ावा देने और उन्हें रोजगारपरक प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु कार्यरत है। यह विभाग ग्रामीण स्तर पर खेल महाकुंभ, युवक/महिला मंगल दल को आर्थिक सहायता, खेल मैदानों का विकास और पीआरडी स्वयंसेवकों को रोजगार व सुरक्षा प्रशिक्षण सुनिश्चित करता है। उत्तराखण्ड सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन एवं वैश्विक रोजगार योजना के तहत युवाओं को आतिथ्य, नर्सिंग आदि क्षेत्रों में प्रशिक्षण देकर जापान और जर्मनी में रोजगार के अवसर प्रदान किये जा रहे है।

जिला सेक्टर योजनायें :–

24.5.1. ग्रामीण खेलकूद प्रतियोगिता – योजना के अंतर्गत न्याय पंचायत, विकासखण्ड एवं जनपद स्तर पर विभिन्न खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है, जिसमें विजेता खिलाडियों को राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिता में प्रतिभाग कराया जाता है। योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025–26 में कुल ₹ 317.33 लाख की धनराशि स्वीकृत की गयी, जिससे ₹ 19.03 लाख की धनराशि व्यय की गयी है। वर्तमान में खेल महाकुम्भ के अंतर्गत 662 न्याय पंचायतों, 70 विधानसभा क्षेत्रवार, 08 संसदीय क्षेत्रवार, मुख्यमंत्री चैम्पियनशिप ट्रॉफी (राज्य स्तर पर) प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है।

24.5.2. युवक एवं महिला मंगल दलों को प्रोत्साहन – वित्तीय वर्ष 2025–26 में

योजनान्तर्गत कुल ₹ 30.80 लाख की धनराशि स्वीकृति हुई है, जिसके सापेक्ष ₹ 12.66 लाख की धनराशि व्यय करते हुए कुल 216 युवक एवं महिला मंगल दलों, महिला संगठिकाओं, क्षेत्र युवक समिति तथा जिला युवक समिति के प्रोत्साहन/सुदृढ़ीकरण हेतु उपयोग किया गया है।

24.5.3. समाज सेवा/सुरक्षा कार्य– प्रान्तीय रक्षक दल स्वयंसेवकों से समय–समय पर होने वाले मेलों, तीर्थयात्रा, दैवीय आपदाओं, निर्वाचन ड्यूटियों एवं अन्य शासकीय कार्यों के दौरान सामाजिक सुरक्षा एवं समाज सेवा सम्बन्धी कार्य सम्पादित कराये जाते है। इस हेतु योजना मद (सामान्य, अनुसूचित जाति व जनजाति) में वित्तीय वर्ष 2025–26 में कुल ₹ 4748.21 लाख की धनराशि का अवमुक्त करायी गयी, जिससे उन्हें विभिन्न विभागों में शासकीय कार्यों के सम्पादनार्थ तैनात कर ₹ 2196.63 लाख का उपयोग करते हुए 1,71,099 मानव दिवस सृजित किये गये।

24.5.4. विवेकानन्द यूथ अवार्ड– युवक/महिला मंगल दलों के द्वारा किये गये उत्कृष्ट कार्यों के आधार पर अलग–अलग तीन श्रेणियों में वर्गीकृत कर विवेकानन्द यूथ एवार्ड के तहत नगद पुरस्कार राशि से सम्मानित किया जाता है। योजना में वित्तीय वर्ष 2025–26 में कुल ₹ 6.60 लाख की धनराशि का स्वीकृत हुई है, जिसके सापेक्ष ₹ 2.54 लाख की धनराशि व्यय करते लगभग 25 युवा दलों को यूथ अवार्ड प्रदान किये गये।

24.5.5. युवा केन्द्र की स्थापना/रख–रखाव – युवा कल्याण विभाग के अंतर्गत खेल प्रशिक्षण संचालित करने, जनपद में सांस्कृतिक/साहसिक कार्यक्रमों को बढ़ावा देने, खेलकूद के अतिरिक्त स्वैच्छिक संस्थाओं की विकास में भागीदारी सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से जनपदों में युवा केन्द्र स्थापित किये जाते हैं। इस योजना में वित्तीय वर्ष 2025–26 में कुल ₹ 48.50 लाख की धनराशि अवमुक्त हुई है, जिससे ₹ 1.60 लाख की धनराशि व्यय करते हुए 05 युवा केन्द्रों में अनुरक्षण आदि का कार्य किया जाना है।

24.5.6. ग्रामीण व्यायामशालाओं का संचालन – इस योजना के अंतर्गत युवाओं में शारीरिक विकास एवं स्वास्थ्य संवर्द्धन हेतु विकासखण्ड एवं जनपद स्तर पर व्यायामशालाओं का संचालन किया जा रहा है। इस हेतु वित्तीय वर्ष 2025–26 में ₹ 146.44 लाख की धनराशि के सापेक्ष ₹ 83.38 लाख की धनराशि व्यय करते हुए 04 व्यायामशालाओं को धनराशि उपलब्ध करायी गयी।

24.5.7 व्यावसायिक प्रशिक्षण– इस योजना में युवाओं, महिला मंगल दलों एवं अन्य लोगों को रोजगार एवं स्वरोजगार से जोड़ने हेतु व्यवसायिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। योजना में वित्तीय वर्ष 2025–26 में ₹ 62.25 लाख की धनराशि स्वीकृत हुई, जिसके सापेक्ष ₹ 15.56 लाख की धनराशि व्यय करते हुए 57 लोगों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

24.6 राज्य/केन्द्र पोषित योजनायें:–

24.6.1. युवा कल्याण विभाग द्वारा खेल महाकुम्भ का आयोजन– राज्य में दूरस्थ ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ने हेतु विभाग द्वारा "खेल महाकुम्भ" का आयोजन किया जाता है। इस वर्ष खेल महाकुम्भ में 662 न्याय पंचायतों, 70 विधानसभा क्षेत्रवार, 08 संसदीय क्षेत्रवार, मुख्यमंत्री चैम्पियनशिप ट्रॉफी (राज्य स्तर) पर प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है।

24.6.2 आउटडोर फील्ड, इंडोर हॉल व मिनी स्टेडियम का निर्माण– राज्य में खिलाड़ियों के विकास हेतु खेल अवस्थापना सुविधाओं का विकास किया जा रहा है। आउटडोर फील्ड, इंडोर हॉल निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2025–26 में ₹ 500.00 लाख की धनराशि प्राविधानित है, जिसके सापेक्ष जनपद बागेश्वर में निर्माणाधीन इंडोर स्टेडियम हेतु कुल ₹ 190.016 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी है। योजना में जनपद देहरादून के 04 स्थलों पर इंडोर स्टेडियम व ओपन स्टेडियम निर्माण की कार्यवाही गतिमान है। वर्तमान में विभाग के पास कुल 06 मल्टीपर्पज हॉल हैं।

मिनी स्टेडियम/खेल मैदान के निर्माण हेतु ₹ 1000.00 लाख की धनराशि प्राविधानित है। विभाग के पास कुल 85 खेल अवस्थापनायें निर्मित हैं तथा 16 मिनी स्टेडियम/खेल मैदानों का निर्माण प्रगति पर है। योजनान्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष में ₹ 363.62 लाख की धनराशि व्यय करते हुए 10 खेल अवस्थापनाओं में कार्य पूर्ण करने हेतु धनराशि कार्यदायी संस्थाओं को उपलब्ध करायी गयी है।

24.6.3. राज्य एवं राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन– राज्य में युवाओं को सांस्कृतिक गतिविधियों से जोड़ने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष विकासखण्ड, जनपद एवं राज्य स्तर पर युवा महोत्सव का आयोजन किया जाता है। राज्य स्तर पर विजयी प्रतिभागियों एवं सांस्कृति दलों को राष्ट्रीय स्तर पर युवा महोत्सव में प्रतिभाग करवाया जाता है। इस हेतु वित्तीय वर्ष 2025–26 में ₹ 500.00 लाख की धनराशि का प्राविधान है। महोत्सव का आयोजन स्वामी विवेकानन्द जी के जन्मोत्सव प्रत्येक वर्ष 12 जनवरी के अवसर पर किया जाता है, जिसमें राज्य के लगभग 356 कलाकारों एवं सांस्कृतिक दलों द्वारा प्रतिभाग किया गया है।

• **24.6.4. ग्रामीण खेलकूद एवं स्वास्थ्य संवर्द्धन योजना**– राज्य में निर्मित खेल मैदानों, मिनी स्टेडियमों, व्यायामशालाओं, बहुउद्देशीय क्रीडा हॉल के रख–रखाव, ग्रामीण खेल प्रतियोगिताओं के आयोजन एवं प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को नियमित प्रशिक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से प्रत्येक विकासखण्ड में 01–01 खेल प्रशिक्षक तैनात किये जाने की योजना स्वीकृत है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में राज्य में कुल 95 खेल प्रशिक्षकों की तैनाती की गयी है। इस हेतु ₹ 206.24 लाख की धनराशि जनपदों को आबंटित की गयी है, जिसमें से ₹ 88.29 लाख की धनराशि व्यय की जा चुकी है।

24.6.5. पी0आर0डी0 स्वयंसेवकों का प्रशिक्षण– प्रान्तीय रक्षक दल स्वयंसेवकों को पी0आर0डी0 नियमावली के तहत प्रशिक्षण प्रदान किये जाने की व्यवस्था है। प्रशिक्षण उपरान्त इन्हें विविध जनपयोगी कार्य, निर्वाचन कार्य, धार्मिक पर्वों, यात्रा सीजन, मेला एवं आपदा प्रबंधन आदि कार्यों में ड्यूटी उपलब्ध करवाकर रोजगार प्रदान किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2025–26 में प्राविधानित धनराशि ₹ 200.00 लाख के सापेक्ष ₹ 188.73 लाख की धनराशि स्वीकृत हुई है। योजना के अर्न्तगत प्रान्तीय रक्षक दल स्वयंसेवकों के 149 मृतक आश्रितों को 42 दिवसीय आधारभूत प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है तथा समस्त जनपदों के 950 पी0आर0डी0 स्वयंसेवकों को 22 दिवसीय प्रशिक्षण संचालित किया जा रहा है।

24.6.6. निर्वाचन, चारधाम, कुम्भ मेला व आपदा आदि में पी0आर0डी0 स्वयंसेवकों की तैनाती– राज्य में इस वर्ष हुए चारधाम यात्रा/पर्यटन सीजन ड्यूटी में 2951 तथा त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन ड्यूटी में 3200 पी0आर0डी0 स्वयंसेवकों को ड्यूटी पर तैनात किया गया, जिसमें उनके द्वारा यात्रा के दौरान यात्रियों का पंजीकरण, सुरक्षा ड्यूटी, विभिन्न चैकपोस्टों तथा पंचायत निर्वाचन के दौरान पोलिंग बूथों में अपनी ड्यूटी दी गयी। इस हेतु वित्तीय वर्ष 2025–26 में योजना मद से कुल ₹ 3700.00 लाख के सापेक्ष समस्त जनपदों द्वारा ₹ 2664.19 लाख की धनराशि मानदेय तथा विभिन्न व्ययों पर व्यय की गयी।

24.6.7. प्रतिभाशाली खिलाड़ियों का प्रशिक्षण– खेल महाकुम्भ में चयनित प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को उच्च स्तरीय प्रशिक्षण प्रदान किया जाना प्रस्तावित है। इस हेतु प्रस्ताव तैयार कर खेल विभाग को प्रेषित किया गया है। इस हेतु वित्तीय वर्ष 2025–26 में योजना मद के अंतर्गत धनराशि ₹ 50.00 लाख का प्राविधान हुआ है।

24.6.8. युवा दलों को आर्थिक सहायता– युवक मंगल दल/महिला मंगल दलों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने हेतु शासकीय नीतियों के तहत स्वावलम्बन सम्बन्धी योजनाओं के तहत आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। वित्तीय वर्ष 2025–26 में कुल ₹ 20.00 लाख की धनराशि का

बजट प्राविधान है, जिससे कुल 28 युवक एवं महिला मंगल दलों को लाभान्वित किया जाना है।

24.6.9. मुख्यमंत्री युवा मंगल दल स्वावलम्बन योजना– राज्य के सभी मंगल दलों को आर्थिक रूप से स्वावलम्बी बनाने हेतु मुख्यमंत्री युवा मंगल दल स्वावलम्बन योजना प्रारम्भ की गयी। वित्तीय वर्ष 2025–26 में योजना मद में ₹ 500.00 लाख की धनराशि स्वीकृत हुई है। इसके अंतर्गत मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या–192/2025 युवक मंगल दल एवं महिला मंगल दलों को डिजिटल मिशन के अंतर्गत प्रशिक्षित किये जाने का लक्ष्य है।

24.6.10 अनुसूचित जाति के युवाओं का प्रशिक्षण कार्यक्रम– योजना के अंतर्गत राज्य में अनुसूचित जाति के युवाओं को रोजगारपरक प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु वित्तीय वर्ष 2025–26 में प्राविधानित धनराशि ₹ 600.00 लाख के सापेक्ष ₹ 599.66 लाख की धनराशि स्वीकृत हुई, जिसके सापेक्ष ₹ 557.33 लाख की धनराशि व्यय की जा चुकी है। इसके सापेक्ष 3310 युवाओं को विभिन्न रोजगारपरक प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

24.6.11 अनुसूचित जाति/जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में मिनी स्टेडियम निर्माण– अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में युवा प्रतिभाओं को खेल के प्रति जोड़ने के लिए मिनी स्टेडियम निर्माण कार्य प्रस्तावित है। वित्तीय वर्ष 2025–26 में जनपद उधमसिंहनगर के बिरिया सितारगंज में मिनी स्टेडियम निर्माण हेतु अवशेष धनराशि ₹ 39.82 लाख अवमुक्त किये गये।

24.6.12 राष्ट्रीय सेवा योजना सामान्य शिविर विशेष कार्यक्रम– इस योजना के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा राज्य को 60600 छात्र संख्या आवंटित है। इसके अंतर्गत सामान्य शिविरों तथा विशेष शिविरों के आयोजन किये जाते हैं, जिस हेतु भारत सरकार द्वारा एकमुश्त धनराशि एन0एस0एस0 प्रकोष्ठ को उपलब्ध करायी जाती है।

भविष्य की योजनाएं

- राज्य में युवाओं तथा आमजन हेतु यू0आई0डी0एफ0 योजनान्तर्गत राज्य के 116 स्थानों पर ओपन जिम स्थापित किये जाने का प्रस्ताव है।
- ग्राम पंचायत अथवा ब्लाक लेवल पर युवाओं से सम्बन्धित समस्त जानकारी एक स्थान पर प्राप्त करने एवं मंगल दलों के उपयोगार्थ मिलन केन्द्र (रिसोर्स सेन्टर) की आवश्यकता महसूस की जा रही है। अतः विभाग के अन्तर्गत इस प्रकार के केन्द्र स्थापित किये जाने का उद्देश्य है।
- उत्तराखण्ड में प्रतिवर्ष आने वाली आपदाओं के दृष्टिगत पी0आर0डी0 के युवाओं का एक आपदा राहत दल स्थापित करने की आवश्यकता है जो कि प्रत्येक जिला, तहसील एवं ग्रामों तक प्रथम राहतकर्ता का कार्य करेंगे तथा पूर्ण रूप से प्रशिक्षित एवं राहत उपकरणों से परिपूर्ण होंगें। प्रारम्भिक रूप से प्रत्येक जनपद में इनकी 20–25 युवाओं की यूनिट गठित की जाएगी।

11 दिसम्बर को आयोजित प्रान्तीय रक्षक दल स्थापना दिवस

प्रान्तीय रक्षक दल का स्थापना दिवस कार्यक्रम के अवसर पर रैतिक परेड का आयोजन किया गया। जिसमें समस्त जनपदों से लगभग 234 पी0आर0डी0 स्वयंसेवकों द्वारा प्रतिभाग किया गया। इस मौके पर पी0आर0डी0 स्वयंसेवकों द्वारा भव्य रैतिक परेड़ का आयोजन किया गया।

1– प्रान्तीय रक्षक दल का स्थापना दिवस के अवसर पर घायल/मृत कुल 03 पी0आर0डी0 स्वंय सेवकों के आश्रितों को ₹ 3.20 लाख की धनराशि प्रदान की गयी है।

2– सेवानिवृत्त हुए 01 पी0आर0डी0 स्वयंसेवक को एकमुश्त ₹ 1.00 लाख की धनराशि प्रदान की गयी।

3– पी0आर0डी0 स्वयंसेवकों के बच्चों को हाईस्कूल प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण करने पर 10 मेधावी छात्रों को कुल ₹ 30000.00 (प्रति छात्र ₹ 3000.00 एक वर्ष हेतु) तथा इंटरमीडिएट प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण एवं स्नातक कक्षा में अध्यनरत मेधावी 08 छात्रों को कुल ₹ 48000.00 (प्रति छात्र ₹ 6000.00 छः माह हेतु) प्रदान किये गये। इसके साथ ही तकनीकी एवं व्यवसायिक पाठ्यक्रम में अध्ययनरत 10 छात्रों को कुल ₹ 120000.00 (प्रति छात्र ₹ 12000.00 छः माह हेतु) प्रदान किये गये।

अध्याय–25
समाज कल्याण
Social Welfare

उत्तराखण्ड राज्य में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, वृद्धों एवं बेसहारा, शारीरिक रूप से दिव्यांग बच्चों, महिलाओं, विधवाओं तथा बेसहारा महिलाओं की सामाजिक सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुये विभिन्न प्रकार के कल्याणकारी कार्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं। उत्तराखण्ड राज्य वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखण्ड की कुल जनसंख्या 10086292 में से अनुसूचित जाति की जनसंख्या 1892516 व अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 291903 है। प्रदेश की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति की जनसंख्या 19 प्रतिशत तथा अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या 03 प्रतिशत है।

समाज कल्याण की प्रमुख योजनाएंः–विभाग द्वारा वर्तमान में वृद्धावस्था, विधवा, किसान पेंशन एवं दिव्यांग भरण–पोषण अनुदान योजना संचालित की जा रही है। जिसकी दिसम्बर 2025 तक की प्रगति चार्ट 25.1 एवं 25.2 निम्न प्रकार है–

25.1–समाज कल्याण पेंशन योजनाए

चार्ट 25.1

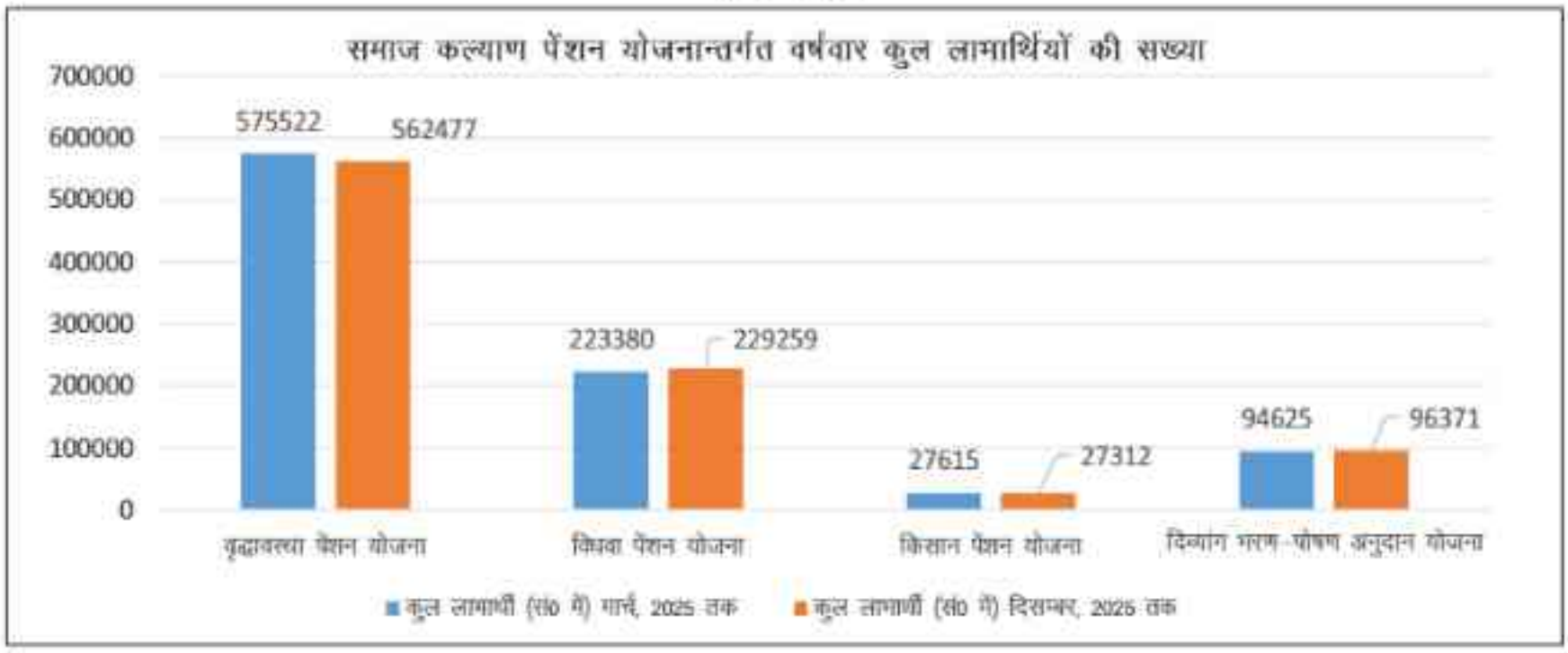

स्रोतः समाज कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड।

चार्ट 25.2

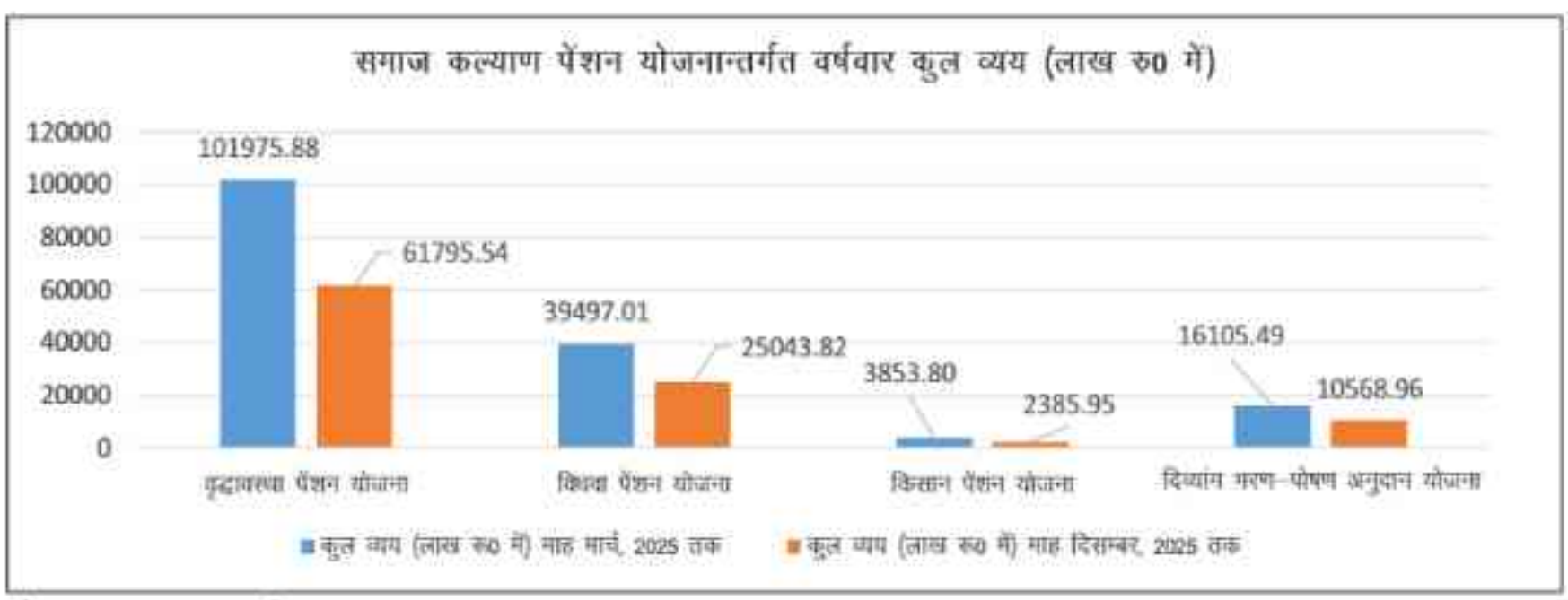

स्रोतः समाज कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड।

25.2–अनुसूचित जाति हेतु संचालित छात्रवृत्ति योजनाएं

25.2.1 अनुसूचित जाति पूर्वदशम छात्रवृत्ति योजनाः–इस योजना के अन्तर्गतकक्षा 1 से 8 तक के समस्त छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। योजनान्तर्गत अभिभावकों की कोई आय सीमा निर्धारित नहीं है। पारदर्शिता के दृष्टिगत योजना भारत सरकार के राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल (National Scholarship Portal https://scholarships.gov.in/) के माध्यम से ऑनलाईन संचालित की जा रही है। वित्तीय वर्ष 2024–25 में ₹ 796.44 लाख धनराशि व्यय करते हुऐ वर्ष 2022–23 एवं 2023–24 में भुगतान हेतु अवशेष तथा वित्तीय वर्ष 2024–25 के कुल 101337 छात्र/छात्राओं को लाभान्वित किया गया है तथा वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025–26 में ₹ 1025.79 लाख धनराशि व्यय करते हुऐ वर्ष 2022–23 एवं 2023–24 में भुगतान हेतु अवशेष कुल 16348 छात्र/छात्राओं को लाभान्वित किया गया है।

25.2.2 अनुसूचित जाति पूर्वदशम कक्षा 09 व 10 छात्रवृत्ति योजनाः–इस योजना के अन्तर्गत कक्षा 9 व 10 तक के छात्र/छात्राओं को डे–स्कालर को ₹ 3500/– वार्षिक एवं हॉस्टलर को ₹ 7000/– वार्षिक छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है, जिसका 90 प्रतिशत व्ययभार केन्द्र सरकार एवं 10 प्रतिशत व्ययभार राज्य सरकार वहन करती हैं। योजनान्तर्गत जिन अभिभावकों की वार्षिक आय अधिकतम ₹ 2.50 लाख तक निर्धारित की गयी है। पारदर्शिता के दृष्टिगत योजना भारत सरकार के राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल (National Scholarship Portal https://scholarships.gov.in) के माध्यम से ऑनलाईन संचालित की जा रही है। वित्तीय वर्ष 2024–25 में ₹ 39.41 लाख धनराशि व्यय करते हुऐ हुऐ वर्ष 2022–23 एवं 2023–24 में भुगतान हेतु अवशेष तथा वित्तीय वर्ष 2024–25 के के कुल 10915 छात्र/छात्राओं को लाभान्वित किया गया है तथा वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025–26 में ₹ 1025.79 लाख धनराशि व्यय करते हुऐ वर्ष 2022–23 एवं 2023–24 में भुगतान हेतु अवशेष कुल 16348 छात्र/छात्राओं को लाभान्वित किया गया है।

25.2.3 अनुसूचित जाति के दशमोत्तर छात्रवृत्तिः–अनुसूचित जाति के छात्र छात्राओं जिनके अभिभावक की वार्षिक आय अधिकतम ₹ 2.50 लाख तक है, को दशमोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत छात्रों को अकादमिक एलाउन्स के रूप में ग्रुप–I के डे स्कालर छात्रों को ₹ 7000/–, हस्टलर ₹ 13500/– ग्रुप–II के छात्रों को डे स्कालर ₹ 6500/–, हस्टलर ₹ 9500/– ग्रुप –III के छात्रों को डे स्कालर को ₹ 3000/– ,हस्टलर ₹ 6000/– तथा ग्रुप–IV के छात्रों डे स्कालर ₹ 2500/– हास्टलर ₹ 4000/– वार्षिक की दर से छात्रवृत्ति के साथ–साथ अनावर्ती सहायता भी दिये जाने का प्राविधान है। जिसका 60 प्रतिशत व्ययभार केन्द्र सरकार एवं 40 प्रतिशत व्ययभार राज्य सरकार वहन करती है। पारदर्शिता के दृष्टिगत योजना भारत सरकार के राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल (National Scholarship Portal https://scholarships.gov.in) के माध्यम से ऑनलाईन संचालित की जा रही है। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2024–25 में ₹ 1025.79 लाख धनराशि व्यय करते हुऐ वर्ष 2022–23 एवं 2023–24 में भुगतान हेतु अवशेष कुल 16348 छात्र/छात्राओं को लाभान्वित किया गया है तथा वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025–26 में ₹ 1025.79 लाख धनराशि व्यय करते हुऐ वर्ष 2022–23 एवं 2023–24 में भुगतान हेतु अवशेष कुल 16348 छात्र/छात्राओं को लाभान्वित किया गया है।

25.3– समाज कल्याण द्वारा अनुसूचित जाति हेतु संचालित अन्य योजनाएं

25.3.1 अटल आवास योजनाः– इस योजना के अंर्तगत पर्वतीय क्षेत्रों हेतु ₹ 1,30,000 तथा मैदानी क्षेत्रों हेतु ₹ 1,20,000 निर्धारित कर दी गई है तथा परिवार की वार्षिक आय समस्त स्रोतों से ₹ 48,000 वार्षिक अथवा इससे कम होगी। वित्तीय वर्ष 2025–26 के माह–दिसम्बर 2025 तक वित्तीय वर्ष

2022–23, 2023–24 एंव 2024–25 के लाभार्थियों को द्वितीय एवं तृतीय किस्त हेतु ₹ 187.90 लाख की धनराशि व्यय कर 441 परिवारों को लाभान्वित किया गया है।

25.3.2 परीक्षा पूर्व कोचिंग केन्द्रों का संचालनः– शासनादेशानुसार निःशुल्क कोचिंग हेतु छात्र के अभिभावक की वार्षिक आय ₹ 2.00 लाख निर्धारित है। कोचिंग अवधि में वाह्य विद्यार्थियों को ₹ 1500 प्रतिमाह तथा स्थानीय विद्यार्थियों को ₹ 750 प्रतिमाह छात्रवृत्ति दिए जाने का प्राविधान है। वित्तीय वर्ष 2025–26 में योजना के संचालन हेतु ₹ 750.00 लाख की धनराशि प्राविधानित की गई । अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के निर्धन छात्र/छात्राओं को सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी हेतु परीक्षा पूर्व प्रारम्भिक परीक्षा की कोचिंग हेतु पी0एन0जी0 राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रामनगर, नैनीताल में दिनांक 01 जनवरी, 2026 से 69 छात्र/छात्राओं को निःशुल्क कोचिंग की कक्षाओं का आरम्भ कर दिया गया है।

इसी क्रम में हेमवती नन्दन बहुगुणा विश्वविद्यालय, श्रीनगर, गढ़वाल में दिनांक 08 जनवरी, 2026 से 49 छात्र/छात्राओं को सिविल सेवा परीक्षा पूर्व तैयारी हेतु कोचिंग की कक्षाओं का प्रारम्भ कर दिया गया है।

25.3.3 आवर्तक/अनावर्तक अनुदान पर संचालित प्राईमरी पाठशालाओं, छात्रावासों एव पुस्तकालय हेतु अनुदानः– वर्तमान में विभाग द्वारा 10 विद्यालय, 2 छात्रावास एवं 2 प्राविधिक शिक्षण संस्थान संचालित हैं। जिनमें 05 विद्यालय आवर्तक तथा 05 अनावर्तक अनुदान के अन्तर्गत अनुदानित हैं। वित्तीय वर्ष 2025–26 में माह–दिसम्बर 2025 तक ₹ 27.97 लाख की धनराशि व्यय की गई है।

25.3.4 राजकीय अनुसूचित जाति छात्रावासों का संचालनः– विभाग द्वारा वर्तमान में 15 बालक/बालिका राजकीय अनुसूचित जाति छात्रावासों का संचालन किया जा रहा है। इनमें कुल छात्र की पंजीकृत क्षमता 696 है। वित्तीय वर्ष 2025–26 हेतु ₹ 581.01 लाख की धनराशि का प्राविधान किया गया है माह–दिसम्बर 2025 तक ₹ 317.54 लाख की धनराशि व्यय की गई है।

25.3.5 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानः–विभाग द्वारा वर्तमान में 03 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का संचालन किया जा रहा है। वर्ष 2025–26 में इस योजनान्तर्गत 456 प्रशिक्षणार्थियों के लिए ₹ 381.34 लाख का बजट प्रावधान किया गया है।

25.3.6 अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधाओं का विकासः– योजनान्तर्गत अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु योजनायें सचांलित की जाती है। वित्तीय वर्ष 2025–26 हेतु ₹ 6000.00 लाख का बजट प्राविधान किया गया, माह–दिसम्बर 2025 तक ₹ 299.014 लाख की धनराशि से 07 योजनाये स्वीकृत की गई है।

25.3.7 अनुसूचित जाति के परिवारों को पुत्रियों के विवाह हेतु अनुदानः–इस योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति के परिवारों को उनकी पुत्रियों के विवाह हेतु आवेदक बी0पी0एल0 श्रेणी/अन्त्योदय कार्ड धारक हो अथवा उसकी वार्षिक आय ₹ 48,000/– से अधिक नही होनी चाहिए। विवाह हेतु एक परिवार की अधिकतम दो पुत्रियां ही पात्र होगी। पात्र आवेदकों को ₹ 50000/– बैंक खाते के माध्यम से धनराशि प्रदान की जाती है। वित्तीय वर्ष 2017–18 से योजना को विभागीय पोर्टल https:// ssp.uk.gov.in/ के माध्यम से आनलाईन संचालित किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2025–26 में माह–दिसम्बर 2026 तक योजनान्तर्गत ₹ 550.00 लाख की धनराशि व्यय कर 1100 परिवारों को लाभान्वित किया गया।

25.3.8 आदर्श आवासीय विद्यालयों की स्थापनाः– अंग्रेजी माध्यम स्कूलों के पैटर्न पर अनुसूचित जाति के बच्चों को आधुनिक शिक्षा

प्रदान किये जाने हेतु जनपद हरिद्वार में राजकीय आदर्श आवासीय विद्यालय की स्थापना की गयी है, जिसका संचालन वित्तीय वर्ष 2014–15 से किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2025–26 में माह–दिसम्बर 2025 तक योजनान्तर्गत ₹ 122.15 लाख की धनराशि व्यय कर 138 बालकों को लाभान्वित किया गया है।

25.3.9 अनुसूचित जाति एंव अनुसूचित जनजाति अत्याचार उत्पीड़नः– वर्तमान वित्तीय वर्ष से सहायता राशि का भुगतान SNA Sparsh Portal के माध्यम से किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2025–26 में माह–दिसम्बर 2025 तक योजनान्तर्गत ₹ 92.42 लाख की धनराशि व्यय कर 89 परिवारों को लाभान्वित किया गया है।

25.3.10 प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना (PMAGY) :– सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संचालित प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना (PM-AJAY) के घटक के अन्तर्गत प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना (PMAGY) का कियान्वयन उत्तराखण्ड में 500 से अधिक आबादी वाले ऐसे ग्राम, जिनमें 40 प्रतिशत से अधिक की आबादी अनुसूचित जाति की हो, का एकीकृत विकास सुनिश्चित करना है, जिससे सामाजिक–आर्थिक विकास हेतु सभी अवसंरचना एवं सामाजिक–आर्थिक संकेतकों में सुधार हो। इन ग्रामों में वह सब ऐसी बुनियादी सेवाओं की सुविधाऐं मिलेंगी जो एक सम्मानजनक जीवन जीने के लिए आवश्यक हो तथा प्रत्येक व्यक्ति को एक ऐसा वातावरण मिले ताकि वह अपनी संभाव्यताओं को पूरा उपयोग कर सके। इस प्रकार योजना में चयनित ग्रामों को एक **"आदर्श ग्राम"** बनाना ही इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। इस योजन में केन्द्र सरकार से अन्तर–पाटन निधि (Gap-Filling Fund) के रूप में ₹ 20.00 लाख तथा प्रशासनिक एवं अन्य खर्चों हेतु ₹ 1.00 लाख (केन्द्र, राज्य, जिला व ग्राम का भाग 1:1:1:2), कुल ₹ 21.00 लाख प्रत्येक ग्राम हेतु निर्धारित है।

उक्त योजना के कार्यान्वयन हेतु केन्द्र सरकार से वित्तीय वर्ष 2018–19 से वित्तीय वर्ष 2025–26 तक कुल ₹ 5158.21 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी है, जिसके सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2025–26 (माह–दिसम्बर, 2025) तक लगभग ₹ 4140.18 लाख की धनराशि का व्यय/सदुपयोग किया गया है। वर्तमान तक राज्य के अन्तर्गत जनपदवार चयनित कुल 533 ग्रामों के सापेक्ष ऑनलाईन घोषित "आदर्श ग्राम" का विवरण निम्नवत् है–

तालिका 25.1

क0सं0	जनपद का नाम	जनपदवार चयनित ग्रामों की संख्या	जनपदवार अद्यतन ऑन लाईन घोषित आदर्श ग्रामों की संख्या
1	अल्मोड़ा	69	49
2	बागेश्वर	35	17
3	चमोली	26	9
4	चम्पावत	11	4
5	देहरादून	36	17
6	हरिद्वार	105	78
7	नैनीताल	55	45
8	पौड़ी	12	1
9	पिथौरागढ़	40	17
10	रूद्रप्रयाग	27	14
11	टिहरी	27	10
12	ऊधमसिंह नगर	53	13
13	उत्तरकाशी	37	13
कुल योग		**533**	**287**

स्रोतः समाज कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड।

25.4–दिव्यांग कल्याण

25.4.1 दिव्यांग छात्रवृत्ति योजनाः– कक्षा 01 से 08 तक के अध्ययनरत दिव्यांग बच्चों, जिनके माता–पिता की मासिक आय ₹ 2,000 तक हो, को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। वित्तीय वर्ष 2025–26 में छात्रवृत्ति आवेदन हेतु अन्तिम तिथि 31 जनवरी, 2026 निर्धारित की गई है। छात्र/छात्राओं के भौतिक सत्यापन के बाद छात्रवृत्ति वितरित की जायेगी।

25.4.2 दिव्यांग व्यक्तियों को कृत्रिम अंग हेतु अनुदानः– दिव्यांग व्यक्तियों को कृत्रिम अंगों की खरीद हेतु अधिकतम धनराशि ₹ 7000.00 अथवा कृत्रिम अंग अनुदान का मूल्य, जो भी कम हो तथा जिले के सरकारी चिकित्सालयों द्वारा संस्तुति की गयी हो, अनुदान के रूप में प्रदान की जायेगी। वर्ष 2025–26 में ₹ 36.00 लाख बजट प्रावधान किया गया है, माह दिसम्बर 2025 तक योजनान्तर्गत ₹ 1.24 लाख की धनराशि व्यय कर 22 दिव्यांगजनों को लाभान्वित किया गया है।

25.4.3 दिव्यांग दम्पत्तियों को विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजनाः– दिव्यांग दम्पत्तियों को विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना में शारीरिक रुप से स्वस्थ व्यक्ति द्वारा दिव्यांग व्यक्ति से विवाह करने पर उत्तराखण्ड शासन द्वारा प्रोत्साहन स्वरुप ₹ 50000 की धनराशि दिव्यांग दम्पति को प्रदान की जाती है।

25.4.4 दक्ष दिव्यांग व्यक्तियों एवं उनके सेवायोजकों को राज्य स्तरीय पुरस्कारः– प्रदेश सरकार द्वारा विभिन्न श्रेणी के उत्कृष्ट दिव्यांग कर्मचारियों, दक्ष दिव्यांग खिलाड़ी, स्व–रोजगाररत दिव्यांग व्यक्तियों, दिव्यांग सेवायोजकों तथा प्लेसमेंट अधिकारियों को उनके द्वारा किये गये उत्कृष्ट कार्यों के प्रोत्साहन स्वरूप प्रतिवर्ष 03 दिसम्बर **"विश्व दिव्यांग दिवस"** के अवसर पर राज्य स्तरीय पुरस्कार दिया जाता है। पुरस्कार स्वरूप प्रशस्ति पत्र, मैडल एवं ₹ 8000/– की धनराशि नकद दी जाती है। वित्तीय वर्ष 2025–26 में माह–दिसम्बर 2025 तक योजनान्तर्गत ₹ 14.52 लाख की धनराशि व्यय कर 155 दिव्यांगजनों को पुरस्कृत किया गया।

25.4.5 सुगम्य भारत अभियान :–यह योजना राज्य में यह योजना सुगम्य उत्तराखण्ड अभियान के नाम से संचालित है। इस योजना के अन्तर्गत शासकीय भवनों, सार्वजनिक स्थलों, पुलिस स्टेशन, अस्पताल आदि को दिव्यांगजनों की सुविधानुसार सुगम्य बनाया जा रहा है। उत्तराखण्ड राज्य में योजनान्तर्गत चिन्हित 26 शासकीय भवन/कार्यालयों की Retrofitting तथा दिव्यांगजनों हेतु सुगम बनाने हेतु कार्यवाही गतिमान है। वर्तमान समय तक इस योजनान्तर्गत ₹ 376.29 लाख की धनराशि व्यय कर 17 शासकीय भवनों को सुगम्य बनाया गया है।

25.4.6 दिव्यांगजनों हेतु विशिष्ट पहचान पत्र (Unique Disability ID)-

समाज कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड एवं सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली के निर्देशानुसार उत्तराखण्ड के सभी दिव्यांगजनों की विशिष्ट पहचान को चिन्हित किये जाने, दिव्यांगजनों हेतु संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ तत्काल प्रदत्त किये जाने, एकरूपता एवं पारदर्शिता बनाये जाने के उद्देश्य से दिव्यांगजनों के लिए विशिष्ट पहचान पत्र (यू0डी0आई0डी) बनाये जाने हैं। यू0डी0आई0डी0 कार्ड दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के ऑनलाईन पोर्टल **https://www.swavlambancard.gov.in/pwd/application** के माध्यम से बनाये जा रहे हैं। विभाग द्वारा प्रदेश में अद्यतन 104633 दिव्यांगजनों के यू0डी0आई0डी0 कार्ड बनाये गये हैं।

25.4.7 मानसिक रूप से उपचारित या अवयोजन पुरुषों/महिलाओं एवं बालक/बालिकाओं के लिए गृहों का निर्माणः–

मानसिक मंदित तथा बहुदिव्यांगता से ग्रसित ऐसे दिव्यांगजन, जो निराश्रित एवं लावारिस

हालत में घूमन्तु प्रकृति के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते/भटकते रहते हैं, की देखरेख करने वाला कोई नहीं होता है, को बिना किसी सामाजिक एवं आर्थिक समर्थन के आश्रयहीन मानसिक मंदित दिव्यांगजन, जो कठिन परिस्थितियों में जीवन यापन कर रहे हैं, उनके लिए आश्रय, भोजन, वस्त्र, दैनिक दिनचर्या एवं देखभाल जैसी बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने, भावनात्मक समर्थन एवं परामर्श देकर एक्टीविटी ऑफ डेली लिविंग (नैतिक कार्यों का सम्पादन) आदि के विकास से व्यक्तित्व का विकास कर उन्हें सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पुनर्वासित करने हेतु जनपद ऊधमसिंहनगर के ग्राम–फुलसुंगा में 50 मानसिक रोगियों की क्षमता हेतु पुनर्वास गृह की स्थापना की गयी है, पुनर्वास गृह के संचालन हेतु शासन को नियमावली का ड्राफ्ट तैयार कर प्रेषित किया गया है, केन्द्र संचालन की कार्यवाही गतिमान है।

दिव्यांग कोचिंग योजना

मा0 मुख्यमंत्री घोषणा सं0–655/2024 "दिव्यांग छात्रों को सिविल सेवा परीक्षा हेतु निःशुल्क ऑनलाईन कोचिंग की व्यवस्था की जायेगी" की पूर्ति/कियान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2025–26 में ₹ 50.00 लाख की धनराशि की व्यवस्था किये जाने हेतु नई मांग प्रस्ताव (एस0एन0डी0) निदेशालय पत्र सं0–1279 दिनांक 15 जुलाई, 2025 द्वारा शासन को प्रेषित किया गया है, जिसके कम में ₹ 10.00 लाख की धनराशि शासन स्तर से प्राविधानित की गयी है, जो कि निदेशालय को अवमुक्त कर दी गयी है। दिव्यांग छात्रों को ऑनलाईन कोचिंग प्रदान किये जाने हेतु हिन्दी एवं अंग्रेजी में नियमावली का प्रारूप तैयार कर शासन को प्रेषित किया गया है। दिव्यांग छात्रों को सिविल सेवा परीक्षा हेतु निःशुल्क ऑनलाईन कोचिंग दिये जाने हेतु निदेशालय स्तर पर कमेटी का गठन कर 10 जनवरी, 2026 तक आवेदन मांगे गये थे।

25.5 समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित अन्य योजनायें

25.5.1 निराश्रित विधवाओं की पुत्री के विवाह हेतु अनुदानः– इस योजना के अन्तर्गत महिला कल्याण विभाग से विधवा पेंशन प्राप्त कर रही सभी वर्ग की विधवाओं को पुत्री के विवाह हेतु अनुदान प्रदान किया जाता है। आवेदक बी0पी0एल0 श्रेणी/अन्त्योदय कार्ड धारक हो अथवा उसकी वार्षिक आय ₹ 48,000/–से अधिक न हो। विवाह हेतु एक परिवार की अधिकतम दो पुत्री ही पात्र होगी। पात्र आवेदकों को ₹ 50000/– बैंक खाते के माध्यम से धनराशि अनुदान प्रदान की जाती है। वित्तीय वर्ष 2025–26 में माह–दिसम्बर 2025 तक योजनान्तर्गत ₹ 79.00 लाख की धनराशि व्यय कर 158 परिवारों को लाभान्वित किया गया है।

25.5.2 राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजनाः–इस योजनान्तर्गत गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार के मुख्य कमाऊ व्यक्ति की मृत्यु होने पर ₹ 20000/– की आर्थिक सहायता दिये जाने की व्यवस्था है। जिसमें आयु सीमा 18 से 59 वर्ष रखी गई है। वित्तीय वर्ष 2025–26 में माह–दिसम्बर 2026 तक योजना में ₹ 69.00 लाख की धनराशि व्यय कर 345 परिवारों को लाभान्वित किया गया है।

25.5.3 डॉ0 अम्बेडकर ई0बी0सी0 पूर्वदशम (कक्षा–9 से 10) छात्रवृत्ति योजनाः– आर्थिक रूप से कमजोर वर्गो के छात्र/छात्राओं को जिनके अभिभावको की वार्षिक आय ₹ 2.50 लाख से अधिक नहीं है को छात्रवृत्ति दिये जाने हेतु भारत सरकार द्वारा पिछड़ी जाति पूर्वदशम कक्षाओं की छात्रवृत्ति दरों के समान ही ₹ 4000/– छात्रवृत्ति दिये जाने का प्राविधान है, जिसका 90 प्रतिशत व्ययभार भारत सरकार एवं 10 प्रतिशत व्ययभार

राज्य सकार वहन किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2025–26 में छात्रवृत्ति आवेदन हेतु अन्तिम तिथि 31 जनवरी, 2026 निर्धारित है। तदुपरान्त छात्र/छात्राओं के भौतिक सत्यापन के बाद छात्रवृत्ति वितरित की जायेगी।

25.5.4 डॉ0 अम्बेडकर ई0बी0सी0 दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनाः– दशमोत्तर कक्षाओं में पढने वाले आर्थिक रूप से कमजोर छात्र/छात्राओं को जिनके अभिभावको की वार्षिक आय ₹ 2.50 लाख से अधिक नहीं है को छात्रवृत्ति दिये जाने हेतु भारत सरकार द्वारा पिछड़ी जाति के दशमोत्तर कक्षाओं की छात्रवृत्ति दरों के समान ही छात्रवृत्ति दिये जाने का प्राविधान है। योजनान्तर्गत 90 प्रतिशत व्ययभार भारत सरकार एवं 10 प्रतिशत व्ययभार राज्य सकार वहन किया जाता है। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025–26 में ₹ 92.84 लाख धनराशि व्यय करते हुऐ वर्ष 2022–23 एवं 2023–24 में भुगतान हेतु अवशेष कुल 779 छात्र/छात्राओं को लाभान्वित किया गया है।

25.5.5 मादक पदार्थ एवं नशीली दवाओं के सेवन से बचाव योजना (NAPDDR):- भारत सरकार द्वारा मादक द्रव्य और नशीली दवाओं के सेवन से बचाव हेतु NATIONAL ACTION PLAN FOR DRUG DEMAND REDUCTION (NAPDDR) योजना प्रारम्भ की गयी है। योजना का मुख्य उद्देश्य लोगों को नशे के दुष्प्रभावों के बारे में शिक्षित एवं जागरूक करना है, साथ ही व्यक्तिगत, पारिवारिक, कार्यस्थल और समाज के बड़े पैमाने पर नशीली दवाओं के खिलाफ समूहों और व्यक्तियों के मध्य भेदभाव को कम करना, पर्याप्त अनुसंधान, प्रशिक्षण, प्रलेखन और प्रासंगिक जानकारी देना है। वर्तमान में नशीली दवाओं की मांग में कमी के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना (NAPDDR) योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा दिये गये निर्देशानुसार जनपद नैनीताल, पौड़ी व हरिद्वार में नशामुक्ति केन्द्र संचालन, समस्त जनपदों में नशा मुक्त भारत अभियान के अन्तर्गत प्रस्तावित गतिविधियों तथा विभिन्न विभागों/ कार्यालयों द्वारा वित्तीय वर्ष 2025–26 हेतु ₹ 210.25 लाख की धनराशि की राज्य कार्य योजना (SAP) भारत सरकार को स्वीकृति हेतु प्रेषित की गयी है। वित्तीय वर्ष 2025–26 में नशामुक्त भारत अभियान की 5 वीं वर्षगाठ के उपलक्ष्य में भारत सरकार के स्तर से राज्य को ₹ 100.00 लाख की धनराशि आवंटित की गयी है, जिसे व्यय किये जाने की कार्यवाही गतिमान है।

25.5.6 वृद्धजनों हेतु जनपद उत्तरकाशी एवं देहरादून में वृद्धाश्रम का निर्माण कार्यः– उत्तराखण्ड राज्य में वरिष्ठ नागरिकों के कल्याणार्थ निराश्रित एवं असहाय वृद्धजनों की देखभाल, सुरक्षा, भोजन एवं स्वास्थ्य आदि की सुविधा उपलब्ध कराये जाने के दृष्टिगत जनपद–उत्तरकाशी में 24 वृद्धजनों की क्षमता का ₹ 165.97 लाख की धनराशि से आवासीय वृद्धाश्रम का निर्माण कार्य शतप्रतिशत पूर्ण होने के उपरान्त भवन विभाग को हस्तान्तरित किया गया है, जिसका संचालन विभाग द्वारा किया जा रहा है। इसी प्रकार जनपद देहरादून में 50 वृद्धजनों की क्षमता का ₹ 499.55 लाख की धनराशि से आवासीय वृद्धाश्रम का निर्माण कार्य शतप्रतिशत पूर्ण होने के उपरान्त भवन विभाग को हस्तान्तरित किया गया है, जिसके संचालन की कार्यवाही गतिमान है। जनपद अल्मोड़ा में राजकीय वृद्धाश्रम निर्माण हेतु प्रथम एवं द्वितीय किस्त की धनराशि ₹ 360.74 लाख एवं चम्पावत में वृद्धाश्रम निर्माण हेतु प्रथम किश्त ₹ 359.80 लाख की धनराशि कार्यदायी संस्था को आवंटित की जा चुकी है। उक्त के अतिरिक्त अन्य जनपदों में वृद्धाश्रम स्थापित किये जाने प्रस्तावित है।

25.5.7 परित्यक्ता विवाहित महिला, मानसिक रूप से विकृत/विक्षिप्त पति अथवा पत्नी एवं निराश्रित अविवाहित महिलाओं हेतु भरण पोषण अनुदान योजनाः– परित्यक्ता विवाहित महिला,मानसिक रूप से विकृत/विक्षिप्त पति अथवा पत्नी एवं निराश्रित अविवाहित महिलाओं हेतु भरण पोषण अनुदान योजना के अर्न्तगत ऐसी

महिलायें आती है जिनकी आयु 18 वर्ष से अधिक तथा पति द्वारा छोड़े जाने या लापता होने की सीमा 1 वर्ष से अधिक हो। आवेदिता द्वारा पति के लापता होने/छोड़े जाने के सम्बन्ध में सम्बन्धित द्वारा स्व घोषणा पत्र प्रस्तुत किया जायेगा जिसे सम्बन्धित ग्राम प्रधान/वार्ड सदस्य द्वारा प्रमाणीकृत किया गया हो तथा आवेदिता बी0पी0एल0 परिवार की सदस्या हो अथवा ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र मे वार्षिक आय ₹ 48000/– से अधिक नहीं हो। ऐसी महिलाओं को ₹ 1200/– प्रतिमाह की दर से पेंशन प्रदान की जा रही है। मानसिक रूप से विक्षिप्त पति/पत्नी को ₹ 1400/– प्रतिमाह की दर से पेंशन प्रदान की जा रही है। वित्तीय वर्ष 2025–26 में माह–दिसम्बर 2025 तक ₹ 758.86 लाख की धनराशि व्यय कर 7963 महिलाओं को लाभान्वित किया गया है।

25.6 –पिछड़ी जाति कल्याण

25.6.1 पिछड़ी जाति पूर्वदशम (कक्षा–9 से 10) छात्रवृत्ति योजनाः– इस योजना के अन्तर्गत कक्षा 9 से 10 तक के ऐसे छात्र/छात्रायें जिनके अभिभावक की मासिक आय ₹ 2.50 लाख से अधिक नहीं हो को भारत सरकार द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार ₹ 4000/– वार्षिक छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है, जिसका 90 प्रतिशत भारत सरकार एवं 10 प्रतिशत व्ययभार राज्य सरकार वहन करती है। पारदर्शिता के दृष्टिगत योजना भारत सरकार के राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल (National Scholarship Portal https://scholarships.gov.in) के माध्यम से ऑनलाईन संचालित की जा रही है। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025–26 में ₹ 37.95 लाख की धनराशि व्यय कर गत वर्ष के अवशेष 1042 छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान की गई है।

25.6.2 पिछड़ी जाति दशमोत्तर छात्रवृत्तिः– इस योजना में दशमोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत् अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं को भारत सरकार द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार छात्रवृति प्रदान की जाती है। छात्र के अभिभावक की वार्षिक आय ₹ 2.50 लाख निर्धारित है। जिसका योजनान्तर्गत 90 प्रतिशत व्ययभार भारत सरकार एवं 10 प्रतिशत व्ययभार राज्य सरकार वहन करती है। पारदर्शिता के दृष्टिगत योजना भारत सरकार के राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल (National Scholarship Portal https://scholarships.gov.in) के माध्यम से ऑनलाईन संचालित की जा रही है।

25.7 अनुसूचित जनजाति कल्याण छात्रवृत्रि योजनायें

25.7.1 अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए कक्षा 01 से 08 तक, कक्षा 09 व 10 तथा दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना :– वित्तीय वर्ष 2025–26 के माह दिसंबर, 2025 तक ₹ 49.93 लाख की धनराशि Public Financial Management System के माध्यम से भुगतान कर 454 विद्यार्थियों को लाभान्वित किया गया है।

25.7.2 राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों का संचालनः– अनुसूचित जनजाति के छात्र/छात्राओं हेतु वर्तमान में 16 राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों का संचालन किया जा रहा है। योजना के तहत कुल स्वीकृत छात्र/छात्राओं की क्षमता 3055 है। वित्तीय वर्ष 2025–26 में माह दिसंबर, 2025 तक ₹ 2188.15 लाख की धनराशि व्यय कर कुल 2150 विद्यार्थियों को लाभान्वित किया गया है।

25.7.3 राजकीय अनुसूचित जनजाति छात्रावासों का संचालनः– अनुसूचित जनजाति के छात्र/छात्राओं हेतु वर्तमान में 05 बालक/बालिका राजकीय अनुसूचित जाति छात्रावासों का संचालन किया जा रहा है। इनमें कुल छात्र/छात्राओं की स्वीकृत क्षमता 250 है। वित्तीय वर्ष 2025–26 में माह दिसंबर, 2025 तक कुल ₹ 142.72 लाख की धनराशि व्यय कर कुल 204 विद्यार्थियों को लाभान्वित किया गया है।

25.7.4 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानः– अनुसूचित जनजाति विभाग द्वारा

वर्तमान में 03 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का संचालन किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2025–26 में माह दिसंबर, 2025 तक कुल ₹ 402.41 लाख की धनराशि व्यय कर कुल 387 प्रशिक्षणार्थियों को लाभान्वित किया गया है।

25.7.5 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय का संचालनः– एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों के अधिष्ठान व्यय हेतु जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन गठित राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति, नई दिल्ली द्वारा एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय के संचालन हेतु सीधे धनराशि राज्य स्तर पर गठित सोसायटी के बैंक खाते में हस्तान्तिरत की जाती है व भारत सरकार से प्राप्त होने वाली धनराशि मानक मद 41–भोजन व्यय में कम पडने के कारण अतिरिक्त धनराशि की मांग राज्य सरकार से की जाती है व वित्तीय वर्ष 2025–26 में माह दिसंबर, 2025 तक कुल ₹ 93.23 लाख की धनराशि मानक मद 41–भोजन व्यय में 1238 छात्र–छात्राओं हेतु व्यय की गई।

25.7.6 आवर्तक/अनावर्तक अनुदान पर संचालित प्राईमरी पाठशालाओं, पुस्तकालय हेतु अनुदानः– वित्तीय वर्ष 2025–26 में आवर्तक अनुदान पर संचालित योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जनजाति हेतु संचालित 18 पाठशालाओं में कार्यरत अध्यापकों के वेतन भत्तों आदि हेतु ₹ 827.31 लाख की धनराशि का आवंटन किया गया।

25.7.7 बुक्सा और राजी जनजाति का विकास योजनाः– राज्य में निवासरत बुक्सा एवं राजी जनजाति को भारत सरकार द्वारा आदिम जनजाति घोषित किया गया है जिन्हें समाज की मुख्य धारा से जोडने हेतु विभागीय संस्थाओं में अध्ययनरत बुक्सा व राजी जनजाति के विद्यार्थियों को शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित किये जाने हेतु ₹ 25.00 लाख की धनराशि 609 विद्यार्थियों हेतु आवंटित की गई है।

25.7.8 अटल आवास योजनाः– इस योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जनजातियों हेतु वित्तीय वर्ष 2025–26 में 250 लाभार्थियों के लिए ₹ 150.00 लाख का बजट प्राविधान स्वीकृत है व माह दिसंबर, 2025 तक 133 लाभार्थियों हेतु ₹ 74.80 लाख की धनराशि आवंटित की गई है।

25.7.9 अनुसूचित जनजातियों की पुत्रियों की शादी हेतु सहायताः– योजनान्तर्गत अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों, जिनकी आय सीमा ₹ 15,000.00 वार्षिक हो/बी.पी.एल. श्रेणी/अन्त्योदय कार्ड धारक हो, की अधिकतम दो पुत्रियों के विवाह हेतु आर्थिक सहायता प्रदान रू. 50,000.00 एक पुत्री के विवाह हेतु प्रदान की जाती है। वित्तीय वर्ष 2025–26 में माह दिसंबर, 2025 तक ₹ 204.00 लाख की धनराशि व्यय कर कुल 408 लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया है।

25.7.10 अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधाओं का विकासः– योजनान्तर्गत जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु योजनायें सचांलित की जाती है। वित्तीय वर्ष 2025–26 में उक्त योजनान्तर्गत ₹ 2000.00 लाख की धनराशि का बजट प्राविधान है व माह दिसंबर, 2025 तक कुल ₹ 194.61 लाख की धनराशि 13 योजनाओं हेतु आवंटित की गई है।

25.7.11 राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों में अवस्थापना सुविधाओं का उच्चीकरणः– विभागान्तर्गत 16 आश्रम पद्धति विद्यालयों का संचालन किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2025–26 में माह दिसंबर, 2025 तक कुल ₹ 103.03 लाख की धनराशि 03 राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों हेतु आवंटित की गई है।

25.7.12 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में अवस्थापना सुविधाओं का उच्चीकरणः– विभागान्तर्गत 03 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का संचालन किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2025–26 में माह दिसंबर, 2025 तक कुल ₹ 32.18 लाख की धनराशि 01 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान हेतु आवंटित की गई है।

25.7.13 प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम–जनमन) योजना– जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के सहयोग से प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम–जनमन) योजनान्तर्गत 15 बहुउददेशीय केन्द्रों के निर्माण की स्वीकृति भारत सरकार द्वारा प्रदान की गयी है एवं वित्तीय वर्ष 2025–26 हेतु ₹ 360.00 लाख (रू. तीन करोड़ साठ लाख मात्र) की धनराशि भारत सरकार द्वारा अवमुक्त की गई है। वर्तमान में 15 बहुउददेशीय केंद्र–जनपद ऊधम सिंह नगर के ग्राम बैंतखेडी, विजयरामपुरा, बन्नाखेडा, महोली चैन, भीकमपुरी, सिंघाली, सेमलपुरी, जनपद पिथौरागढ़ के ग्राम जमताडी, अल्ताडी, क्यूलेख, मदनुपरी, गैनागांव, किमखोला, जनपद हरिद्वार के ग्राम ढडियावाला, जनपद चम्पावत के ग्राम खिरद्वारी में निर्माणाधीन हैं।

25.8 अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के मूल उददेश्य

1. राज्य सरकार की प्रतिबद्धताओं के अनुसार अल्पसंख्यकों के कल्याण एवं उनके जीवन स्तर में सुधार को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गयी है। विभिन्न विकास योजनाओं से इन वर्गो के लोगों के आर्थिक, सामाजिक एवं शैक्षिक उत्थान हेतु शिक्षा, गरीबी रेखा से ऊपर उठाना, कौशल सुधार तथा स्वरोजगार के लिए सहायता आदि योजनाओं के द्वारा इनका सर्वांगीण विकास का प्रयास किया जा रहा है। अल्पसंख्यक विभाग की सर्वोच्च प्राथमिकता अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों को शैक्षिक सुविधा उपलब्ध कराकर उनके शैक्षिक स्तर में गुणात्मक सुधार लाकर समाज में व्याप्त सामाजिक एवं आर्थिक असमानता को दूर कर उन्हें समाज के सामान्य वर्ग की बराबरी के स्तर पर लाना है।
2. मदरसों/मकतबों का आधुनिकीकरण कर उनमें गणित, विज्ञान, अंग्रेजी, हिन्दी का पठन–पाठन भी साथ–साथ कराना, ताकि इनसे पढ़कर निकले अल्पसंख्यक नागरिक कल्याणकारी राज्य (वेलफेयर स्टेट) के हर क्षेत्रों से सक्रिय रूप से जुड सकें।
3. मदरसों में व्यावसायिक शिक्षा कम्प्यूटर शिक्षा को प्रभावी ढ़ंग से लागू करना जिससे कि इन परम्परागत शिक्षण संस्थाओं से शिक्षा प्राप्त अल्पसंख्यक समुदायों के बच्चें राष्ट्र की मुख्य धारा से जुड़ सकें।
4. उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक कल्याण तथा वक्फ विकास निगम लि. के माध्यम से स्वरोजगार सृजन हेतु ऋण दिलाने के लिये मार्जिन मनी उपलब्ध कराना, टर्मलोन देना तथा मेधावी छात्रों को उच्च व्यवसायिक शिक्षा के लिये ब्याज रहित ऋण उपलब्ध कराने के साथ मुख्यमंत्री हुनर योजना का संचालन किया जा रहा है। राज्य के विभिन्न विभागों के माध्यम से चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं में अल्पसंख्यकों की भागीदारी पर्याप्त रूप से बनी रहें एवं विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की रूपरेखा तैयार करने तथा कार्यान्वयन में अल्पसंख्यकों के संवैधानिक अधिकारों तथा राज्य सरकार की मंशा को पूर्ण रूप से समावेश होता रहे, इस हेतु विभाग प्रतिबद्व है।

25.8.1 पूर्वदशम छात्रवृत्ति (शत प्रतिशत राज्य सहायतित) अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चों को कक्षा 1 से 10 तक निम्न मानकों/दरों के अनुसार छात्रवृत्ति स्वीकृत की जाती है:–

तालिका 25.3

क्रम सं0	वर्ष	कुल छात्र संख्या	अवमुक्त धनराशि (₹ लाख में)
1.	2022-23	517	2.19
2.	2023-24	270	3.25
3.	2024-25	786	7.80
4.	2025-26	1087	12.80

स्रोतः अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड।

25.8.2 अल्पसंख्यक छात्रों हेतु मेरिट–कम–मीन्स आधारित छात्रवृत्ति (100% के0स0):–

तालिका 25.4

वर्ष	अल्पसंख्यक मेरिट कम मीन्स छात्रवृत्ति		
	लक्ष्य	लक्ष्य प्राप्ति	स्वीकृत धनराशि (₹ करोड़ में)
2022-23	438	709	भारत सरकार स्तर से छात्रवृत्ति वितरण का कार्य गतिमान।
2023-24	438	-	भारत सरकार स्तर से छात्रवृत्तिपोर्टल को अग्रिम आदेशों तक बन्द किया गया है।
2024-25	438	-	
2025-26	438	-	

स्रोतः अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड।

लक्ष्य प्राप्ति फैस एवं रिन्यूवल सम्मिलित। भारत सरकार स्तर से योजनान्तर्गत छात्रवृत्ति की धनराशि डी.बी.टी के माध्यम से छात्र/छात्राओं के बचत खातों में हस्तान्तरण की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गयी है।

25.8.3 अल्पसंख्यक छात्रों हेतु दशमोत्तर छात्रवृत्ति (100% के0स0):–

तालिका 25.5

वर्ष	अल्पसंख्यक दशमोत्तर छात्रवृत्ति		
	लक्ष्य	लक्ष्य प्राप्ति	(स्वीकृत धनराशि ₹ करोड़ में)
2022-23	3646	5930	भारत सरकार स्तर से छात्रवृत्ति पोर्टल को अग्रिम आदेशों तक बन्द किया गया है।
2023-24	3646	-	
2024-25	3646	-	
2025-26	3646	-	

स्रोतः अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड।

लक्ष्य प्राप्ति फैस एवं रिन्यूवल सम्मिलित। भारत सरकार स्तर से योजनान्तर्गत छात्रवृत्ति की धनराशि डी.बी.टी के माध्यम से छात्र/छात्राओं के बचत खातों में हस्तान्तरण की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गयी है।

25.8.4 प्रधानमंत्री जनविकास कार्यक्रम योजना (पूर्व नाम एम.एस.डी.पी) (90% के0स0) (PMJVK)

तालिका 25.6

धनराशि लाख ₹ में

PMJVK Scheme	बजट प्राविधान	व्यय धनराशि
2021-22	4020.00	2365.45
2022-23	2300.00	311.53
2023-24	5700.00	2137.16
2024-25	5700.00	5700.00
2025-26	7873.04	5300.00

स्रोतः अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड।

25.8.5 अल्पसंख्यक विकास निधि की स्थापनाः–

तालिका 25.7

धनराशि लाख ₹ में

अल्पसंख्यक विकास निधि	प्राविधान	व्यय धनराशि
2022-23	500.00	459.09
2023-24	500.00	479.44
2024-25	500.00	499.98
2025-26	200.00	33.51

स्रोतः अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड।

25.8.6 अल्पसंख्यक समुदाय के मेधावी छात्राओं की शिक्षा हेतु विशेष अनुदानः–

तालिका 25.8

धनराशि लाख ₹ में

मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना	प्राविधान	व्यय धनराशि	लाभान्वित
2022-23	300.00	183.60	1176
2023-24	360.40	356.95	2270
2024-25	382.85	381.60	2058
2025-26	376.10	76.45	480

स्रोतः अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड।

25.8.7 अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में विकास संबंधी निर्माण कार्य

तालिका 25.9

धनराशि लाख ₹ में

अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में विकास संबंधी निर्माण कार्य	प्राविधान	व्यय धनराशि / अवमुक्त	योजनाऐं
2022-23	1295.00	1294.93	75
2023-24	300.00	300.00	05
2024-25	500.00	115.54	03
2025-26	800.00	85.13	02

स्रोतः अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड।

25.8.8 मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक प्रोत्साहन योजनाः–

तालिका 25.10

धनराशि लाख ₹ में

मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक प्रोत्साहन योजना	प्राविधान	व्यय धनराशि	लाभान्वित
2022-23	10.00	8.40	15
2023-24	10.00	4.95	08
2024-25	10.00	6.15	11
2025-26	10.00	-	

स्रोतः अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड।

25.8.9 आवर्तक अनुदान सूची पर चल रहे मदरसों को वेतन हेतु अनुदानः– इस योजनान्तर्गत उन मदरसों, जिन्हें आवर्तक अनुदान सूची के अंतर्गत लिया गया है, में कार्यरत अधिकतम 15 शिक्षक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के वेतन हेतु अनुदान दिया जाता है। वर्तमान में राज्य के अंतर्गत मदरसा अरबिया रहमानिया, रुड़की (हरिद्वार) में संचालित है। वित्तीय वर्ष 2025–26 में योजनान्तर्गत ₹ 40.53 लाख की धनराशि जारी की गयी है जिसके सापेक्ष माह दिसम्बर, 2025 तक ₹ 29.47 लाख की धनराशि व्यय की गयी है।

25.8.10 वक्फ अधिकरण (वक्फ ट्रिबुनल)

(1) वक्फ संशोधन अधिनियम 2013 के अधीन ट्रिव्यूनल स्थापित किया गया हैं।

(2) राज्य में वक्फ सम्पत्तियों की सुरक्षा हेतु सम्पत्तियों का सर्वेकार्य कराये जाने हेतु सर्वे कमिश्नर (सचिव, राजस्व) की तैनाती की गयी है। राज्यन्तर्गत वर्तमान में 02 **वक्फ अधिकरण (गढवाल एवं कूमायूँ मण्डल)** कार्यालय संचालित है। वित्तीय वर्ष 2025–26 में योजनान्तर्गत ₹ 2.70 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी जिसके सापेक्ष माह दिसम्बर, 2025 तक ₹ 1.80 लाख की धनराशि व्यय की जा चुकी है।

25.9 विभाग के अन्तर्गत गठित विभिन्न निदेशालय, निगम, आयोग, बोर्ड एवं समितियां

25.9.1 निदेशालय अल्पसख्यक कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादूनः– अल्पसंख्यक वर्गो की सामाजिक एवं आर्थिक पृष्ठभूमि के परिप्रेक्ष्य में उनकी विशिष्ट समस्याओं का निराकरण करने एवं उनका शैक्षिक, सामाजिक एवं आर्थिक विकास करके उन्हें राष्ट्र एवं समाज की मुख्यधारा में लाने के उद्देश्य से शासन द्वारा अनेक योजनाऐं चलाई जा रही है। ऐसी योजनाओं के क्रियान्वयन, संचालन एवं समन्वय के लिये उत्तराखण्ड राज्य में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय के अंर्तगत किया गया ताकि अल्पसंख्यकों के कल्याण से संबंधित योजनाओं को प्रभावी रूप से लागू करते हुए अल्पसंख्यकों के उत्थान का कार्य किया जा सकें। निदेशालय हेतु वित्तीय वर्ष 2025–26 में योजनान्तर्गत ₹170.85 लाख का प्राविधान स्वीकृत किया गया है। जिसके सापेक्ष माह दिसम्बर, 2025 तक ₹ 103.24 लाख की धनराशि व्यय की गयी हैं।

25.9.2 उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग, देहरादूनः– राज्य के अल्पसंख्यक वर्गों के हितों की रक्षा के लिए दिनांक 27 मई 2003 को उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया गया, जिसमें अध्यक्ष/उपाध्यक्ष सहित सदस्यों की नियुक्ति की गयी तथा उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग, नें दिनांक 29, सितम्बर 2003 को कार्य करना प्रारम्भ कर दिया। उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग अपनें गठन के पश्चात से ही अल्पसंख्यक वर्ग के व्यक्तियों के लिए सतत् प्रयत्नशील है। अपनें अल्पकालिक कार्यकाल में आयोग नें अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए एवं हितों की रक्षा के लिए पूर्ण कटिबद्वता से कार्य किया है। वित्तीय वर्ष 2025–26 में आयोग को 58 शिकायती प्रकरण प्राप्त हुए, जिसमें से 20 प्रकरणों का निस्तारण किया जा चुका है। वित्तीय वर्ष 2025–26 में योजनान्तर्गत ₹ 112.52 लाख का प्राविधान स्वीकृत किया गया है। जिसके सापेक्ष माह दिसम्बर, 2025 तक ₹ 55.84 लाख की धनराशि व्यय की गयी हैं।

उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग के कार्यः–

1. उत्तराखण्ड में अल्पसंख्यकों के विकास की प्रगति का मूल्यांकन करना।
2. संविधान और राज्य विधान सभा द्वारा पारित अधिनियमों/विधियों में उपबन्धित अल्पसंख्यकों से संबंधित रक्षोपायों के कार्यकरण का अनुश्रवण करना।
3. अल्पसंख्यकों के विरूद्ध किसी विभेद से उत्पन्न होनें वाली समस्याओं का अध्ययन करवाना और उनके निराकरण के उपायों की सिफारिश करना।
4. किसी अल्पसंख्यक समुदाय के संबंध में सरकार द्वारा समुचित उपाय किये जाने हेतु सुझाव देना।

25.9.3 उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक कल्याण तथा वक्फ विकास निगम, देहरादूनः– उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक कल्याण तथा वक्फ विकास निगम का गठन 06 जनवरी 2005 को कंपनी अधिनियम 1956 के सैक्शन 25 के अन्तर्गत किया गया। निगम अल्पसंख्यक कल्याण विभाग उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम है।

उद्देश्य :–

- अल्पसंख्यक वर्ग के परिवारों के आर्थिक उन्नयन हेतु स्वरोजगार योजनाओं का संचालन करना।
- रोजगार हेतु ऋण उपलब्ध कराना।
- राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम से सस्ती ब्याज दर पर वित्तीय संसाधन प्राप्त कर टर्म लोन की सुविधा उपलब्ध कराना।
- अल्पसंख्यक वर्ग के शिक्षित बेरोजगारों को कम्प्यूटर, सिलाई कड़ाई, आदि में प्रशिक्षण प्रदान कर उनकी कौशल वृद्धि करना।

- राष्ट्रीय निगम के माध्यम से तकनीकी एवं व्यवासायिक शिक्षा हेतु ऋण उपलब्ध कराना।
- अल्पसंख्यक वर्ग की महिलाओं को प्रशिक्षण उपलब्ध कराना।

तालिका 25.11

क्र. सं.	जनपद का नाम	तहतानिया	फौकानिया	आलिया (मुंशी / मौलवी)	आलिया (अरबी / फारसी)	उच्च आलिया (कामिल / फाजिल)	योग
		कक्षा (1–5)	कक्षा (6–8)	कक्षा (9–10)	कक्षा (11–12)	स्नातक	
1	हरिद्वार	136	104	14	4	1	**259**
2	देहरादून	19	11	-	01	-	**31**
3	ऊधमसिंह नगर	42	42	18	7	4	**113**
4	नैनीताल	8	5	-	-	1	**14**
5	अल्मोडा	1	-	-	-	-	**1**
6	पिथौरागढ	1	-	-	-	-	**1**
7	चम्पावत	1	-	-	-	-	**1**
	योग–	**208**	**162**	**32**	**12**	**6**	**420**

स्रोतः अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड।

25.9.4 अल्पसंख्यक समुदायों द्वारा स्थापित और प्रशासित शैक्षणिक संस्थानों की मान्यता प्रदान करने व कार्य करने वाले संस्थानों में शैक्षिक उत्कृष्टता को सुविधाजनक बनाये जाने को बढावा देने के उद्देश्यों से उत्तराखण्ड मदरसा शिक्षा बोर्ड, देहरादून को 01 जुलाई, 2026 से समाप्त करते हुए राज्य सरकार द्वारा उत्तराखण्ड राज्य में एक प्राधिकरण की स्थापना की गयी है जिसे **''उत्तराखण्ड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण''** के नाम से जाना जायेगा।

25.9.5 उत्तराखण्ड राज्य हज समिति, पीरान कलियर, रूड़की:– उत्तराखण्ड राज्य हज समिति ने दिनांक 18, फरवरी, 2003 से अपना कार्य प्रारम्भ किया गया। उत्तराखण्ड राज्य हज समिति में एक अध्यक्ष तथा 15 सदस्य नामित किये जाते हैं। हज–2021 हेतु हज कमेटी ऑफ इण्डिया मुम्बई द्वारा दिनांक 07 नवम्बर, 2020 से हज 2021 का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया था तथा वर्ष 2020 से हज आवेदन को 100 प्रतिशत ऑनलाईन कर दिया गया है।

उत्तराखण्ड राज्य मे राज्य हज कमेटी मे वर्ष 2018 से 2022 तक प्राप्त आवेदन पत्रों एवं हज यात्रा पर गये हाजियों की संख्या का विवरण

तालिका 25.12

क्र.स.	वर्ष	आवंटित कोटा	प्राप्त आवेदन पत्र	हज यात्रा पर गये आवेदक
1	2022	607	742	564
2	2023	1468	1718	1530
3	2024	1152	1165	1043
4	2025	1001	1011	915
5	2026	1491	1491	1366 चयनित

स्रोतः अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड।

हज यात्रा 2026 माह अप्रैल–मई में प्रारम्भ होने की सम्भावना है।

वित्तीय वर्ष 2025–26 में योजनान्तर्गत ₹ 88.16 लाख का प्राविधान स्वीकृत किया गया है। जिसके सापेक्ष माह दिसम्बर, 2025 तक ₹ 30.61 लाख की धनराशि व्यय की गयी हैं।

25.9.6 जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी कार्यालय, (जनपद देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर एवं नैनीताल):– पूर्व में सभी जनपदों में अल्पसंख्यक कल्याण से संबंधित योजनाओं का क्रियान्वयन जनपद स्तर पर जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा सम्पादित किया जा रहा था। अल्पसंख्यकों के कल्याणार्थ संचालित योजनाओं को जनपद स्तर पर प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन के दृष्टिगत अल्पसंख्यक बाहुल्य जनपदों यथा देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर एवं नैनीताल में जिला अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालयों की स्थापना की गई है। वित्तीय वर्ष 2025–26 में योजनान्तर्गत ₹ 199.89 लाख का प्राविधान स्वीकृत किया गया है। जिसके सापेक्ष माह दिसम्बर, 2025 तक ₹151.61 लाख की धनराशि व्यय की गयी हैं।

25.9.7 उत्तराखण्ड वक्फ बोर्ड, देहरादून:– राज्य में वक्फ सम्पत्तियों की देख–रेख एवं रख–रखाव हेतु वक्फ बोर्डो की स्थापना की गयी है। उत्तराखण्ड वक्फ बोर्ड को सहायता अनुदान में ₹ 200.00 लाख की धनराशि का प्राविधान किया गया है। जिसके सापेक्ष माह दिसम्बर, 2025 तक ₹ 60 लाख की धनराशि व्यय की कार्यवाही गतिमान हैं।

25.10 उत्तराखण्ड बहुउद्देशीय वित्त एवं विकास निगम लि0

25.10.1 अनुसूचित जनजाति जीविका अवसर प्रोत्साहन योजना– इस योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025–26 में माह दिसम्बर 2025 तक कुल 64 लाभार्थियों को वित्त पोषित करते हुए ₹ 32.00 लाख अनुदान तथा ₹ 37.50 लाख बैंक ऋण वितरित किया गया है।

25.10.2 जीविका अवसर प्रोत्साहन योजना (प्रशिक्षण)– इस योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025–26 में प्रशिक्षण मद में अनुसूचित जाति के कुल 720 प्रशिक्षार्थियों को विभिन्न रोजगार परक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में लाभान्वित किये जाने का लक्ष्य है। जिसके सापेक्ष ₹ 43.20 लाख का प्राविधान किया गया है एवं अनुसूचित जनजाति के कुल 520 प्रशिक्षार्थियों को विभिन्न रोजगार परक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में लाभान्वित किये जाने का लक्ष्य है। जिसके सापेक्ष ₹ 31.20 लाख का प्राविधान किया गया है वर्तमान में प्रशिक्षण कार्यक्रम गतिमान है तथा उपरोक्त प्राविधानित धनराशि वचनबद्ध रूप से व्यय की जानी है।

25.10.3 शिल्पी ग्राम योजना– इस योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025–26 में शिल्पी ग्राम योजना के अन्तर्गत कोई भी लक्ष्य आवन्टित नहीं किया गया है।

25.10.4 प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना (PM-AJAY)– इस योजना के अन्तर्गत वार्षिक भौतिक लक्ष्य 166 के सापेक्ष माह दिसम्बर 2025 तक कुल 133 लाभार्थियों को वित्त पोषित करते हुए अनुदान ₹ 66.25 लाख एवं ₹ 72.25 लाख बैंक ऋण वितरित किया गया है।

ई–सुशासन
INCOME TAX DEPARTMENT
विभाग

अध्याय–26
सूचना एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी
Science and Information Technology

26. सामान्य विवरणः– विभिन्न विकास सूचकांकों में उत्तराखण्ड आज विकास की नई गाथा लिख रहा है। उत्तराखंड ने अपनी छोटी उम्र में ही राष्ट्रीय पटल पर अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। नवाचार (Innovation) और प्रौद्योगिकी राज्य शासन की रीढ़ बन चुकी है। डिजिटल इण्डिया पहल के तहत विभिन्न विभागों ने शानदार प्रदर्शन किया है। शासन–प्रशासन, पर्यटन और स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के प्रयासों के कारण विभिन्न राष्ट्रीय सूचकांकों में राज्य को विशेष स्थान प्राप्त हुआ है। **सतत् विकास लक्ष्यों (SDGs) में उत्तरोत्तर प्रगति कर राज्य को देश में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है।**

राज्य "विकल्प रहित संकल्प" की अवधारणा के अनुसार कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध है तथा आमजन की सेवा व निवेशोंन्मुख वातावरण बनाने हेतु सरलीकरण समाधान व निस्तारण के मूलमंत्र पर आगे बढ रहे है। पूर्व में अधिकांश सेवाएं Offline माध्यम से प्रदान की जाती थीं। वर्तमान में, "अपुणि सरकार पोर्टल" के माध्यम से प्रत्येक नागरिक को 76 विभागों की 954 सेवायें Online प्रदान की जा रही हैं। इन सेवाओं के माध्यम से अब तक स्थायी निवास, जाति, आय और रोजगार पंजीकरण से सम्बन्धित प्रमाण–पत्र भी जारी किए जा रहे है, शासकीय कार्यो में पारदर्शिता एवं त्वरित कार्य निस्तारण के लिये वर्तमान में ई–ऑफिस प्रणाली से प्रदेश के 832 कार्यालयों को आच्छादित किया जा चुका हैं। नीति एवं सुशासन का प्रभाव है कि जहां राज्य ने एक ओर आर्थिक क्षेत्र में उत्तरोत्तर प्रगति की है वहीं दूसरी ओर ई–गवर्नेन्स के माध्यम से जनता की समस्याओं का निराकरण किया जा रहा है।

उत्तराखण्ड राज्य में ई–गवर्नेन्स के अन्तर्गत मूल आधारभूत संरचना– क्षेत्रीय विस्तार नेटवर्क की स्थापना, सामान्य सेवा केन्द्रों की स्थापना, विभागों को होरिजॉन्टल कनेक्टिविटी प्रदान कर नेटवर्क से जोड़ना, डाटा सेंटर की स्थापना सम्बन्धी महत्वपूर्ण कार्य सम्पादित कर लिये गये हैं। इसके अतिरिक्त राजकीय लेखा सूचना प्रणाली, ई–ऑफिस, ई–गेटपास, अपणि सरकार पोर्टल, नागरिकों को प्रदान की जाने वाली सेवाओं का डिजिटाईजेशन का कार्य तीव्रता से बढ़ रहा है। राजकीय इकाइयों में इलेक्ट्रॉनिक शासकीय प्रणाली के आवेदन के आलोक में जोखिमों को कम करने में सूचना प्रौद्योगिकी शासन के तंत्र की महत्वपूर्ण भूमिका सुनिश्चित करने हेतु निरन्तर प्रयास जारी है। अधिकांश राजकीय सेवायें ई–शासन कार्यक्रमों को लागू करने के हेतु वेबसाइटों के माध्यम से संचालित हैं।

सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा राज्य में ई–गवर्नेन्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी गतिविधियों एवं आई0टी0 आधारभूत संरचना हेतु कई महत्वपूर्ण कदम उठाये गये हैं। राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी, संचार आधारभूत संरचना एवं राज्य के आर्थिक विकास व रोजगार सृजन की दृष्टि से महत्वपूर्ण नीतियां / दिशानिर्देश तैयार किये गये हैं।

26.1 सूचना प्रौद्योगिकी नीति 2018 (Information Technology Policy)–राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में निवेश को आकर्षित करने तथा राज्य के युवाओं को अपने ही राज्य में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सूचना प्रौद्योगिकी नीति 2018 जारी की गयी है। इस नीति में राज्य में संचार हेतु ऑप्टिकल फाईबर बिछाये जाने, मोबाईल टॉवर स्थापित किये जाने की प्रक्रिया हेतु दिशानिर्देश जारी किये गये हैं।

26.2 साईबर सुरक्षा (Cyber Security) – राज्य के आई0टी0 अवस्थापना के साईबर सुरक्षा हेतु

Cyber Crisis Management Plan (CCMP) एवं Critical Information Infrastructure (CII) Guidelines को उत्तराखण्ड कैबिनेट द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी है। उत्तराखण्ड राज्य में, डिजिटल सुरक्षा और गवर्नेंस में सुधार करने, साइबर सुरक्षा की तैयारी साईबर हमलों से निपटने के लिये Sectoral CERT (Computer Emergency Response Team) एवं CERT-UTK का गठन किया गया है। साईबर हमलों से निपटने के लिये Ministry of Electronics & Information Technology (MeitY) के दिशा–निर्देशों के अनुसार Adjudicating Office का गठन प्रगति पर है, जिसके अन्तर्गत ₹ 5.00 करोड़ तक के साईबर सम्बन्धित मामलों को निपटाने में सहयोग किया जायेगा। साईबर हमलों से निपटने तथा सुरक्षा के लिये क्रमशःIncident Response Mechanism तथा Application Security & Audit से सम्बन्धित Standard Operating Procedure (SOP) जारी की जायेगी। राज्य की साईबर सुरक्षा से सम्बन्धित मामलों हेतु CERT-UTK की वेबसाइट बनाई जायेगी। राज्य की साईबर सुरक्षा के सम्बन्ध में Cyber Security Center for Excellence (CCOE) बनाये जाने का कार्य गतिमान है।

26.3 ई–शासन (E-Governance)– राष्ट्रीय ई–शासन योजना के अन्तर्गत सूचना प्रौद्योगिकी विभाग उत्तराखण्ड हेतु स्टेट डाटा सेंटर, अपणि सरकार पोर्टल, एस0एस0डी0जी0 एवं स्टेट पोर्टल, कॉमन सर्विस सेंटर (सी0एस0सी0), स्वान परियोजनायें स्वीकृत की गयी। ई–शासन के अन्तर्गत वर्तमान में राज्य में निम्नलिखित परियोजनायें संचालित एवं क्रियान्वित हैं :–

26.3.1 उत्तराखण्ड राज्य डाटा केन्द्र (Uttarakhand State Data Centre)–वर्तमान में स्टेट डाटा सेंटर पर ग्रीनकार्ड, ई–गेटपास सिस्टम, सी0एम0 डैश बोर्ड, ई–ऑफिस, सी0एस0आर0 पोर्टल आदि होस्ट कर संचालित किये जा रहे हैं। भविष्य में राज्य के समस्त विभागों के ऐप्लीकेशन्स एवं सर्वर, डाटा सेंटर में स्थापित किये जाने के उद्देश्य से डाटा सेंटर का विस्तारीकरण, नियर बैकअप हेतु कार्यवाही आरम्भ की जा रही है। डाटा सेन्टर में विभिन्न विभागों की ऐप्लीकेशन्स को सुरक्षित रखने हेतु उत्तराखण्ड स्टेट डाटा सेन्टर हेतु CERT-UTK की स्थापना की गयी है।

26.3.2 स्टेट डाटा सेन्टर नीति (State Data Centre Policy)– स्टेट डाटा सेंटर में वर्तमान में 110 विभिन्न विभागों की ऐप्लीकेशन्स होस्ट की जा चुकी हैं तथा अन्य ऐप्लीकेशन्स को होस्ट करने का कार्य गतिमान है।

- SDC IT Infrastructure Expansion in Process
- SDC Third Party Auditor Agency Selection in Process

चार्ट–26.1

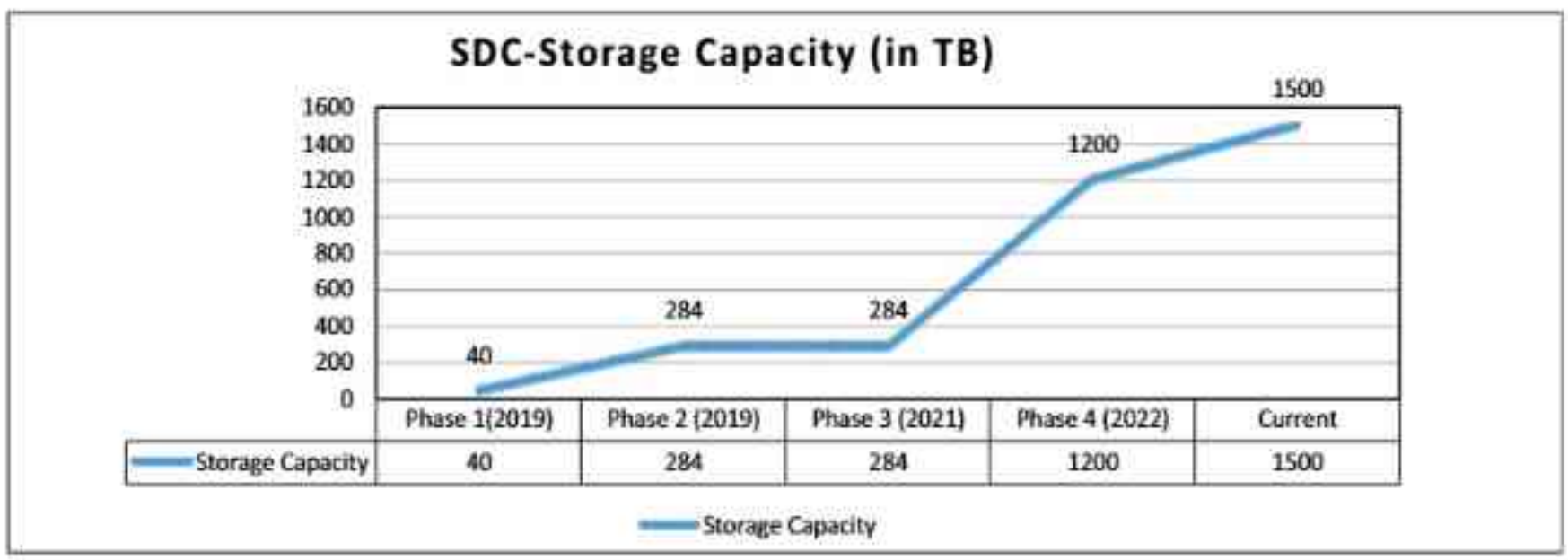

स्रोतः– आई. टी. डी. ए उत्तराखण्ड

26.3.3 अपणि सरकार पोर्टल– अपणि सरकार पोर्टल (पूर्व में ई–डिस्ट्रिक्ट परियोजना) के अन्तर्गत 78 विभागों की 954 नागरिक सेवाओं को विकसित एवं एकीकृत करते हुए "अपणि सरकार पोर्टल" के माध्यम से उत्तराखण्ड राज्य के समस्त जनपदों में नागरिकों को Web Portal, Mobile Apps ई–डिस्ट्रिक्ट एवं CSC केन्द्रों के माध्यम से प्रदान किया जा रहा है।

सारांश एक नजर में–

चार्ट–26.2

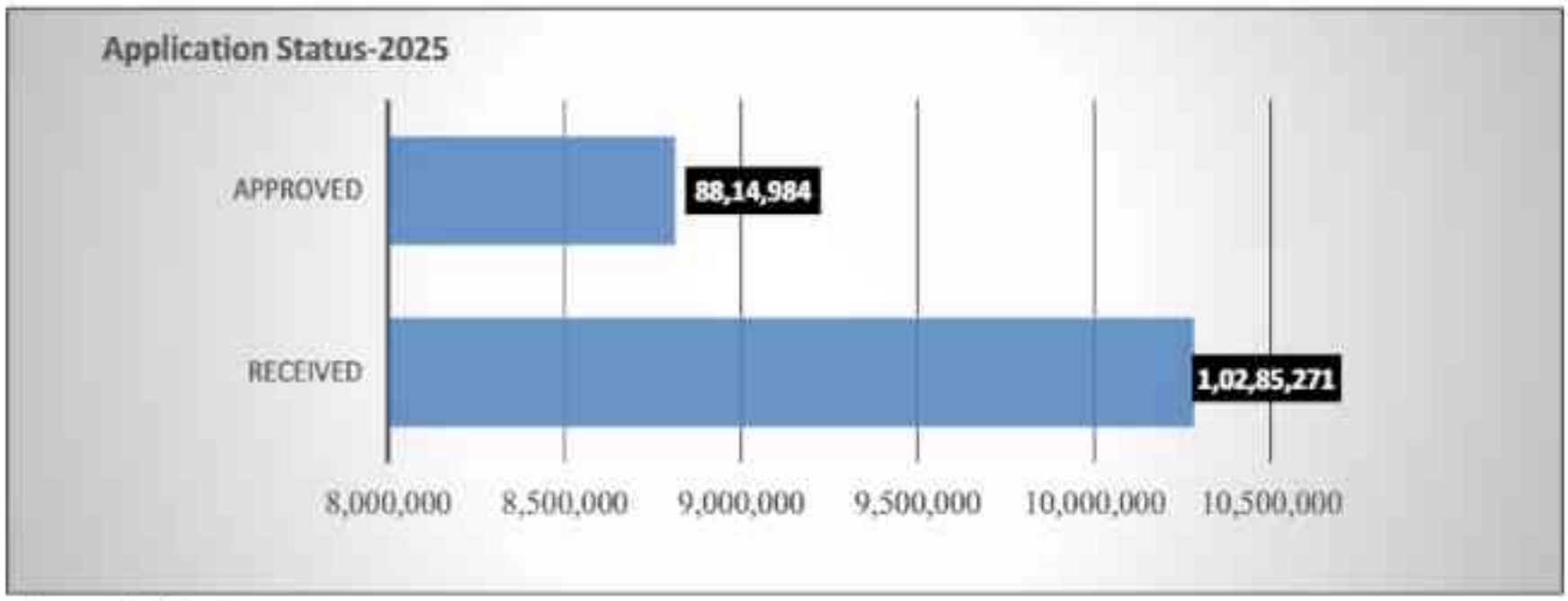

स्रोतः– आई. टी. डी. ए उत्तराखण्ड

1Crore Applications Received

99% Application Processing Rate

954 (78 Dept/Org) E- service available online

93% Disposal within Time

प्रमुख उपलब्धि –

- ✓ अपणि सरकार पोर्टल को भारत सरकार के प्रशासनिक और लोक शिकायत विभाग के NeSDA (National e-Governance Service Delivery Assessment) फ्रेमवर्क द्वारा देश भर में बेस्ट प्रैक्टिस के रूप में पहचान मिली है।
- ✓ पोर्टल OWASP (Open Web Application Security Project) 2021 के शीर्ष 10 रिस्क वलनरेबिलिटी से मुक्त है (सरकारी दिशा निर्देशानुसार सुरक्षित है)।
- ✓ सर्वर का वलनरेबिलिटी एंड पेनेट्रेशन टेस्टिंग (VAPT) मूल्यांकन, CERT-inempanelled एजेंसी द्वारा ऑडिट किया गया है।
- ✓ व्हाट्सएप इंटीग्रेशन–नागरिक नए आवेदन के लिए आवेदन, आवेदन की स्थिति की जांच, प्रमाणपत्र डाउनलोड और सेवाओं की सूची व्हाट्सएप के द्वारा देख सकते हैं।
- ✓ टू–वे इंटीग्रेशन –यह सिस्टम के बीच निर्बाध डेटा विनिमय को सक्षम बनाता है और यह सुनिश्चित करता है कि जानकारी सभी प्लेटफार्मों पर सुसंगत और अद्यतन बनी रहे।
- ✓ e- RUPI इंटीग्रेशन –डी0बी0टी0 की काइंड योजना e- RUPI के माध्यम से प्रदान की जायेंगी और लाभार्थी भविष्य में अपणि सरकार पोर्टल के माध्यम से सुविधा का लाभ उठा सकते हैं।

- ✓ **डी0बी0टी0 स्कीम** के तहत 78 योजनाएं "अपणि सरकार" पोर्टल के माध्यम से प्रदान की जा रही हैं तथा 10 योजनाएं आनलाईन होने की ओर अग्रसर हैं।

26.3.4 कॉमन सर्विस सेन्टर अथवा देवभूमि सेवा केन्द्र (Common Service Centre, CSC)–वर्तमान में राज्य में 26555 कॉमन सर्विस सेंटर पंजीकृत हैं, जिनमें से 19051 कॉमन सर्विस सेंटर ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित हैं। 11636 सी0एस0सी0 ई–डिस्ट्रिक्ट सेवाओं हेतु अधिकृत किये गये हैं। कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से नागरिकों को ई–डिस्ट्रिक्ट एवं राज्य तथा केन्द्र की अन्य G2C सेवायें प्रदान की जा रही है। इसके अतिरिक्त सी0एस0सी0 के माध्यम से विभिन्न B2C सेवायें भी प्रदान की जा रही है।

जनपदवार सी0एस0सी0 का विवरण निम्नानुसार हैं:–

तालिका–26.1

क्र0 सं0	जनपद	FY 2021-22		FY 2022-23		FY 2023-24		FY 2024-25		FY 2025-26	
		पंजीकृत CSC	कार्यशील CSC	पंजीकृत CSC	कार्यशील CSC	पंजीकृत CSC	कार्यशील CSC	पंजीकृत CSC	कार्यशील CSC	पंजीकृत CSC	कार्यशील CSC
1	अल्मोड़ा	1411	861	1844	933	1977	980	2000	896	2039	857
2	बागेश्वर	566	353	751	410	835	424	847	372	848	369
3	चमोली	956	504	1192	566	1280	596	1294	636	1388	569
4	चम्पावत	577	380	774	375	840	408	853	356	863	324
5	देहरादून	2534	1619	3009	1805	3274	1984	3419	1905	3551	1892
6	हरिद्वार	2771	1831	3056	2014	3332	2229	3544	2141	3710	2125
7	नैनीताल	1973	1342	2226	1428	2396	1473	2472	1403	2609	1354
8	पौड़ी गढ़वाल	1526	893	1838	907	2072	1030	2100	891	2208	891
9	पिथौरागढ़	931	459	1184	594	1308	684	1342	621	1368	612
10	रुद्रप्रयाग	626	296	730	332	785	351	796	344	813	350
11	टिहरी गढ़वाल	960	509	1213	607	1314	751	1350	690	1410	653
12	उधमसिंहनगर	3104	2000	3478	2238	3687	2299	3878	2235	4135	2170
13	उत्तरकाशी	906	556	1169	693	1261	613	1280	574	1324	554
	कुल	**18841**	**11603**	**22464**	**12902**	**24361**	**13822**	**25175**	**13064**	**26266**	**12720**

स्रोतः– आई. टी. डी. ए उत्तराखण्ड

सारांश एक नजर में–

चार्ट–26.3

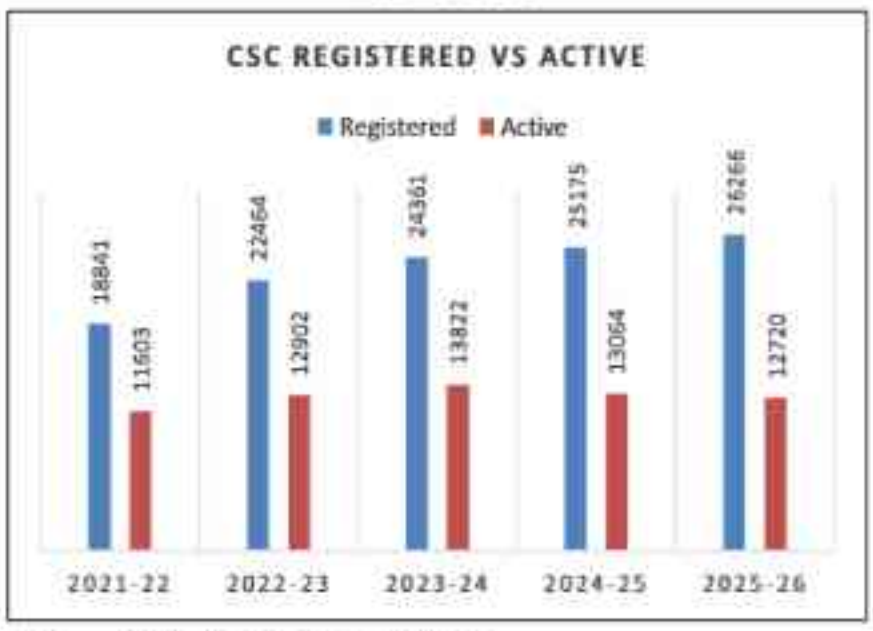

स्रोतः– आई. टी. डी. ए उत्तराखण्ड

प्रमुख उपलब्धि –

उत्तराखण्ड राज्य में समान नागरिक संहिता को वर्ष 2024 में लागू किया गया, जिसकी सेवाएँ वर्ष 2025 से कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से प्रदान की जा रही है। कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से नागरिकों को 300 से अधिक सेवाएँ उपलब्ध कराई जा रही हैं। यह पहल लोगों को सरकारी सेवाओं तक आसान और पारदर्शी पहुँच देने के लिए प्रारम्भ की गई है।

सी0एस0सी0 के माध्यम से निम्नलिखित सेवायें प्रदान की जा रही हैं–

1. **Uttarakhand Power Corporation Limited (UPCL):**
   - ➢ Collection of electricity Bill
2. **Uttarakhand Jal Sansthan (UJS):**
   - ➢ Collection of water Bill
3. **State Transport (e-Vahan/e-Sarthi)**

- Alteration of Motor Vehicle
- Change of Address in RC
- Duplicate FC
- Fitness Inspection/Certificate
- Fresh Permit
- Hypothecation Addition
- Hypothecation Termination
- Issue of Duplicate RC
- Issue of NOC
- MV Tax
- RC Particulars Against Fee
- Renewal of Registration
- Transfer of Ownership
- Learning License
- Driving License

4. **Central G2C Services :**
   - Jeevan Pramaan Certificate
   - Public Grievances
   - National Pension System
   - Passport
   - UTIITSL - PAN Card Service
   - BBPS-Utility Bills
5. **Financial Inclusion**:
   - Banking
   - Insurance : LI/GI/PMFBY
   - Pension
6. **Health Services :**
   - Medicine Sale
   - Ayushmaan eKYC
7. **Education Project :**
   - CSC Academy
   - CSC Tiny Tech
   - Skill Development
   - Tele law
   - E Court
8. **e-Sharam:**
   - Registration of Beneficiary
9. **e-Vigyapan**:
   - Commercial adds displayed for public at CSC center.
10. **e-Store**:
    - Rural e-Commerce Platform
11. **Agricultural :**
    - FPO's/PACs as CSCs
    - CSC e Agri Portal
    - Iffco Sale
    - KVK
12. **Gas Centers:**
    - 100 Kgs Out let & Booking of Cylinders
13. **PM Scheme:**
    - PM-SYM(Pradhan Mantri Shram Yogi Maandhan) :
    - PM SVA Nidhi(PM Street Vendors Atma Nirbhar Nidhi) :
    - PM-KMY(Pradhan Mantri Kisan Maandhan)
    - PM Kisan Samman Nidhi
14. **RTO Centers**:
    - Vahan Tax Collection Center at Dehradun
15. **ASK Centers:**
    - 16 ASK (Aadhaar Seva Kendra) Across The State
16. **Travel:**
    - IRCTC
    - Flight
    - Bus Booking
    - Hotel Booking
17. **B2C Services :**
    - Income Tax Services
    - GST Returns
    - Digital Sign Certificate
    - Order Devices from CSC

- Kisan e-Store

18. **e Recharge:**
    - Airtel
    - BSNL
    - BSNL Prepaid
    - JIO
    - Vodaphone
    - Air Tel DTH Recharge
    - Tata Sky
    - Sun DTH Recharge
    - Dish TV New Connection & Recharge
    - DTH New Connection & Recharge
    - Watcho New Connection & Recharge
19. **Mission Karamyogi :**
    - Training of VLEs in Aspirational Districts
20. **e-Stamp**
    - CSC sub agent registration
21. **Uniform Civil Code(UCC)**
    - 1.Registration of Marriage / Acknowledgement of Registered Marriage
    - 2.Registration of Divorce/Nullity of Marriage
    - 3.Registration of Live-in Relationship
    - 4.Termination of Live-in Relationship
    - 5.Intestate Succession-Declaration of Legal Heirs
    - 6.Testamentary Succession-Registration of Will
22. **D2D (Door To Door Service)**
    - All services which comes under Apuni Sarkar Portal

26.3.5 उत्तराखण्ड स्वान (Uttarakhand SWAN)—स्वान का संचालन वर्टीकल कनेक्टिविटी के रूप में 139 प्वाइंट ऑफ प्रजेन्स (PoP) के माध्यम से किया जा रहा है। सूचना प्रौद्योगिकी भवन (आई0टी0डी0ए0) से विधान सभा व सचिवालय होते हुए सूचना प्रौद्योगिकी भवन तक रिंग–कनेक्टिविटी के माध्यम से 44 विभागों की कनेक्टिविटी हो चुकी है। ITDA से कुल 65 विभाग जोड़े जा चुके हैं। वर्तमान में स्वान नेटवर्क के अन्तर्गत 13 जनपदों में लगभग 2025 कार्यालय संयोजित किये गये है, एवं समस्त स्वान केन्द्रों में रेडियो फ्रीक्वेंसी की स्थापना कर ब्लॉक–तहसील स्तर तक अधिकतम राजकीय कार्यालयों को स्वान से हॉरिजोन्टल कनेक्टिविटी से आच्छादित किये जाने की कार्यवाही आरम्भ की जा चुकी है। उत्तराखण्ड क्षेत्रीय विस्तार नेटवर्क हेतु स्थापित उपकरणों को अपग्रेड कर दिया गया है। स्वान नेटवर्क के माध्यम से सी0एम0ऑफिस, राजभवन, सचिवालय एवं विधानसभा देहरादून तथा भराड़ीसैण मे कन्ट्रोलर संयोजित वाई0फाई0 का संयोजन किया जा चुका है।

26.3.6 वीडियो कान्फ्रेसिंग (Video Confrencing):– प्रथम चरण में सचिवालय, परिवहन, पुलिस व ब्लॉक स्तर तक लगभग 258 स्थलों में वीडियो कान्फ्रेसिंग की स्थापना की गयी है। वर्ष 2025 में माह दिसम्बर तक 4720 वीडियो कॉन्फ्रेसिंग स्वॉन के माध्यम से सम्पन्न करायी गयी है। वर्तमान में 139 केन्द्रो में वैकल्पिक आई0एस0पी0 की सुविधा प्रदान की जा रही है।

26.3.7 डिजीलॉकर (Digi Locker)– डिजिटल इण्डिया प्रोग्राम के अन्तर्गत उत्तराखण्ड राज्य के निवासियों के 45 लाख से अधिक डिजिटल लॉकर क्रियान्वित किये जा चुके हैं तथा राज्य सरकार की "अपणि सरकार" सेवाओं से सम्बन्धित 63.61 लाख प्रमाण पत्र नागरिकों को डिजिटल लॉकर के माध्यम से जारी किये गये हैं। डिजिलॉकर के माध्यम से राज्य की 72 सेवायें प्रदन की जा रही है–

तालिका–26.2

Education & learning	44
Transport & Infrastructure	03
Government & Public Sector	17
Banking, Financial Services & Insurance	01
Revenue Department	07
Total	**72**

स्रोतः– आई. टी. डी. ए उत्तराखण्ड

26.4 स्किल डेवलपमेंट केन्द्र (Skill Development Centre-CALC)- वर्तमान में आई0टी0डी0ए0 कैल्क के अन्तर्गत 50 कैल्क केन्द्र संचालित किये जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त दो स्थलों यथा– कैल्क केन्द्र (Computer Academy & Learning Centre- CALC) आई0डी0पी0एल0, ऋषिकेश एवं कैल्क केन्द्र पिथौरागढ़ पर आई0टी0 स्किल डेवलपमेंट केन्द्र स्थापित किये गये हैं इसके अन्तर्गत आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित कम्प्यूटर लैब/डिजिटल क्लास रूम तैयार की गयी हैं। इन केन्द्रों का उद्देश्य मुख्यतः स्थानीय नवयुवकों/बेरोजगार युवकों को कम्प्यूटर के क्षेत्र में प्रशिक्षण प्रदान करना एवं सूचना प्रौद्योगिकी से सम्बन्धित सेवाएं प्रदान करना/स्वरोजगार स्थापित करने में सहायता करना है, जिससे कि प्रशिक्षित युवा आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ाते हुए सूक्ष्म उद्यम चला सकें एवं युवकों के अन्य प्रदेशों में पलायन को कम किया जा सके। आई0टी0डी0ए0 कैल्क उत्तराखण्ड में प्रशिक्षण केन्द्रों के एक विस्तृत नेटवर्क के माध्यम से आई0आई0टी0, रूड़की द्वारा मान्य कम्प्यूटर पाठ्यक्रम चला रहा है।

चार्ट–26.4

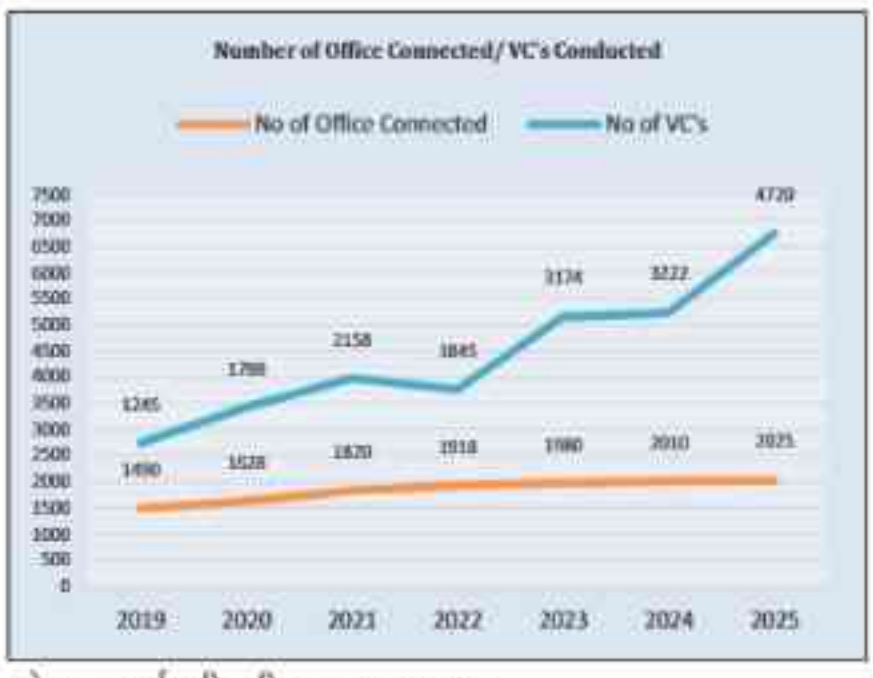

स्रोतः– आई. टी. डी. ए उत्तराखण्ड

ITDA-CALC द्वारा संचालित पाठ्यक्रमों को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता दिए जाने हेतु NCVET (National Council for Vocation Education and Training) जो कि व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए राष्ट्रीय परिषद, व्यावसायिक शिक्षा में अल्पकालिक और दीर्घकालिक शैक्षिक प्रशिक्षण प्रदान करने और संचालन के लिए आवश्यक बुनियादी मानकों को डिजाइन करने में लगे संस्थानों की निगरानी के लिए कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त, गैर–सांविधिक और नियामक निकाय है तथा प्रादेशिक स्तर पर उत्तराखण्ड प्रावधिक शिक्षा परिषद् से Awarding Body and Assesment Body के रूप में मान्यता प्राप्त किया गया है। उक्त मान्यता के पश्चात CALC के छात्रों को रोजगार प्राप्ति हेतु उच्च स्तर का प्रशिक्षण प्राप्त हो सकेगा।

सारांश एक नजर में–

चार्ट–26.5

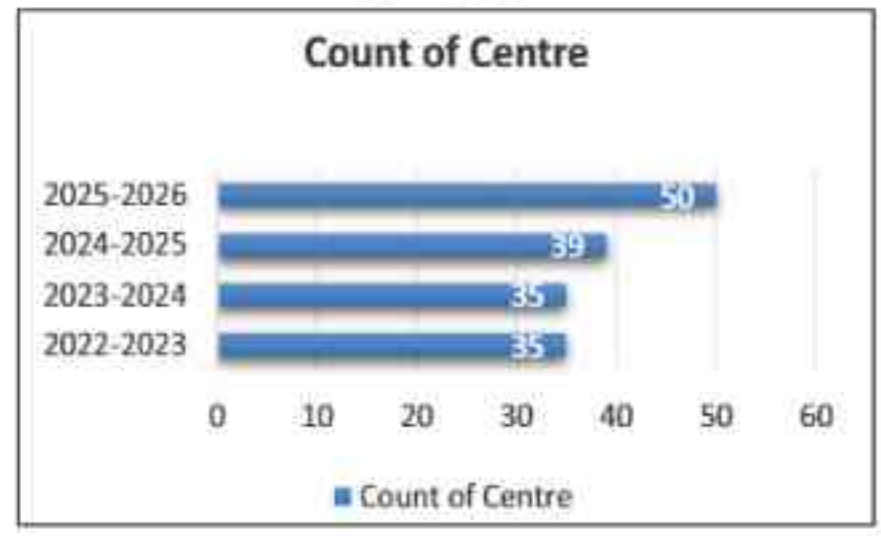

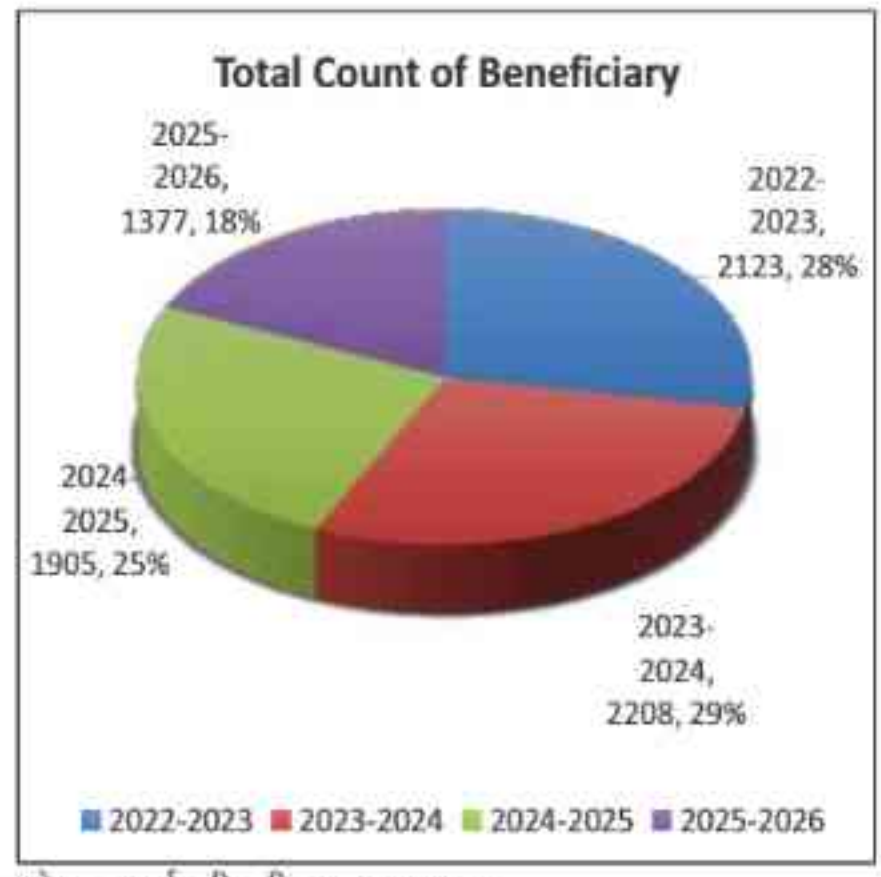

स्रोतः– आई. टी. डी. ए उत्तराखण्ड

वर्ष 2025–26 की प्रमुख उपलब्धियां–

1. पुलिस विभाग के 264 अधिकारियों का प्रशिक्षण कार्यक्रम गतिमान है।

2. उत्तराखण्ड राज्य के युवा मंगल दल एवं महिला मंगल दल को डिजिटल साक्षरता अभियान के अर्न्तगत लगभग 21,375 युवाओं को 31 मार्च 2026 तक प्रशिक्षित किया जाना प्रस्तावित है।

3. भारत सरकार के स्किल डेवलपमेंट परियोजना के अन्तर्गत निर्धारित 10000 के सापेक्ष अवशेष लाभार्थियों को प्रशिक्षण की प्रक्रिया गतिमान है।

4. राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद (एन0सी0वी0ई0टी0) से प्रमाण पत्र देने वाली संस्था और मूल्यांकन संस्था की दोहरी मान्यता के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये गये। इसके अर्न्तगत

- Course in Computer Application
- Course in Web Technology
- Course in Digital Accounting

पाठ्यक्रमों के संचालन की मान्यता दिये जाने हेतु कार्यवाही प्रगति पर है।

26.5 सी0एम0 हैल्प लाईन '1905' (CM Helpline '1905')– माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जनता से सीधा संवाद स्थापित करने तथा जन शिकायतों/समस्याओं के त्वरित समाधान हेतु प्रारम्भ की गयी सी0एम0 हैल्पलाइन–1905 के अन्तर्गत कुल 67 विभागों, 215 उप विभागों के 4800 अधिकारी मैप्ड हैं।

सी0एम0 हैल्पलाइन–1905 के अन्तर्गत लगभग 784895 लाख शिकायतें प्राप्त हो चुकी हैं, जिसमें से 728360 लाख शिकायतों का सन्तुष्टिपूर्वक निराकरण किया जा चुका है।

चार्ट–26.6

स्रोत– आई. टी. डी. ए उत्तराखण्ड

26.6 ई–ऑफिस (E-Office)– वर्तमान में राज्य के विभिन्न कार्यालयो में ई–ऑफिस प्रणाली के क्रियान्वयन की प्रक्रिया गतिमान है। सचिवालय सहित राज्य के विभिन्न विभागों की कार्यप्रणाली को डिजिटाईज्ड किये जाने हेतु एन0आई0सी0 के ऐप्लीकेशन सॉफ्टवेयर "E- Office" का क्रियान्वयन किया जा चुका है।

जिसने अभी तक कुल 958 विभाग शामिल किए गए है, एवं जिनमे से वर्तमान में 837 विभागों को ऑनबोर्ड किया जा चुका है तथा 121 विभागों को भी जल्द ही ऑनबोर्ड कर लिया जाएगा।

चार्ट–26.7

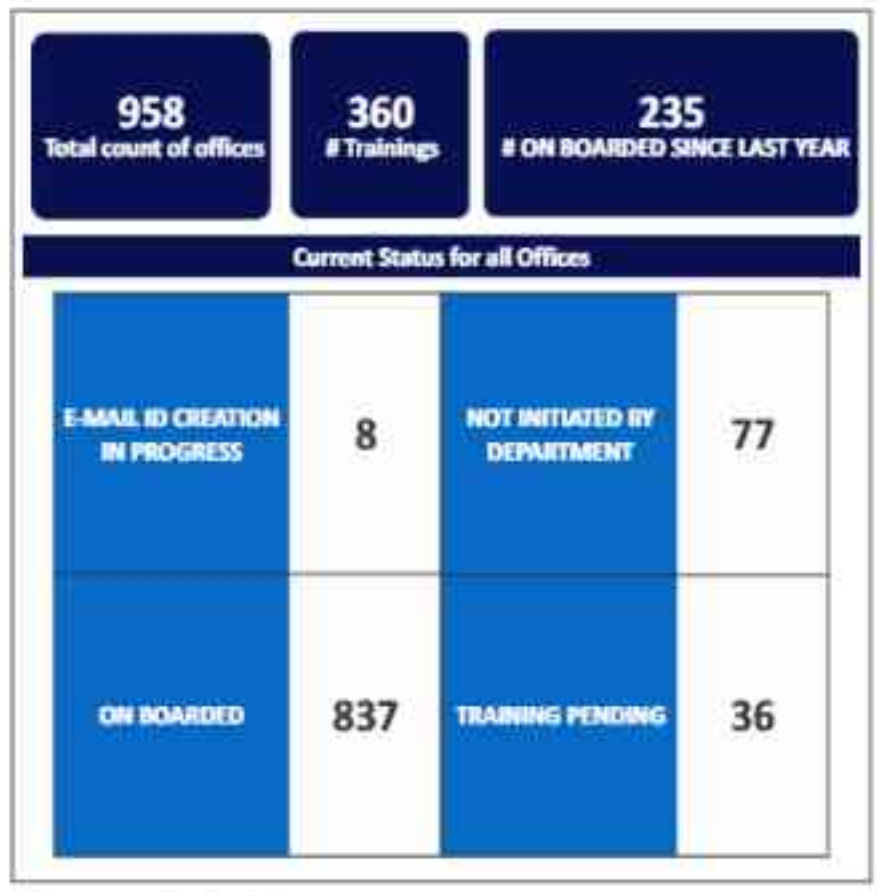

स्रोत:– आई. टी. डी. ए उत्तराखण्ड

26.7 ई–गेटपास (E-Gatepass) – आई0टी0 डी0ए0 द्वारा विकसित कराया गया 'उत्तराखण्ड ई–गेटपास' राज्य सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है। इसके माध्यम से नागरिकों को राजकीय कार्यालयों/परिसरों में अप्वाइंटमेंट हेतु साधारण डिजिटल प्रक्रिया विकसित की गयी है। इसके अन्तर्गत https://egatepass.uk.gov.in पर आवेदन प्रक्रिया उपलब्ध है। इस सिस्टम के माध्यम से अभी तक 4.11 लाख से अधिक ऑनलाईन पास जारी किये जा चुके हैं।

26.8 आधार परियोजना–आधार को पहचान पत्र के रूप में उपयोग किया जा सकता है। राज्य में 2025 की अनुमानित जनसंख्या के सापेक्ष आधार पंजीकरण की स्थिति निम्नानुसार है:–

चार्ट–26.8

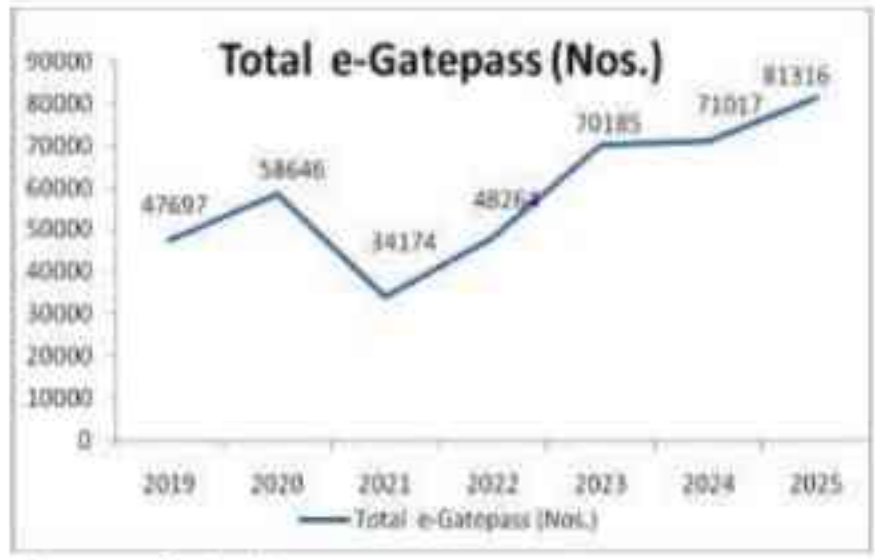

स्रोतः– आई. टी. डी. ए उत्तराखण्ड

तालिका–26.3

Sr.No.	Age Group	Total Population (Projected 2024)	Total Aadhaar Generated	Saturation %
1	0-5 Yrs	8,39,947	349956	41.14%
2	5-18 Yrs	24,42,753	2585944	105.86%
3	> 18 Yrs	85,91,301	95,26480	113.21%
	Overall	**11,874001**	12,662380	106.63%

स्रोतः– आई. टी. डी. ए उत्तराखण्ड

चार्ट–26.9

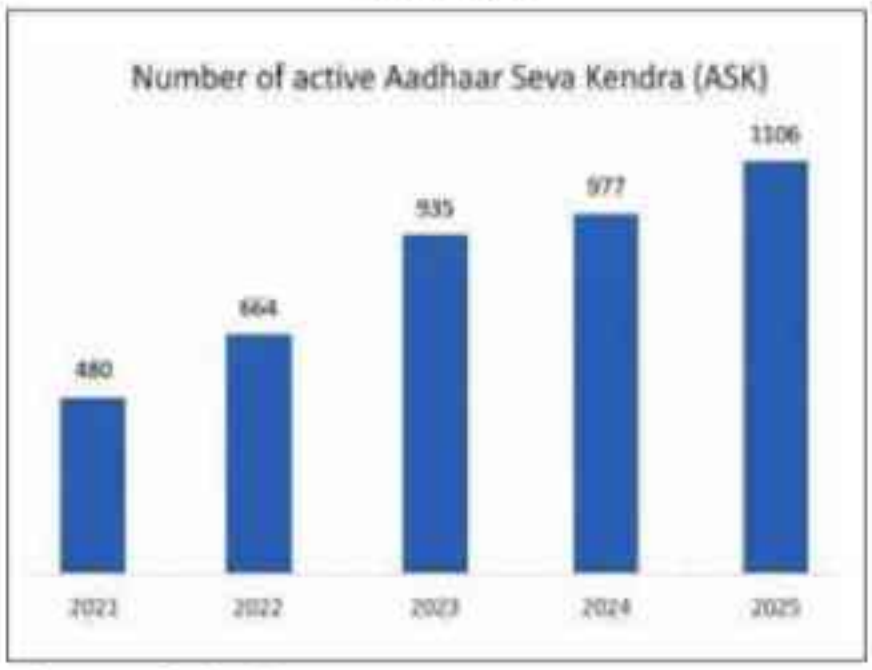

स्रोतः– आई. टी. डी. ए उत्तराखण्ड

26.9 पी0एम0 गति शक्ति, उत्तराखण्ड PM Gati Shakti Uttarakhand (Unnati Portal)

"पी0एम0 गति शक्ति, उत्तराखण्ड" कार्यक्रम उत्तराखण्ड सरकार के विभागों के ऐसे प्रस्तावों और परियोजनाऐं जो कि लंबित हैं तथा जिन पर अनुवर्ती कार्रवाई की आवश्यकता है, की वास्तविक स्थिति के अवलोकन एवं अनुश्रवण के लिए केंद्रीकृत प्रणाली है। उक्त के माध्यम से उत्तराखण्ड सरकार समस्त विभागों के प्रस्तावों/अनुरोधों की निगरानी करते हुए सम्बंधित विभागों को संपर्क टीम को सौंपने के साथ विभागों की प्रगति को ट्रैक कर सकती है, तथा समय पर प्रस्तावों/ अनुरोधों को पूर्ण करना सुनिश्चित कर सकती है साथ ही प्रस्तावों/ अनुरोधों की प्रगति पर नज़र रखते हुए उन्हें पूरा करने में आने वाली बाधाओं को पहचानते हुए उचित निर्णय ले सकती है। पीएम गति शक्ति उत्तराखण्ड सरकार की प्रमुख पहलों में से एक महत्वपूर्ण बुनियादी ढाँचे को आगे बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रही है। पूर्व में उत्तराखण्ड में उन्नति पोर्टल के नाम से जाना जाता था वर्तमान में इसका नाम बदलकर पी0एम0 गतिशक्ति, उत्तराखण्ड किया गया है।

प्रमुख उपलब्धि–

चार्ट–26.10

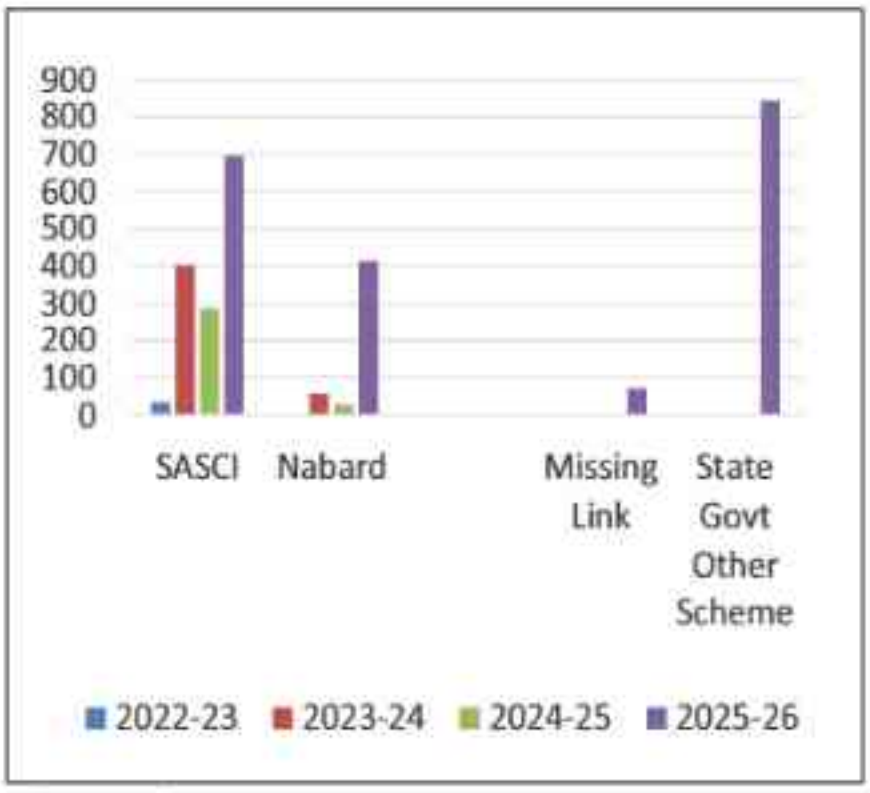

स्रोतः– आई. टी. डी. ए उत्तराखण्ड

26.10 डिजिटल उत्तराखण्ड पोर्टल– सूचना प्रौद्योगिकी विकास एजेंसी (ITDA), उत्तराखण्ड तथा राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC) उत्तराखण्ड के द्वारा तैयार इस पोर्टल का उद्देश्य सरकारी विभागों और सेवाओं को एकीकृत कर, पारदर्शी, कुशल और कागज–मुक्त शासन व्यवस्था स्थापित करना है।

26.10.1 प्रमुख विशेषताएँ और नवाचार–

- **एकीकृत डैशबोर्ड और सिंगल साइन–ऑन (SSO)** पोर्टल सभी विभागीय प्रणालियों को एकल इंटरफेस में एकीकृत करता है, जिससे सरकारी अधिकारी एक ही लॉगिन से विभिन्न ऐप्लीकेशनों जैसे ई–ऑफिस, आई0एफ0एम0एस0, सी0एम0 हेल्पलाइन आदि का उपयोग कर सकते हैं। साथ ही नागरिक भी एक ही पोर्टल से ज्ञान प्राप्त कर, सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं।

- **मॉड्यूलर और स्केलेबल डिजाइन**– पोर्टल की ओपन और मॉड्यूलर आर्किटेक्चर इसे भविष्य के लिए तैयार बनाती है, जिससे नए विभाग व सेवाऐं जोड़ी जा सकती हैं।

- **सुरक्षा और डेटा इंटीग्रिटी**– यह प्लेटफॉर्म राज्य के डेटा सेंटर में होस्ट किया गया है, और उच्च स्तर की सुरक्षा प्रणालियों जैसे CERT-In ऑडिटेड नेटवर्क और एन्क्रिप्शन के साथ सुरक्षित है।

- एआई–संचालित फीचर्स जैसे AI पाणिनी (रियल–टाइम बहुभाषी टेक्स्ट अनुवाद), AI सारांश (डॉक्यूमेंट्स का त्वरित सारांश), भाषा सशक्तीकरण के लिए टेक्स्ट–टू–स्पीच और स्पीच–टू–टेक्स्ट सेवाएँ शामिल हैं।

26.10.2 प्रमुख सेवाएं और समाधान–

- **मोबाइल ऐप्लिकेशन डिजिटल उत्तराखण्ड** – जिससे मोबाइल से ही सेवाएं प्राप्त करना सुविधाजनक हुआ है।

- **ई–मीटिंग्स, ई–विधान सभा, ई–कोर्ट** – ये मॉड्यूल प्रशासनिक, विधायी और न्यायिक क्रियाकलापों को डिजिटलीकृत कर उन्हें सरल और पारदर्शी बनाते हैं।

- **सीएम घोषणाएँ और सीएम हेल्पलाइन**– मुख्यमंत्री के निर्देशों और शिकायत निवारण को प्रभावी तरीके से ट्रैक एवं प्रबंधित किया जाता है।

- वित्तीय प्रबंधन (IFMS)– राज्य के बजट, व्यय व वित्तीय रिपोर्टिंग को रीयल–टाइम में ट्रैक करता है।

26.10.3 परियोजना कार्यान्वयन और चुनौतियाँ – पुरानी विभागीय प्रणालियों का एकीकरण, कर्मचारियों में परिवर्तन के प्रति हिचकिचाहट और संवेदनशील डेटा की सुरक्षा आदि मुख्य चुनौतियां, चरणबद्ध तरीके से प्रशिक्षण, संवाद और सुरक्षा प्रोटोकॉल के माध्यम से सफलतापूर्वक प्रबंधित की गई।

26.10.4 परिवर्तन प्रबंधन और उपयोगकर्ता सहभागिता– सरकार ने Top-Down और Bottom-Up दोनों स्तरों पर परिवर्तन प्रबंधन को अपनाया है। उच्च अधिकारियों एवं कर्मचारियों के

लिए नियमित प्रशिक्षण, कार्यशालाएं और निरंतर फीडबैक नेटवर्क स्थापित किए गए है।

26.10.5 महत्वपूर्ण परिणाम और लाभ

- पारदर्शिता एवं जवाबदेही– रीयल–टाइम डैशबोर्ड से प्रशासन की गतिविधियों की निगरानी होती है, जिसके कारण फाइलों और शिकायतों के लंबित होने की संख्या पर निगरानी रखी जाती है।

- नागरिकों के लिए आसान पहुंच– एक विश्वसनीय, प्रमाणित स्रोत से सभी सेवाएं मिलने से धोखाधड़ी में भारी कमी आई है।

- सरकारी कार्यों में तेजी और दक्षता– स्वचालित कार्यप्रवाह और डिजिटल फाइल ट्रैकिंग से निर्णय लेने की प्रक्रिया तेज एवं प्रभावी हुई है।

- पर्यावरण संरक्षण– कागज रहित प्रणाली ने पेपरलेस शासन को साकार किया, जिससे पर्यावरण संरक्षण में भी योगदान मिला है।

डिजिटल उत्तराखण्ड की स्थापत्यशिल्प (आर्किटेक्चर) इसे आवश्यकता अनुसार नए विभागों व सेवाओं के लिए खुला और विस्तार योग्य बनाता है। इसका डिजिटलीकृत स्थायी ढांचा इसे अन्य राज्यों के लिए भी एक आदर्श मॉडल बनाता है।डिजिटल उत्तराखण्ड पोर्टल केवल तकनीकी परियोजना नहीं बल्कि एक व्यापक शासन सुधार मॉडल है, जिसने सरकारी सेवाओं को नागरिक–केंद्रित, पारदर्शी और प्रभावी बना दिया है।

डिजिटल उत्तराखण्ड पोर्टल को छठवें डिजिटल ट्रांसफोरमेशन समिट के अन्तर्गत सर्वश्रेष्ठ डिजिटल ट्रांसफोरमेंशन एवं नवाचार के लिए पुरस्कृत किया गया है।

26.11 CSR(Corporate Social Responsibility) सहयोग पोर्टल

– उत्तराखण्ड में कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के लिए एक समर्पित **मंच** – उत्तराखण्ड सरकार ने राज्य में कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (CSR) की पारदर्शिता, सहजता और प्रभावी प्रबंधन के लिए CSR सहयोग (**Sahyog**) पोर्टल लॉन्च किया है। यह पोर्टल राज्य सरकार, उद्योग जगत, एन0जी0ओ0 और नागरिकों के बीच सहयोग को बढ़ावा देता है और CSR फंडिंग के प्रभाव को ट्रैक करने, निगरानी करने और बेहतर सामाजिक विकास सुनिश्चित करने के लिए एक मजबूत आधार प्रस्तुत करता है।

26.11.1 पोर्टल के उद्देश्य और महत्व–CSR सहयोग पोर्टल का मुख्य उद्देश्य CSR गतिविधियों में भागीदारों – जैसे कॉरपोरेट्स, सरकारी विभागों, एन0जी0ओ0 और आम जनता के बीच पारदर्शी और संवादात्मक संबंध स्थापित करना है। यह एक केंद्रीकृत ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जहाँ पर CSR योजनाओं की जानकारी, फंड आवंटन, परियोजनाओं की प्रगति और सामाजिक प्रभाव की रिपोर्ट्स उपलब्ध होती हैं। पोर्टल राज्य के सामाजिक विकास लक्ष्यों के साथ कॉरपोरेट योगदान को संरेखित करता है।

26.11.2 तकनीकी विशेषताएं और कार्यपद्धति–

- ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, आवेदन और परियोजना प्रबंधन की सुविधा, जिससे कॉरपोरेट और NGOs आसानी से अपने CSR प्रोजेक्ट्स को पोर्टल पर दर्ज और ट्रैक कर सकते हैं।

- रियल–टाइम मॉनिटरिंग और रिपोर्टिंग सिस्टम के जरिए फंड के उपयोग और परिणामों की पारदर्शिता बनी रहती है।

- पोर्टल पर डैशबोर्ड और एनालिटिक्स फीचर्स उपलब्ध हैं जो परियोजनाओं की प्रगति और सामाजिक प्रभाव को मापते हैं।

26.11.3 भूमिका और लाभ– CSR सहयोग (Sahyog) पोर्टल उत्तराखण्ड को एक डिजिटल,

पारदर्शी और सामाजिक रूप से संवेदनशील राज्य बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह प्लेटफॉर्म केवल CSR फंडिंग की निगरानी ही नहीं करता, बल्कि कॉरपोरेट, सरकार, और समाज के बीच प्रभावी सहयोग को भी बढ़ावा देता है। इसके माध्यम से उत्तराखण्ड में सामाजिक विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण संरक्षण सहित कई क्षेत्रों में सार्थक बदलाव लाना संभव हो पाया है।

26.12 प्रवासी उत्तराखण्डी पोर्टल– वैश्विक उत्तराखण्डियों को उनके मूल से जोड़ने का डिजिटल माध्यम–उत्तराखण्ड सरकार ने प्रवासी उत्तराखण्डी सेल के माध्यम से प्रवासी उत्तराखण्डियों को उनके सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक मूल से जोड़ने और उन्हें राज्य के विकास कार्यों में सक्रिय भागीदार बनाने, स्थानीय और प्रवासी उत्तराखण्डियों के बीच सहयोग और समझ बढ़ाने हेतु स्थायी संवाद के निर्माण, राज्य की आर्थिक विकास, नवाचार, निवेश, पर्यटन व सामाजिक कल्याण योजनाओं में प्रवासी समुदाय की भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से 'प्रवासी उत्तराखण्डी पोर्टल' लॉन्च किया है। NRI कनेक्ट – ऑनलाइन सेवा पोर्टल पर प्रवासी उत्तराखण्डी नागरिक विभिन्न आवश्यक कार्य जैसे पंजीकरण, शिकायत दर्ज करना, निवेश संबंधी जानकारी लेना आदि ऑनलाइन कर सकते हैं, राज्य में नवीनीकृत ऊर्जा और अन्य आर्थिक परियोजनाओं में निवेश व उत्तराखण्ड की प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक विरासत की जानकारी की प्राप्ति, जिससे प्रवासी अपने क्षेत्र से जुड़े रहें।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (Science & Technology)

राज्य में विकास तथा विभिन्न शैक्षणिक कार्यक्रमों के प्रभावी संचालन हेतु विज्ञान प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जा रहा है, जिसमें मुख्य रूप से प्राकृतिक संसाधनों, पर्यावरण, जल संरक्षण, कृषि विकास एवं जनसामान्य में वैज्ञानिक ज्ञान उत्पन्न करने हेतु निम्न संस्थायें कार्य कर रही हैः–

- X उत्तराखण्ड अन्तरिक्ष उपयोग केन्द्र (Uttarakhand Space Application Centre, USAC)
- X उत्तराखण्ड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद (Uttarakhand State Council for Science & Technology, UCOST)
- X उत्तराखण्ड जैव प्रौद्योगिकी परिषद (Uttarakhand Council for Biotechnology)

विभिन्न संस्थाओं द्वारा किये जा रहे प्रमुख कार्यों का विवरण निम्नानुसार हैः–

26.13 उत्तराखण्ड अन्तरिक्ष उपयोग केन्द्र (Uttarakhand Space Application Centre, USAC)–केन्द्र द्वारा नवीनतम अन्तरिक्ष एवं उपग्रहीय सुदूर संवेदन तकनीक तथा सामान्य एवं पारम्परिक तकनीकों के समन्वय से प्रदेश में उपलब्ध विभिन्न प्राकृतिक संसाधनों से सम्बन्धित आंकड़ों का सृजन कर उपयोगी डेटा बेस तैयार कर प्रदेश सरकार के विभिन्न उपयोगकर्ता/रेखीय विभागों को लाभान्वित करना है साथ ही अन्तरिक्ष संचार के क्षेत्र में कार्यों को कराना उनको आगे बढ़ाना तथा मार्गदर्शन प्रदान करना एवं अनुसन्धान और विकास में सहयोग करने सम्बन्धी कार्य किये जा रहे हैं।

26.13.1 राज्य सहायतित परियोजनायें–

26.13.1.1 लैण्ड यूज एण्ड/रूरल/अर्बन प्लानिंग– परियोजना का उद्देश्य उच्च विभेदी उपग्रह आंकड़ों के उपयोग से राज्य के चयनित शहरों के लिये लार्ज स्केल मैपिंग करना है व विभिन्न जनपदों के लिये लैण्ड यूज/लैण्ड कवर डेटाबेस तैयार किया जा रहा है। राज्य में चारधाम यात्रा मार्ग तथा देहरादून व हरिद्वार जनपदों में प्लास्टिक वेस्ट डंपिंग क्षेत्रों का चिन्हांकन एवं मानचित्रीकरण किया जा रहा है। उक्त परियोजना के तहत वर्ष 2024–25 एवं 2025–26 में रूद्रप्रयाग एवं नैनीताल नगर क्षेत्रों की लार्ज स्केल मैपिंग की गई।

26.13.1.2 वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट–परियोजना का उद्देश्य राज्य के अलकनंदा व पिण्डारी रीवर बेसिन के हिमाच्छादित क्षेत्रों का उपग्रहीय डेटा व मानसून वैरिएबलस एवं फील्ड सर्वेक्षण से सम्बन्धित मानचित्रीकरण एवं मूल्यांकन करना, कमोलगाड, रिखनागाड व कोसी में ग्राम स्तर पर जल सग्रंह हेतु प्रारम्परिक प्रणालियों की मानिटरिंग कर जियोस्पेशियल डेटाबेस सृजित किया जा रहा है। जनपदों पौड़ी व नैनीताल मे जलग्रही क्षेत्रों का लार्ज स्केल मानचित्रीकरण किया जा रहा है। रीवर बेसिन (मन्दाकिनी) के हिमाच्छादित क्षेत्रों का मानचित्रीकरण कर डेटाबेस सृजित करना व विगत 5 वर्षो में आये परिवर्तनों का मूल्यांकन किया जा रहा है।

26.13.1.3 वानिकी–पारिस्थितिकीय एवं जलवायु परिवर्तन (अ)– परियोजना का उद्देश्य रियल टाइम मोनिटरिंग ऑफ फॉरेस्ट फायर, हैजार्ड जोन मैपिंग, बर्न्ट एरिया मैपिंग एवं ग्राउण्ड सर्वे द्वारा वेलिडेशन कर रिपोर्ट तैयार करना व चिन्हित औषधीय एवं आर्थिकी रूप से महत्वपूर्ण वन उपज–अमेश, चुरू, तेजपत्ता आदि का चिन्हिकरण एवं मानचित्रीकरण रिपोर्ट सृजन करना है। रियल–टाइम मॉनिटरिंग – NASA FIRMS पोर्टल से प्राप्त वनाग्नि (Fire Points) डेटा का (March–June) विश्लेषण किया गया। जली हुई भूमि के आकलन (Burnt Area Estimation) वनाग्नि के प्रभाव का सटीक मूल्यांकन करने के लिए लैंडसैट उपग्रह चित्रों का विश्लेषण कर जले हुए क्षेत्र का विस्तृत आकलन किया गया। राजाजी टाइगर रिजर्व के वन क्षेत्रो का जियोस्पासियल तकनीकी एवं ग्राउंड सर्वे द्वारा वेलिडेशन कर एटलस और रिपोर्ट सृजन किया गया। वर्षो 2021, 2022, 2023 और 2024 के लिए जंगल की आग से जलने वाले क्षेत्र का आंकलन और मानचित्रण कर प्रकाशन और मुद्रण किया गया।

26.13.1.4 वानिकी–पारिस्थितिकीय एवं जलवायु परिवर्तन (ब)– परियोजना का उद्देश्य प्राकृतिक सीलों की स्थिति व पारम्परिक ज्ञान/विश्वास का दस्तावेजीकरण व प्राकृतिक स्थलों में स्थित जैव विविधता की स्थिति का आंकलन करना है। इसके अन्तर्गत 90 प्राकृतिक स्थलों/देवस्थलों की जैव–विविधता /प्राकृतिक तंत्र सेवाओं का आंकलन किया गया।

26.13.1.5 उत्तराखण्ड गवर्नमेंट एसेट मैनेजमेंट सिस्टम (UKGAMS)– राज्यों के विभिन्न विभागों की भूमि/परिसंपत्तियों एवं सरकारी भूमि पर अतिक्रमण को रोके जाने एवं हटाये जाने हेतु उत्तराखण्ड गवर्नमेंट एसेट मैनेजमेन्ट सिस्टम (UKGAMS) पोर्टल तैयार किया जा रहा है, जिसमें समस्त विभागों एवं सरकारी परिसम्पत्तियों की पंजिका तैयार कराकर मौके की वास्तविक स्थिति का सैटेलाइट/ड्रोन/विडियो द्वारा सत्यापन करते हुए प्रत्येक सम्पत्ति की जी0आई0एस0 फेन्सिंग कर यूनिक नम्बर आवंटित किया जा रहा है। इसके अन्तर्गत राज्य के समस्त जनपदों में स्थित सरकारी परिसंपत्तियों से सम्बन्धित लगभग 65,000 से अधिक को चिन्हित कर लगभग 55,000 से अधिक की बाउंड्री के सृजन का कार्य किया जा चुका है।

26.13.1.6 स्मार्ट रूरल अर्बन जियोस्पाशियल डेटा मैनेजमेन्ट एण्ड अपग्रेडेशन–योजना के अन्तर्गत विभिन्न थिमेटिक लेयर्स का डेवलेप्मेन्ट एवं विश्लेषण किया जाना है। इसके तहत एक एटलस का निर्माण किया जा रहा है जो टूरिज्म एवं विभिन्न संस्थानों हेतु उपयोगी होगा। इसके अन्तर्गत ऐप डेवलप्मेन्ट भी किया जा रहा है, जिससे स्मार्ट रूरल अर्बन सम्बन्धित किसी भी थिमेटिक लेयर को तत्काल जियोस्पाशियली देखा जा सकता है।

26.13.1.7 प्रशिक्षण एवं क्षमतावर्द्धन कार्यक्रम– राज्य में नियोजन एवं डिसीजन मेकिंग में अन्तरिक्ष प्रौद्योगिकी आधारित सहायता प्रदान करने हेतु इंजीनियरिंग कॉलेजों/विश्वविद्यालयों के विद्यार्थियों/शोधार्थियों हेतु सुदूर संवेदन तकनीक एवं जी0आई0एस0/जी0पी0एस0 से सम्बन्धित दीर्घकालीन एवं अल्पकालीन प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है।

वर्ष 2025–26 में विभिन्न विभागों/संस्थानों– आई0टी0बी0पी0, बी0एस0एफ0, एन0डी0आर 0एफ0 एवं राजाजी रिजर्व फोरेस्ट के सी0ओ0 स्तर के 407 अधिकारियों एवं निरीक्षकों ड्रोन से सम्बन्धित प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

26.14 वर्ष 2026–27 हेतु प्रस्तावित परियोजनायें–

26.14.1 उत्तराखण्ड जियोग्राफिकल इनफार्मेशन सिस्टम (UK-GIS)-ए सेंट्रलाइज जियोस्पेसियल डाटा रिपोजिट्री–परियोजना का उद्देश्य राज्य–स्तरीय केंद्रीकृत भौगोलिक (जियोस्पैशियल) डेटा रिपोजिटरी स्थापित करना है। जिससे विभिन्न विभागों की हाईरिजॉल्यूशन वाले विश्वसनीय स्थानिक डेटा तक पहुंच को सरल बनाया जा सके और इसे योजना एवं शासन में प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा सके। यह विभिन्न विभागों में एकरूपता, अंतःसंचालनीयता और शुद्धता (uniformity, interoperability & accuracy) सुनिश्चित करने के लिए मानकीकृत जियोस्पैशियल डेटा प्रारूपों और दिशा–निर्देशों के विकास पर केंद्रित है। एक समर्पित विजुअलाइजेशन प्लेटफॉर्म उपयोगकर्ता विभागों को स्थानिक डेटा का अन्वेषण, विश्लेषण और व्याख्या (explore, analyse and interpret) करने में सक्षम बनाएगा। साथ ही डेटा संग्रह और साझा करने के लिए एक ऑनलाइन तंत्र तैयार किया जाएगा, जो सरकारी विभागों और गैर–सरकारी संस्थाओं के बीच सहयोग को बढ़ावा देगा।

26.14.2 ड्रोन एप्लीकेशन रिसर्च सेंटर (DARC) – देश का प्रथम ड्रोन एप्लीकेशन रिसर्च सेंटर (डी0ए0आर0सी0) जो पूर्व में ITDA में संचालित हो रहा था, को वित्तीय वर्ष 2025–26 में उत्तराखण्ड अन्तरिक्ष उपयोग केन्द्र को हस्तान्तरित किया गया है, जिसका उद्देश्य राज्य में ड्रोन इकोसिस्टम तैयार करना, विभिन्न विभागों, समुदायों का क्षमता प्रबंधन करना, राज्य में RPTO (Remot Pilot Traning Organisation) स्थापित कर, सर्वेक्षण, आपदा प्रबंधन (राहत कार्यों), नियोजन आदि क्षेत्रों में ड्रोन अनुप्रयोगों की क्षमता विकसित करने हेतु तकनीकी सुविधाएं प्रदान करना है।

26.15 वाह्य सहायतित परियोजनायें–

26.15.1 आईडेन्टिफिकेशन ऑफ प्लास्टिक वेस्ट डम्पसाइट्स इन चार धाम यात्रा रूट एण्ड देहरादून सिटी यूजिंग हाईरेज्यूलेशन सेटेलाइट डेटा इमेजरीज– परियोजना का उद्देश्य हाईरेजोल्यूशन उपग्रहीय डेटा के उपयोग से चार धाम यात्रा मार्ग और देहरादून शहर में मौजूद ठोस अपशिष्ट कूड़ा डंपिग क्षेत्रों के स्थानिक वितरण का चिन्हांकन करना तथा जी0आई0एस0 के उपयोग से बहुविषयक सूचनायें–भू–उपयोग /भू–आवरण, रोड़ नेटवर्क, भू–आकृतिक मानचित्र सृजित करना मल्टी क्राइटेरिया डिसीजन एनालिसिस (MCDA) विधियों का उपयोग करके ठोस अपशिष्ट संग्रह केन्द्रों/डंपिंग क्षेत्रों के लिए उपयुक्त स्थानों की पहचान कर डिसीजन सपोर्ट सिस्टम तैयार करने हेतु वेब आधारित ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन सूचना प्रणाली (SWMIS) विकसित करना है। इसके अन्तर्गत चारधाम यात्रा मार्ग में प्लास्टिक अपशिष्ट डंपिंग साइट्स का चिन्हांकन किया गया तथा सूचनाओं को क्षेत्र अवलोकन के आधार पर विभिन्न वर्गों– बड़े, मध्यम एवं छोटे आकार के आधार पर वर्गीकृत किया गया है।

26.15.2 मॉनीट्रिंग ऑफ डब्ल्यू.डी.सी–पीएमकेएसवाई 2.0 प्रोजेक्ट्स यूजिंग जियोस्पाशियल टैक्नोलॉजी परियोजना– इसका प्रमुख उद्देश्य राज्य में जलागम संसाधन प्रबन्धन हेतु एक मॉनीट्रिंग सिस्टम विकसित करना है। प्रथम चरण में राज्य के विभिन्न 13 जनपदों में से कुल 66 जलागम क्षेत्रों का एनालिसिस किया गया तथा दूसरे चरण में कुल 12 जलागम क्षेत्र लिए गए हैं, जिसे 1:10000 स्केल पर सैटेलाइट डेटा के उपयोग

से लैण्ड यूज/लैण्ड कवर का जियोस्पाशियल डेटाबेस तैयार किया जा रहा है।

26.16 गेम चेंजर योजना

उत्तराखण्ड गवर्नमेंट एसेट मैनेजमेंट सिस्टम (UKGAMS)–उत्तराखण्ड अन्तरिक्ष उपयोग केन्द्र (यू–सैक) द्वारा प्रदेश के विभिन्न विभागों की भूमि/परिसंपत्तियों एवं सरकारी भूमि पर अतिक्रमण को रोके जाने एवं हटाये जाने हेतु उत्तराखण्ड गवर्नमेंट एसेट मैनेजमेन्ट सिस्टम (UKGAMS) पोर्टल तैयार किया जा रहा है, जिसमें समस्त विभागों एवं सरकारी परिसम्पत्तियों की पंजिका तैयार कराकर मौके की वास्तविक स्थिति का सैटेलाइट/ड्रोन/विडियो द्वारा सत्यापन करते हुए प्रत्येक सम्पत्ति की जी0आई0एस0 फेन्सिंग कर यूनिक नम्बर आवंटित किया जा रहा है। इसके अन्तर्गत राज्य के समस्त जनपदों में स्थित सरकारी परिसंपत्तियों से सम्बन्धित लगभग 60,000 से अधिक को चिन्हित कर लगभग 55000 से अधिक की बाउंड्री के सृजन का कार्य किया जा चुका है। बेस वी0एच0आर0 सैटेलाइट डेटा (दिसम्बर 2023) नए बेस वी0एच0आर0 सैटेलाइट डेटा (अप्रैल–जून 2024), (फरवरी–मार्च 2025) को प्रोसेस कर उत्तराखण्ड राज्य के कुछ हाई प्रायोरिटी एरिया की सरकारी परिसम्पत्तियों में 950 से अधिक परिवर्तन चिन्हित किए गए हैं, जिनका अलर्ट विभागीय अधिकारियों का मोबाइल ऐप के माध्यम से वेरीफिकेशन हेतु प्रेषित किया गया।

उक्त परियोजना को वर्ष 2025 के लिए राज्य नवाचार श्रेणी में प्रधानमंत्री पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है।

26.17 उत्तराखण्ड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद – यूकॉस्ट (Uttarakhand State Council for Science & Technology-UCOST)–विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अन्तर्गत कार्यरत उत्तराखण्ड स्टेट कांउसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी (UCOST) उत्तराखण्ड सरकार का एक स्वायत्त निकाय है। वर्ष 2025–26 में माह दिसम्बर, 2025 तक परिषद द्वारा किये गये प्रमुख कार्यों का विवरण निम्न प्रकार है:–

26.17.1 साइंस सिटी की स्थापना– "स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ कल्चर ऑफ साइंस (स्पोक्स)" योजना के अंतर्गत यूकॉस्ट के तत्वाधान में एन0सी0एस0एम0,कोलकाता के सहयोग से आंचलिक विज्ञान केंद्र को उच्चीकृत करके "साइंस सिटी" को देहरादून में विकसित किया जा रहा है। लगभग 26 एकड़ में स्थापित होने वाली इस महत्वाकांक्षी परियोजना की कुल लागत ₹ 173 करोड़ है, जिसमें ₹ 88.20 करोड़ केंद्र सरकार तथा ₹ 84.80 करोड़ राज्य सरकार वहन करेगी। परियोजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025–26 में कुल ₹ 26.64 करोड़ का बजट निर्गत किया गया है।

26.17.2 विज्ञान केन्द्र, चम्पावत– चम्पावत विज्ञान केन्द्र परियोजना के लिए शासन द्वारा ₹ 55.52 करोड़ के स्वीकृत बजट के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2025–26 में ₹ 6.0 करोड़ का बजट कार्यदायी संस्था लोक निर्माण विभाग, चम्पावत को निर्गत किया गया। परियोजनान्तर्गत माह दिसम्बर 2025 तक कुल ₹ 16.10 करोड़ जारी किये जा चुके हैं।

26.17.3 उत्तराखण्ड@25 "आदर्श चम्पावत"–उत्तराखण्ड राज्य को अन्य हिमालयी राज्यों के लिए एक मॉडल के रूप में विकसित करने के उद्देश्य से **उत्तराखण्ड@25 "आदर्श चम्पावत"** के अन्तर्गत चम्पावत को एक आदर्श जनपद के रूप में विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है। ग्रामीण आजीविका में सुधार करने के लिए यूकॉस्ट द्वारा ग्राम सभा स्पिटी में टैक्नोलाजी रिर्सोस सेन्टर एवं ग्राम सभा खर्कंकार्की में महिला प्रौद्योगिकी केन्द्र की स्थापना की गयी है, जिनमें समय–समय पर विभिन्न कार्यक्रमों के द्वारा महिलाओं एवं किसानों को जैट बैग, ऐपण, हौजरी, मधुमक्खी पालन इत्यादि का प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

26.17.4 उत्तराखण्ड विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं नवाचार (USTI) नीति–2025 – उत्तराखण्ड राज्य कैबिनेट द्वारा दिनांक 13 अगस्त, 2025 को "उत्तराखण्ड विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं नवाचार नीति–2025 पारित की गयी है।

26.17.5 उद्यमिता विकास कार्यक्रम (EDP) – उद्यमिता विकास कार्यक्रम उत्तराखण्ड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद (UCOST) की एक प्रमुख पहल है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण एवं अर्ध–शहरी क्षेत्रों में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी आधारित उद्यमिता को बढ़ावा देना है। वित्तीय वर्ष 2025–26 में इस कार्यक्रम के अंतर्गत कुल 22 परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई, जिनके लिए ₹ 1.30 करोड़ का बजट आवंटित किया गया।

26.17.6 शोध एवं विकास कार्यक्रम– यूकॉस्ट द्वारा राज्य के महाविद्यालयों एवं शोध संस्थानों में शोध कार्य हेतु अनुदान के लिये वर्ष 2025–26 में 22 नयी शोध परियोजनाऐं स्वीकृत की गयी हैं । कुल स्वीकृत 101 शोध परियोजनाऐं राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों, शोध संस्थानों में संचालित की जा रही हैं।

26.17.7 स्टेम लैब कार्यक्रम–स्टेम एजुकेशन सिस्टम के द्वारा विज्ञान, तकनीक तथा गणित विषय को विद्यार्थियों की योग्यता एवं रुचि के अनुसार रोचक तरीके से सिखाया जाता है। यूकॉस्ट द्वारा राज्य के समस्त 95 विकासखण्डों के 95 स्कूलों में स्टेम लैब को स्थापित कर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के उद्देश्यों को पूरा करने की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किया गया है । इन समस्त 95 स्टेम लैब्स में 1 वर्ष हेतु मेंटरशिप भी प्रदान की जाएगी जिससे की विद्यालय के शिक्षकों एवं विद्यार्थियों को मास्टर ट्रेनर हेतु प्रशिक्षित किया जा सके।

26.17.8 लैब ऑन व्हील्स–मोबाइल सांइस लैब परियोजना–परियोजना के अंतर्गत मोबाइल विज्ञान प्रयोगशाला में व्यवाहारिक प्रदर्शनों /मॉडलों, गतिविधियों और प्रदर्शनों के माध्यम से कक्षा छः से दसवीं तक के छात्र–छात्राओं को जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिकी, गणित आदि विषय के पाठ्यक्रम–आधारित संकल्पना को सीखने का अवसर प्रदान किया जा रहा है। परियोजना के अंतर्गत राज्य के सभी जनपदों के कुल 260 विद्यालयों में अध्ययनरत कुल 28,619 छात्र–छात्राओं हेतु कार्यक्रम का संचालन किया जा रहा है। **राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2025–26 में लैब ऑन व्हील्स परियोजना को Best Practices श्रेणी के कार्यक्रमों के रूप में चयनित किया गया है।**

26.17.9–प्रथम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी प्रीमियर लीग का आयोजन–यूकॉस्ट द्वारा प्रदेश के छात्रों–छात्राओं को विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं नवाचार की ओर आकर्षित करने के उद्देश्य से वर्ष 2025–26 में प्रथम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी प्रीमियर लीग का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में छात्रों–छात्राओं के मध्य विज्ञान, जलवायु परिवर्तन एवं आपदा प्रबंधन जैसे प्रमुख विषय आधारित लिखित एवं मौखिक प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता के आयोजन के उपरान्त चयनित 52 छात्र–छात्राओं को दिनांक 28 से 30 नवम्बर, 2025 को आयोजित 20वीं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सम्मेलन के अंतर्गत महामहिम राज्यपाल महोदय द्वारा पुरस्कृत किया गया।

26.17.10 विज्ञान रेडियो–विज्ञान लोकव्यापीकरण और संवाद द्वारा वैज्ञानिक चेतना का प्रसार करने हेतु परिषद् में सामुदायिक विज्ञान रेडियो स्टेशन की स्थापना की गयी है। समस्त हितधारक विभिन्न समुदाय, विद्यार्थी व शोधार्थी आदि विज्ञान रेडियो की जीमेल आई0डी0 vigyaanradio@gmail.com के माध्यम से अपने विचार, वैज्ञानिक लेख, कहानी, व कवितायें इत्यादि भेज सकते हैं।

26.17.11 पेटेंट सूचना केन्द्र (PIC)–वैश्विक प्रतिस्पर्धी तकनीकी परिदृश्य में बौद्धिक संपदा अधिकार (IPR) किसी भी देश की वैज्ञानिक, तकनीकी एवं आर्थिक प्रगति का महत्वपूर्ण आधार

हैं। यूकॉस्ट द्वारा भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (DST) के सहयोग से पेटेंट सूचना केंद्र की स्थापना की गई। यह केंद्र एक एकल खिड़की बौद्धिक संपदा सहायता प्रकोष्ठ के रूप में कार्य करता है और पेटेंट सहित बौद्धिक संपदा अधिकार के सभी पहलुओं पर विशेषज्ञ सेवाएँ प्रदान करता है। गत पाँच वर्षों में पेटेंट सूचना केंद्र द्वारा 875 पेटेंट आवेदन दाखिल किए गए, जिनमें से 82 पेटेंट स्वीकृत हुए हैं। राज्य में 60 बौद्धिक संपदा अधिकार सेल स्थापित कर तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से 50,000 से अधिक लाभार्थियों को लाभ पहुँचाया गया है।

26.17.12 प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट फॉर वाटर क्वालिटी मॉनीटरिंग एंड सर्विलांस प्रोग्रामः (PMU) परियोजना– परियोजना के अंतर्गत राज्य में संचालित एक राज्य स्तरीय व 26 जिला एवं उपखण्ड स्तरीय जल गुणवत्ता एवं अनुश्रवण प्रयोगशालाओं को NABL (National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories) से मान्यता प्राप्त है तथा नियमित तौर पर इसके नवीनिकरण का कार्य भी किया जाता रहा है। वित्तीय वर्ष 2025–26 में राज्य स्तरीय जल गुणवत्ता प्रयोगशाला तथा जिला स्तरीय जल गुणवत्ता प्रयोगशाला, देहरादून को NABL से सूक्ष्मजैविक पैरामीटर्स हेतु भी मान्यता प्राप्त हुई। वित्तीय वर्ष 2025–26 में लगभग 80 हजार से अधिक पानी के नमूनों की जाँच रिपोर्ट्स सफलतापूर्वक वेबसाइट पर अपलोड की जा चुकी हैं।

- परियोजना अवधि –2025–26
- स्वीकृत धनराशि – ₹ 3,21,54,574/–
- अवमुक्त धनराशि – ₹ 1,54,97,821/–

26.18 उत्तराखण्ड जैवप्रौद्योगिकी परिषद– यू0सी0बी0 (Uttarakhand Council for Biotechnology-UCB):– उत्तराखण्ड जैवप्रौद्योगिकी परिषद, पन्तनगर उत्तराखण्ड सरकार के कृषि एवं कृषक कल्याण विभाग के अधीन कार्यरत है और प्रदेश में जैवप्रौद्योगिकी आधारित शिक्षा, शोध, नवाचार एवं कृषिकरण को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है। परिषद कौशल विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य में जैवप्रौद्योगिकी के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में प्रशिक्षण, कार्यशालाऐं, संगोष्ठी/सेमिनार आयोजित करती है। परिषद लोकप्रिय व्याख्यानों के माध्यम से स्कूल, कॉलेज एवं विश्वविद्यालय स्तर के छात्रों के बीच जागरूकता पैदा करती है। यू0सी0बी0 द्वारा समस्त जनपदों में बायोईथ्री इनोवेशन सेन्टर की स्थापना की जायेगी। भाऊवाला परिसर देहरादून में सैण्टर ऑफ एक्सीलैंस फॉर बायोइन्फॉर्मेटिक्स और प्राकृतिक उत्पाद अनुसंधान प्रयोगशाला को स्थापित किया जाना प्रस्तावित है, जो जैव सूचना विज्ञान और प्राकृतिक उत्पादों के क्षेत्र में अनुसंधान, शिक्षा और नवाचार का प्रमुख केंद्र होगा। उत्तराखण्ड जैवप्रौद्योगिकी परिषद द्वारा वित्तीय वर्ष 2025–26 में संचालित महत्वपूर्ण योजनाओं एवं उपलब्धियों का विवरण निम्नवत् हैः–

- परिषद द्वारा जैवप्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विभिन्न शोध कार्यों को करते हुए पेटेन्ट्स तैयार किये गये हैं जिनका भविष्य में तकनीकी हस्तान्तरण किया जायेगा। परिषद द्वारा यह पेटेन्ट्स जैवप्रौद्योगिकी के पादप ऊतक संवर्धन, पशु जैवप्रौद्योगिकी, फाइटोकैमिकल तथा पादप रसायन क्षेत्र के अन्तर्गत किये गये हैं।

- परिषद द्वारा किये गये पेटेन्ट पब्लिकेशन –

  - Reuse of Bio-Waste MS Media in the Preparation of Eco-Friendly Seed-Disc.
  - *Moringa Oleifera* (Drumstick) Boluses for Improving Health and causing well-being of Large and Small Ruminants.
  - Novel Soxhlet-Assisted Multi-Solvent Extraction Process.

- Highly efficient nano-biosensor for detection of SARS Cov-2.
- A method of mass in-vitro propagation and ex-vitro establishment of Commercial Orchids and culture media thereof.

- जैवप्रौद्योगिकी परिषद द्वारा 149 परियोजनाओं का संचालन किया गया है।

- लघु/दीर्घ प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से प्रदेश के 800 से अधिक छात्र–छात्राओं को जैवप्रौद्योगिकी क्षेत्र की आधुनिक व नवीन तकनीकों में प्रशिक्षित किया गया है तथा उनको स्वरोजगार के लिए प्रेरित किया गया है।

- परिषद विख्यात एन0डी0आर0आई0 संस्थान, करनाल के साथ मिलकर बद्री गाय के क्लोनिंग एवं अनुवांशिक सुधार हेतु शोध कार्य कर रही है, जिससे बद्री गाय की दुग्ध उत्पादन क्षमता को बढ़ाया जा सके।

- परिषद द्वारा परियोजना शीर्षक "Development of a multilingual android application for the sustainable agriculture and animal husbandry practices for the farmers from hilly and terrain regions of Uttarakhand, India" के अंतर्गत **'संपन्न खेती, संपन्न उत्तराखण्ड'** तथा **'स्वस्थ पशु, समृद्ध उत्तराखण्ड'** का ऐप बनाया गया है। यह दोनों ऐप अब हिंदी व गढ़वाली भाषा में गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध हैं।

- विकसित कृषि संकल्प अभियान 2025 के अन्तर्गत परिषद द्वारा देहरादून के ग्राम धारकोट में को सेंट्रल पोल्ट्री डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन (CPDO), चंडीगढ़ के संयुक्त तत्वाधान में एक दिवसीय पोल्ट्री प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

- परिषद द्वारा पिथौरागढ़ जिले के विभिन्न गाँवों और जल स्रोतों से मृदा और जल के नमूनों को एकत्रित किया गया। जल के नमूनों को कुल 5 स्थानों पार्वतीकुण्ड, आदिकैलाश के 2 स्थान, अजेरा गाँव, ननकुरी गाँव और गुँजी गाँव से तथा मृदा के नमूनों को भी 5 स्थानों आदिकैलाश, नारायणनगर गाँव, ननकुरी गाँव, गुँजी गाँव और कुटि गाँव से एकत्रित किया गया। इन सभी नमूनों की जाँच पर्यावरणीय जैवप्रौद्योगिकी प्रयोगशाला में की गयी।

- हिमालय क्षेत्र के पारिस्थितिक महत्व, जैव विविधता और सतत विकास पर प्रकाश डालने के लिए, हल्दी स्थित यू0सी0बी0 में दिनांक 03 सितम्बर, 2025 को हिमालय दिवस का आयोजन किया गया।

- प्रदेश में जैवप्रौद्योगिकी में इंटर्नशिप, प्रशिक्षण एवं अनुसंधान व शैक्षणिक आदान–प्रदान को बढ़ावा के उद्देश्य से सेंट पीटर्सबर्ग स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी मेडिसिन, रूस तथा जैवप्रौद्योगिकी परिषद के मध्य दिनांक 15 सितम्बर, 2025 को समझौता ज्ञापन (एम0ओ0यू0) हस्ताक्षरित किया गया, जिसका उद्देश्य प्रदेश के मेधावी छात्र–छात्राओं, संकाय प्रतिनिधियों एवं वैज्ञानिकों को एक–दूसरे देशों का भ्रमण कर आधुनिक सुविधाओं का लाभ उठाते हुए कौशल विकास करना है।

- गोविन्द बल्लभ पन्त कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पन्तनगर में दिनांक 10 अक्टूबर, 2025 को चार दिवसीय 118वें किसान मेले का शुभारम्भ मा0 राज्यपाल महोदय द्वारा किया गया, जिसमें परिषद में चल रहे शोध कार्यो एवं परियोजनाओं को व्यापक स्तर पर प्रचारित–प्रसारित करते हुए युवाओं को कौशल विकास कार्यक्रमों की जानकारी दी गयी एवं किसानों को जैवप्रौद्योगिकी कृषिकरण हेतु जागरूक किया गया।

- परिषद द्वारा क्षेत्रीय केन्द्र पटवाडांगर, नैनीताल

में तीन दिवसीय पंचम बायोटेक्नोलॉजी कॉन्क्लेव, 2025 दिनांक 19–21 नवम्बर, 2025 तक का आयोजन किया गया। इसके अंतर्गत अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन शीर्षक "Harnessing Biotechnology for a Sustainable BioE3 Future" का आयोजन किया गया।

"देवभूमि परिवार योजना, उत्तराखण्ड"

एक एकीकृत, व्यापक और गतिशील परिवार आधारित डाटाबेस का निर्माण, जो शासन की योजनाओं और सेवाओं के वितरण को "मांग आधारित" प्रणाली से आगे बढ़ाकर "प्रोएक्टिव" और "पेपरलैस" प्रणाली में परिवर्तित करता है।

योजना के लाभ–

- x लाभार्थी को पासबुक के माध्यम से प्रत्यक्ष लाभ की सूचना प्राप्त हो सकेगी।
- x अपात्र लाभार्थियों का चिन्हिकरण एवं उन्मूलन।
- x डाटाबेस के आधार पर पात्र लाभार्थी को स्वतः सूचना।
- x विभिन्न योजनाओं / सेवाओं हेतु आवेदन के समय दस्तावेजों के पुनः प्रस्तुतिकरण का उन्मूलन।
- x नागरिकों एवं सरकार के Transaction लागत में कमी।

सीधे परिवारों से जुड़ाव–

- X योजनाओं / सेवाओं के माध्यम से राज्य सरकार सीधे नागरिकों से संवाद स्थापित कर सकेगी।
- X समस्त विशिष्ट अवसरों पर स्वतः सूचना के आधार पर बधाई, शोक, प्रोत्साहन जैसे संदेश प्रेषित किये जा सकेगें।
- X इस योजना के माध्यम से विभिन्न विभागों को जनहित के लिये नीतियों को अधिक सक्षम और प्रभावी बनाने में सहायता करेगा।
- X इस व्यवस्था के माध्यम से समस्त नागरिकों, विशेष रूप से वंचित वर्गों तक योजनाओं / सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित की जा सकेगी।
- X परिवार की आकांक्षा के अनुसार अग्रेत्तर योजना बनाने में सहायता प्राप्त होगी (bottom up approach)।
- X राज्य में आवश्कतानुसार डाटाबेस में उपलब्ध सूचना के आधार पर विभिन्न मूलभूत सुविधाओं / अधोसंरचनाओं को विकसित किया जा सकेगा।
- X आपदा इत्यादि की स्थिति में सीधे नागरिकों / परिवारों से संवाद स्थापित करते हुये राहत आदि का वितरण सुनिश्चित किया जा सकेगा।
- X नागरिकों / परिवारों की समग्र एवं व्यापक (360°) प्रोफाइल तैयार की जा सकेगी, जिसमें सामाजिक, आर्थिक एवं जनसांख्यिकीय सभी विवरण शमिल होगें।
- X सटीक धनराशि आवंटन की सूचना से राज्य के परिवारों की स्थिति को बीपीएल से एपीएल श्रेणी तक उन्नत करने में सक्षम बनायेगी, जिसके माध्यम से योग्य परिवारों को योजनाओं / सेवाओं के लाभों का सही और समयबद्ध प्रावधान सुनिश्चित किया जा सकेगा।

अध्याय–27
राजस्व एवं आपदा प्रबन्धन
Revenue and Disaster Management

27.1 राजस्व

किसी भी राज्य का राजस्व उस राज्य की आय का एक स्रोत होता है। राजस्व विभाग द्वारा लगान भूमि का केन्द्रीय व राज्य सरकार के अधीन विभागों, स्वायत्तशासी संस्थाओं से बकाया देनदारियों की वसूली करते हुए राजकोष में जमा कर राजस्व की वृद्धि करना प्रमुख कार्य है। राजस्व विभाग द्वारा राजस्व ग्रामों एवं गैर जमींदारी विनाश खतौनियों का कम्प्यूटरीकरण किया जाता है। कम्प्यूटरीकरण के माध्यम से निष्पक्षपूर्ण बन्दोबस्त/चकबन्दी के साथ–साथ भूमि का स्वरूप परिवर्तन का अभिलेखीकरण प्रमुख कार्य है।

27.1.1 प्रदेश में डिजिटल इण्डिया लैण्ड रिकार्ड मार्डनाईजेशन प्रोग्राम (DILRMP)

- प्रदेश की कुल 129 तहसीलों/उप तहसीलों के सापेक्ष 77 तहसीलों (65+12) में मॉडर्न रिकार्ड रूम की स्थापना का कार्य पूर्ण किया जा चुका है, तथा अवशेष 52 तहसीलों/उप तहसीलों जिनमें मॉडर्न रिकार्ड रूम हेतु समुचित स्थान उपलब्ध नहीं है, के सम्बन्ध में वैकल्पिक व्यवस्था पर 30 तहसीलों में मॉडर्न रिकार्ड रूम की स्थापना सम्बन्धी कार्य हेतु सम्बन्धित जनपदों को धनावंटन किया गया है।
- योजनान्तर्गत प्रदेश के कैडरट्रल मैप्स (सजरा मानचित्र) डिजिटाईजेशन की कार्यवाही पूर्ण हो चुकी है।
- प्रदेश की राजस्व अभिलेखों में दर्ज समस्त भूमि का आधुनिक विधि यथा– "एरियल लिडार विद ऑप्टिकल सेंसर" तकनीक के माध्यम से सर्वेक्षण कार्य करवाये जाने हेतु जारी ई–निविदा को भारत सरकार के निर्देशानुसार निरस्त करते हुये POC के आधार पर 05 राजस्व ग्रामों यथा– जनपद पौड़ी गढ़वाल के तहसील पौड़ी के राजस्व ग्राम थली तथा निसनी, जनपद टिहरी गढ़वाल के तहसील प्रतापनगर के राजस्व ग्राम मुखमल तथा पनसुत एवं जनपद हरिद्वार के तहसील भगवानपुर के राजस्व ग्राम हसनावाला को पॉयलट अध्ययन हेतु चयनित किया गया है; जिसमें कार्यवाही गतिमान है। पॉयलट अध्ययन पूर्ण होने के उपरान्त प्रदेश के समस्त अभिलेखों में दर्ज भूमि का आधुनिक विधि से सर्वे/ पुनः सर्वे कार्य आरम्भ किया जाएगा।
- प्रदेश के समस्त राजस्व न्यायालयों को DILRMP योजना अन्तर्गत कम्प्यूटरीकृत किये जाने की स्वीकृति के सापेक्ष कार्यवाही गतिमान है।
- एग्री स्टेक योजना के अन्तर्गत प्रदेश में खतौनियों में संयुक्त खातेदारी के स्थान पर प्रत्येक खातेदार व सहखातेदार की अंश निर्धारित कर पृथक–पृथक रियल टाईम खतौनी व खसरा तैयार किये जाने की कार्यवाही गतिमान है।

27.1.2 ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एवं राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति से सम्बन्धित कार्यवाही–

प्रदेश में उद्यम स्थापना हेतु एवं आमजन के उपयोगार्थ राजस्व विभाग द्वारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अन्तर्गत निम्न कार्य अनुश्रुवित हो रहे हैं–

- UPZALR Act की धारा 154 अन्तर्गत भूमि क्रय की अनुमति एवं धारा–143 अन्तर्गत भू–उपयोग परिवर्तन की ऑनलाईन कार्यवाही लैण्डयूज पोर्टल http://landuse.uk.gov.in के माध्यम से क्रियान्वित की जा रही है।

- प्रदेश में ऑनलाईन नामान्तरण की कार्यवाही निबन्धन विभाग के पोर्टल http://eregistration.uk.gov.in के माध्यम से संचालित की जा रही है।
- गैर वन भूमि सम्बन्धी प्रमाण पत्र को भी वेब एप्लीकेशन http://landuse.uk.gov.in के माध्यम से ऑनलाईन निर्गमन किया जा रहा है।
- UPZALR Act की धारा 41 अन्तर्गत भूमि की पैमाईश सम्बन्धी कार्यवाही को भी http://rcms.uk.gov.in ऑनलाईन कार्यवाही।
- भू–अभिलेखों यथा खतौनियों/कैडस्ट्रल मैप्स का कम्प्यूटरीकरण/डिजिटाईजेशन।
- राजस्व न्यायालयों का वेब एप्लीकेशन http://rcms.uk.gov.in के माध्यम से कम्प्यूटरीकरण किया गया है।
- भूमि के प्रत्येक खसरा को यूनिक आईडेंटिफिकेशन पार्सल नम्बर (ULPIN) दिया जा रहा है।

27.1.3 खतौनी पुनरीक्षण/अद्यतन प्रक्रिया की कार्यवाही–

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा संचालित डिजिटल कृषि (Digital Agriculture) योजना में आच्छादित एग्री–स्टेक (Agristack) कार्यक्रम में फसल बीमा, पी०एम० किसान व फार्मर डायेरेक्टिरी/रजिस्ट्री (कृषकों का समेकित डाटाबेस) तैयार किये जाने की कार्यवाही के अन्तर्गत प्रदेश के भू–अभिलेखों में खातेदारों/सह खातेदारों/काश्तकारों के वर्तमान अभिलेखों (खतौनी) के अनुसार भूमि के खसरों के क्षेत्रफल के सापेक्ष सम्बन्धित की भूमि का पृथक–पृथक अंश/हिस्से के क्षेत्रफल को निर्धारित करते हुये खातेदारों/सह खातेदारों/काश्तकारों के खसरा/खेत में की जा रही उपयोगिता अर्थात भूमि के प्रयोग (कृषि कार्य हेतु या अन्य किसी और प्रयोजन हेतु किया जा रहा है) का पृथक से भू–अभिलेखों के अनुसार डाटाबेस तैयार किये जाने हेतु प्रदेश के भू–अभिलेखों यथा खतौनी पुनरीक्षण/अद्यतन किये जाने की प्रक्रिया अन्तर्गत खतौनी में खातेदारों/सह खातेदारों के खसरों (गाटा/खेत नम्बर) के क्षेत्रफल में अंश/हिस्से के क्षेत्रफल का निर्धारण करते हुये खाते में विद्यमान खातेदारों की अंश निर्धारित पृथक–पृथक खतौनी (प्रत्येक खातेदार एवं सह खातेदार की पृथक नवीन अंश निर्धारित खतौनी का डाटाबेस) तैयार किये जाने की कार्यवाही प्रदेश में युद्धस्तर पर गतिमान है।

प्रदेश के भू–अभिलेखों यथा खतौनी में भारत सरकार की अपेक्षानुसार पृथक से प्रत्येक खातेदार एवं सहखातेदार/काश्तकार के अंश एवं उनके द्वारा अपनी अभिलेखित भूमि में की गई काश्त के विवरण यथा फसलों आदि के विवरण का पृथक से एक नवीन एवं व्यापक डायनमिक डाटाबेस तैयार किये जाने हेतु राजस्व परिषद् स्तर पर कृषि से सम्बन्धित गतिविधियों/योजनाओं हेतु तैयार हो रही फार्मर डायेरेक्टिरी/रजिस्ट्री (कृषकों का समेकित डाटाबेस) के दृष्टिगत भू–स्वामियों /खातेदारों की अंश निर्धारित खतौनी एवं खसरा तैयार किये जाने के लिए पृथक से डाटाबेस तैयार करने हेतु नवीन सॉफ्टवेयर विकसित किया जा रहा है, जिसमें प्रत्येक खातेदार एवं सहखातेदार की अंश निर्धारित खतौनी तैयार की जानी है।

27.2 पर्वतीय क्षेत्रों में चकबन्दी

- उत्तराखण्ड के पर्वतीय क्षेत्रों में चकबन्दी को सुनियोजित कार्यक्रम के रूप में प्रारम्भ किये जाने हेतु उत्तराखण्ड जोत चकबन्दी एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम–2016 एवं उत्तराखण्ड पर्वतीय क्षेत्रों के लिए जोत चकबन्दी एवं भूमि व्यवस्था नियमावली 2020 प्रख्यापित की जा चुकी है।
- पर्वतीय क्षेत्रों के अन्तर्गत जनपद पौड़ी–07 ग्रामों यथा–लखोली, ओणी, खैरासैण, पंचूर, तंगोली, ग्वीन मल्ला एवं ढांगल में उ0प्र0 जोत चकबन्दी अधिनियम की धारा–4(1) व (2) के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुए चकबन्दी प्रक्रिया प्रारम्भ की गयी है।

- पर्वतीय क्षेत्रों के भौगोलिक परिस्थितियों के दृष्टिगत पर्वतीय क्षेत्रों में चकबन्दी को प्रोत्साहित करने हेतु "उत्तराखण्ड राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में स्वैच्छिक/आंशिक चकबन्दी प्रोत्साहन नीति" के प्रख्यापन की कार्यवाही की जा रही है।

तालिका 27.1

उत्तराखण्ड राज्य में मैदानी जनपद में चकबन्दी प्रक्रियाओं के अन्तर्गत ग्रामों की स्थिति

जनपद का नाम	चकबन्दी में लिये गये ग्रामों की संख्या	ग्राम जिनमें चकबन्दी प्रकिया पूर्ण हो चुकी है	ऐसे ग्राम जिन्हें जन विराध अथवा अन्य कारणों से डिनोटिफाई किया गया	ग्राम जिनमें चकबन्दी का कार्य संचालित है।
1–ऊधमसिंहनगर	273	132	109	32
2–चम्पावत	28	02	26	–
3–नैनीताल	20	03	15	02
4–हरिद्वार	602	342	173	87
योग–	923	479	323	121

स्रोत राजस्व विभाग, उत्तराखण्ड

तालिका–27.2

उत्तराखण्ड राज्य के अन्तर्गत सर्वेक्षण इकाई देहरादून एवं ऊधमसिंहनगर द्वारा संचालित सर्वेक्षण कार्यो का विवरण।

इकाई का नाम	जनपद का नाम	सर्वेक्षणाधीन ग्रामों की कुल संख्या	सर्वेक्षण कार्य पूर्ण हुए ग्रामों की संख्या	अवशेष ग्राम जिनमें सर्वेक्षण कार्य गतिमान/प्रारम्भ है।
देहरादून	1–देहरादून	13	2	11
	2–हरिद्वार	5	0	5
	3–टिहरी	1	0	1
	4–उत्तरकाशी	2	0	2
	5–पौड़ी	2	0	2
ऊधमसिंहनगर	1–ऊधमसिंहनगर	9	4	5
	2–नैनीताल			
	योग–	39	6	33

स्रोत राजस्व विभाग, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड राज्य गठन के पश्चात राजस्व विभाग की गत् 25 वर्षों की उपलब्धियों/प्रगति का विवरण।

राज्य गठन के बाद राजस्व विभाग की सबसे बड़ी चुनौती राज्य के जनमानस को उनके भूमि सम्बन्धी अभिलेखों को सुगमता पूर्वक उपलब्ध कराना उन्हें, अपेक्षित सेवाओं/प्रमाण पत्रों को उपलब्ध कराना एवं राज्य व केन्द्र सरकार की योजनाओं/नीतियों को धरातल में प्रतिबिम्बित करना रहा है। इसी परिप्रेक्ष्य में राजस्व विभाग द्वारा विगत 25 वर्षों में (राज्य सृजन के उपरान्त) निम्न कार्य जनहित में किय गये है:–

- **खतौनियों का कम्प्यूटरीकरण**– प्रदेश में भारत सरकार की सहायता से वर्ष 2004–05 में सर्व प्रथम जमींदारी विनाश खतौनियों का डिजिटलाईजेशन किया गया, जिससे आमजन को खतौनियॉ हस्तलिखित प्रतियों के स्थान पर कम्प्यूटरीकृत खतौनियॉ प्राप्त हो सकती हैं तथा आमजन ऑनलाईन ही अपनी भूमि की खतौनियों को देख सकते हैं। अभिलेख संक्रिया

वाले ग्रामों में एवं चकबन्दी संकिया के अधीन रहने वाले ग्रामों में एक नित्य प्रक्रिया उपरान्त खतौनियों को तहसीलों में नियमित रूप से डिजिटलाईज किया जा रहा है।

- **राजस्व विभाग द्वारा आमजन को दी जाने वाली सेवायें**– भू–अभिलेखों के अतिरिक्त मुख्य रूप से विभिन्न प्रकार के प्रमाण पत्रों को समय–समय पर वर्ष 2007–08 से निरन्तर जनाधार केन्द्रों एवं अपुणी सरकार पोर्टल के माध्यम से डिजिटलाईज कर ऑनलाईन उपलब्ध कराया जा रहा है, जिससे आमजन अब कहीं से भी ऑनलाईन प्रमाण पत्र हेतु आवेदन कर प्राप्त कर सकते हैं, जबकि पूर्व में इन कार्यों हेतु तहसील कार्यालयों में जाना होता था। वर्तमान समय में राजस्व विभाग द्वारा अपुणी सरकार पोर्टल के माध्यम से 20 से अधिक सेवाओं को ऑनलाईन आमजन को सुलभ कराया जा रहा है।

- **भू–राजस्व मानचित्रों का डिजिटाईजेशन** – खतौनियों के अतिरिक्त डिजिटल इण्डिया मिशन प्रोग्राम अन्तर्गत वर्ष 2016–17 से प्रदेश भू–सजरा मानचित्रों का डिजिटालाईजेशन करवाया गया, जो कि पूर्व में कपडे एवं कागज में उपलब्ध थे, अब डिजिटल फार्मेट में ऑनलाईन संरक्षित है।

- **गैर जमींदारी विनाश खतौनियों को डिजिटाईजेशन**– प्रदेश में गैर जमींदारी विनाश खतौनियों को डिजिटल इण्डिया मिशन अन्तर्गत वर्ष 2019–20 में डिजिटलाईज करवाया गया।

- **तहसीलों के मॉडर्न रिकॉर्ड रूम की स्थापना**– प्रदेश की 129 तहसीलों की 77 तहसीलों में मॉर्डन रिकार्ड रूम स्थापित किये गये, तथा अवशेष हेतु कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

- **स्वामित्व योजनाः**– भारत सरकार द्वारा संचालित स्वामित्व योजना के अन्तर्गत प्रदेश के 7744 राजस्व ग्रामों में ड्रोन सर्वेक्षण के माध्यम से ऐसे ग्रामीणों को स्वामित्व अभिलेख प्रदान किये गये, जिनके पास पहले स्वामित्व के दस्तावेज उपलब्ध नहीं थे। इस योजना से प्रदेश के 2.84 लाख लाभार्थियों को उनकी भूमि का प्रमाणिक स्वामित्व प्राप्त हुआ है।

- **औद्योगिक निवेश एवं ईज ऑफ डूईंग बिजनेस हेतु पहल**– प्रदेश में औद्योगिक निवेश एवं ईज ऑफ डुईग बिजनेस के दृष्टिगत भू–कय की अनुमति एवं भू–उपयोग परिवर्तन की पूर्व में प्रचलित मैनुअल प्रक्रिया को ऑलाईन किया गया।

- **राजस्व न्यायालयों का कम्प्यूटरीकरण**– प्रदेश की समस्त राजस्व न्यायालयों का आर0सी0एम0एस0 पोर्टल के माध्यम से कम्प्यूटरीकरण किया गया, जिससे वादकारियों को अपने भूमि सम्बन्धित वादों की जानकारी ऑनलाईन प्राप्त हो जाती है।

- **किसानों को ऋण उपलब्धता में सहूलियत**– प्रदेश के किसानों को अपनी भूमि पर कृषि एवं कृषक से सम्बन्धित गतिविधियों के विस्तार आदि की कार्यवाही हेतु बैंकों से ऋण प्राप्त करने की प्रक्रिया को भी ऑनलाईन किया गया, जिससे किसानों को कृषि ऋण प्राप्त करने में सुगमता हुयी है।

- **राजस्व वसूली की कार्यवाही का डिजिटाईजेशन**– राजस्व वसूलियों की कार्यवाही का भी डिजिटलाईलेशन पोर्टल के माध्यम से किया गया, जिससे वसूली की कार्यवाही का ऑनलाईन अनुश्रवण कर राजस्व संग्रहण में मजबूती प्राप्त हुयी।

- **पर्वतीय क्षेत्रों में आधुनिक ड्रोन सर्वेक्षण द्वारा चकबन्दी**– प्रदेश में पर्वतीय क्षेत्रों में चकबन्दी हेतु पायलट आधार पर आधुनिक ड्रोन सर्वेक्षण की कार्यवाही को लागू करवाये जाने की प्रकिया प्रारम्भ की गयी है, जिससे

प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में चकबन्दी कर बिखरी जोतों के चक बना कर संकलित किये जाने की कार्यवाही का लक्ष्य है, इससे पर्वतीय क्षेत्रों में कृषि, औद्यानिकी, ओद्योगिक निवेश आदि से सम्भावनाओं का मार्ग खुलेगा तथा प्रदेशवासियों की आमदमी आदि को प्रत्यक्ष रूप से फायदा होगा।

- **पुनः सर्वेक्षण की पहल**– प्रदेश में बडे स्तर पर वर्ष 1960 में बन्दोबस्त की कार्यवाही हुयी थी, जिसके उपरान्त अत्यधिक समय होने, भूमि के भौगोलिक एवं स्वामित्व की स्थिति में हुये परिवर्तन के कारण पुनः सर्वे की अत्यधिक आवश्यकता को देखते हुये प्रदेश में भूमि का आधुनिक विधि से बन्दोबस्त करवाये जाने हेतु रि सर्वे की ड्रोन सर्वेक्षण आदि विधियों से सर्वे करवाये जाने की कार्यवाही को पायलट आधार पर लागू करवाया जा रहा है। पायलट अध्ययन की कार्यवाही उपरान्त इसे चरणबद्ध रूप से सम्पूर्ण प्रदेश में लागू करवा कर सम्पूर्ण प्रदेश की भूमि का आधुनिक विधि से रि सर्वे करवाये जाने का लक्ष्य है।

- **नक्शा प्रोजेक्ट**– वर्तमान समय में भारत सरकार द्वारा शहरी भूमि का भी स्वामित्व की तर्ज पर संचालित नवीन योजना "नक्शा प्रोजेक्ट" अन्तर्गत आधुनिक ड्रोन सर्वेक्षण विधि से सर्वे करवाया जा रहा है जिससे शहरी भूमि की सही पहचान के साथ हितबद्ध व्यक्ति को उसकी भूमि/सम्पत्ति का सही हक प्राप्त हो सकेगा। नक्शा प्रोजेक्ट अन्तर्गत अभी प्रदेश की 04 नगर निकायों भगवानपुर, जनपद हरिद्वार, नरेन्द्रनगर, जनपद टिहरी गढ़वाल, किच्छा, जनपद उधमसिंहनगर एवं अल्मोड़ा, जनपद अल्मोड़ा को भारत सरकार द्वारा पायलट रूप से चिन्हित किया है, जिनमें ड्रोन सर्वेक्षण की कार्यवाही पूर्ण हो चुकी है। ड्रोन सर्वेक्षण की कार्यवाही के बाद अब अभिलेख तैयार करने की कार्यवाही ग्राउण्ड टुथिंग की कार्यवाही अभी भगवानपुर में प्रारम्भ की गयी है, इसी प्रकार अवशेष में की जायेगी। भारत सरकार द्वारा पायलट आधार पर चयनित इन नगर निकायों में कार्यवाही पूर्ण होने उपरान्त प्रदेश की अन्य नगर निकायों में सर्वेक्षण की कार्यवाही की जायेगी।

- **भू–अभिलेखों में खातेदारों का अंश निर्धारण**– प्रदेश में भू–अभिलेखों में वर्ष 2025 में संयुक्त खातों में दर्ज खातेदारों एवं सह खातेदारों का उनके अंश के अनुरूप पृथक–पृथक अंश निर्धारित खतौनी तैयार किये जाने की कार्यवाही भी प्रारम्भ की गई है जिसमें प्रदेश के कुल खातेदारों एवं सह खातेदारों की संख्या के सापेक्ष अभी तक 31 प्रतिशत अंश निर्धारित खतौनियों का डाटा तैयार किया गया है।

- **ग्रामों में चकबन्दी की प्रक्रिया**– उत्तराखण्ड राज्य के अन्तर्गत चकबन्दी विभाग में राज्य गठन से आतिथि तक कुल 234 (दो सौ चौंतीस) ग्रामों में जोत चकबन्दी अधिनियम की धारा–4 के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुए चकबन्दी प्रकिया प्रारम्भ की गयी तथा कुल 228 (दो सौ अटठाईस) ग्रामों में उ0प्र0 जोत चकबन्दी अधिनियम 1953 की धारा–52 (1) के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुए चकबन्दी प्रक्रिया पूर्ण की गयी है।

- **राज्य में सर्वे प्रक्रिया की प्रगति**– राज्य गठन से पूर्व एवं राज्य गठन के उपरान्त सर्वेक्षण अभिलेख संक्रियाओं (रिकॉर्ड ऑपरेशन) में लिये गये ग्रामों में से 212 राजस्व ग्रामों में सर्वेक्षण अभिलेख संक्रियायें विगत 25 वर्षों में पूर्ण की गयी है।

- **नवीन राजस्व ग्रामों का सृजन**– राज्य गठन 09 नवम्बर, 2025 के अब तक जनहित में कुल 108 नवीन राजस्व ग्राम सृजन किये गये।

- **नवीन तहसीलों एवं उप तहसीलों का सृजन**– राज्य गठन के उपरान्त प्रशासनिक दक्षता बढ़ाये जाने एवं जनहित में विकेन्द्रीकरण के दृष्टिगत 58 तहसीलों एवं 18 उप तहसीलों का सृजित किये गये है।

- **अनावासीय भवनों का निर्माण**– उत्तराखण्ड राज्य सृजन के उपरान्त राजस्व विभाग की नवसृजित 29 तहसीलों के भवनों का निर्माण किया गया।

- **कार्मिकों नियुक्ति/रोजगार सृजन**– राज्य गठन के अन्तर्गत सृजित राजस्व उप निरीक्षक (पटवारी/लेखपाल) के 1702, राजस्व निरीक्षक के 1119, नायब तहसीलदार के 170, कनिष्ठ सहायक के कुल 397 एवं मृतक आश्रित के रूप में कनिष्ठ सहायक के पदों पर कुल 105, सर्वे लेखपाल 35 एवं कनिष्ठ सहायक में 03, सहायक चकबन्दी अधिकारी के 04 कुल 3535 पदों का सृजन किया गया है।

- **प्रदेश में भूमि के अवैध क्रय**–विक्रय एवं भूमि के उचित प्रबन्धन हेतु कठोर भू–कानून की दिशा में पहल करते हुए उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश) जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम (संशोधन) 2025 प्रख्यापित किया गया है।

राज्य गठन के पश्चात से वर्तमान तक चकबन्दी प्रक्रियाओं के अन्तर्गत कुल 234 ग्रामों में जोत चकबन्दी अधिनियम की धारा–4 के अन्तर्गत चकबन्दी प्रक्रिया प्रारम्भ की गयी है तथा कुल 232 ग्रामों में जोत चकबन्दी अधिनियम की धारा–52 के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुये चकबन्दी प्रक्रिया पूर्ण की गयी है।

आपदा प्रबन्धन
Disaster Management

विषम भौगोलिक स्थितियों के कारण राज्य को अक्सर भूकम्प, बाढ, वनाग्नि तथा भूस्खलन आदि का सामना करना पड़ता है। उत्तराखंड में आपदा प्रबन्धन के लिए उत्तराखण्ड राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण (USDMA) मुख्य नोडल एजेन्सी है तथा जिला स्तर पर जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण (UDMMC) कार्य करते है, जो आपदा के समय राहत और पुनर्वास की योजना बनाते है। गठित संस्थायें राज्य में भूकंप, बाढ़, भूस्खलन और बादल फटने जैसी आपदाओं की रोकथाम, तैयारी और राहत कार्यों का प्रबन्धन करती है। आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबन्धन केन्द्र (DMMC) के अन्तर्गत आपदा से सम्बन्धित नीतियां बनाने और जागरूकता फैलाने का कार्य किया जाता है।

27.3 उत्तराखण्ड राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के क्रियाकलाप–

27.3.1 Incident Response System (IRS)–वर्ष 2025 के जून माह में राज्य, जनपद एवं तहसील स्तर पर Incident Response System (IRS) की अधिसूचना जारी की गई है। इस अधिसूचना के माध्यम से आपदा के दौरान प्रशासनिक एवं संचालनात्मक उत्तरदायित्वों को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है। इससे यह सुनिश्चित किया गया है कि किसी भी आपदा की स्थिति में त्वरित, समन्वित और परिणामकारी कार्रवाई की जा सके। यह तंत्र विशेष रूप से जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

27.3.2 खोज एवं बचाव तथा राहत कार्य (Search & Rescue and Relief work) –

वर्ष 2025 में (दिनांक 01.04.2025 से 05.01.2026 तक) राज्य में घटित विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं से कुल 147 व्यक्तियों की मृत्यु, 163 व्यक्ति घायल, 86 व्यक्ति लापता हुये हैं तथा 1424 व्यक्तियों को सुरक्षित निकाला गया। इसके साथ ही 7145 (6861 छोटे + 284 बड़े) पशु हानि हुयी।

उपरोक्तानुसार घटित आपदाओं में वर्तमान तक कुल 6628 आवासीय भवन आंशिक, 359 भवन तिक्ष्ण, 333 भवन पूर्ण क्षतिग्रस्त हुये तथा 132 गौशाला क्षतिग्रस्त हुयी। उक्त घटनाओं का त्वरित प्रतिवादन करते हुये उत्तराखण्ड राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, राज्य आपदा प्रतिवादन बल (एस0डी0आर0एफ0), सेना एवं अर्द्ध सेना तथा अन्य सम्बन्धित रेखीय विभागों तथा स्थानीय प्रशासन के सहयोग से आवश्यक संसाधनों को उपलब्ध करवाते हुये खोज एवं बचाव सम्बन्धित कार्य किये गये तथा मृत एवं घायल व्यक्तियों की पुष्टि करते हुये नियमानुसार राहत राशि का वितरण किया गया।

27.3.3 अभियान (Expedition) –

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) द्वारा उत्तराखण्ड राज्य की संवेदनशील हिम झीलों के अध्ययन एवं जोखिम न्यूनीकरण हेतु "National GLOF Risk Mitigation Project" के अंतर्गत उत्तराखण्ड राज्य की संवेदनशील हिम झीलों का विस्तृत सर्वेक्षण, गहराई मापन (Bathymetry), जल भंडारण क्षमता का आकलन, तथा संभावित आउटफ्लो मार्गों की पहचान की जा रही है। वर्ष 2025 में "National GLOF Risk Mitigation Project" के अंतर्गत उत्तराखण्ड राज्य में स्थित पिथौरागढ़ जनपद की दो संवेदनशील हिम झीलों एवं प्युंगरु झील का विस्तृत वैज्ञानिक सर्वेक्षण किया गया है।

27.3.4 राज्य आपातकालीन परिचालन केन्द्र (SEOC) का वर्ष पर्यन्त 24 X 7 प्रारूप पर संचालन–

उत्तराखण्ड राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के अन्तर्गत वर्ष पर्यन्त 24 X 7 प्रारूप पर राज्य आपातकालीन परिचालन केन्द्र (SEOC) संचालित किया जा रहा है। विगत वर्षो की भॉति वर्ष 2025 के मानसून सत्र में आपदा न्यूनीकरण, प्रबंधन, राहत और प्रतिकिया, समन्वय आदि कार्यों के संपादन हेतु शासन के वरिष्ठ अधिकारियों तथा विभिन्न रेखीय विभागों के नोडल अधिकारियों की तैनाती की गयी।

27.3.5 पूर्व चेतावनी प्रणाली (Early Warning System) –

भूकंप की अग्रिम चेतावनी अब उत्तराखण्ड में एक वास्तविकता बन चुकी है। उत्तराखण्ड वह पहला राज्य है जहाँ Earthquake Early Warning System (EEWS) को सफलतापूर्वक लागू किया गया है। यह प्रणाली अत्याधुनिक सिस्मिक सेंसरों और संचार नेटवर्क पर आधारित है, जो भूकंप के उपकेंद्र से उत्पन्न प्रारंभिक झटकों को पहचानकर कुछ सेकंड पहले चेतावनी जारी करने में सक्षम है।

27.3.6 राज्य में मौसम पूर्वानुमान का सुदृढ़ीकरण –

हाइड्रो–मेट नेटवर्क स्थापना (Hydro-met Network Establishment) उत्तराखण्ड राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, देहरादून द्वारा वित्तपोषित उत्तराखण्ड डिजास्टर रिकवरी परियोजना के अन्तर्गत राज्य में मौसम सम्बन्धी सेवाओं को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से वर्तमान तक भारत मौसम विज्ञान विभाग के सहयोग से राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में 107 स्वचालित मौसम स्टेशन, 28 स्वचालित वर्षा मापी, स्वचालित बर्फ मापी एवं 25 सतही मौसम वेधशालाओं की स्थापना का कार्य पूर्ण कर लिया गया है।

27.3.7 डॉप्लर रडार (Doppler Radar) की स्थापना–

उत्तराखण्ड राज्य में भारत सरकार द्वारा Integrated Himalayan Meteorological Project (IHMT) के अन्तर्गत राज्य के तीन स्थानों यथा लैंसडाउन (जनपद पौड़ी गढ़वाल), सुरकंडा (जनपद टिहरी गढ़वाल) तथा मुक्तेश्वर (जनपद नैनीताल) में डॉप्लर रडार की स्थापना की गयी। जिससे राज्य में मौसम पूर्वानुमान की सटीक जानकारी उपलब्ध हो पा रही है।

27.3.8 Common Alerting Protocol (CAP) जारी–

भारत सरकार द्वारा SACHET Application विकसित की गई है, जो कि Common Alerting Protocol (CAP) पर आधारित है, जिसके माध्यम से आम जनमानस तक विभिन्न आपदाओं यथा: अतिवृष्टि, आकाशीय बिजली, वनाग्नि, हिमस्खलन, तूफान, बाढ तथा चक्रवात आदि के सम्बन्ध में पूर्वानुमान प्रेषित किया जाता है।

27.3.9 युवा आपदा मित्र योजना (युवा सशक्तिकरण)–

उक्त कार्यक्रम राज्य की समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन पहल है। इसका उद्देश्य नागरिकों को "प्रथम प्रतिक्रिया दल" के रूप में प्रशिक्षित कर स्थानीय स्तर पर आपदा प्रतिक्रिया को सशक्त बनाना है। अब तक 20,000 से अधिक युवाओं और महिलाओं को प्रशिक्षण दिया गया है, जिन्हें SDRF और जिला प्रशासन के सहयोग से तैयार किया गया है तथा मार्च 2026 तक 1.5 लाख से अधिक लोगों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाना प्रस्तावित है।

27.3.10 आपदा सखी कार्यक्रम (महिला सशक्तिकरण)–

यह माननीय मुख्यमंत्री द्वारा शुरू की गई एक राज्य स्तरीय पहल है, जो परिवार और समुदाय की मजबूती में महिलाओं की अनूठी और महत्वपूर्ण भूमिका को मान्यता देती है, विशेषकर पर्वतीय गांवों में। इसका उद्देश्य महिलाओं को ज्ञान और कौशल से सशक्त बनाना है ताकि वे अपने घरों और गांवों में आपदा की तैयारी और प्रतिक्रिया प्रयासों का नेतृत्व कर सकें।

27.3.11 भौगोलिक सूचना प्रणाली GIS आधारित तकनीकी का उपयोग –

राज्य के आपदा मानचित्रण हेतु GIS पोर्टल (www.usdmagis.uk.gov.in) का पंजीकरण एवं विकास किया जा रहा है। यह पोर्टल उत्तराखण्ड राज्य के समस्त आपदा जोखिम आंकलन, संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान, एवं राहत कार्यों की रियल–टाइम मॉनिटरिंग के लिए एक एकीकृत मंच के रूप में कार्य करेगा। इस पोर्टल के माध्यम से जनपद–वार hazard zonation maps, infrastructure vulnerability data तथा real-time incident tracking की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। यह पहल राज्य में निर्णय समर्थन प्रणाली (Decision Support System) को सशक्त बनाते हुए वैज्ञानिक आधारित आपदा प्रबंधन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम सिद्ध होगी।

27.3.12 नभ नेत्र ड्रोन वाहन (Nabh Netra Drone Vehicle) का उपयोग–

नभ नेत्र ड्रोन वाहन के सहयोग से राज्य में आपदा पूर्व मूल्यांकन और त्वरित क्षेत्रीय निगरानी को नई गति मिली है। इन ड्रोन प्रणालियों के माध्यम से दुर्गम पर्वतीय क्षेत्रों में वास्तविक समय की तस्वीरें और आंकड़े प्राप्त कर राहत कार्यों की सटीक योजना बनाई जा रही है। आपदा की स्थिति में भू–स्खलन, सड़क अवरोध और संरचनात्मक क्षति का त्वरित आंकलन किया जाना सम्भव हुआ है।

27.3.13 नियमित अन्तराल में मॉक अभ्यास (Mock Exercise) का आयोजन –

उत्तराखण्ड राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण द्वारा राज्य में प्राकृतिक आपदाओं एवं चारधाम यात्रा मार्गो पर घटित होने वाली आपदाओं हेतु वर्ष 2025 में नियमित अन्तराल में राज्य स्तरीय मॉक अभ्यासों को आयोजित किया गया, जिसमें राज्य आपदा मोचन बल (SDRF), वन विभाग, राजस्व विभाग, पर्यटन विभाग, मंदिर समिति, ट्रैफिक पुलिस, SDRF, NDRF, स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन के साथ ही राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA), भारत सरकार के सहयोग किया गया, जिससे अंतर्विभागीय समन्वय एवं संसाधन प्रबंधन की दक्षता को सुदृढ़ किया गया।

27.3.14 राज्य आपदा प्रबंधन योजना (State Disater Management Plan – SDMP) तथा जिला आपदा प्रबंधन योजना (DDMP) का उच्चीकरण–

वर्तमान परिप्रेक्ष्य में राज्य आपदा प्रबंधन योजना (State Disater Management Plan – SDMP) तथा जिला आपदा प्रबंधन योजना (District Disaster Management Plan – DDMP) की समीक्षा तथा नवीन अध्यायों का समावेश करते हुये उक्त योजनाओं को अद्यतन किये जाने की कार्यवाही गतिमान।

27.3.15 भारत सरकार द्वारा राज्य में संचालित परियोजना का संचालन–

National Landslide Risk Mitigation Program (NLRMP) के अन्तर्गत जुलाई 2025 में ₹ 125 करोड़ की परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई है। इसके अंतर्गत राज्य के पाँच अति संवेदनशील भूस्खलन क्षेत्रों मनसा देवी हिल बायपास भूस्खलन क्षेत्र, हरिद्वार, चार्टन लॉज भूस्खलन क्षेत्र, नैनीताल, बहुगुणानगर भू–धंसाव क्षेत्र, कर्णप्रयाग (चमोली), गलोगी पावर हाउस एप्रोच रोड भूस्खलन क्षेत्र, मसूरी–देहरादून मार्ग (देहरादून) खौतिला–घटधार भूस्खलन क्षेत्र, धारचूला (पिथौरागढ़) के लिए उत्तराखण्ड भूस्खलन न्यूनीकरण एवं प्रबन्धन केन्द्र (यूएलएमएमसी) द्वारा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (**DPR**) तैयार किया जाना हैं, जिसमें 90 प्रतिशत की लागत केन्द्रीय सरकार द्वारा एवं 10 प्रतिशत की लागत राज्य सरकार द्वारा वहन की जायेगी।

27.3.16 National Earthquake Risk Mitigation Program (NERMP) के अन्तर्गत परियोजना प्रारूप रिपोर्ट (PPR) का अनुमोदन माननीय मुख्यमंत्री महोदय से प्राप्त हो चुका है तथा इसकी पहली समीक्षा बैठक (TAC Meeting) राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, भारत सरकार के साथ प्रस्तावित है।

27.4 उत्तराखण्ड भूस्खलन न्यूनीकरण एवं प्रबन्धन केन्द्र (ULMMC) द्वारा संचालित किये जा रहे कार्य–

27.4.1 Detailed Project Report (DPR) - यू0,एल0,एम0,एम0सी0 द्वारा मसूरी देहरादून मार्ग स्थित गलोगी पावर हाउस एप्रोच रोड हेतु ₹ 5.41 करोड़ की **DPR** पूर्ण हो चुकी है। बहुगुणानगर भू–धंसाव क्षेत्र, कर्णप्रयाग जनपद चमोली की **DPR** एवं मंसा देवी हिल बायपास रोड, हरिद्वार की **DPR** प्रगति पर है।

27.4.2 भूस्खलन न्यूनीकरण कार्य– अन्य विभागों के समन्वय से यू0,एल0,एम0,एम0सी0 द्वारा हल्दापानी जनपद चमोली में ₹ 80.61 करोड़ की लागत से धारचूला जनपद पिथौरागढ़ में ₹ 84.09 करोड़ की लागत से भूस्खलन उपचार कार्य पूर्ण हो चुके है। एवं बलियानाला भूस्खलन क्षेत्र, जनपद नैनीताल में ₹ 298.93 करोड़ की परियोजना प्रगति पर है, साथ ही ग्राम खौतिला, जनपद पिथौरागढ़ में तटबन्ध एवं बाढ़ सुरक्षा योजना ₹ 35 करोड़ की लागत से कार्य पूर्ण हो चुका है। देहरादून, मसूरी मार्ग (ग्लोगी) पर भूस्खलन न्यूनीकरण परियोजना ₹ 30.07 करोड़ की लागत से कार्य पूर्ण एवं गोलापार स्टेडियम परियोजना, हल्द्वानी में कार्य प्रगति पर है।

27.4.3 प्रमुख नगरों का व्यापक अध्ययन– पर्वतीय नगरों में Topographical, Geological Geophysical एवं Geotechnical अध्ययन किया जा रहा है जिससे घनी आबादी वाले पर्वतीय नगरो में संवेदनशील भूस्खलन क्षेत्रों की पहचान हो पायेगी तथा प्रभावी शमन उपायों के निर्धारण में सहायता मिलेगी। नैनीताल नगर में यह परियोजना प्रगति पर है।

27.4.4 Landslide Risk Assessment – उक्त डेटाबेस विकास चारधाम यात्रा मार्गों हेतु एक व्यापक वैज्ञानिक भूस्खलन डेटाबेस वर्ष 2025 में तैयार किया जा चुका है, जिसमें, गंगोत्री, यमुनोत्री, अलकनंदा, भागीरथी घाटियाँ शामिल हैं। यह डेटाबेस सक्रिय एवं दीर्घकालिक भूस्खलन स्थलों की पहचान, न्यूनीकरण के उपायों की प्रभावशीलता के आकलन तथा राष्ट्रीय राजमार्गों पर जोखिम न्यूनीकरण हेतु ठोस आधार प्रदान करेगा।

27.4.5 Post Disaster Need Assessement (PDNA) - उत्तराखण्ड भूस्खलन न्यूनीकरण एवं प्रबंधन केंद्र, देहरादून द्वारा, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) एवं राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (USDMA) के संयुक्त तत्वावधान में, वर्ष 2025 में उत्तराखण्ड में घटित प्राकृतिक आपदाओं के प्रभावों के आकलन हेतु आपदा–पश्चात आवश्यकताओं का मूल्यांकन (Post Disaster Needs Assessment -PDNA) एवं रिपोर्ट तैयार कर भारत सरकार को प्रेषित की गयी।

27.4.6 उत्तराखण्ड डिजास्टर प्रीपेयर्डनेस एण्ड रेजीलियेंट प्रोजेक्ट (यू–प्रिपेयर)–

उत्तराखण्ड में आपदा प्रबन्धन को सृदृढ़ एवं आपदा के समय रिस्पांस टाईम को कम करने के उद्देश्य से केन्द्र सरकार द्वारा ₹ 1480/– करोड़ की विश्व बैंक सहायतित 05 वर्षीय (2024–2029) परियोजना "उत्तराखण्ड डिजास्टर प्रीपेयर्डनेस एण्ड रेजीलियेंट प्रोजेक्ट (यू–प्रिपेयर)" स्वीकृत की गयी है, जिसका ऋण हस्ताक्षर दिनांक 16 दिसम्बर 2024 को केन्द्र सरकार, उत्तराखण्ड सरकार एवं विश्व बैंक के मध्य किया गया। इस परियोजना के अन्तर्गत 45 सेतुओं, 08 सड़क सुरक्षात्मक उपाय, 10 आपदा आश्रय गृहों का निर्माण, 19 अग्निशमन केन्द्रों का निर्माण/सुदृढ़ीकरण, राज्य आपदा प्रतिवादन बल हेतु प्रशिक्षण केन्द्रों का निर्माण के साथ–साथ वन विभाग के अन्तर्गत वनाग्नि नियंत्रण संबंधी कार्य किये जाने प्रस्तावित हैं।

27.4.7 उपलब्धियाँ

- वर्ष 2012 से वर्तमान में दिनांक 27.1.2025 तक प्राकृतिक आपदा से प्रभावित कुल 22 ग्रामों के 2985 परिवारों का पुनर्वास किया गया।
- वित्तीय वर्ष 2025–26 में आपदा प्रभावित कुल 39 ग्रामों के 360 परिवारों का पुनर्वास किया गया तथा ₹ 21.15 करोड़ की धनराशि प्रभावित परिवारों को आवंटित की गयी।
- वर्ष 2023 में राज्य के आपदा प्रभावित परिवारों के पुनर्वास हेतु जिलास्तरीय पुनर्वास समिति का गठन किया गया है, जिसके द्वारा पुनर्वास नीति, 2021 के अनुसार राज्य के संकटग्रस्त ग्रामों/परिवारों के अन्यत्र सुरक्षित पुनर्वास हेतु कार्यवाही की जा रही है।
- धराली व आसपास के क्षेत्रों में प्राकृतिक आपदा तथा उसके उपरान्त अन्य जनपदों में आयी आपदा हेतु मृत व्यक्तियों के विधिक वारिसान को एसडीआरएफ के मानकानुसार ₹ 4 लाख तथा मुख्यमंत्री राहत कोष से ₹ 1 लाख, कुल ₹ 5 लाख की आर्थिक सहायता प्रदान की गयी है।
- धराली व आसपास के क्षेत्रों में प्राकृतिक आपदा तथा उसके उपरान्त अन्य जनपदों में आयी आपदा हेतु एसडीआरएफ मानकों में निर्धारित सहायता राशि को सम्मिलित करते हुए पहाड़ी क्षेत्रों में ₹ 3 लाख तथा मैदानी क्षेत्र हेतु ₹ 3.20 लाख की अतिरिक्त राहत सहायता को मा0 मुख्यमंत्री राहत कोष से, इस प्रकार कुल ₹ 5 लाख की आर्थिक सहायता के प्राविधान किये गये हैं।
- आपदा रोकथाम एवं न्यूनीकरण हेतु मौसम के पूर्वानुमान को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से उत्तराखण्ड राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण एवं भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, भारत सरकार के मध्य समझौता ज्ञापन किया गया है।
- प्रदेश में मानव वन्य जीव संघर्ष की रोकथाम हेतु राहत एवं बचाव तथा तैयारी एवं क्षमता निर्माण मद से वन विभाग को कुल ₹ 26 करोड़ की धनराशि राज्य आपदा मोचन निधि से आवंटित की गयी है।
- **उत्तराखण्ड राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण की दीर्घकालिक कार्ययोजनाये :–**
- राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, भारत सरकार द्वारा सम्पूर्ण हिमालयी क्षेत्र में आसन्न

भूकम्प जोखिम के न्यूनीकरण हेतु दीर्घकालिक वृहद कार्ययोजना का विकास किया जा रहा है।

- राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, भारत सरकार के सहयोग से राज्य में आपदा की स्थिति में प्राथमिक प्रतिवादन में समुदाय की प्रमुख भूमिका के दृष्टिगत् समुदाय के स्तर पर आपदा उपरान्त खोज एवं बचाव सम्बन्धित प्रशिक्षणों के संचालन किया जा रहा है।
- वर्ष 2015–2030 की अवधि में क्रियान्वित आपदा जोखिम न्यूनीकरण की सेण्डई रूपरेखा के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिये विभिन्न विभागों के समन्वय से राज्य के लिये एक वृहद् कार्ययोजना तैयार की गयी है व उक्त की प्रगति की नियमित समीक्षा की जा रही है।
- राज्य में मौसम के बेहतर पूर्वानुमान हेतु हाइड्रोमेट सेन्सर नेटवर्क का सुदृढ़ीकरण।
- Surface Field Observatory के आँकड़ों के संग्रहण के लिये ऐप का निर्माण।
- आपातकालीन स्थिति में राहत एवं बचाव कार्यों हेतु ड्रोन की उपलब्धता।
- भवन निर्माण उपविधियाँ सम्बन्धित प्रकरण व समन्वयन।
- ग्लेशियर मॉनिटरिंग का कार्य।
- अवसंरचनाओं का सुदृढ़ीकरण।
- हैम रेडियो की स्थापना।
- भविष्य में उत्तराखण्ड के भूस्खलन का डेटाबेस तैयार करना।
- संस्थागत व्यवस्था एवं उनके आपसी समन्वय तथा निगरानी हेतु उत्तराखण्ड राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के माध्यम से प्रशिक्षण कार्यक्रम, संसाधन, सूचना प्रणाली, नियमित समीक्षा आदि की व्यवस्था को बनाया जाना।
- राज्य का सम्पूर्ण आपदा–जोखिम मानचित्रण जिसमें जनपद, विकाखण्ड खण्ड एवं दूरस्थ ग्रामों को सम्मिलित किया जाना है, को आपदा न्यूनीकरण एवं त्वरित राहत सहायता प्रदान किये जाने हेतु नवीन/प्राचीन मार्गो को समाहित करते हुए तैयार किया जाना है।
- विकासपरक योजनाओं जिनमें सडक, पुल आदि के निर्माण हेतु आपदा प्रवणता (Disaster-resilience) को अनिवार्य रूप से सम्मिलित किया जाना। उक्त हेतु उत्तराखण्ड भूस्खलन न्यूनीकरण एवं प्रबन्धन केन्द्र के माध्यम से संभावित व जोखिम वाले क्षेत्रों में क्षेत्रीय भौगोलिक परिस्थितियों का अध्ययन कर आख्या व समाधान संबंधित विभागों को उपलब्ध कराया जाना सम्मिलित है।
- आपदा जोखिम को न्यून किये जाने हेतु बहुउद्देशीय पूर्व चेतावनी प्रणाली को विकसित करना जो मानसून, बाढ, बादल फटने आदि की सूचना घटना के घटित होने से पूर्व ही संबंधित क्षेत्र के निवासियों को अलर्ट मोड पर आने हेतु चेतावनी उपलब्ध करा सके।
- संभावित ऐसे स्थलों का चिन्हीकरण किया जाना जहां मानसून आने पर निवासरत निवासियों को आपदा जैसी घटना का सामना करना पडे, को समय रहते ही टिकाऊ डिजाइन प्रणाली के माध्यम से उपचारित/सुदृढ किया जाना, जिससे आपादा जोखिम को न्यून किया जा सके।
- नवीन तकनीकों के माध्यम से प्रदेश के संवेदनशील क्षेत्रों जिसमें भूस्खलन, एवलांच, ग्लेशियर से निर्मित झीलों में ड्रोन, रिमोट सेंसिंग अथवा हाई रेज्यूलेशन कैमरों की स्थापना कर नियमित निगरानी/अनुश्रवण की व्यवस्था की जाएगी।
- दूरस्थ क्षेत्रों तक आपदा जोखिम को न्यून किये जाने हेतु समुदायिक स्तर पर जनसहभागिता को प्रोत्साहित करते हुए उन्हें प्रशिक्षित किया जाना, ताकि संभावित आपदाओं के आने पर वह स्वयं भी अपनी सुरक्षा हेतु प्रथम दृष्टया उपायों को अपना सके।

उत्तराखण्ड सरकार

अर्थ एवं संख्या निदेशालय
(नियोजन विभाग)

उत्तराखण्ड सरकार
37A, आई. टी. पार्क, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून (उत्तराखण्ड) 248013
दूरभाष / फैक्स: 0135–2712604
ई–मेल: dirdesuk@gmail.com | dir-des-uk@nic.in
वेबसाइट: www.des.uk.gov.in